सप्तम माला खंड 1 अंक 1

शुक्रवार 4 सितम्बर 1981

13 भाद्र 1903 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

छठा सत्र

सत्यमेव जयते

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 15, शुक्रवार, 4 सितम्बर, 1981/13 भाद्र, 1903 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख :	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	2—22
*तारांकित प्रश्न संख्या 283, 284, 286, 287, 289 से 292 और 301	2—21
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	22—29
*तारांकित प्रश्न संख्या 285, 288, 293 से 297, 299, 300 और 302 से 304	22-29
अतारांकित प्रश्न संख्या 2801 से 3000	30—181
विशेषाधिकार प्रश्न आदि के बारे में	181—184
सभा पटल पर रखे गये पत्र	184—186
विधेयकों पर अनुमति	186
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	186—197
चुराई गई बहुमूल्य मूर्तियों और प्राचीन वस्तुओं की बरामदगी	186
श्री जी० एम० बनातवाला	186
श्रीमती शीला कौल	193
श्री राजेश कुमार सिंह	193
श्री बालकृष्ण रामचन्द्र वासनिक	194
श्री एच० के० एल० भगत	194
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना के लिए एक आयोग गठित करने के बारे में वक्तव्य।	196
श्री पी० शिवशंकर	196
सभा का कार्य	197
समिति के लिए निर्वाचन	202
राष्ट्रीय कैडेटकोर के लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति	202
सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि विधेयक	203
विचार करने का प्रस्ताव	
खण्ड 2 से 11 और	204—211
पास करने का प्रस्ताव	204
श्री वसन्त साठे	205
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा एक नये तेल क्षेत्र की खोज के बारे में वक्तव्य	
श्री प्रकाश चन्द्र सेठी	211
भारतीय सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मछली पकड़ने सम्बन्धी विनियम) विधेयक, 1981	212
विचार करने का प्रस्ताव	212
राव बीरेन्द्र सिंह	215
श्री सुधीर गिरि	215
श्री जगन्नाथ राव	216
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	216
27वां प्रतिवेदन	216
(1) असंगठित श्रम कल्याण निधि विधेयक	
श्री बाला साहिब विखे पाटिल	217
(2) प्रति व्यक्ति फीस प्रतिषेध विधेयक	
श्री बाला साहिब विखे पाटिल	217
(3) संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छेद 45 क का अन्तःस्थापन)	
श्री बाला साहिब विखे पाटिल	218

किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(4) सेवाओं में पदों का और शैक्षिक संस्थाओं में स्थानों का (आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के लोगों के लिए) आरक्षण विधेयक श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत	218
(5) मृत्यु दण्ड उत्सादन विधेयक प्रो० मधु दण्डवते	218
(6) सीमा आयोग विधेयक प्रो० मधु दण्डवते	219
(7) वैयक्तिक स्वतन्त्रता (प्रत्यावर्तन विधेयक) प्रो० मधु दण्डवते	219
(8) कीमत नियंत्रण विधेयक प्रो० मधु दण्डवते	219
(9) संविधान (संशोधन) विधेयक (सप्तम अनुसूची का संशोधन) श्री बाला साहिब विखे पाटिल	220
(10) चिकित्सा और इन्जीनियरी महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए प्रावेशिक शुल्क लिये जाने का प्रतिषेध और नई संस्थाओं का खोला जाना विधेयक श्री बी० वी० देसाई	224
(11) प्रत्येक परिवार के एक वयस्क सदस्य के लिये नियोजन की व्यवस्था विधेयक श्री बी० वी० देसाई	225
(12) लोक सभा तथा राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आस्तियों और दायित्वों की घोषणा विधेयक श्री राजेश पायलट	225
(13) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 101, 102 आदि का संशोधन) श्री राजेश पायलट	225
(14) वैयक्तिक स्वतंत्रता (संरक्षण) विधेयक श्री चित्त बसु	226
भारत में धार्मिक आधार पर कार्यरत सभी विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रतिषेध विधेयक वापस लिया गया श्री बी० वी० देसाई	220 212
बेरोजगारी सहायता (आयु सीमा से छूट तथा अन्य सुख सुविधाएं) विधेयक	
विचार करने का प्रस्ताव	226
श्रीमती गीता मुखर्जी	226
श्री राम सिंह यादव	230
श्री मतिलाल हसदा	232
श्रीमती विद्या चेन्नुपति	233
श्री रशीद मसूद	336
श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत	238
श्री के० अर्जुनन	240
श्री गिरधारी लाल व्यास	243
श्री जयपाल सिंह कश्यप	246
प्रो० एन० जी० रंगा	247
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा	250
केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में पदों का आरक्षण (पिछड़ी जातियों के लिये) विधेयक	256
विचार करने का प्रस्ताव—समाप्त नहीं हुआ	257
श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव	257
आधा घंटे की चर्चा	257
विद्युत सम्बन्धी राजाध्यक्ष समिति की सिफारिशों के बारे में राज्यों के विचार	257
श्री बी० वी० देसाई	263
श्री विक्रम महाजन	264
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	265
श्री सत्यनारायण जटिया	266
श्री जनार्दन पुजारी	269
श्री रामसिंह यादव	

लोक सभा

शुक्रवार, 4 सितम्बर 1981/13 भाद्र 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजकर 2 मिनट पर समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य गण मुझे इस सभा को, अपने एक भूतपूर्व सहयोगी श्री रोहन लाल चतुर्वेदी के निधन का दुखद समाचार देना है। वह पहली, दूसरी, चौथी और पांचवीं लोक सभा के, 1952-62 और 1967-77 के दौरान एटा निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य रहे।

वह स्वतंत्रता सेनानी थे तथा स्वतंत्रता आन्दोलन में जेल गये थे।

वह एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे तथा अनेक सामाजिक और शैक्षणिक संस्थानों से संबद्ध रहे। उन्होंने हरिजनों के उत्थान और कल्याण में गहरी दिलचस्पी दिखाई।

वह संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री, 1967-71 तक रेल मंत्रालय में उप मंत्रीतथा 1971 में आवास समिति के सभापति रहे। उनका निधन दिल्ली में 1 सितम्बर, 1981 को हुआ। वह 62 वर्ष के थे।

अपने इस मित्र के निधन पर हमें गहरा शोक है तथा मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवार को समवेदना भेजने में मेरा साथ देगी।

अपना शोक व्यक्त करने के लिए यह सभा कुछ समय तक खड़े होकर मौन धारण करे।

इसके पश्चात सदस्यगण कुछ समय के लिए मौन खड़े हुए।

श्री मनोराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, मैंने 388 में आप से अनुमति मांगी थी...(व्यवधान) मैंने अनुमति ली है मैं यह कहना चाहता हूँ कि कीटनाशक दवाइयों का जो घोटाला हरियाणा में पकड़ा गया था...

अध्यक्ष महोदय : बागड़ी जी, मेरी बात सुनिये। यह 388 का प्रश्न नहीं है। आप दूसरे ढंग से इसको ला सकते हैं। यह चीज जो सुरजेवाला जी ने कही है और अखबारों में आई है, अगर वह सही है, तो उसके बारे में कुछ होना चाहिए। मैं फैक्ट्स का पता लगा रहा हूं। यह किसानों के हित की बात उन्होंने की है और अगर पुलिस ने कोई गलती की है, तो उसको आप किसी दूसरे ढंग से उठाइए, मैं आप को इजाजत दूंगा।

श्री निरेन घोष।

प्रश्नों का मौखिक उत्तर

कोकिंग-कोल में राख की मात्रा

*283. **श्री नीरेन घोष :** क्या इस्पात और खान मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड को सप्लाई किए जाने वाले कोकिंग कोल में राख की मात्रा की प्रतिशत क्या है,

(ख) : कोकिंग-कोल में राख की मात्रा को घटाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) : क्या उन्हें यह पता है कि कोकिंग कोल में राख की मात्रा में प्रत्येक प्रतिशत वृद्धि से घमन-भट्टी की 3.5 प्रतिशत उत्पादकता कम हो जाती है और इससे कोयले की खपत में भी वृद्धि हो जाती है, और

(घ) : यदि हां, तो इस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) : एक विवरण समा-पटल पर रख दिया गया है।

(क) : वर्ष 1980-81 की अवधि में कोयला शोधनशालाओं द्वारा स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० के इस्पात कारखानों को बढ़िया तथा मध्यम किस्म का जो कोककर कोयला सप्लाई किया गया था उसमें राख की मात्रा क्रमशः 20-23.8 प्रतिशत तथा 18.5-21.9 प्रतिशत के बीच रही है।

(ख) तथा (घ) कोककर कोयले में राख की मात्रा कम करने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित उपाय उल्लेखनीय हैं :—

(1) शोधनशालाओं में प्रयुक्त होने वाले कच्चे कोयले की क्वालिटी में सुधार करना;

(2) दुग्धा I और II शोधनशाला में बारीक कोयले को शोधित करने की व्यवस्था की जा रही है ताकि 6 मि० मी० तक के साइज के कोयले को शोधित किया जा सके;

(3) दुग्धा II शोधनशाला में एक फ्रौथ फ्लोटेशन सैक्शन बनाया जा रहा है ताकि अत्यधिक बारीक कोयले को साफ किया जा सके;

(4) राख की कम मात्रा वाले कोककर कोयले का आयात किया जा रहा है ताकि देशीय कोयले में इसके सम्मिश्रण तैयार किया जा सके। (अभी तक भिलाई तथा राउरकेला के इस्पात कारखानों में ही ऐसा करना सम्भव हुआ है।); और

(5) सुदमडीह तथा मोनीडीह की कोयला शोधनशालाओं के चालू हो जाने से कोककर कोयले की क्वालिटी में सुधार होने की आशा है।

(ग) : जी, हां।

श्री निरेन घोष : विवरण कहां है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको विवरण नहीं मिला ?

श्री प्रणव मुखर्जी : अगर मुझे पता होता, तो मैं माननीय सदस्य के लिए एक प्रति ले आता।

श्री रतन सिंह राजदा : इन्हें एक प्रति दी जानी चाहिए :

अध्यक्ष महोदय : मेरे ख्याल में आप, दोनों में कब का भाईचारा है, नाता है।

एक माननीय सदस्य : इन दोनों की लम्बाई बराबर है और दोनों में भाई चारा हैं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा ही लगता है, कभी-कभी भाईचारे जैसा है।

श्री रतन सिंह राजदा : क्या समान स्तर पर ?

श्री निरेन घोष : महोदय, कोकिंग कोल में राख की मात्रा में प्रत्येक प्रतिशत वृद्धि से धमन भट्टी की 3.5 प्रतिशत उत्पादकता कम हो जाती है। इससे कोयले की खपत में भी 3.1 को दर से वृद्धि हो जाती है। अब यह बताया गया है कि इस्पात विभाग को 19 प्रतिशत राख की मात्रा वाले कोकिंग कोल की आवश्यकता है। लेकिन उन्हें, 21.6 प्रतिशत राख की मात्रा वाले 87 40,000 बढ़िया किस्म के कोयले का वजन दिया गया था। इससे अब तक उत्पादन पर कितना प्रभाव पड़ा है और आगे कितना पड़ेगा ? इस नुकसान को पूरा करने के बारे में मंत्री महोदय का क्या प्रस्ताव है ? क्या कोई बात है ? अथवा क्या हमारी कोयला धोवनशालाएं इन प्रकार का कोयला सप्लाई करने में असमर्थ हैं।

श्री प्रणव मुखर्जी : जहां तक प्रश्न के तथ्यात्मक मात्रा का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य ने स्वयं ही 1 प्रतिशत राख की मात्रा बढ़ने के बारे में कहा है जिसका अभिप्राय हुआ कि 3 प्रतिशत अतिरिक्त कोकिंग कोल कोल आवश्यकता पड़ेगी तथा इससे धमन भट्टी की क्षमता 3.5 प्रतिशत कम हो जाएगी।

जहाँ तक कोयले की आवश्यकता का सम्बन्ध है, अगर राख की मात्रा वही रहती है तथा हम 19 प्रतिशत राख की मात्रा वाला कोयला लेते हैं तो मूलत: निर्धारित किए गए उत्पादन आंकड़ों—लगभग 72 लाख टन इस्पात पिंड 57 लाख टन बिक्री योग्य इस्पात, 14 लाख टन कच्चा लोहा—के लिए स्टील एथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के इस्पात संयंत्र के लिए 1 करोड़ 35 लाख टन कोकिंग कोल की आवश्यकता होगी। लेकिन बाद में, एक बैठक में वित्त मंत्री ने, लोक उद्यम कार्यालय के परामर्श से, इस्पात पिण्डों, बिक्री योग्य इस्पात और कच्चे लोहे का उत्पादन बढ़ाने का निर्णय किया। इस्पात पिण्ड लगभग 80 लाख टन, बिक्री योग्य इस्पात 63 लाख टन और कच्चा लोहा 15 लाख टन होगा। स्वाभाविक है, कोकिंग कोल अधिक मात्रा में उपलब्ध कराना होगा। हमने पहले ही इस बारे में कोयला विभाग से बातचीत की है। इसमें दो पहलुओं को ध्यान में रखना होगा—राख की मात्रा कम करना तथा और अधिक धोवन शालाएं स्थापित करना। धोवन शालाओं की क्षमता है। लेकिन धीरे-धीरे जब हम खान में नीचे पहुँचते हैं, कच्चे माल, कच्चे कोयले का स्तर, भी गिर जाता है। अत:हमें ज्यादा धोवन की आवश्यकता है और जब हमें ज्यादा धोवन की जरूरत होगी तो शुद्ध उत्पादन की कुल मात्रा और

कम होगी। लेकिन, सुक्मडीह और मोनोडीह की धोवनशालाओं के शुरू हो जाने और विद्यमान धोवनशालाओं की क्षमता में कुछ वृद्धि करने से स्थिति में सुधार होगा।

जहां तक कोकिंग कोल के आयात का सम्बन्ध है, मननीय सदस्य को यह जानकारी है कि हम कोकिंग कोल का आयात करते हैं। लेकिन इसके अलावा वह यह जानना चाहते हैं कि क्या हम इस्पात आयात करते हैं। हां, हम कुछ मात्रा में इस्पात का आयात कर रहे हैं। यह लगभग 16 लाख टन है।

श्री निरेन घोष : अगर हम राख की मात्र वाले बढ़िया किस्म के कोकिंग कोल का आयात करे तो मुझे नहीं समझ आता उत्पादन में कमी क्यों आएगी। वे या तो इसे मिश्रित कर सकते हैं अथवा प्रयोग में ला सकते हैं। यह अपेक्षाकृत कम महंगा है। लेकिन, 16 लाख टन इस्पात के आयात में, जो कि अगर रक्षित भंडार है तो, भारी कदाचार हुआ है। इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए, हम यह अनुमान लगाते हैं कि इस्पात का आयात नहीं किया जाना चाहिए अपितु, कोकिंग कोल की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए ताकि उत्पादन का अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त किया जा सके अगर ऐसा नहीं है, तो क्यों ?

श्री प्रणव मुखर्जी : सारी समस्या यह है कि जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है हम इस समस्या का पूरा समाधान नहीं कर सकते। अगर हमें कोकिंग कोल का भी आयात करना है, तो हमें इस बात का ध्यान भी रखना है कि बन्दरगाह कितने सामान का संचालन कर सकते हैं तथा रेलवे की, बन्दरगाह से इस्पात संयंत्र तक इसकी धुलाई की क्षमता क्या है। अतः, इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा। इस्पात का आयात करने की आवश्यकता, जैसा कि दिखाई गई है, लगभग 1 करोड़ 5 लाख टन होगी तथा समेकित इस्पात संयंत्रों, छोटे इस्पात संयंत्रों का कुल मिला कर उत्पादन लगभग 89 लाख टन होगा।

अतः इसमें काफी फर्क है। तथापि, हमने यह निर्धारित किया है कि उत्पादन लक्ष्य की बढ़ी दर, जो कि हमने निर्धारित कर दी है, अगर हम प्राप्त कर सके तो आयात पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। हम उसे कर रहे हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : प्रश्न के उत्तर में, विवरण के क्रमांक 4 में यह बताया गया है :

"राख की कम मात्रा वाले कोकिंग कोल का आयात किया जा रहा है ताकि देशीय कोयले में इसके सम्मिश्रण से उचित सम्मिश्रण तैयार किया जा सके (अभी तक भिलाई तथा राउर केला के इस्पात संयंत्रों में ही ऐसा करना संभव हुआ है)"

मैं यह जानना चाहती हूं कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को किस प्रकार का कोयला सप्लाई किया जा रहा है तथा क्या आयातित कोयले का सम्मिश्रण करके दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को भी दिया जाएगा।

श्री प्रणव मुखर्जी : दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को आयातित कोकिंग कोल की इस समय सप्लाई करना संभव नहीं है। जैसा कि माननीय सदस्य को पता ही है कि 22 लाख टन आयात करने का निर्णय लिया है, किन्तु अभी तक हमने 6 लाख टन का ही ठेका दिया है। दुर्भाग्य से,

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में, कोकिंग कोल का मूल्य भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अतः जो भी कोयला हम ले रहे हैं, हम इसका अधिकतम उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। स्वाभाविक है, जैसा कि माननीय सदस्य को पहले ही अच्छी तरह मालूम है कि सभी सम्मेकित इस्पात संयंत्रों में से भिलाई इस्पात संयंत्र का कार्य निष्पादन सबसे अच्छा रहा है तथा इसके बाद राउर केला का नम्बर आता है। अतः हम यह कोशिश करें कि जो इस्पात संयंत्र अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनकी स्थिति न बिगड़े।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न

श्री राम किंकर : प्रश्न संख्या 284

श्री कृष्ण कुमार गोयल : प्रश्न संख्या 301 को इसके साथ ले लिया जाए।

दोनों एक ही तरह के हैं, पोस्त उत्पादकों के बारे में।

बाराबंकी जिले (उत्तर प्रदेश) में पोस्ता की खेती के लिए लाइसेंस

*284. **श्री राम किंकर** : क्या **वित्त मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाराबंकी जिले (उत्तर प्रदेश) के कितने किसानों को 1970-71 से 1979-80 तक (वर्षवार) पोस्ता पौधे की खेती के लिए लाइसेंस दिए गए और कितने क्षेत्र में इसकी खेती की अनुमति दी गई थी;

(ख) प्रति वर्ष किसानों की संख्या और खेती का क्षेत्र कम किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या बाराबंकी जिले में पोस्ता के पौधे की खेती के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र कमकर दिया गया है जबकि दूसरे जिलों में इसका क्षेत्र बढ़ा दिया गया है;

(घ) क्या हजारों किसान पोस्ता लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं और यदि हां, तो ये लाइसेंस प्रदान करने में क्या कठिनाइयां हैं;

(ङ) क्या गत 2-3 वर्षों के दौरान ओला वृष्टि और भारी वर्षा से पोस्ता की फसल को हानि हुई थी, और क्या सम्बद्ध अधिकारियों ने इसका मूल्यांकन विलम्ब से किया था; और

(च) क्या हानि से संबंधित राजस्व विभाग की रिपोर्ट भी अस्वीकृत कर दी गई थी और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) बाराबंकी जिले में 1970-71 से 1980-81 तक जिन काश्तकारों को लाइसेंस दिये गये उनकी संख्या तथा पोस्त की खेती के लिए वर्षवार लाइसेंस शुदा क्षेत्र नीचे दिये अनुसार थे :-

फसल वर्ष	काश्तकारों की संख्या	लाइसेंस शुदा क्षेत्र (पूर्णांकित हैक्टेयर में
1970-71	39,893	7,006
1971-72	32,490	5,621
1972-73	30,018	5,788
1973-74	32,244	7,949
1974-75	38,723	7,337
1975-76	34,827	7,144
1976-77	36,621	7,584
1977-78	34,070	7,075
1979-80	29,928	5,883

(ख) निर्यात में गिरावट और सरकार के पास बहुत बड़ी मात्रा में अफीम का स्टाक जमा हो जाने के कारण पोस्ता की खेती के लिए लाइसेंस शुदा क्षेत्र और लाइसेंस शुदा काश्तकारों की संख्या में कमी खासकर वर्ष 1978-79 से की गयी थी।

(ग) जी, नहीं। अभी अफीम उत्पादक जिलों में पोस्ता की काश्त के रकबे में कमी कर दी गयी है।

(घ) जी, हां। हालांकि बड़ी संख्या में काश्तकार पोस्ता की काश्त के लाइसेंस लेने के लिए प्रार्थनापत्र भेजते हैं, तो भी गत तीन वर्षों के दौरान पोस्ता की काश्त के रकबे में कमी करने के कारण उन सभी को लाइसेंस दे पाना संभव नहीं हो पाया है।

(ङ) सरकार को मिली रिपोर्टों से पता चलता है कि बाराबंकी जिले के कुछ क्षेत्रों में फसल वर्ष 1977-78, 1979-80 और 1980-81 में पोस्ता की फसल को वर्षों और ओला वृष्टि से क्षति पहुंची थी। तथापि फसल को हुई क्षति का अन्दाजा लगाने में कोई अत्याधिक विलम्ब नहीं किया गया।

(च) जी, हां। प्रभावित क्षेत्रों में काश्तकारों को राहत देने के प्रयोजन से नारकोटिक्स विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों ने इस क्षति का तफसील से मूल्यांकन किया था।

अफीम का उत्पादन, खपत और निर्यात

*301. श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान (वर्षवार) देश में अफीम का कुल कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) देश में पी खपत और दवाओं आदि के लिए इसकी कितनी मात्रा का उपयोग किया गया है और कितनी मात्रा का निर्यात किय गया;

(ग) सरकार के पास अब इसकी कितनी मात्रा है; और

(घ) किसानों को राहत देने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसौदिया) : (क) से (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

विवरण

(क) तथा (ख) विगत पांच वर्षों में उत्पादित अफीम की कुल मात्रा, स्वदेशी खपत के के लिए इस्तेमाल की गई मात्रा और निर्यात की गई मात्रा नीचे दी गई है :-

वित्तीय वर्ष	900 गाढ़ता की मी० टन में उत्पादित अफीम की मात्रा	900 गाढ़ता (पूर्णांकित) की मी० टन में स्वदेशी खपत, दवाइयों आदि के लिए इस्तेमाल की गई अफीम की मात्रा	900 गाढ़ता की मी० टन में निर्यात की गई मात्रा
1976-77	1174	99	1017
1977-78	1646	103	978
1978-79	1413	100	852
1979-80	966	85	796
1970-81	1126 (अन्तिम)	83	444

(ग) गाजीपुर और नीमच स्थित सरकारी-अफीम-कारखानों के पास 1 अगस्त 1981 की स्थिति के अनुसार अफीम का कुल भण्डार 2651 मी० टन था ।

(घ) विगत तीन वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय अफीम की मांग में काफी गिरावट आने और सरकार के पास अफीम के बहुत बड़े भण्डार के एकत्र होने को दृष्टिगत रखते हुए पोस्ता की काश्त के रकबे को कम करना पड़ा । काश्तकारों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से इसे एक चरणबद्ध तरीके से किया गया और 25 एरेस (Ares) तक की छोटी-छोटी जोतों में कोई कमी नहीं की गई ।

सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों की वजह से अफीम की औसतन भी वर्ष 1978-79 में प्रति हैक्टेयर 900 गाढ़ता लगभग 27 किलोग्राम से बढ़कर वर्ष 1980-81 में प्रति हैक्टेयर 900 गाढ़ता की लगभग 32 किलोग्राम हो गई । इससे काश्तकारों की आमदनी में काफी बढ़ोतरी हो गई है ।

श्री राम किंकर : क्या वित्त मंत्री जी को पता है कि रबी की फसल के अवसर पर पोस्त की खेती पर जब ओले पड़ते हैं या अतिवृष्टि होती है तो बहुत क्षति पहुचती है और नारकोटिक विभाग के कर्मचारी बहुत देर में उस क्षति का मूल्यांकन करने जाते हैं ? कुछ किसान अनपढ़ होते हैं और वे सूचना या तो दे नहीं पाते और देते भी हैं तो उनके पत्र पोस्ट आफिस में गायब हो जाते हैं। क्या मंत्री महोदय ऐसी व्यवस्था कराएंगे कि क्षति के दस दिन के भीतर उसका मूल्यांकन कर लिया जाए ताकि किसान को नुकसान न हो।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : यह सही है कि पोस्त की जो खेती है उसके पौधे काफी नाजुक होते हैं और उनको नाना प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। लेकिन विभाग की ओर से इस प्रकार की सुनिश्चित व्यवस्था है, सुव्यवस्थित इन्तजाम है कि जब भी इस प्रकार की रिपोर्ट आती है तो तुरन्त जाकर उसका निरीक्षण किया जाता है और उसके सम्बन्ध में जो भी आवश्यक कार्रवाई करना जरूरी होता है की जाती है और कदम उठाए जाते हैं।

श्री राम किंकर : मान्यवर, बाराबंकी जनपद में 1970-71 में 39,893 काश्तकारों को 7,006 हैक्टर में पोपी कल्टीवेशन का लाइसेंस दिया गया था, लेकिन अगले दशक में यानी 1978 से 1980 में काश्तकारों की संख्या घट कर 29,928 रह गई और रकबा हो गया 5,883 हैक्टर। तो बजाय बढ़ने के 10,000 काश्तकार 10 वर्ष में कम हो गये। तो क्या मंत्री जी बाराबंकी में उन अतिरिक्त क्षेत्रों में अतिरिक्त किसानों को पोपी कल्टीवेशन करने के लाइसेंस देने के आदेश देंगे ?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : मान्यवर, मुझे क्षमा करेंगे इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले इसकी पृष्ठभूमि बहुत संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूँ। हिन्दुस्तान एक ऐसा मुल्क है सारी दुनिया में जहाँ पोस्त की काश्त होती है और अफीम तैयार होती है, जबकि और किसी भी मुल्क में अफीम तैयार नहीं होती है। पोस्त की खेती होती है, लेकिन अफीम तैयार नहीं होती। हमारे देश में 1977-78 में ओपियम का प्रोडक्शन 1,634 टन था और 1,000 टन बराबर इसका निर्यात करते रहे हैं, और यह हमारे उत्पादन की करीब-करीब आधार है। लेकिन अभी हमारे देश में 2 651 टन का स्टाक मौजूद है। 1978-79 और 1979-80 मे इसके निर्यात में कमी हुई है और चूंकि निर्यात में कमी हुई है और हमारे यहां का स्टाक 2,651 टन इस समय मौजूद है जिसका मूल्य करीब-करीब 85 करोड़ है, तो इतना बड़ा स्टाक होते हुए और जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे देश हैं जहाँ कि उन्हें खुद की जरूरत के लिए ही उत्पादन करना चाहिए अफीम का, लेकिन उन्होने इल्लीगल तरीके से मौरफीन का उत्पादन किया और उससे हमारे माल के निर्यात में कमी हुई और हमारा स्टाक बढ़ा और इसी वजह से खेती में कमी हुई है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है, नाना प्रकार की सहूलियतें किसानों को मिलती रही हैं, और करीब-करीब 20 लाख ऐसे लोग हैं जो खेती पर निर्भर करते हैं। इस बात को शासन ने ध्यान में रखा है। इनमें बहुत से गरीब काश्तकार और मजदूर हैं, और 2 लाख के करीब परिवार इस पर आश्रित हैं, उनको किसी किस्म की तकलीफ न हो इसको ध्यान में रख कर शासन ने कम कीमत पर भी निर्यात करने का निश्चय किया है जिससे किसानों को प्रोत्साहन मिलता रहे।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगभग 20 लाख लोग ट्रेडीशनली केवल पोपी कल्टीवेशन

करते चले आ रहे हैं, या इस पर निर्भर हैं और उनके पास जमीनें इतनी कम है कि इसके अलावा अगर कोई दूसरी फसल लेना चाहें तो वह इकोनामिकली उनके लिये वायेबिल नहीं होगा। अब सरकार के ऊपर यह दबाव पड़ा है तो सरकार ने उस दबाव के कारण, स्टाक इकट्ठा होने के कारण केवल एक रास्ता जो काश्त का रकबा था उसको कम कर रहे हैं और लेस देन 50 परसेंट काश्त हर किसान की कर दी है। तो ऐसी हालत में मैं जानना चाहता हूँ कि जो हमारे इन्टर-नेशनल फोरम्स हैं यूनाइटेड नेशन्स की इकोनामिक और सोशल काउन्सिल तथा इन्टरनेशनल नारकोटिक कन्ट्रोल बोर्ड, इन दोनों एजेन्सियों पर आपने किसी प्रकार का दबाव, सुझाव या कोई प्रार्थना की है कि भारत की विशेष स्थिति को देखते हुए...

जो अन्य देशों ने इसका उत्पादन करना आरम्भ कर दिया, उनको मना किया जाये और हमारे यहाँ जो स्टाक इकट्ठे हो गये हैं, उनको हम निर्यात कर सकें और साथ ही साथ स्मगलिंग की जो इल्लिसिट कार्यवाही हो रही हैं, उसको भी चैक किया जा सके और इस निर्यात किये जाने वाले मूल्य को काफी कम किया जाये ताकि हम एक्सपोर्ट भी कर सकें और दूसरी बुराइयों को भी रोक सकें ?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : 1978-79 और 79 80 से ही हमारा स्टाक बढ़ रहा है। उन वर्षों में तो कोई कार्यवाही नहीं की गई, लेकिन इस वर्ष जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाया है, उसके मुताबिक यूनाइटेड नेशन्स के नारकोटिक कमीशन के सामने इस प्रश्न को हिन्दुस्तान की ओर से उठाया गया है और उसका परिणाम यह हुआ है कि कमीशन ने इस बात की अन्तर्राष्ट्रीय सलाह दी है कि दूसरे मुल्कों को उनको इस प्रकार का उत्पादन नहीं करना चाहिए। उनको केवल अपने उपयोग की पूर्ति के लिए उत्पादन करना चाहिए। ट्रेडीशनली जो देश अफीम की कल्टीवेशन कर रहे हैं, उनको बराबर प्रोत्साहित किया जाये और उनके कल्टिवेटेड एरिया में कमी न हो, इस बात के प्रयत्न करने के लिए सुझाव दिये गये हैं, सलाह दी गई है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : प्राइस कितनी कम की है ?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : 1975-76 में अफ़ीम की कीमत प्रति हैक्टेयर 16 किलोग्राम अथवा उससे अधिक पैदा करने वाले 180 कृषक।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं कास्ट आफ कल्टीवेशन की पूछ रहा हूँ कि एक्सपोर्ट प्राइस में कितनी कमी हुई है ?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मूल्य घटा दिया गया है और यह 4.25 अमरीकी डालर प्रति यूनिट है।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : हमारे यहाँ 3-4 साल के अन्दर अफीम का स्टाक बहुत ज्यादा बढ़ गया है और विदेशों में जाने वाली अफीम मार्किट में बिक नहीं रही है। हमारे नार-कोटिक डिपार्टमेंट में किसानों का काफी माल इकट्ठा हो जाता है, इसलिए फारेन मार्किट में हमारा माल नहीं बिकता है। इसके लिए सरकार क्या कर रही है ?

दूसरा प्रश्न यह है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में काफी किसान बोते हैं और उसकी अच्छी खेती पैदा होती है 1978-79 और 1979-80 में जनता रिजीम में जिन किसानों की

काश्त बन्द कर दी थी, क्या मंत्री महोदय फिर से उन किसानों को पट्टा देंगे, लाइसेंस देंगे ? मैं जानना चाहता हू कि जो गरीब हरिजन और आदिवासी हैं, क्या उनको नये लाइसेंस देने पर मंत्री महोदय विचार करेंगे ?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : केन्द्रीय शासन ने इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा है कि जो छोटे किसान हैं, जिनकी खेती अफीम कल्टीवेशन का रकबा एक-चौथाई हैक्टर से कम है, उनको पट्टों की किसी किस्म की जरूरत नहीं है और 1978-79 व 1979-80 में जो एरिया कम हुआ है, वह किस शासन में हुआ, इन बातों में मैं नहीं जाना चाहता, सारा सदन इस बात को जानता है। जहां तक वर्तमान शासन का ताल्लुक है, उत्पादन बढ़ाने के लिए, माल का निर्यात करने के लिए और छोटे किसानों को राहत देने के लिये आवश्यक कदम समय पर उठाये जाते हैं।

श्रीमती कृष्णा साही : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि बड़े किसानों और छोटे किसानों को अफीम की खेती के लिए जो लाइसेंस दिया जाता है, उसकी क्या प्रक्रिया है। अगर कोई किसान गलत और इल्लीगल ढंग से खेती करता है, तो सरकार उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करती है ? क्या ऐसी शिकायतें मंत्री महोदय के पास आई हैं ?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : अफीम की खेती के बारे में एक तो कम से कम उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। यदि कोई किसान अपने उत्पादन के कार्य में ढिलाई बरतता है और आवश्यक साधन नहीं अपनाता है और उत्पादन में कमी होती है, तो इस बारे में विचार किया जाता है कि उसके पट्टे का रीन्युअल किया जाये या नहीं। जिस व्यक्ति ने गलत तरीके से कार्य किया है या सम्बन्धित विधान का उल्लंघन किया है, उस व्यक्ति को फिर से पट्टा नहीं दिया जाता है।

गैर-सरकारी क्षेत्र की कपड़ा मिलें नियंत्रित कपड़ा उत्पादन करने की बाध्यता से मुक्त

*286. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र की कपड़ा मिलें नियंत्रित कपड़े का उत्पादन करने की बाध्यता से मुक्त कर दी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) सूती वस्त्र मिलों द्वारा कन्ट्रोल के कपड़े के उत्पादन अपने दायित्व को पूरा करने में असफल रहने के कारण तथा सूती वस्त्र उद्योग में व्यापक संकट-ग्रस्तता के कारण गैर-सरकारी क्षेत्र की वस्त्र मिलों को अक्टूबर, 1978 के कन्ट्रोल के कपड़े के उत्पादन के दायित्व से मुक्त कर दिया था। यह उत्पादन शुल्क के 10 प्रतिशत के बराबर वित्तीय लेवी द्वारा बदल दिया गया है जिसे 1-4-1981 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।

श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या सरकार ने इस बात का लेखा-जोखा किया है कि

देश में मोटे कपड़े की कितनी आवश्यकता है और क्या सरकारी क्षेत्र की कपड़ा मिलें उस आवश्यकता की पूर्ति करती हैं या नहीं ?

श्री प्रणव मुखर्जी : मैंने पहले ही बता दिया है कि 6 करोड़ 50 लाख मीटर नियंत्रित कपड़े का उत्पादन किया जायेगा। इसमें से 3 करोड़ 25 लाख मीटर राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा उत्पादित किया जायेगा, जिसे आप सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें भी कह सकते हैं, और 3 करोड़ 25 लाख मीटर हथकरघा क्षेत्र द्वारा उत्पादन किया जायेगा। इसलिए, सार्वजनिक क्षेत्र की मिलों ने नियंत्रित कपड़े का आधा उत्पादन करने का उत्तरदायित्व ले लिया है।

श्री कमला मिश्र मधुकर : मैंने पूछा है कि देश में मोटे कपड़े की जितनी आवश्यकता है, क्या पब्लिक सैक्टर की कपड़ा मिलें उसकी पूर्ति करने जा रही हैं या नहीं। प्राइवेट सैक्टर को मोटे कपड़े के उत्पादन से जो छूट दी गई है, क्या उसका कारण यह है कि मिल-मालिकों ने सरकार पर दबाव डाला है या सरकार को उनकी तरफ से पैसे मिले हैं ?

श्री प्रणव मुखर्जी : माननीय सदस्य ने शायद मेरे उत्तर को नहीं सुना है। मैंने कहा है कि अक्तूबर 1978 से इन मिलों को नियंत्रित कपड़े के उत्पादन के दायित्व से मुक्त कर दिया गया और इस नियंत्रित कपड़े के उत्पादन के दायित्व के स्थान पर उन पर 15% अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया था। पहले यह 10% था किन्तु पिछले बजट से इसे बढ़ा कर 15% कर दिया गया है।

श्री अशफाक हुसैन : जैसा कि अभी मंत्री महोदय ने बताया है, प्राईवेट सैक्टर से मोटे कपड़े के उत्पादन की जिम्मेदारी उठा ली गई। इसका कारण यह था कि प्राईवेट सैक्टर की मिलों को घाटा हो रहा था। लेकिन फिर यह जिम्मेदारी डाली गई नैशनल टैक्स्टाइल कार्पोरेशन यानी सरकारी सैक्टर की मिलों और हैंडलूम पर। हैंडलूम पर यह जो जिम्मेदारी डाली गई है, इसमें रेट कुछ इस तरह के लगाए जाते हैं, जिससे उनको नफा नहीं होता है। इनपुट्स, सूत और कैमिकल्ज के दाम बढ़ते रहते हैं, लेकिन इसका ख्याल नहीं किया जाता है और हैंडलूम से जबर्दस्ती यह कपडा लेने की कोशिश की जाती है इस नाम पर कि हैंडलूम को प्रोत्साहन दिया जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि प्राईवेट सैक्टर के घाटे को बचाने के लिए उसका बोझ हैंडलूम पर और पब्लिक सैक्टर पर डालना उचित नहीं है।

क्या मंत्री महोदय यह आवश्यक नहीं समझते कि हैंडलूम पर जो बोझा डाला जाये इसमें उनके नफे का और इनपुट्स का ख्याल रखा जाय ?

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, यदि माननीय सदस्य जरा वाद-विवाद का अध्ययन करें तो उन्हें पता चलेगा हमेशा इस बात पर जोर दिया जाता है कि हम हथकरघा उद्योग को अधिक से अधिक जनता साड़ियां, जनता कपड़ा और नियंत्रित कपड़े के उत्पादन में शामिल करें।

इसलिए, यह कहना ठीक नहीं है कि हमने उस पर यह थोपा है। हमने कपड़ा नीति पर विचार किया था और इस बात पर जोर दिया था कि हमें हथकरघा उद्योग को बड़े पैमाने पर शामिल करना चाहिए।

उनके प्रश्न के बारे में यह सत्य है कि उनके निवेश की लागत बढ़ गई है। वह यह जानना चाहते हैं कि क्या हथकरघा उद्योग घाटे में चल रहा है। हमने इस पर ध्यान दिया है है और यही कारण है कि हमने राज सहायता बढ़ा दी है जो पहले 1.25 पैसे प्रति मीटर थी। अब इसे 1.25 पैसे प्रति मीटर से बढ़ाकर 1.50 पैसे प्रति मीटर कर दिया गया है। हम इसका ध्यान रखेंगे। हमने 15% मूल्य बढ़ाने की अनुमति भी दे दी है।

इन दोनों तथ्यों को एक साथ लेने पर, यह पाया गया था कि उन्हें घाटा नहीं होगा। सरकारी क्षेत्र यी मिलों के बारे में भी राज सहायता का अंश है। राज सहायता की राशि 15% अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में से आती है जो निजी मिलों को सरकार देती है।

श्री मूलचन्द डागा : अक्तूबर, 1978 में जनता पार्टी के राज में जो आर्डर निकाला गया उसका कारण क्या था और वह आर्डर क्या मंत्री महोदय यहाँ पढ़ देंगे ? उससे आपकी जो नेशनल टेक्सटाइल मिल्स हैं उनको यह मोटा कपड़ा बनाने के कारण कितना घाटा हुआ है यह बतायेंगे ?

श्री प्रणव मुखर्जी : चूंकि माननीय सदस्य ने इस आदेश का उल्लेख किया है, मैं केवल इस आदेश की पृष्ठ भूमि ही दे सकता हूँ।

श्री मूल चन्द डागा : जनता पार्टी ने 8 अक्तूबर, 1978 को आर्डर निकाला था जिसके बारे में उन्होंने उत्तर दिया है उसे पढ़ देंगे ?

श्री प्रणव मुखर्जी : मुझे आशा है कि वे मुझे फाइल में से आदेश प्रस्तुत करने के लिए नहीं देंगे।

श्री मूल चन्द डागा : यह आपका उत्तर है। 8 अक्तूबर को आदेश जारी किया गया था।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं समझता हूं। मैं यह कह सकता हूं कि जब 17 सितम्बर, 1978 को नई कपड़ा नीति की घोषणा की गई थी तो उस कपड़ा नीति में विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका का वर्णन किया गया था और उस समय नीति-निर्माताओं ने सोचा था कि कुछ समस्याओं के सामने आने के कारण नियंत्रित कपड़े का उत्पादन गैर सरकारी क्षेत्र में नहीं किया जा सकता। किन्तु उपभोक्ताओं को नियंत्रित कपड़ा उपलब्ध कराने का हमने वचन दिया है। यदि, अन्तिम क्षणों में गैर सरकारी क्षेत्र आगे आए और कहता है कि वह दायित्व पूरा करने में असमर्थ हैं। हम उन्हें हटा सकते है किन्तु उपभोक्ताओं को नियंत्रित कपड़ा नहीं दे सकते।

इसलिए, यह निर्णय लिया गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र और हथकरघा क्षेत्र से नियंत्रित कपड़े के उत्पादन की हमारी स्थिर और दृढ़ नियंत्रित नीति होनी चाहिए। किन्तु, उन्हें इस दायित्व से मुक्त करने के उद्देश्य से, हमने सोचा कि, कोई 'वित्तीय लेवी' होनी चाहिये क्योंकि हमें हथकरघा और राष्ट्रीय कपड़ा निगम दोनों को ही सहायता देनी होती है। उस सहायता का कुछ अंश हमें गैर-सरकारी क्षेत्र से अवश्य लेना चाहिए। इसी कारण अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया था।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ नया समझौता

*288. **प्रो० मधु दण्डवते** :,

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय माल के लिये व्यापारिक प्राथमिकताओं के बारे में यूरोपिय आर्थिक समुदाय के साथ कोई नया समझौता किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) : भारत तथा यूरोपिय आर्थिक समुदाय के साथ 23 जून, 1981 को एक नया वाणिज्यिक तथा आर्थिक सहयोग करार किया गया था। यह नया करार एक अधिमानी करार नहीं है और इसलिये इसमें भारतीय माल के लिये किसी नए व्यापार अधिमान की व्यवस्था नहीं है। इसमें वस्तुत: भारत तथा यूरोपिय आर्थिक समुदाय के बीच और अधिक निकट वाणिज्यिक तथा आर्थिक सम्बन्धों के संवर्धन के लिये रूपरेखा की व्यवस्था है और अन्य बातों के साथ-साथ इससे द्वि-पक्षीय औद्योगिक, तकनीकी तथा वैज्ञानिक सहयोग को प्रोत्साहन मिलता है।

प्रो० मधु दंडवते : मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या यह सच है कि नया समझौता इस अत्यन्त ही साधारण कारण से समुचित प्रोत्साहन पैदा नहीं कर सका है कि वर्ष, 1973 में किया गया पिछला समझौता भारत तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के मध्य व्यापार के सम्बन्ध में स्थिति में सुधार नहीं कर सका था। वर्ष 1976-77 के अतिरिक्त आगे के सभी वर्षों में व्यापार घाटे में वृद्धि हुई। वर्ष 1979-80 में व्यापार घाटा 430 करोड़ रुपये का हुआ और वर्ष 1980-81 में यह घाटा 783 करोड़ रुपया हो गया। अत: मैं यह जानना चाहूँगा कि नया समझौता संपन्न होने के बाद भी क्या इसी प्रकार घाटा होगा ?

श्री प्रणव मुखर्जी : सर्वप्रथम माननीय सदस्य की यह धारणा ही सही नहीं है कि पिछले समझौते के बाद इन दो देशों के मध्य व्यापार की मात्रा में वृद्धि नहीं हुई है। उन्होंने स्वयं ही यह स्वीकार किया है कि व्यापार घाटे में वृद्धि हुई है। श्रीमन यदि व्यापार की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं होती तो आधिक्य या घाटे दोनों में वृद्धि कैसे हो सकती है ? वर्ष 1973-74 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के 609 करोड़ रुपये के मूल्य का माल निर्यात किया गया था और इस समुदाय से 704 करोड़ रुपये के मूल्य का माल आयात किया गया था। वर्ष 1979-80 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ भारत का निर्यात 609 करोड़ रुपये से बढ़कर 1682 करोड़ रुपये हो गया। इसी प्रकार आयात भी 704 करोड़ रुपये से बढ़कर 2124 करोड़ रुपये हो गया। अत: इन दोनों देशों के मध्य व्यापार की मात्रा में वृद्धि हुई है लेकिन व्यापार घाटे का अन्तर भी बढ़ा है। केवल वर्ष 1976-77 में ही हमारा व्यापार आधिक्य था।

प्रो० मधु दंडवते : श्रीमन मैं इस बात से सहमत हूँ कि निर्यात की मात्रा तथा मूल्य दोनों से आर्थिक लाभ मिलने चाहिए। इसी तर्क के आधार पर मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच नहीं है कि पिछले वर्ष हमारे निर्यात में 25 प्रतिशत की गिरावट आई थी और यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने मुख्य रूप से हमारी आयात की उदार नीति के कारण वास्तव में अपने निर्यात की स्थिति में सुधार किया था।

मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या नये समझौते के बाद इस स्थिति में सुधार होने वाला है या नहीं।

श्री प्रणव मुखर्जी : नये समझौते से सहयोग के क्षेत्रों का और विस्तार होगा क्योंकि विशेष तौर से नये समझौते के एक अनुच्छेद में यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा विभिन्न अन्य संस्थानों से सहायता को अन्तरित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। अतः यह संभव हो सकता है कि इससे सहयोग के क्षेत्र का विस्तार हो सके। यद्यपि वृद्धि के सम्बन्ध में मेरे पास वर्ष 1980-81 के आंकड़े नहीं हैं लेकिन किसी भी समय ऐसा हो सकता है कि किसी देश के साथ हो रहे व्यापार में गिरावट आये उदाहरण के रूप में ब्रिटेन को ही ले लीजिए। हमारा ब्रिटेन के साथ व्यापार कम हो गया है लेकिन जर्मन संघीय गणराज्य के साथ हमारे व्यापार में वृद्धि हो रही है। बढ़ोत्तरी में गिरावट की अपेक्षा इसमें निरंतर वृद्धि हुई है।

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन उन्होंने मेरे विशिष्ट प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैंने यह पूछा था कि अपनी पिछली नीतियों को ध्यान में रखते हुए यह सच नहीं है कि जहां तक हमारे देश का सम्बन्ध है हमारे निर्यात में 25 प्रतिशत कमी हुई है और इसकी तुलना में यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने देशों के समूह के रूप में, अपने निर्यात में सुधार किया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि नये समझौते के बाद इस स्थिति में सुधार होगा।

श्री प्रणव मुखर्जी : यह हमारे निर्यात योग्य आधिक्य की उपलब्धता तथा अपने उत्पादन तंत्र को तैयार करने की सीमा पर निर्भर होगा। चीनी के ही मामले को लीजिए। यूरोपीय आर्थिक समुदाय चीनी का एक महत्वपूर्ण उपभोक्ता है लेकिन यदि मैं चीनी निर्यात नहीं कर सकता हूं तो मेरा निर्यात घट जायेगा। हमारे पास तीन प्रमुख चीजों की ज्यादा कमी है। इनमें से एक वस्तु चमड़ा है, इटली चमड़े का प्रयोग करने वाला एक प्रमुख देश है। श्रीमन, जैसा कि प्रो० मधु दंडवते यह बात भली-भाँति जानते हैं कि इन देशों में से ज्यादातर देशों ने कुल मिला कर संरक्षणात्मक दृष्टि को ही अपनाया है जिसका हम मुकाबला कर रहे हैं। इस स्थिति में इस सम्बन्ध में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा और उस संदर्भ में हमें सम्पूर्ण स्थिति की पुनरीक्षा करनी पड़ेगी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मंत्री महोदय एक चतुर व्यक्ति हैं। उन्होंने यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा भारत के मध्य व्यापार के पूर्ण आँकड़े बताकर सभा को गुमराह किया है। उन्हें बताना चाहिए कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ भारत के व्यापार का कितना हिस्सा है। व्यापार में भारत का हिस्सा कम हो गया है। वास्तविकता यह है कि अभी फ़िलहाल मेरा यह प्रश्न नहीं है। लेकिन मैं जिसके बारे में जानना चाहता हूं वह यह है : क्या मंत्री महोदय यह जानते हैं कि भारत की जिन परम्परागत वस्तुओं का निर्यात यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को किया जाता है वे अब इन वस्तुओं का आयात भारत को छोड़कर अफ्रीका के देशों, दक्षिण पूर्व एशिया तथा अन्य देशों से करने लगे हैं। क्या मंत्री महोदय इस मामले को विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री के माध्यम से नये अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक आर्डर के सम्बन्ध में चर्चा के लिए उठायेंगे जिसमें व्यापार अधिमानों का महत्वपूर्ण भाग होता है।

श्री प्रणव मुखर्जी : कुछ बात हुई है और मैं उस विशिष्ट वस्तु का उल्लेख नहीं करना चाहूँगा जिसके बारे में माननीय सदस्य को पता है। यह परम्परागत वस्तुओं में से एक वस्तु है जिससे हमें लाभ है। लेकिन अफ्रीका के कुछ देश बाजार में आ गये हैं। स्वाभाविक रूप से हमारे प्रयास परिमाणवार, गुणवार तथा मूल्यवार प्रतियोगी होने चाहिए। अन्यथा हम यह अपेक्षा

नहीं कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में हमेशा कोई बाजार हमारे लिए एक सुरक्षित बाजार बना रहेगा। लेकिन साथ ही हम अपने निर्यात बाजारों को विकेन्द्रित करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम केवल परम्परागत वस्तुओं पर निर्भर नहीं है। इन्जीनियरी निर्यात में हमारे भाग के मामले को ही ले लीजिए। इसमें वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार विनिर्मित वस्तुओं के भाग में भी वृद्धि हो रही है। बाजारों में आने वाले कुछ अन्य देश भी उन्हीं वस्तुओं का सस्ती दर पर उपलब्ध कर सकते हैं। तो वे निश्चय ही उन देशों से उनकी वस्तुओं को लेना चाहेंगे। जहां तक व्यापार नीति की उदारता का सम्बन्ध है। यह उत्तर-दक्षिण संवाद का एक अंग है। हमारे दृष्टिकोण को सभी अच्छी तरह जानते हैं। और उसके सम्बन्ध में इस सभा में विचारधारा में कोई अन्तर नहीं है। हम प्रायः सभी अन्तर्राष्ट्रीय मंचों में इस बात पर जोर देने का प्रयास कर रहे हैं कि विकासशील देशों को विकसित देशों के उन बाजारों में प्रवेश का लाभ अवश्य मिलना चाहिए जहां प्रतियोगी लाभ मिलते है विशेषकर मध्यम दर्जे की प्रौद्योगिकी में जिसका विकासशील ने उपयोग किया है।

श्री एस० एम० कृष्ण : क्या यह सच है या नहीं कि इन देशों में से कुछ देश उस देश की राजनैतिक स्थिरता पर कड़ी निगरानी रखते हैं जिसके साथ उनका व्यापारिक सम्बन्ध होता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हमने राजनैतिक स्थिरता कुछ अंश तक प्राप्त कर ली है, क्या इससे यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देश अधिक से अधिक मात्रा में तथा अधिक से अधिक विश्वास के साथ भारत के साथ व्यापार करने के लिए उत्साहित नहीं होंगे ? यदि हों, तो क्या इस क्षेत्र में आने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए सरकार के पास कोई निश्चित योजना है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : भारत के साथ होने वाले व्यापार में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का समूह के रूप में सबसे बड़ा भाग है। अतः जब हमारा वास्तविक तौर से निर्यात को 10 प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य है—मैं स्फीतिक मूल्य के संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ लेकिन वास्तविक मूल्य के संदर्भ में कह रहा हूँ, हमें आशा है कि हम यूरोपीय आर्थिक समुदाय की मांग का एक बड़ा भाग पूरा कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री महालगी उपस्थित नहीं हैं। उसने मुझे लिखा है। हम दूसरे प्रश्न को लेते हैं श्री जदेजा।

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा बनाये गये होटल

*289. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पर्यटन का विकास करने के लिए, भारतीय पर्यटन विकास निगम (आई० टी० डी० सी०) ने देश में राज्य वार कितने होटल बनाये हैं और वे कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ख) क्या पर्यटन का विकास करने के लिए अगली पंचवर्षीय योजना के दौरान और होटलों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) (क) से (ग) : सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

(ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल टी 2803/81)

श्री दौलत सिंह जी जदेजा : मेरे प्रश्न के उत्तर से यह नोट करते हुए आश्चर्य होता है कि भारत पर्यटन विकास निगम के नये निर्माण कार्यों तथा उसके नये प्रस्तावों में गुजरात राज्य को पूर्णतया छोड़ दिया गया है। इसके साथ ही दीव तथा लक्षद्वीप द्वीपों को भी छोड़ दिया गया है। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि क्या कैसिनो, फ्लेटिंग होटल अथवा कुछ संयुक्त उपक्रम आरम्भ करने के बारे में सरकार को प्राप्त हुए प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए गुजरात, दीव और लक्षद्वीप में कोई नई परियोजनायें आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ?

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : मेरे माननीय मित्र को विवरण से ज्ञात हो जायेगा कि गुजरात, अहमदाबाद में भारत पर्यटन विकास निगम का होटल पहले ही विद्यमान गुजरात में भारतीय पर्यटन विकास निगम का एक अन्य होटल और आरम्भ करने के लिए इस समय हमारे सामने कोई प्रस्ताव नहीं है। लक्षद्वीप के बारे में एक प्रस्ताव है यह विचाराधीन है।

श्री दौलत सिंह जी जदेजा : मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं दिया गया है। परन्तु, महोदय विवरण को ध्यान में रखते हुए···

अध्यक्ष महोदय : आप अपने प्रश्न का उत्तर 'नहीं' मत समझिये।

श्री दौलत सिंह जी जदेजा : क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार विभिन्न केन्द्रों पर होटलों की आवश्यकता के बारे में निरन्तर मूल्यांकन करती रहती है। राज्यों की राजधानियों में किन-किन केन्द्रों पर अतिरिक्त कमरों की आवश्यकता है, इनमें पहले छः केन्द्र कौन से हैं।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : यह सच है कि सरकार देश में विभिन्न स्थानों पर होटल आवासों की आवश्यकता का मूल्यांकन करती रहती है। वर्तमान स्थिति यह है कि हमारे पास होटलों में 22,300 कमरे उपलब्ध हैं और होटल निर्माण की नई योजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है जिससे हमें 12186 कमरे और उपलब्ध हो जायेंगे। महोदय, छठी पंचवर्षीय योजना में हमारी आवश्यकता 40,000 कमरों की है। 22,300 तथा 12186 कुल मिलाकर 34,486 हो जाते हैं। शेष 5514 कमरों का निर्माण अभी किया जाना है और इस बारे में योजना सरकार के विचाराधीन है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय एयरलाइन्स तथा होटल कारोबार के बारे में मुख्य बातें बतायेंगे ? मेरे विचार से यह बहुत नीची प्राथमिकता वाला क्षेत्र है परन्तु विकसित देशों और अधिक धनीवर्ग के लोगों को संतुष्ट करने हेतु कि वे भारत आयें यहां मजे उड़ायें, आपने नाजुक कदम उठाया गया है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि कितने होटल न हानि न लाभ की स्थिति में चल रहे हैं ? कितने होटलों के कमरे 70 प्रतिशत अथवा इससे कम भरे होते हैं और ऐसे होटलों के नाम क्या हैं ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : यह एक लम्बा विवरण हो जायेगा। यदि आप चाहते हैं तो मैं इस विवरण को सभा पटल पर रख सकता हूँ। परन्तु कुल मिलाकर स्थिति यह है कि कमरे भरे रहने का औसत बहुत अच्छा है और इस वर्ष हम लाभ कमायेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा था . कितने होटल ?

अध्यक्ष महोदय : वह आपको विवरण दे देंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमन, वह हर ऐसे होटलों के नाम बता सकते हैं जहां 70 प्रतिशत कमरे भरे होते हैं।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : महोदय यह एक लम्बा विवरण है। मेरे मित्र श्री ज्योतिर्मय बसु संतुष्ट नहीं हैं। इस समय भारतीय पर्यटन विकास निगम तेइस होटल चला रहा है। इनमें से इक्कीस होटलों की स्थिति के आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं। यदि आप नाम चाहते हैं तो उदाहरण के लिए अशोक होटल का नाम दिया जा सकता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नहीं, नहीं। आप उनके नाम बतायें जहां 70 प्रतिशत से कम कमरे भरे होते हैं।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : इस बारे में मैं विवरण सभा पटल पर रख दूंगा।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय, भारत पर्यटन विकास निगम का एक नया होटल गोआ में स्थापित किया जाना है। क्या मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की ओर से यह जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ ? यह संयुक्त क्षेत्र का होटल है। मेरे विचार से इसमें केन्द्रीय सरकार, भारतीय पर्यटन विकास निगम और राज्य सरकार का सहयोग होगा। इसमें इनके सहयोग का अनुपात क्या है और होटल किस स्थान पर बनाया जायेगा इस बारे में योजना किस चरण में है तथा होटल का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : गोआ के बारे में स्थिति इस प्रकार है। योजना में 100 कमरों के लिए व्यवस्था है और भारतीय पर्यटन विकास निगम तथा आर्थिक विकास निगम, गोआ दक्षिण गोआ में मीरामोड़ समुद्र तट पर 100 कमरों वाला काटेज टाइप होटल बनाना चाहते हैं। सहयोग की शर्तों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और सहयोग करार पर शीघ्र ही हस्ताक्षर हो जायेंगे।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : आपको इसके कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : अभी कार्य आरम्भ नहीं किया गया है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : आपने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : यह कार्य छठी पंचवर्षीय योजना में होगा।

डा० सन्तोष मोहन देव : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शिलांग एक पर्वतीय क्षेत्र है और पर्यटकों के लिए एक बहुत ही आकर्षक स्कूल है भारतीय पर्यटन विकास निगम शिलांग में होटल को नहीं बनाना चाहती। क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि वहां होटल बनाया जायेगा ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : शिलांग में 'वुडलैण्डस' नामक एक सुन्दर होटल पहले ही विद्यमान है। मेरे मित्र को इसका पता होगा।

राजस्थान में बाड़मेर और जैसलमेर में एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का खोला जाना

*290 **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के सीमावर्ती पिछड़े जिले बाड़मेर और जैसलमेर में एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के खोले जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो ग्रामीण लोगों की जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन पिछड़े जिलों में ग्रामीण बैंकों को किस निश्चित तिथि तक खोला जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) : जी, हां।

(ख) : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सम्बद्ध लीड बैंकों के परामर्श से इस प्रस्ताव के औचित्य की जांच की जा रही है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया उक्त प्रोपोजल को कब से एग्जामिन कर रहा है ? लीड बैंक को मांगे हुए कितना अरसा हुआ है और इसके बारे में कब तक फैसला हो जाएगा ?

श्री मगनभाई बरोट : इन प्रस्तावों पर संचालन समिति ने दिनांक 28-7-1981 को हुई अपनी बैठक में विचार किया था। समिति ने इन प्रस्तावों को जिलों के लीड बैंकों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए भेजने का निर्णय किया है। जैसलमेर तथा बाड़मेर के लिए सम्बन्धित लीड बैंक स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर और जोधपुर के लिए यूनाइटेड कामर्शियल बैंक लीड बैंक है। समिति सम्बन्धित लीज बैंकों की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर निर्णय करेगी।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या यह सही है कि बाड़मेर जिला और जैसलमेर जिला, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सन् 1971 से लेकर 1981 तक वहां पर जनसंख्या की ग्रोथ 45% है, उसको देखते हुए वहां पर लीड बैंक्स की बहुत कम ब्रान्चेज हैं ? क्या सरकार यह समझती है कि इन चीजों को देखते हुए, यह एक सूटेएबिल केस है और इसलिए इस सम्बन्ध में यहां से जल्दी से जल्दी डाइरेक्शन्स जानी चाहिए ताकि बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में ग्रामीण बैंक खोले जाएं, जिससे ग्रामीणों को सुविधाएं दी जा सकें ?

श्री मगनभाई बरोट : जहां तक रिजर्व बैंक का सम्बन्ध है यह सदैव ऐसे बैंकों तथा अन्य शाखाओं की स्थापना को ध्यान में रखती है ताकि 20,000 लोगों के लिए एक बैंक हमारे मानदण्ड का अनुपालन हो सके। इसके अतिरिक्त जिन क्षेत्रों में बैंक सुविधायें उपलब्ध नहीं है हम सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं और इसी उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने उन्हें निर्देश दिये हैं और समिति ने भी इस मामले को देख लिया है। अब इस मामले में सहायता करने का काम लीड बैंक तथा राज्य सरकार का रह जाता है। जैसे ही उनसे आवश्यक जानकारी प्राप्त होगी, इस पर विचार किया जायेगा।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं यह कहना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान में सबसे कम रीजनल रूरल बैंक खोला है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कितने रीजनल रूरल बैंक खोले हैं और कितने आपने राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट वाइज खोले हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह इस क्वेश्चन के परव्यू में नहीं आता है।

श्री मगनभाई बरोट : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूँ कि राजस्थान में इस प्रकार के बैंकों की संख्या सबसे कम नहीं है। स्थापित किये गये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 5 है और दस जिले इस सुविधा से लाभान्वित हैं। बहुत से राज्य ग्रामीण बैंकिंग की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। वहां राजस्थान की तुलना में ऐसे बैंकों की संख्या बहुत कम है।

श्री राम सिंह यादव : मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जैसलमेर में राजस्थान नहर के जाने के बाद, वहां के किसानों को और बैंक सुविधायें देने के लिए आप कौन से नये कदम उठाने जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह बता तो दिया है।

श्री मगनभाई बरोट : राजस्थान में बैंकों की काफी ब्रान्चेज इस्टीबिलिश की गई हैं और आपने एक खास जिले के बारे में जो पूछा है, तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे पास इस बारे में जो प्रस्ताव आयेंगे, उनके बारे में हम विचार करेंगे।

मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये राज्यों को निदेश

*291. **श्री रास बिहारी बहेरा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए राज्य सरकारों को कोई निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इन उपायों से किस सीमा तक मूल्य वृद्धि रुकी है ?

विवरण

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकट रामन्) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(क) : भारत सरकार राष्ट्रीय कार्यक्रमों और नीतियों जिनका कीमतों पर प्रभाव पड़ता है, के सफल कार्यान्वयन की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारों से बराबर सम्पर्क रखती है।

(ख) और (ग) सरकार की मूल्य स्थिरीकरण नीति में इस बात पर बल दिया गया है कि इस समस्या को उपलब्धि और पूर्तियों में पर्याप्त वृद्धि करके, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बना कर विनियमनकारी उपायों को लागू करके और प्रणाली में मौजूद नकदी बाहुल्य को कम करके हल किया जाए। राज्यों को समय-समय पर यह सलाह दी गई है कि ये आवश्यक वस्तुओं जैसे कि (दालों से भिन्न) अनाजों, चीनी, खाद्य तेल, मिट्टी के तेल आदि और जमाखोरों तथा काला बाजारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के सम्बन्ध में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के

कुशल कार्यान्वयन की विशेष रूप से व्यवस्था करते हुए मुद्रास्फीति निरोधी उपायों को कार्यान्वित करें। केन्द्र स्तर पर और राज्यों में लगातार किए गए प्रयत्नों के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति की वार्षिक दर में काफी कमी करना सम्भव हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इस सम्बन्ध में कल काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं इस पर एक अनुपूरक प्रश्न करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति नहीं दे सकता जबकि कल इस पर चार घंटे तक चर्चा हो चुकी है।

सब्जियों का निर्यात

*292. **श्री जेवियर अराकल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि उत्पादों के निर्यात के बारे में सरकार की क्या नीति है;

(ख) वर्ष 1979-80, 1980-81, 1981-82 के दौरान सब्जियों की कुल कितनी मात्रा का निर्यात किया गया; और

(ग) भारत से सब्जियों का निर्यात कौन सी एजेंसियां कर रही हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) उत्पादन, घरेलू मांग तथा आन्तरिक कीमतों को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादों के निर्यात की अनुमति दी जाती है।

(ख) प्याज और आलू को छोड़ कर सब्जियों के बारे में निर्यात आंकड़े नीचे दिये गये हैं :-

1979-89	4678 टन
1980-81	7219 टन
1-4-81 से 30-6-81	2290 टन*
	*अनन्तिम

(ग) जब सब्जियों के निर्यात की अनुमति ओ जी एल-3 से अधीन दी जाती है।

श्री जेवियर अराकल : कृषि उत्पाद की निर्यात नीति तीन बातों से नियंत्रित होती है। उत्पादन, घरेलू मांग और आंतरिक कीमतें। यदि आप इस विवरण के भाग (ख) को देखें तो आपको पता चलेगा कि 1-4-81 से 30-6-81 के बीच 2290 टन सब्जी का निर्यात किया गया था। अब बाजार में सब्जियां महंगी तथा दुलर्भ हो रही हैं। संभवतः आपको इस समस्या का पूरा पता है। सब्जियों की दुलर्भता और उनकी ऊँची कीमतों को देखते हुए क्या सरकार सब्जियों की निर्यात नीति की पुनरीक्षा करेगी ?

श्री प्रणव मुखर्जी : माननीय सदस्य को ज्ञात है कि कभी-कभी हम सब्जियां तथा ऐसी अन्य उत्पादों का निर्यात करने का निर्णय केवल कीमतों पर रोक लगाने के लिए करते हैं। माननीय सदस्य जानते हैं कि कुल उत्पादन लगभग 10 मिलियन टन है और इसमें से अधिकतम निर्यात 1980-81 में 740 टन था। माननीय सदस्य को यह भी पता है कि दो वर्ष पहले क्या हुआ था हमने प्याज के निर्यात की अनुमति नहीं दी तो इसकी कीमत बहुत गिर गई थी और उत्पादकों को लाभ नहीं हुआ। इस बारे में काफी आंदोलन हुआ। कभी-कभी तो यह होता है कि भाव में ही एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में माल देने का खर्च पड़ोसी देशों में माल निर्यात करने पर आने वाले खर्च से भी अधिक हो जाता है। अतः इस सम्बन्ध में हमें तथ्यात्मक दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है।

श्री जेवियर अराकल : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमारा दृष्टिकोण तथ्यात्मक नहीं होना चाहिए। मेरे प्रश्न के भाग (ग) में यह पूछा गया है "भारत के सब्जियों का निर्यात कौन-सी एजेंसियां कर रही हैं? उत्तर यह है :

"अब सब्जियों के निर्यात की अनुमति ओ० जी० एल० -3 के अधीन दी जाती है।" आप मेरे प्रश्न को देख सकते हैं। मैं यहीं समाप्त करूंगा। लेकिन मेरा प्रश्न दूसरी बात के लिए था। प्रत्येक शहर में कुछ व्यापारी सारे सब्जी व्यापार को नियंत्रित कर रहे हैं; वे दूसरे देशों को निर्यात भी कर रहे हैं। इसलिए व्यापारियों के एक समूह ने सारे बाजार पर नियंत्रण किया हुआ है। हमारे देश में सब्जियों के एकाधिकारी विपणन को तथा उनके निर्यात संबंधी तथ्यों को देखते हुए क्या सरकार इन निजी एजेंसियों से बजाय और अधिक सहकारी समितियां या सब्जी विपणन बोर्ड स्थापित करने के लिए कार्यवाई करेगी?

श्री प्रणव मुखर्जी : जब भी सहकारी समितियां आगे आती हैं हम उनको प्राथमिकता देते हैं। सहकारी समितियां ओ० जी० एल-3 के अधीन निर्यात का लाभ उठा सकती हैं; उन पर कोई रोक नहीं है।

श्री बी० वी० देसाई : यह वास्तविकता है कि हमारे देश में सब्जियों की बहुत मांग है। दूसरे, यदि हम इनका निर्यात करना चाहते हैं तो इनका सुखाना आवश्यक है क्योंकि यह जल्दी खराब हो जाने वाली वस्तु हैं। इसलिए क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार उचित स्थानों पर डीहाइड्रीशन प्लांट लगाने पर विचार कर रही है ताकि निर्यात की जाने वाली सब्जियां उचित रूप में भेजी जा सकें और उनका उचित मूल्य मिल सके?

श्री प्रणव मुखर्जी : कुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में इस सुझाव का स्वागत किया जाता है और वास्तव में हम गिर कर भी रहे हैं। अदरक का ही उदाहरण लीजिए। अनेक पूर्वोत्तर जिलों तथा अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में उत्पादकों को कोई कीमत नहीं मिलती क्योंकि बाहर उनका कोई बाजार नहीं है? अतः कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनके सम्बन्ध में हम ऐसी संभावना का पता लगा रहे हैं जिनमें उनका निर्यात किया जा सके।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : मैं यह जानना चाहूंगा कि हालैण्ड सीलोन को 14 सौ रुपये पर आलू निर्यात कर रहा है; वह कन्ट्रेक्ट हमें सात सौ रुपये क्विंटल पर मिल सकता है;

जबकि हमारे यहाँ आलू सरपलस है, क्या हम सीलोन को आलू निर्यात करके विदेशी मुद्रा नहीं कमा सकते हैं ?

श्री प्रणव मुखर्जी : हम आलू तथा प्याज का निर्यात कर रहे हैं। यदि माननीय सदस्य आंकड़े चाहते हैं तो मैं दे सकता हूं। 1979-80 में हमने 2 करोड़ रुपये मूल्य के आलूओं का निर्यात किया और 1980-81 में अनंतिम आंकड़े 19 लाख रुपये के थे। गन्तव्य देशवार मैं कुछ नहीं कह सकता। कभी-कभी हम पड़ोसी देशों को भेजते हैं।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : इतना करीब का मुल्क होते हुए वह यूरोपियन देशों से आलू ले रहा है। आप इसकी जरूरत को पूरा क्यों नहीं कर सकते ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

एक रुपए के नोटों के स्थान पर एक रुपये के सिक्के चलाना

*285. **श्री के० प्रधानी** :

श्री अर्जुन सेठी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में सरकार ने एक रुपए के नोट के स्थान पर एक रुपए का सिक्का चलाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) सरकार इस सम्बन्ध में प्रस्तावों पर विचार करती रही है किन्तु अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की "पिग्मी कलेक्शन स्कीम" (अल्प बचत योजना)

*288. **श्री आर० के० महालगी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में एक "पिग्मी कलेक्शन स्कीम" (अल्प बचत योजना) है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) कितने और किन-किन राष्ट्रीयकृत बैंको ने उपर्युक्त योजना को बन्द कर दिया है;

(घ) "पिग्मी कलेक्शन स्कीम" (अल्प बचत योजना) को बन्द करने के क्या कारण हैं ;

(ङ) पिग्मी स्कीम के बन्द कर दिए जाने से कितने पिग्मी कलेक्शन (अल्प बचत) एजेंटों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(च) कितने पिग्मी जमाकर्ताओं ने योजना में अपनी भागीदारी खो दी है; और

(छ) क्या उपरोक्त राष्ट्रीयकृत बैंकों का उपरोक्त योजना को पुनः प्रारम्भ करने का विचार है और यदि हां, तो कब से ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) जी, हां। अधिकतर राष्ट्रीयकृत बैंक इस प्रकार की योजनाएं परिचालित करते रहे हैं।

(ख) इस प्रकार की स्कीमों के परिचालन की अवधि के बारे में एक बैंक से दूसरे बैंक में भिन्नता होती है। अधिकतम राष्ट्रीयकृत बैंकों ने इन योजनाओं को केवल राष्ट्रीयकरण के बाद, अर्थात् 1969 से शुरू किया था।

(ग) से (छ) बैंकों द्वारा इस स्कीम को आंशिक अथवा अन्य रूप से समाप्त कर दिये जाने और उसके परिणामस्वरूप कलेक्शन एजेंटों और जमाकर्ताओं की संख्या में यदि कोई कमी हुई हो तो उसके बारे में पूरे तथ्य एकत्र किये जा रहे हैं और सदन के पटल पर रख दिये जायेंगे। यह स्कीम फिर से चालू की जाए या नहीं, इस प्रश्न पर सम्बद्ध बैंक द्वारा सभी संबंधित तथ्यों पर विचार के बाद ही निर्णय किया जा सकता है।

महाराष्ट्र में वर्षा

*293. **श्री उत्तम राठौर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले 25 वर्षों में महाराष्ट्र में वर्षा में औसतन 16 प्रतिशत गिरावट आई है;

(ख) क्या इसके कारणों का पता लगाने के लिये कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या हैं और इस क्षेत्र में वर्षा बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) महाराष्ट्र में दीर्घावधिक आधार पर संगणित औसत वर्षा की तुलना में पिछले 25 वर्षों के दौरान वर्षा की वास्तविक मात्रा में 12% की कमी रही।

(ख) वर्षा में घट-बढ़ का वायुमंडलीय परिसंचरण में होने वाले परिवर्तनों के साथ निकट संबंध है। ऐसे परिवर्तन विश्व-व्यापी आधार पर होते हैं। कुछ वर्षों में वायुमंडलीय परिसंचरण अधिक तीव्र होता है, जबकि अन्य वर्षों में यह कम तीव्र होता है। ये परिवर्तन वर्षा की मात्रा में प्रतिबिंबित होते हैं। इस बात का पता लगाने के लिए अनुसंधान किए जा रहे हैं कि वायुमंडलीय परिसंचरण में हर साल परिवर्तन क्यों होते हैं।

(ग) महाराष्ट्र में वर्षा में वृद्धि करने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे ने महाराष्ट्र के सिरूर बारामति क्षेत्र में मेघ-वपन प्रयोग

किए हैं। इन प्रयोगों से अभी तक किन्हीं निर्णायक परिणामों का पता नहीं चला है। ये प्रयोग जारी रखे जा रहे हैं।

सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा चांदी का पकड़ा जाना

*294. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चांदी की बड़े पैमाने पर देश के बाहर तस्करी की जाती है और यदि हां, तो प्रति वर्ष तस्करी द्वारा देश के बाहर भेजी जा रही चांदी की मात्रा के सम्बन्ध में सरकार का क्या अनुमान है; और

(ख) वर्ष 1980 और 1981 के दौरान अब तक तस्करी किए जाते समय सीमाशुल्क तथा अन्य अधिकारियों द्वारा पकड़ी गई निषिद्ध चांदी का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) देश से बाहर चोरी-छिपे भिजवायी जा रही चांदी की सालाना मात्रा का कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है। तो भी सरकार को मिली रिपोर्टों के मुताबिक चांदी के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में, जो कि वर्ष 1980 के दौरान स्वदेशी मूल्य के मुकाबले काफी ज्यादा थी, पिछले कई महीनों में क्रमिक कमी आई है, जिसकी वजह से देश से बाहर चोरी-छिपे चांदी भेजने के प्रति उत्साह कम हो गया।

(ख) सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा वर्ष 1980 तथा 1981 (जुलाई तक) के दौरान पकड़ी गई चांदी की, जबकि उसे भारत से बाहर चोरी-छिपे ले जाये जाने का प्रयास किया जा रहा था, मात्रा और मूल्य नीचे दिया गया है :-

वर्ष	लगभग मात्रा (किलोग्राम में)	लगभग मूल्य (लाख रुपयों में)
1980	30,665	949
1981 (जुलाई तक)	3,770	109

उत्पादन की तुलना में इस्पात की मांग

*295. **श्री राम स्वरूप राम** :

श्री एडआर्डो फैलीरो : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस्पात की कुल कितनी मांग है;

(ख) इसमें से कितने इस्पात का उत्पादन देश में होने की संभावना है;

(ग) शेष मांग किस प्रकार पूरी की जायेगी, और

(घ) देश में इससे उत्पादन में और वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) लगभग 105 लाख टन।

(ख) लगभग 89 लाख टन ।

(ग) शेष माँग उत्पादन में यथासंभव वृद्धि करके तथा आवश्यकतानुसार आयात करके पूरी की जायेगी ।

(घ) सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किए जा रहे उपायों में कोकर कोयला आयात करना, बिजली का अधिकाधिक उत्पादन करना, चल रही योजनाओं को शीघ्र पूरा करना, आदि शामिल हैं । लघु इस्पात संयंत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किए जा रहे उपायों में मेल्टिंग स्क्रैप के आयात को शुल्क से मुक्त करना, कारखाने का विस्तार करने तथा कुछ मामलों में उत्पादन में विविधिकरण करने और जहां आवश्यक हो अनुपूरक सुविधाएं लगाने की अनुमति देना शामिल है ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को विमान भाड़े में राज सहायता दिया जाना

*296. **श्री बाजू बन रियान :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर क्षेत्र में संचार सुविधाओं की कमी होने के कारण वहां के लोगों को विमान भाड़े में राज सहायता देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर और विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लोगों की विमान किराया छपदान, कम विमान किरायों के रूप में दिया जाता है । उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के सैक्टरों में इण्डियन एयरलाइन्स के किराये देश के अन्य भागों में उतनी ही दूरी के लिए लिये जाने वाले किरायों से 17 प्रतिशत कम हैं । जहां तक इस क्षेत्र में वायुदूत द्वारा प्रदान की गयी विमान सेवाओं का संबंध है, उसके द्वारा लिए जाने वाले किरायों से अभी भी कम, अर्थात् 30 प्रतिशत कम हैं । मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण, सरकार वायुदूत सेवाओं द्वारा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में लिए जाने वाले किरायों को इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा किए जाने वाले किरायों के बराबर कर देने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है ।

स्वर्ण निति पर पटेल समिति की सिफारिशें

*297. **श्री के० मालन्ना :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व सरकार ने डा० आई० जी० पटेल, गर्वनर, भारतीय रिजर्व बैंक का अध्यक्षता में, सरकार की स्वर्ण नीति के सभी पहलुओं की समीक्षा करने और उचित सिफारिशें करने के लिए, नवम्बर 1970 में एक समिति गठित की थी; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मान ली गई तथा अस्वीकार कर दी गई सिफारिशों के संबंध में अलग-अलग ब्यौरा क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसौदिया) : (क) जी, हां ।

(ख) स्वर्ण नीति समीक्षा समिति की, 18 अथवा 14 कैरेट के स्वर्ण-जवाहरातों की क्रमिक रूप से फिर से शुरुआत किए जाने संबंधी एक सिफारिश (रिपोर्ट के पैरा 6.3 और

6.4 में निहित) पर सरकार द्वारा विचार किया गया है। अच्छी तरह विचार करने के बाद तथा इस प्रकार के उपाय के विभिन्न आर्थिक, सामजिक और प्रसाशनिक प्रभावोंतथा अनेक व्यापारिक एसोसिएशनों से प्राप्त दरख्वास्तों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार न करने का फैसला किया है। समिति ने रिपोर्ट के पैराग्राफ 6.8 में यह अभिमत व्यक्त किया है कि वह सोने की निलामी फिर से चालू किए जाने के पक्ष में नहीं है। सदन को पहले सूचित किया जा चुका है (देखें लोक सभा के तारीख 21-3-80 का अतारांकित प्रश्न संख्या 1454), सरकार का, सोने की फिर से बिक्री शुरू करने का कोई इरादा नहीं है। समिति की सिफारिशों पर सरका द्वारा विचार किया जा रहा है।

जानवरों का निर्यात

*299. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा अन्य देशों को निर्यात किए जा रहे जानवरो के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और ये जानवर किन-किन देशों को भेजे जा रहे हैं; और

(ख) इन जानवरों के निर्यात से प्रतिवर्ष अर्जित विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

1979-80 के दौरान जीवित पशुओं, मुख्यत: खाद्यार्थ और अन्य जीवित पशुओं, जिनका अन्यत्र उल्लेख न हो, (चिड़िया घर के पशुओं, कुत्तों, बिल्लियों, कीटों आदि सहित) के देशवार निर्यात दर्शाने वाला विवरण।

वाणिज्यिक जानकारी तथा अंक संकलन महानिदेशालय के यहां उपलब्ध प्रचलित आंकड़ों के अनुसार

मूल्य : लाख रु०
मात्रा : इकाई के अनुसार

क्र० सं०	मद देश का विवरण	मात्रा की इकाई	1979-80 मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5
	गोजातीय नस्लों (भैंसों सहित) के पशु, प्रजनन के लिए जीवित विशुद्ध प्रजनित			
1.	सांड़, भैंस के अलावा, एडल्ट	अदद		
	कुवैत		1000	33.57
	सऊदी अरब		1400	25.70
	संयुक्त अरब अमीरात		14	0.27
	अन्य		250	5.50
	योग		2664	65.04

1	2	3	4	5
2.	अन्य	अदद		
	कुवैत		3400	76.12
	सऊदी अरब		500	10.44
	अन्य		4	0.10
	योग		3904	86.66
3.	गायें भैंसों के अलावा, एडल्ट		शून्य	शून्य
4.	अन्य	अदद		
	कुवैत		1200	25.40
	संयुक्त अरब अमीरात		1134	1.50
			1334	26.90
5.	प्रजनन प्रयोजनों के लिए भेंड़ तथा मेमने	हजार अदद		
	कुवैत		1	2.98
	सऊदी अरब		5	11.40
	संयुक्त अरब अमीरात		1	2.44
	योग		7	16.82
6.	गैर-प्रजनन प्रयोजनों के लिए मेंड़ तथा मेमने	हजार अदद		
	कुवैत		11	30.25
	ओमान		1	3.30
	संयुक्त अरब अमीरात		4	8.15
	अन्य		नगण्य	0.88
	योग		16	42.58
7	बकरियां तथा मेमने	हजार अदद		
	ओमान		6	4.35
	सऊदी अरब		5	11.38
	संयुक्त अरब अमीरात		21	36.32
	अन्य		नगण्य	0.98
	योग		32	53.03

1	2	3	4	5
8.	जीवित पशु, मुख्यतः खाद्यार्थ जिनका अन्यत्र उल्लेख न हो (अर्थात् खरगोश, क्रीड़ा पक्षी, मुर्गे, हिरण, मेढक, शशक, कबूतर आदि)।	हजार अदद		
	कुवैत		6	0.29
	सऊदी अरब		4	0.51
	सिंगापुर		6	0.45
	योग		16	1.25
9.	हाथी	अदद		
	नीदरलैंड		7	2.10

सावधि-ऋण (टर्म लेंडिंग) देने वाली संस्थाओं के संसोधन में कमी

*300. **श्री भीकूराम जैन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सावधि ऋण देने वाली संस्थाओं को सरकार से उनकी आवश्यकता से कम आर्थिक सहायता मिल रही है;

(ख) इन संस्थाओं को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अनुमानतः कितनी आर्थिक सहायता की आवश्यकता है; और

(ग) इसी अवधि के दौरान उन्हें कितनी राशि मिलने की आशा है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (ग) : 1981-82 की वार्षिक आयोजना तैयार करते समय सावधिक ऋण प्रदाने करने वाली संस्थाओं अर्थात भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम तथा भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम ने वर्ष 1981-82 के लिए कुल आवश्यक रकमों का अनुमान 2134.23 करोड़ रुपये लगाया था। यह अनुमान भुगतानों में होने वाली वृद्धि के सम्बन्ध में संस्थाओं के अनुभव और आयोजना के लक्ष्यों के अनुसार आवश्यक सहायता में होने वाली वृद्धि के सम्बन्ध में संस्थाओं के अनुभव और आयोजना के लक्ष्यों के अनुसार आवश्यक सहायता में होने वाली भावी वृद्धि के बारे में उनकी परिकल्पना पर आधारित था। इन संस्थाओं को केन्द्रीय बजट, बाजार ऋण आवंटनों, भारतीय रिज़र्व बैंक की एन० आई० सी० (एल० टी० ओ०) निधि से लिए जाने वाले उधारों तथा अपने आन्तरिक संसाधनों से 1750.23 करोड़ रुपये की रकम पहले ही उपलब्ध है। वर्ष के दौरान इन संस्थाओं को अपनी अनुमानित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन्हें और राशियां प्रदान करने की आवश्यकता स्वीकार की गई है। खासकर उन क्षेत्रों में, जिनको सरकार अपेक्षाकृत अधिक प्राथमिकता देती है, औद्योगिक विकास की गति बनाए रखने के उद्देश्य से उन्हें पर्याप्त रकमें देने के लिए आश्वासन दिया गया है।

अल्कोहल का निर्यात

*302. श्री ए० टी० पाटिल : (क) : क्या वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान अल्कोहल (कच्चे माल के रूप में यदि कोई अल्कोहल उत्पाद हो, तो उसके सहित) का कोई निर्यात किया गया था;

(ख) यदि हां, तो (एक) कितना निर्यात किया गया था (दो) किसके द्वारा निर्यात किया गया था, और (तीन) किन-किन देशों/पार्टियों को निर्यात किया गया था; और

(ग) भारतीय उद्योगों को इसकी कम सप्लाई को देखते हुए सरकार ने किन कारणों से इसके निर्यात की अनुमति प्रदान की थी ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) : अभी तक 1980-81 तथा चालू वर्ष के दौरान औद्योगिक अल्कोहल के निर्यात की कोई अनुमति नहीं दी गई।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर हवाई पट्टियों का निर्माण

*303 श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश में देहरादून, पंतनगर, गोचर, चौकोड़ी, चम्पावत और मझखली में हवाई पट्टियों का निर्माण करने का तथा इन स्थानों के लिए पूर्वोत्तर विमान सेवा की तरह एक विमान सेवा शुरू करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) : उत्तर प्रदेश सरकार से गोचर में एक विमान क्षेत्र का निर्माण करने के बारे में एक आवेदन प्राप्त हुआ है। गोचर के स्थल का नागर विमानन विभाग के अधिकारियों द्वारा हाल ही में निरीक्षण किया गया था और उसका व्यवहार्यता-अध्ययन किया जा रहा है।

देहरादून तथा पन्तनगर में हवाई पट्टियां पहले से ही विद्यमान हैं।

सरकारी उपक्रमों में वेतन और भत्तों में वृद्धि किया जाना

*304 श्री अजित कुमार साहा :

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उनके मंत्रालय ने प्रशासनिक मंत्रालयों को कहा है कि वे सरकारी उपक्रमों में वेतन और भत्तों में किसी और बढ़ोत्तरी को बढ़ावा न दे;

(ख) क्या वित्त मंत्रालय ने ऊर्जा, इस्पात, उद्योग और पेट्रोलियम और उर्वरक मंत्रालय को एक नोट भेज कर सुझाव दिया है कि वेतन और भत्तों में वृद्धि का नया समझौता करने से पूर्व उस पर वित्त मंत्रालय के सरकारी उद्यम ब्यूरो से स्वीकृति लेनी चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) प्रशासनिक मंत्रालयों को ऐसे कोई अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं कि जहाँ वर्तमान समझौतों की अवधि पूरी हो गई हो वहाँ नए मजदूरी समझौते न करें।

(ख) और (ग) : 1971 से लागू हुए अनुदेशों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में मंजूरी करार के लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक है। सरकार में वित्त मंत्रालय का सरकारी उद्यम कार्यालय ऐसे प्रस्तावों की छानबीन के लिए केन्द्रीय समन्वयकारी कार्यालय के रूप में कार्य करता है। सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में वेतन ढांचे में असमानताओं पर काबू पाने और उन्हें युक्ति संगत बनाने के लिए अनुदेश जारी किए गए थे।

मैसर्स गणेश सिंधी बीड़ी कम्पनी, दिल्ली पर बकाया कर

2801. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और विभिन्न बाजारों में बेची जा रही गणेश सिंधी बीड़ी के, पैकेजों बंडलों और विज्ञापनों पर आज भी निर्माता का नाम गणेश सिंधी बीड़ी कम्पनी, दिल्ली-6 होता है;

(ख) उपरोक्त कम्पनी और इसके निदेशकों पर उत्पादन शुल्क, आयकर तथा अन्य करों की कितनी धनराशि बकाया है;

(ग) उपर्युक्त करों की राशि को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) इस कम्पनी के विरुद्ध अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) : 'मैसर्स गणेश सिंधी बीड़ी कं०, बहादुरगढ़ रोड, दिल्ली" का नाम, बण्डलों पर चिपकाये जाने वाले लेबलों पर छपा दिखाई देता है। बाहरी आवरण (रैपर) पर भी, जिसमें कई बण्डल होते हैं, "गणेश सिंधी बीड़ी कं०, दिल्ली-6" छपा होता है। लेकिन, इसके अलावा बाहरी आवरण पर एक सफेद पर्ची चिपकाई जाती है, इस पर्ची पर "लक्ष्मी ट्रेडिंग कं०, अमरोहा एल-4 संख्या 1/76 द्वारा उत्पादित तथा पैक किया गया" शब्द छपे होते हैं। स्टिकरों के रूप में विज्ञापनों में भी देवनागरी लिपि में "गणेश सिन्धी बीड़ी कं०, बहादुरगढ़ रोड, दिल्ली-110006" दिखाया गया है।

(ख) से (घ) : दिसम्बर, 1977 में उपर्युक्त फर्म को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में 5850.90 रु० की रकम अदा करने का आदेश जारी किया गया था। उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध एक अपील दायर कर दी गई है। शुल्क की रकम शीघ्र वसूल करने के लिए प्रेरक कार्यवाही की जा रही है और जब तक अपील पर निर्णय नहीं हो जाता इस मामले में कोई कड़ा उपाय करने का प्रस्ताव नहीं है।

उपर्युक्त के अलावा, इस फ़र्म के विरुद्ध केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम 1944 के अन्तर्गत अपराध के एक मामले का पता लगा है जिसमें 148.20 रु. का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ग्रस्त है। अभी इस मामले में फैसला किया जाना है।

मैसर्स गणेश सिंधी बीड़ी कं० के नाम आयकर अथवा सीमा शुल्क की कोई रकम बकाया नहीं है।

बम्बई हाई गैस पर आधारित परियोजनायें

2802. **श्री एस० एम० कृष्ण :**

श्री माधव राव सिंधिया : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : बम्बई हाई गैस पर आधारित स्पंज लोहे जैसी कौन सी परियोजनायें उनके मंत्रालय को प्रस्तुत की गई हैं;

(ख) : उनकी मुख्य रूपरेखा क्या है और उन पर होने वाला पूंजीगत परिव्यय क्या है;

(ग) : इस समय ये परियोजनायें किस स्थिति में हैं; और

(घ) : उन्हें स्वीकृति दिये जाने में तथा उनकी क्रियान्विति में कितना समय लगेगा ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) : मैसर्स गुजरात इन्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन और महाराष्ट्र के स्टेट इन्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ने प्रति वर्ष क्रमशः 4 लाख टन और 5 लाख टन स्पंज लोहे के उत्पादन के लिए नई परियोजनाएं लगाने हेतु आवेदन किए हैं। ये प्रस्ताव बम्बई हाई की अप-तट गैस से लौह अयस्क/पैलेट बनाने की गैसीय अपचयन प्रक्रिया पर आधारित हैं। परियोजनाओं की पूंजीगत लागत क्रमशः 53.90 करोड़ रुपए और 69.50 करोड़ रुपए बताई गई है।

(ग) और (घ) : योजना आयोग ने अभी हाल ही में यह विचार व्यक्त किया है कि स्पंज लोहे की ये दोनों परियोजनाएं आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं हैं, अतः सरकार को पहले इन परियोजनाओं की आर्थिक सक्षमता के बारे में अपने आप को सन्तुष्ट करना होगा।

नारियल के तेल पर आयात पर रोक लगाने के लिए केरल सरकार का अनुरोध

2803. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार केन्द्र सरकार से नारियल के तेल के आयात की अनुमति न देने का बार-बार अनुरोध कर रही है;

(ख) क्या यह सच है कि इसके बावजूद सरकार ने वर्ष 1980-81 के लिए इस तेल का आयात करने का लाइसेंस दिल्ली की किसी प्राइवेट फर्म को दे दिया है;

(ग) क्या कोई निविदा प्रणाली अपनाई गई थी; और

(घ) निविदादाताओं के क्या नाम थे और दिल्ली की फर्म का क्या नाम है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) : केरल सरकार ने अभ्यावेदन दिया है कि नारियल के तेल के आयात की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

(ख) ऐसा कोई आयात लाइसेंस जारी नहीं किया गया था तथापि मैसर्स जैन शुद्ध

वनस्पति लि० ने, जिसका कार्यालय दिल्ली में है, 1980-81 में इस आधार पर औद्योगिक ग्रेड के नारियल के तेल का आयात किया था कि इस मद को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत अनुमति दी गई थी।

(ग) तथा (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

उड़ीसा में कताई मिलों की स्थापना

2804. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उड़ीसा में वर्ष 1981-82 के दौरान कुछ कताई मिल खोलने के प्रस्ताव हैं ?

(ख) क्या उड़ीसा के टेंकनाल जिले में एक कताई मिल स्थापित किया जायेगा; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) : भारत सरकार कताई मिलें स्थापित नहीं करती।

टसर सिल्क उद्योग

2805. **श्री मनीराम बागड़ी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि टसर सिल्क उद्योग को गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है और इस बारे में सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : हाल के वर्षों में, इस तथ्य के कारण कि टसर का उत्पादन करने वाले राज्यों में विकास प्रयासों को बढ़ाया गया है, टसर कोयों के विपणन की समस्याएं हैं। इस स्थिति को पूरी तरह से गम्भीर संकट की स्थिति नहीं कहा जा सकता। टसर कच्चे रेशम के उत्पादन में वृद्धि करने के योजना प्रयासों के अनुरूप भारत सरकार ने टसर जनजातीय पोषकों के हितों की रक्षा करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये हैं :

(1) छठी योजना अवधि के दौरान 10 50 करोड़ रु० के परिव्यय की एक अन्तर्राष्ट्रीय टसर परियोजना, जिसके अन्तर्गत 7 टसर राज्य हैं, कार्यान्वित की जा रहीं हैं। इस परियोजना में टसर क्षेत्र में उत्पादन तथा विपणन समस्याओं पर ध्यान देने के लिये अनेक स्थापना सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था है।

(2) टसर कच्चे रेशम के आयात में भारी कटौती करने और वह भी केवल प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत विशिष्ट निर्यात निष्पादन के आधार पर ही करने के लिये 1981-82 की आयात नीति में उचित समय पर सुधारात्मक उपाय अपनाये गये।

(3) राज्य स्तर की और केन्द्रीय रेशम बोर्ड की अधिप्राप्ति कर्त्ता अभिकरणों के पास पड़े हुए संचित टसर कोयों को समाप्त करने के लिये फरवरी और मई 1981 के बीच सरकार के केन्द्रीय रेशम बोर्ड को 20 प्रतिशत छूट योजना चलाने की अनुमति दी।

(4) राज प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्शों और बैठकों में समय-समय पर उनसे इस बात का आग्रह किया गया है कि टसर कोयों के उचित विपणन के लिये राज्य सरकारो को रीलिंग की व्यवस्थाओं के लिये उपाय आरम्भ किये जाने चाहिये और इस काम के लिये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से संस्थागत सहायता प्राप्त की जा सकती है। टसर उत्पादक राज्यों के अन्दर और उनके बाहर के क्षेत्रों में रील किये हुए टसर कच्चे रेशम के प्रयोग में सम्भव वृद्धि के लिये हथकरघा विकास कमिश्नर, टसर उत्पादक राज्यों और देश के अन्य रेशम हथकरघा बुनकर केन्द्रों के बीच सम्पर्क स्थापित करने की पद्धतियों को भी तैयार कर रहे हैं।

राज्यों को अग्रिम योजना सहायता

2806. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :**
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री एस० बी० सिदनाल :
श्री चिन्तामणि जेना : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1977-78, 1979-80, और 1981-82 में राज्यों को प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करने के लिए अग्रिम योजना सहायता के रूप में दी गई राशि को वापस न लेने का फैसला किया है।

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त वर्षों में प्रत्येक राज्य को कितनी राशि दी गई और उन पर कितनी राशि बकाया है;

(ग) उपरोक्त केन्द्रीय सहायता में से इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी राशि खर्च की गई; और

(घ) प्रत्येक राज्य द्वारा देय उक्त राशि को सरकार का किस प्रकार समायोजित करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (घ) : सरकार ने यह निर्णय किया है कि प्राकृतिक प्रकोपों द्वारा उत्पन्न विपत्ति से राहत के लिए राज्यों को 1977-78, 1978-79 और 1979-80 में दी गई अग्रिम आयोजनागत सहायता का, छठी योजना-अवधि के दौरान उनकी आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए उनकी सामान्य हकदारी में समायोजन न किया जाए। इन अग्रिम राशियों के समायोजन के प्रश्न पर, तदनुसार छठी योजना के अन्त में विचार किया जाएगा।

यह निर्णय किया गया है कि प्राकृतिक प्रकोपों से राहत के लिए 1980-81 में राज्यों को दी गयी अग्रिम आयोजनागत सहायता के समायोजन के लिए मामला ऐसे राज्यों के साथ उठाया जाए जो इस स्थिति में समझे जाएं कि वे अग्रिम आयोजनागत सहायता का एक भाग छठी योजना में उनके लिए अनुमोदित केन्द्रीय सहायता की अधिकतम सीमा में समायोजित कर सकते हैं। प्राकृतिक प्रकोपों से राहत के लिए चालू वर्ष में दी गयी अग्रिम आयोजनागत सहायता के समायोजन के प्रश्न की जांच यथा समय की जाएगी।

(ख) : प्राकृतिक प्रकोपों से सम्बन्धित व्यत को पूरा करने के लिए 1977-78 से 31 अगस्त, 1981 तक की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यों को दी गयी अग्रिम आयोजनागत सहायता से संबंधित एक विवरण पत्र सभा-पटल पर रखा जाता है।

(ग) : राज्यों को अग्रिम आयोजनागत सहायता की राशियां उनके द्वारा किये गऐ कथित व्यय को पूरा करने के लिए दी गई थी।

विवरण

1977-78 से 1981-82 की अवधि के दौरान प्राकृतिक प्रकोपों से राहत के लिए राज्यों को दी गयी अग्रिम आयोजनागत सहायता।

(करोड़ रुपये)

राज्य	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82 (31-8-81 तक)
1	2	3	4	5	6
1. आन्ध्र प्रदेश	56 52	19.12	20.285	24.575	—
2. असम	1.22	—	3.50	—	—
3. बिहार	—	44.92	5.46	15.03	—
4. गुजरात	9.77	—	—	2.684	—
5. हरियाणा	12.00	16.00	4.00*	3.72	—
6. हिमाचल प्रदेश	2.70	6.89	3.00	4.50	1.00
7. जम्मू और कश्मीर	—	0.26	1.50	—	—
8. कर्नाटक	9.62	—	—	4.00	—
9. केरल	3 64	11.00	—	—	—
10. मध्य प्रदेश	—	9 53	22.75**	27.05	—
11. महाराष्ट्र	—	5 00	6.85	11.675	—
12. मणिपुर	—	0.75	1.55	—	—
13. मेघालय	—	—	0.578	—	—
14. नागालैंड	—	—	0.53	—	—
15. उड़ीसा	8 40	7.56	9.55	10.56	—
16. पंजाब	—	6.75	—	—	—
17. राजस्थान	7.97	8.51	13.75	15.109	15.00
18. तमिलनाडु	29.31	24.40	—	—	10.00
19. त्रिपुरा	...	...	1.00	...	...
20. उत्तर प्रदेश	7.04	74.13	31.21	31.917	—
21. पश्चिम बंगाल	1 88	8.893	12.659	...	...
जोड़ :-	149.07	323.75	138·172	150.820	26.00

*इसमें 1978-80 के सूखे के लिए 1980-81 में दी गयी 2.00 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है।

**इसमें 1979-80 के सूखे के लिए 1981-82 में दी गयी 1.78 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है।

रक्षा लेखा, नियंत्रण, पटना के भवन में स्थान की कमी

2807. श्री रामावतार शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा लेखा नियंत्रण पटना के वर्तमान भवन में स्थान की काफी कमी है?

(ख) यदि हां, तो क्या पटना में इसके अपने भवन निर्माण के बारे में कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में कितनी प्रगति हुई है;

(घ) क्या यह सच है कि भवन के निर्माण में असामान्य विलम्ब किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबन्धी कारण क्या है; और

(च) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सीसोदिया : (क) : कार्यालय में स्थान की लगभग 12 प्रतिशत तक की कमी है जिसे गम्भीर नहीं कहा जा सकता।

(ख) और (ग) : एक नया भवन बनाने का प्रस्ताव है। उसके लिए भवन के स्थान पर विद्यमान भवन के कुछ हिस्से को गिराने का काम आरम्भ कर दिया गया है।

(घ), (ङ) और (च) प्रस्तावित स्थान पर खड़े पुराने भवन में अवस्थित कुछ रक्षा कार्यालयों के लिए वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था करनी होगी। इसलिए निर्माण कार्य आरम्भ करने में कुछ विलम्ब हुआ है। इसमें से कुछ हिस्सा अब खाली हो गया है और बाकी हिस्से को भी खाली कराने का प्रयत्न किया जा रहा है।

राउरकेला इस्पात सयंत्रों में सिलीकोन परियोजनाएं आरम्भ करना

2808 श्री क्रिस्टोफर एक्का : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या यह सच है कि राउरकेला इस्पात संयंत्रों में कुछ सिलिकोन परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं;

(ख) उनकी संख्या तथा अनुमानित लागत क्या है;

(ग) उनके कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(घ) इन दोनों परियोजनाओं में सहयोग करने वाले देशों तथा कम्पनियों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी : (क) और (ख) : राउरकेला इस्पात कारखाने में 109.73 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सिलिकन इस्पात परियोजना लगाने का निर्माण कार्य चल रहा है।

(ग) : आशा है यह परियोजना अब दिसम्बर, 1982 तक पूरी हो जाएगी।

(घ) : ठंडी वेलित सिलिकन इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए बृहत योजना तैयार करने

का कार्य ओहियो (अमरीका) में मिडिलटाउन के आर्मको स्टील कारपोरेशन (आर्मको) को सौंपा गला था।

वास्ताविक निर्माण कार्य में निम्नलिखित विदेशी कम्पनियां उनके नाम के सामने दिए गए कार्यों में सहयोग कर रही हैं:—

विदेशी कम्पनियां	जिन कार्यों में सहयोग दे रही हैं
(क) एटका, अमरीका	(i) अनीतीकरण तथा अम्लोपचार
	(ii) कारलाइट लाइन
(ख). स्टैम्को, अमरीका	(i) बिल्ड-अप और स्ट्रैटनिंग लाइन
	(ii) मरम्मत तथा स्ट्रैटनिंग लाइन
	(iii) कट टु लैंग्थ लाइन
	(iv) स्लिटर-I
	(v) स्लिटर-II
(ग) सेलम पर्जेसेज, अमरीका	बाक्स अनीलिंग फर्नेस
(घ) क्रैब्स, फ्रांस	जल विद्युत-अपघटन संयंत्र
(ङ) बैंक मेटल, पश्चिम जर्मनी	वी ए आर
(च) वीम युनाइटेड, अमरीका	*(i) डिकार्ब लाइन
	*(ii) टेन्डम अनीलिंग लाइन
(छ) स्टन सपेंस फ्रांस	रीहिटिंग फर्नेस

कर्नाटक को अधिक इस्पात की माँग

2809 **श्री जनार्दन पुजारी : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) : क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में परियोजनाओं को पूरा करने हेतु अधिक इस्पात के आवंटन के लिए अभ्यावेदन दिया है; और

(ख) : यदि हाँ, तो तत्सबन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) : कर्नाटक सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि लोहे और इस्पात की सामग्री की कमी के कारण राज्य के उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस सामग्री का वितरण इस समय संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा बनाए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार राज्यवार आवंटन नहीं किये जाते हैं। इस समय कच्चे लोहे तथा इस्पात की कुछ श्रेणियों की कमी है। लेकिन, इन श्रेणियों के लिए आयात नीति काफी उदार है और देशीय उत्पादन तथा मांग के अन्तर को आयात द्वारा पूरा किया जा सकता है।

*मुख्य आर्डर इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड को किया गया था। इस कंपनी ने विदेशी सम्भारकों के साथ सहयोग के लिए करार किए हुए हैं।

विदेश जाने वाले शिष्ट मंडलों और प्रतिनिधि मण्डलों पर खर्च

2810. श्री सनत कुमार मण्डल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय में विदेश जाने वाले शिष्ट मण्डलों और प्रतिनिधि मण्डलों पर होने वाले खर्चे में भारी कटौती करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इससे विदेशी भ्रमण पर कहाँ तक रोक लगी है;

(ग) क्या इस समय प्राइवेट उद्योगपतियों तथा बड़े औद्योगिक घरानों के कार्य अधिकारियों के विदेश भ्रमण पर कोई रोक लगी हुई है; यदि हाँ, तो वह रोक क्या है;

(घ) क्या वे रिजर्व बैंक से जितनी चाहे विदेशी मुद्रा ले लेते हैं और उनकी विदेश यात्राओं की कोई सीमा नहीं है; और

(ङ) क्या उनका रिजर्व बैंक को ऐसे अनुदेश जारी करने का विचार है कि ऐसे सभी विदेशी भ्रमणों के बारे में गहराई से जांच की जाये और उन्हें कम से कम किया जाये और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकट रामन) : (क) और (ख) : जी, हां। विदेश यात्रा के खर्च को सीमित करने के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। इनमें ये शामिल हैं:—

(i) विदेश जाने वाले प्रतिनिधि-मंडलों और शिष्ट-मंडलों के सभी प्रस्तावों की कड़ाई से छानबीन की जाए और उनमें कटौती करके उन्हें कम से कम कर दिया जाए।

(ii) विदेश यात्राओं के सम्बन्ध में प्रथम श्रेणी में हवाई यात्रा करने के लिए केवल भारत सरकार के सचिव और उनके समकक्ष अधिकारी तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (जिनमें बैंक, बीमा कम्पनियां और वित्तीय संस्थाएं शामिल हैं) के अनुसूची 'क' के मुख्य अधिकारी (हेड) ही हकदार होंगे।

(3) पहले, सरकार के सचिव के दर्जे के अधिकारी जब विदेश यात्रा पर जाते थे तब वे किसी होटल के सूट में ठहरने के अधिकारी होते थे। खर्च में कमी करने के उपाय के रूप में यह निर्णय किया गया है कि सरकार के सचिवों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (जिनमें बैंक, बीमा कम्पनियां और वित्तीय संस्थाएं शामिल हैं) के अन्य कार्यालयों के मुख्य अधिकारियों सहित सभी अधिकारी विदेश में केवल एकल कक्ष में ठहरने के पात्र होंगे।

(4) केवल मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री और राज्य मंत्री ही विदेश यात्रा पर जाते समय विशेष सहायक को साथ ले जा सकेंगे बशर्ते कि वह विशेष सहायक विदेश में किए जाने वाले कामकाज से संबंधित हो। ऐसी यात्राओं में निजी सचिव और अन्य वैयक्तिक कर्मचारी मंत्री के साथ जाने के पात्र नहीं होंगे।

(ग), (घ) और (ङ) : गैर-सरकारी व्यक्तियों और व्यापारियों द्वारा विदेश यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा जारी करने के प्रस्तावों की बड़ी कड़ाई से जांच-पड़ताल करने की जरूरत की ओर रिजर्व बैंक का ध्यान आकर्षित कर दिया गया है। रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए दी जाने वाली विदेशी मुद्रा में कटौती करने के लिए हाल में अपने नियमों में संशोधन किए हैं:—

(1) व्यापारिक आधार पर विदेश यात्रा; और
(2) अध्ययन दौरे ।

(क) व्यापारिक यात्राएं :

	भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विदेशी मुद्रा जारी किए जाने के लिए अधिकतम दिनों की संख्या	
	पुरानी व्यवस्था	**सशोधित व्यवस्था**
(i) निर्यात संवर्धन :		
वरिष्ठ व्यापारी	60 दिन	45 दिन
कनिष्ठ व्यापरी	90 दिन	75 दिन
(2) संयुक्त उद्यमों के संबंध में यात्राएं	60 दिन	45 दिन
(3) अन्य व्यापारिक यात्राएं	45 दिन	30 दिन

निर्यात संवर्धन से भिन्न किसी अन्य प्रयोज के लिए दोबारा की जाने वाली यात्रा की बड़ी बारीकी से छानबीन की जाती है और विदेशी मुद्रा आवश्यक न्यूनतम अवधि के लिए ही जारी की जाती हैं ।

(ख) अध्ययन दौरे (तीन वर्ष में एक बार)

(1) चिकित्सक	60 दिन	45 दिन
(2) अन्य व्यावसायिक व्यक्ति	90 दिन	45 दिन

(ग) प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या जिनके लिए एक ही समय में विदेशी मुद्रा जारी की जा सकती है ।

	पुरानी व्यवस्था	**संशोधित व्यवस्था**
(1) निर्यात संवर्धन के आधार पर	तीन प्रतिनिधि	दो प्रतिनिधि
(2) अन्य व्यापारिक यात्राएं	तीन प्रतिनिधि	दो प्रतिनिधि

रिजर्व बैंक के कार्यालयों को यह भी कह दिया गया है कि वे सीनियर स्केल में विदेशी मुद्रा चुने हुए व्यक्तियों को ही दें ।

खुली छूट (ब्लेंकिट परमिट) से संबंधित वर्तमान शर्तें जारी रहेगी लेकिन अब एक अपवाद यह है कि अब एक ही समय में खुली छूट के परमिटधारी एक यात्रा के लिए अधिक से अधिक दो प्रतिनिधियों के लिए विदेशी मुद्रा ले सकते हैं । खुली छूट के परमिटधारी केवल बहुत ऊंचे अधिकारियों के मामले में सीनियर स्केल में विदेशी मुद्रा ले सकते हैं और इस संबंध में उन्हें बहुत संयम बरतने के लिए कहा जा रहा है ।

भारत-पाक सीमा पर सोने और चांदी की तस्करी

2811. **श्री हरिहर सोरन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत-पाक सीमा क्षेत्र में सोने और चांदी की बढ़ती हुई तस्करी की जानकारी है;

(ख) इन सीमा क्षेत्रों में सोना और चांदी की तस्करी की रोकथाम के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सरकार को मिली रिपोर्टों से पता चलता है कि सोने के स्वदेशी मूल्य की तुलना में अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में गिरावट आने के कारण भारत में सोने का तस्कर आयात आकर्षण का केन्द्र बन गया है। चांदी के अन्तर्राष्ट्रीय और स्वदेशी मूल्य के बीच के अन्तर में कमी आने की वजह से चांदी को चोरी-छिपे भारत से बाहर भेजने के प्रति उत्साह काफी कम हुआ है।

फिर भी रिपोर्टों से यह पता नहीं चलता कि भारत-पाक सीमा के पार बड़े पैमाने पर सोने और चांदी की तस्करी हो रही है।

(ख) और (ग) : इस क्षेत्र में तैनात सीमा शुल्क विभाग के निवारक और गुप्त सूचना तंत्र को सुदृढ़ बना दिया गया है। भारत पाक सीमा के पार सोने और चांदी की तस्करी के किसी भी तरह के प्रयास को रोकने के लिए संबंधित प्रवर्तन एजेंसियों, अर्थात सीमा शुल्क अधिकारियों, सीमा सुरक्षा बल और राज्य पुलिस को सतर्क कर दिया गया है।

कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियमन का उल्लंघन

2812. **श्री बापूसाहेब परुलेकर** : क्या वित्त मंत्री कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करने के बारे में 24 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8596 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी एकत्रित कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) : सूचना एकत्रित तथा समन्वित करने और उसे यथा-सम्भव शीघ्र सदन-पटल पर रखने की दृष्टि से हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

पर्यटक महत्व की दृष्टि से राजगृह का विकास

2813 **श्री विजय कुमार यादव** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बिहार में पर्यटक महत्व के एक स्थान राजगृह के विकास के "लिए" राजगृह विकास समिति नामक एक समिति का गठन किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस स्थान के चुने हुए प्रतिनिधियों और उसके विकास में रुचि रखने वाले स्थानीय लोगों को इस समिति में नहीं लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त समिति का पुनर्गठन करके उसमें चुने हुए प्रतिनिधियों और उस स्थान के विकासात्मक कार्यों में रुचि रखने वाले स्थानीय लोगों को शामिल करने का है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने राजगृह के विकास के लिए ऐसी कोई समिति गठित नहीं की है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

चाय के उत्पादन शुल्क में कमी

2814. **श्री निहाल सिंह** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चाय एसोसिएशन और टी एसोसिएशन आफ इंडिया ने केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों से चाय पर लगे उत्पादन शुल्क में कमी करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांग पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) प्लान्टर्स एसोसिएशन की परामर्शदात्री समिति, जो सभी उत्पादक एसोसिएशनों का शीर्ष निकाय है, चाय पर उत्पादन शुल्क में कमी के लिए अभ्यावेदन कर रही है।

(ख) इस मामले पर सरकार विचार कर रही है।

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के लिये हवाई अड्डा

2815. **प्रो० नरायण चन्द पराशर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में हवाई अड्डे के निर्माण के लिये किसी स्थान का चयन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) : हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में अनेक स्थलों का अभी हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया है। स्टौल हवाई अड्डे के निर्माण की व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए, मरौट भल्ला स्थल का चालू वित्तीय वर्ष में एक विस्तृत सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है। कांगड़ा जिले में एक हवाई अड्डे का निर्माण करने के लिए 1980-85 की छठी पंचवर्षीय योजना में निधियों का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

यूनाइटेड बैंक आफ इन्डिया की ग्रेटर कैलाश मार्किट नई दिल्ली स्थित शाखा का लूटा जाना

2816. **श्री निहाल सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूनाइटेड बैंक आफ इन्डिया की ग्रेटर कैलाश की (एन ब्लाक) शाखा 2 जून, 1981 को दिन दहाड़े लूट ली गई थी और बैंक अन्य कर्मचारियों को डकैतों ने घायल कर दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना के बारे में की गई जांच के क्या निष्कर्ष व

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) : जी

(ख) पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।

उड़ीसा में कटक के चंडीखोल पर पर्यटन केन्द्र

2817. **श्री अनादि चरण दास** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में कटक के चंडीखोल पर पर्यटन केन्द्र खो प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या चंडीखोल पर वह पर्यटन केन्द्र छठी योजना के जाएगा; और

(ग) उपरोक्त प्रस्ताव के कार्यान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, न

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

"एयर इण्डिया" और "इण्डियन एयरलाइन्स" के पास विमानों की संख्

2818. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह कृपा करेंगे कि :

(क) "एयर इंडिया" और "इंडियन एयरलाइन्स" में अलग-अलग "विभिन्न कितने-कितने विमान हैं;

(ख) क्या निकट भविष्य में दोनों विमान सेवाओं के विमानों की संख्या में वृद्धि कोई विचार हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) :

(क)	एयर इन्डिया	इन्डियन एयरलाइन्स
बोइंग 707	7	—
बोइंग 747	10	—
एयरबस एल 300 बी 2	—	8
बोइंग 737	—	19 (एक विम मंत्रालय को दिया हुआ है)

एच. एस.-748	—	12
एफ-27	—	8

(ख) : जी, हां।

(ग) : एयर इंडिया का 1983-84 में तीन एल. 1011-500 विमान लेने का प्रस्ताव है जिससे कि बी-707 विमानों के सेवा से हटाये जाने के कारण हुई क्षमता में कमी को पूरा किया जा सके तथा भावी यातायात में होने वाली अनुमानित वृद्धि की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इन्डियन एयरलाइन्स यातायात में होने वाली संभावित वृद्धि की आवश्यकतापूर्ति के लिए अपने विमान बेड़े में 6 बोइंग 737 विमान तथा दो एयरबस एल 300 बी 4 विमान जोड़ेगी। डिलीवरी कार्यक्रम निम्न प्रकार हैं :—

दो बोइंग 737	सितम्बर, 1981
चार बोइंग 737	सितम्बर/अक्तूबर, 1982
दो एयरबस एल 300 बी 4	मई, 1982

कलकत्ता और भूटान के बीच उड़ान

2819. **श्री चिंगवांग कोनयक** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयर लाइन्स का विचार कलकत्ता और भूटान के बीच एक विमान सेवा शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह विमान सेवा कब शुरू होगी और इस सम्बन्ध में अन्य ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) भूटान की "ड्रुक एयर" ने इन्डियन एयरलाइन्स से उसकी ओर से कलकत्ता तथा भूटान के बीच विमान सेवा परिचालित करने का अनुरोध किया है। इण्डियन एयरलाइन्स इस बात का मूल्यांकन करने के लिए इस वर्ष के अन्त तक में एक परीक्षण उड़ान करेंगे कि क्या उनके एच० एस-748 विमानों से ऐसे परिचालन करना व्यवहार्य होगा।

"इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी" के लिए एल० डी० प्लांट का निर्माण

2820. **श्री रेणुपद दास** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी" के लिए एल० डी० प्लांट के निर्माण की कोई योजनाएं हैं,

(ख) यदि हाँ, तो इस संयंत्र के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रवण मुखर्जी) (क) : जी, नहीं।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता।

(ग) :—"इस्को" के बर्नपुर कारखाने का आधुनिकीकरण करने का प्रश्न स्टील अथारिटी आफ इन्डिया लिमिटेड (सेल) के विचाराधीन है। सरकार इस मामले में निर्णय तभी ले सकेगी जब ये अध्ययन पूर्ण कर लिए जायेंगे और सेल द्वारा सरकार को प्रस्ताव भेज दिया जाएगा।

कर्नाटक राज्य में हिल स्टेशन का विकास

2821 **श्री बी० वी० देसाई** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने राज्य में हिल स्टेशन का विकास करने के लिए छह करोड़ रुपये की एक योजना तैयार करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार को इस योजना को कार्यान्वित करने में राज्य सरकार की सहायता करने और वित्तपोषण के लिए कहा गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और राज्य सरकार इस योजना का अपना कार्यान्वयन कब तक शुरू कर देगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) कर्नाटक सरकार से यह पता चला है कि राज्य सरकार की कर्नाटक में चुनी हुई पहाड़ियों का विकास करने की योजनाएं हैं और इस उद्देश्य के लिए राज्य की छठी पंचवर्षीय योजना में अनन्तिम रूप से 100,00 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया है। देवरायना दुर्ग और नंदी हिल्ज का विकास पहले ही शुरू कर दिया गया है। उनका इन हिल स्टेशनों को अवस्थानुसार विकसित करने का प्रस्ताव है यथा बिलिगरी रंगाना हिल्ज, गोपालस्वामी बेट्टी, कोडचदरी, अगुम्बे, इत्यादि।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। ऐसा समझा जाता है कि राज्य सरकार ने पहले से ही कुछ परियोजनाओं का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के ढांचे में परिवर्तन

2822. **श्री ए० ए० रहीम** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के ढांचे में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) : यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

एशियाई खेलों के लिये बनाये जा रहे पांच सितारा होटलों में कर्मचारी

2823 **श्री के० राममूर्ति** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई खेलों के लिए सरकारी एवं गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में बनाये जा रहे 5 सितारा होटलों में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

(ख) क्या एशियाई खेलों में भाग लेने वाले उन विदेशियों को, जो देश में पर्यटन महत्व के स्थान देखना चाहें, इधर-उधर ले जाने के लिए कोई विशेष प्रबन्ध किये गए हैं; और

(ग) क्या एशियाई खेलों में भाग लेने वालों के तेजी से इधर-उधर आने जाने वालों के विशेष हवाई जहाजों तथा हेलीकाप्टरों की व्यवस्था की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) अधिकांश एशियाड होटल परियोजनाओं के मामले में प्रबन्धकों ने स्टाफ की भर्ती और प्रशिक्षण के लिए अपने निजी प्रबन्ध किए हैं। संभावना है कि बाकी आवश्यकताएं देश में विद्यमान होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग इंस्टिट्यूट्स और फूडक्राफ्ट इंस्टिट्यूट्स द्वारा पर्याप्त रूप से पूरी कर दी जाएंगी।

(ख) और (ग) : जी, नहीं।

अजमेर का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

2824 **आचार्य भगवान देव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष की योजना में पर्यटन केन्द्र, अजमेर का विकास करने के लिए कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है और इसके विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इन योजनाओं का काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा)

चालू वित्तीय वर्ष में अजमेर के लिए किसी धनराशि की व्यवस्था नहीं की गई है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान एकीकृत ढंग से और अवस्थानुसार विकास के लिए अभिनिर्धारित यात्रा परिपथों में से एक यात्रा परिपथ में अजमेर को शामिल किया गया है। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे अभिनिर्धारित यात्रा परिपथों के साथ-साथ पड़ने वाले केन्द्रों पर विकसित की जाने वाली आधारिक संरचना सम्बन्धी सुविधाओं का उल्लेख करें। इस सूचना के प्राप्त होने पर अजमेर में केन्द्रीय, राज्य और प्राईवेट सेक्टरों में संसाधनों को एकत्र करते हुए सुविधाओं को विकसित करने के बारे में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी बशर्ते धनराशि उपलब्ध हो और पारस्परिक प्राथमिकताएं अनुकूल हों।

"कापरफायल प्रोजेक्ट बिद जी० डी० आर० नो हाउ" शीर्षक के अन्तर्गत छपा समाचार

2285. **डा० बसंत कुमार पंडित** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 मई, 1981 के 'ईकोनोमिक टाइम्स" में "कापरफायल प्रोजेक्ट बिद जी० डी० आर० नो हाउ" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो जी० डी० आर० तथा भारत के अधिकारियों के बीच हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना पर कितना व्यय होने की संभावना है; भारत और जी० डी० आर० इस परियोजना पर इस अनुपात में व्यय करेंगे, संभावित वार्षिक उत्पादन कितना होगा और इसके कब तक शुरू हो जाने की संभावना है तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी; और

(घ) क्या किसी अन्य विकसित राष्ट्र द्वारा भी ऐसी पेशकश की गई थी, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उनकी पेशकश स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क), (ख) (ग) और (घ) सरकार तांबा पन्नियों (फ़ाइल) और तांबा मढ़ी चद्दरों (लेमिनेट) के निर्माण हेतु संयुक्त क्षेत्र में एक संयंत्र स्थागित करने के लिए राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम को औद्योगिक लाइसेंस जारी किया है. इसकी वार्षिकी लाइसेंस क्षमता 6.00 लाख वर्ग मीटर तांबा पन्नी और 4.90 लाख वर्ग मीटर तांबा चद्दरों की है।

मै० कोम्बीनेट बेव लियु, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के साथ 29 सितम्बर 1979 को विदेशी सहयोग का करार किया था, जो तकनीकी जानकारी, उपकरणों की सप्लाई, स्थापना और कार्यचालन के बारे में है। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 10.25 करोड़ रुपये है। 25 लाख रुपये की एकमुश्त अदायगी तकनीकी जानकारी देने के लिए विदेशी सहयोग कर्त्ताओं को दी जाएगी। 614.30 लाख रुपए की लागत के उपकरण जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से आयात करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना के 1982 के अन्त तक चालू होने की आशा है। पूर्ण क्षमता पर वार्षिक उत्पादन 12 लाख वर्ग मीटर कापर फोइल है, जिसमें से 6 लाख वर्ग मीटर का उपयोग कापर ब्लैक लेमिनेट के निर्माण के लिए किया जागगा। निर्यात दायित्वों और आयात प्रतिस्थापन के जरिए लगभग 3655 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की आशा है।

उपर्युक्त माल के चार ज्ञात निर्यातार्ओं में से केवल मे० कोम्बीनेट बेव लियु, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ही कापर फाइल और कापर ब्लैड लेमिनेट के निर्माण के लिए अति उन्नत और समुचित समझी जाने वाली तकनीकी जानकारी देने के लिए तैयार थे तथा फर्म द्वारा पेश फीस भी बहुत तर्क संगत थी।

बकरी और भेड़ की खालों का निर्यात

2826. **श्री एन० डेनिस** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से विदेशों को बकरी और भेड़ की खालों का भारी निर्यात किया जा रहा है;

(ख) किन-किन राज्यों से यह निर्यात किया जा रहा है;

(ग) किन-किन देशों को यह निर्यात किया जा रहा है;

(घ) कैलेण्डर वर्ष 1977, 1978, 1979 और 1980 के दौरान प्रत्येक राज्य से कितना-कितना निर्यात किया गया; और

(ङ) इन वर्षों के दौरान प्रत्येक देश को कितना-कितना निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) : जी हां।

(ख) : निर्यात मुख्य रूप से तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार तथा आन्ध्र प्रदेश से किये जाते हैं।

(ग) तथा (ङ) : एक विवरण संलग्न है।

(घ) : प्रत्येक राज्य से किये गये निर्यातों के बारे में जानकारी नहीं रखी जाती।

विवरण

1978, 1979 तथा 1980 के दौरान बकरी तथा भेड़ की चमड़ियों के गन्तव्य स्थान-वार निर्यात

मद/देश	1978	1979	1980
(क) ई आई विधि से कमाई गई भेड़ तथा बकरी की चमड़ियां (मात्रा कि०ग्रा० में)			
1 बेल्जियम	56,820	1,310	2,190
2. फ्रांस	9,33,490	2,26,290	68,210
3. पश्चिम जर्मनी	1,41,330	34,770	19,910
4. इटली	6,34,230	1,40,850	2,40,660
5. नीदरलैंड्स	3,12,220	उ० न०	93,550
6. ब्रिटेन	1,63,690	86,620	1,31,020
7. डेनमार्क	2,960	—	—
8. स्पेन	70,630	1,44,910	28,450
9. युगोस्लाविया	17,020	510	—
10. यूनान	—	—	—
11. बल्गारिया	—	—	—
12. चैकोस्लोवाकिया	—	—	—
13. जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य	97,760	1,14,920	97,930
14. हंगरी	—	—	—
15. रूमानिया	1,380	—	—
16. सोवियत संघ	2,38,830	—	—
17. आस्ट्रेलिया	16,460	1,270	1,270
18. हांगकांग	290	1,520	1,520
19. ईरान	—	—	—
20. जापान	11,74,610	14,26,330	5,52,580
21. कोरिया लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य।	1,810	250	—

22. न्यूजीलैंड	21,420	43,930	32,980
32. सिंगापुर	3,050	6,770	—
24. सं० रा० अमरीका	5,500	1,270	1,270
25. वेनेजुएला	6,600	—	—
26. अर्जेन्टीना	—	—	2,030
योग	39,00,100	22,31,520	12,33,570

(ख) वेट ब्लू भेंड़ तथा बकरी की चमड़ियां (मात्रा-अदद में)

1. बेल्जियम	—	—	—
2. फ्रांस	—	—	—
3. प० जर्मनी	37,320	20,000	—
4. इटली	95,900	108,600	53,110
5. नीदरलैंड्स	76,000	—	—
6. ब्रिटेन	17,000	उ० न०	2,000
7. चैकोस्लोवाकिया	271,690	180,000	202,200
8. जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य	515,930	310,450	316,800
9. पोलैंड	285,000	16,500	—
10. रूमानिया	—	32,000	—
11. सोवियत संघ	5366,480	2778,810	2939,220
12. ईरान	6,000	—	—
13. जापान	4,900	1300	उ० न०
14. यमन अरब गणराज्य		—	—
15. स्पेन	30	—	—
16. युगोस्लाविया	11,000	10,000	उ० न०
17. सऊदी अरब	—	उ० न०	—
18. स्विटजरलैंड	—	उ० न०	—
19. सिंगापुर	—	उ० न०	—
योग	6687,250	3469,360	3513,330

(ग) भेड़ तथा बकरी की तैयार चमड़ियां (मात्रा कि०ग्रा० में)

1. बेल्जियम	1,11,080	46,470	99,890
2. फ्रांस	23,69,800	17,25,030	11,47,518
3. पश्चिम जर्मनी	19,77,630	17,84,650	13,79,720
4. इटली	43,58,690	57,17,230	35,19,570
5. नीदरलैंड्स	4,47,730	1,65,520	1,36,690
6. ब्रिटेन	8,84,920	11,15,710	6,08,080
7. डेनमार्क	6,200	2,950	12,170

8. नार्वे	23,190	15,990	4,100
9. स्वीडन	2,590	10,390	500
10. स्विटजरलैंड	1,18,650	1,21,060	51,750
11. आस्ट्रिया	44,160	51,890	13,970
12. पुर्तगाल	2,35,060	3,91,430	3,91,590
13. फिनलैंड	10,670	18,500	19,960
14. स्पेन	1,78,470	5,24,840	3,20,450
15. युगोस्लाविया	8,25,700	9,88,380	8,68,360
16. यूनान	44,940	73,100	24,900
17. बल्गारिया	74,240	84,060	48,690
18. चैकोस्लोवाकिया	47,510	63,120	60,810
19. जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य	3,59,090	2,62,890	4,56,980
20. हंगरी	39,490	46,850	28,840
21. पोलैंड	51,590	62,910	26,280
22. रूमानिया	1,22,820	50,990	20,140
23. सोवियत संघ	32,630	1,89,430	10,76,490
24. आस्ट्रेलिया	8,16,130	1,90,220	11,55,9 0
25. बंगलादेश	उ०न०	—	—
26. चीन गणराज्य	26,360	54,980	28,070
27. हांककांग	97,640	1,26,030	1,46,690
28. ईरान	3,639	18,941	6,940
29. जापान	3,29,960	4,59,660	1,72,550
30. कोरिया लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य	3,490	—	—
31. कोरिया गणराज्य	1,49,130	1,75,680	90,040
32. मलयेशिया	5,560	350	1,820
33. न्यूजीलैंड	5,180	49,360	20,020
34. फिलीपीन	8,130	9,500	16,800
35. सिंगापुर	22,670	78,780	88,290
36. दुबई	460	230	—
37. इजराइल	550	230	—
38. कतार	उ०न०	—	—
39 यमन अरब गणराज्य	उ०न०	—	—
40. कनाडा	3,16,980	3,84,530,	2,09,550
41. संयुक्त राज्य अमरीका	33,38,370	उ० न०	10,59,760

42. विटवई द्वीप समूह	1,610	—	—
43. कीनिया	—	1,850	—
44. आइसलैंड	—	50	—
45. थाइलैंड	—	5,160	—
46. संयुक्त अरब अमीरात	—	1,400	—
47. माल्टा	—	1,780	1,060
48. मारीशस	—	850	—
49 अर्जेन्टीना	—	3.420	3,006
50. वेनेजुएला	—	6,500	—
51. इंडोनेशिया	—	2,150	—
52. नेपाल	—	—	उ० न०
53. वहरीन द्वीपसमूह	—	—	101*
54. मलावी	—	—	10
55. थाइलैंड	—	—	379
56. साइप्रस	—	—	2,240
57. ब्राजील	—	—	1,620
58. कैमरून	—	—	30.
59. जाम्बिया	—	—	590
योग	174,92,799	150,84,851	133,27,574

*स्रोत : तैयार चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित वस्तुओं की निर्यात संवर्धन परिषद, कानपुर।

20-सूत्री कार्यक्रम के अधीन कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता

2827 **श्री हीरा लाल आर० परमार :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार ऋण के रूप में, समाज के कमजोर वर्गों के उन सभी लोगों को, बैंकों से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है, जो अपना व्यापार आरम्भ करना चाहते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन लोगों को भी ऋण आदि देने की व्यवस्था है जिन्हें कि दिल्ली प्रसाशन द्वारा लाइसेंस जारी किए गये हैं—विशेष रूप से अनुसूचित जाति के वे लाइसेंस धारी जो उचित दर की दुकानें, मिट्टी के तेल के डिपों, कोयले के डिपों आदि खोलना चाहते हैं।

(ग) यदि हां, तो इन ऋणों को प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है तथा उन बैंकों के नाम बताएं जो उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित व्यक्तियों को ऋण देते हैं अथवा दे सकते हैं;

(घ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो किसी विशेष व्यवसाय के लिए एक बैंक अधिकतम कितना ऋण दे सकता है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) :

(क) : बैंक, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अन्तर्गत, जिनमें खुदरा व्यापारी, छोटे कारबार आदि शामिल हैं, 20-सूत्री कार्यक्रम से लाभान्वित होने वालों को ऋण देते हैं।

(ख) से (ङ) :—खुदरा व्यापार के लिए ऋण प्रदान करने के वास्ते सभी बैंकों, विशेषकर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास विशेष योजनाएं हैं। इस प्रकार के ऋणकर्ताओं को दिए जाने वाले ऋण, ऋण गारंटी योजना के अन्तर्गत आते हैं। बैंक, वास्तविक आवश्यकता, प्रस्तावित निवेश, बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि आदि को ध्यान में रखते हुए ऋण राशि का निर्धारण करते हैं।

राजस्थान के पर्यटन स्थलों पर व्यय

2828 **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : श्री अशोक गहलोत :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कोशिश करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में ऐसे कितने पर्यटन-स्थल हैं जिनका सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विकास किए जाने का विचार है; और

(ख) राजस्थान के किस-किस पर्यटन स्थल का विकास किए जाने का विचार है और उस पर कितना खर्च आएगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) :

(क) : केन्द्रीय, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों में उपलब्ध संसाधनों को एकत्र करके एकीकृत ढंग से यात्रा परिपथ संकल्पना के आधार पर पर्यटन को विकसित करने का प्रस्ताव है। इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की गई थी और 61 यात्रा परिपथों को अभिनिर्धारित किया गया है जिनमें 441 पर्यटन केन्द्र हैं। राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि उन यात्रा परिपथों के आधार पर पर्यटन विकास के ब्लू प्रिन्टस तैयार करें जो छठी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों के अन्तर्गत संसाधनों को एकत्र करते हुए सघन रूप से विकसित किए जाएंगे।

धनबाद को विमान सेवा द्वारा जोड़ा जाना

2829. **श्री ए० के० राय :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के धनबाद जिले को प्रदेश के अन्य भागों के साथ, बोकारो को हवाई अड्डे के रूप में इस्तेमाल करके प्रदेश के अन्य भागों के साथ जोड़ा जाएगा; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और कब से यह सेवा शुरू होगी;

(ख) क्या इतने अधिक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की दिल्ली के साथ सीधे और शीघ्र

सम्पर्क की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसी हवाई अड्डे के माध्यम से इंडियन एयर लाइन्स की सेवा को घनबाद तक बढ़ाया जाएगा।

(ग) यदि हां, तो उस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) :

(क) और (ख) : जी, नहीं।

(ग) : प्रश्न नहीं उठता।

(घ) : जब कभी भी वायुदूत सेवाओं का और अधिक स्थानों के लिए विस्तार करने का निर्णय ले लिया जाएगा, तो ऐसे छोटी दूरी के अंतर क्षेत्रीय परिचालन वायुदूत सेवाओं का ही भाग बनेंगे।

राऊरकेला स्टील प्लांट द्वारा फेब्रीकेटेड ट्रेनियन रिंग के लिए मैसर्स उत्कल मशीनरी लिमिटेड को क्रयादेश दिया जाना

2830. **श्री रुद्रप्रताप षांड़गी :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** राउरकेला स्टील प्लांट द्वारा फेब्रीकेटेड ट्रेनियन रिंग के लिए मैसर्स उत्कल मशीनरी लिमिटेड को दिये गए क्रयादेश के बारे में 8 मई, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10246 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने मंत्रालय की जानकारी में लाये गये आरोपों की जांच पूरी कर ली है, और

(ख) : यदि हां, तो केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा की गई जांच का क्या नतीजा निकला ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) : केन्द्रीय सतर्कता आयोग स्वयं किसी आरोप की जाँच नहीं करता है परन्तु की जाने वाली कार्यवाही के बारे में सलाह देता है।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में ग्रामीण बैंक की शाखाएं

2831. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में विशेषकर मिथिला ग्रामीण बैंक दरभंगा और जिला ग्रामीण बैंक मधुबनी के सन्दर्भ में बैंक शाखाओं की कुल संख्या तथा उनके द्वारा दिए गए ऋणों की कुल राशि और प्राप्त की गई जमा राशियों में विभिन्न जिला ग्रामीण बैंक शाखाओं ने क्या तुलनात्मक प्रगति की है; और

(ख) मधुबनी तथा दरभंगा जिलों में पहले से ही खोली गई शाखाओं तथा चालू वर्ष के अन्त तक खोले जाने वाली प्रस्तावित शाखाओं की पूरी संख्या क्या है और बिहार के अन्य जिलों में उनकी संख्या क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगन भाई बरोट) :

(क) : एक विवरण अनुबन्ध के रूप में संलग्न है जिसमें बिहार में कार्यरत विभिन्न क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा की गई प्रगति (मार्च, 1981 के अन्त की स्थिति के अनुसार) का ब्यौरा दिया गया है।

(ख) : एक विवरण अनुबन्ध-II के रूप में संलग्न है जिसमें (31 मार्च, 1981 की स्थिति के अनुसार) मधुबनी क्षेत्रीय ग्रमीण बैंक, मधुबनी तथा मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दरभंगा द्वारा खोली जा चुकी शाखाओं तथा उनके पास विचाराधीन लाइसेंसों का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण—I

क्रम सं०	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक* के नाम	खोली गई शाखाएं	जमा रकमें (रकम लाख रुपये में)	बकाया अग्रिम
1.	भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक	63	730.35	337.13
2.	चम्पारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	103	458.60	588.43
3.	कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	94	136 63	243.27
4.	मगध ग्रामीण बैंक	55	494 15	209.57
5.	मोघया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	55	225.24	204.99
6.	सन्थाल परगना ग्रामीण बैंक	58	282.19	170.75
7.	वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	122	422.77	598.59
8.	मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	57	109.53	135·48
9.	सिंहभूम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	10	31.74	17·66
10.	नालंदा ग्रामीण बैंक	22	36.89	50 06
11.	मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	42	37.03	58.23
12.	समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	6	16.43	2.86
13.	पलामू क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	6	237.30	1.70
14.	राँची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	7	21 56	1.39
15.	गोपालगंज क्षत्रीय ग्रामीण बैंक			
16.	सारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक०			
17.	सिवान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक०			
	जोड़ :	699	3240.41	2620.05

* ये बैंक मार्च, 1981 के अन्तिम सप्ताह में स्थापित किये गए थे।

विवरण-2

क्रमश: मधुबनी तथा दरभंगा जिलों में मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा खोली जा चुकी तथा खोली जाने वाली प्रस्तावित शाखाओं की सूची

(31 मार्च, 1981 की स्थिति के अनुसार)

1. मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मधुबनी

(क) खोली गई शाखाओं के नाम

1. मधुबनी
2. भवानीपुर
3. लोहाट
4. अररिया संग्राम
5. नरार
6. बलिया
7. बसैठा
8. भैरव स्थान
9. हरलाखी
10. खिरहार
11. मोहिना थपुर
12. भापट्टी
13. वड़हरा
14. महादेवमठ
15 भेजा
16. कमलावाड़ी
17. फुलपारस
18. औसी
19. मनमोहन
20. रुद्रपुर
21. रघोली
22. चिकना
23. पदमा
24. सिमरी
25. पाई-टीघाट
26. तमोरिया
27. करही
28. दुर्गापट्टी
29. ठहर
30. शहरघाट
31. रमौट्टी
22. कोइलाख
33. उचेठ
34. टारडीहा
35. भीतभगवानपुर
36. पिपराही
37. बिरौल
38. कपासिया
39. पाली
40. राजारामपट्टी
41. बेलहा
42. भाटसीमर
43. महरोल
44. पदना
45. परसोमी
46. परसाही
47. बसुधारी
48. भगवानपुर
49. महेश्वरवा
50. मटचोड़ा
51. लखनौर
52. बेल्हावर
53. बोरहर
54. बिसनपुर
55. सिधासो
56. सिसवर
57. नरहिया
58. आंधरामाठा
59 चतरा

(ख) उन केंद्रों के नाम जिनके लिए लाइसेंस विचाराधीन हैं।

2. मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दरभंगा

(क) खोली गई शाखाओं के नाम

1. लहेरिया सराय
2. मुरिया
3. सिमरी
4. पटोरी
5. छोटाइपट्टी
6. सुरहाचट्टी
22. सरहवाड़ा
23. माधोपुर
24. बौराम
25. सुघराई
26. सिसो
27. रहरी

7. पटोर	28. बाढ़समलिया
8. परारी	29. बघरासी
9. रसियारी	30. उज्जैन
10. बहरा	31. पुताई
11. महमदपुर	32. नवादा
12. रेयाम	33. बेर
13. उघरा	34. हरोली
14. बाजितपुर	35. कर्जापट्टी
15. सोनाकी	36. बांघत
16. जमालपुर	37. मकचेंता
17. रतनापुर	38. उजैन
18. तरलाही	39. बिशनपुर
19. अलीनगर	40. मोरी
20. हथोड़ी	41. मुरेठा
21. डोघरा	42. खिरपा पठरा

(ख) उन केंद्रों के नाम जिनके लिए लाइसेंस विचाराधीन हैं

1. तलवाड़ा	10. परारी जयदेवपट्टी
2. अनदामा	11 कोरथु
3. साहपुर	12. गोनाँव
4. जोड़िया	13. तालकेश्वरस्थान
5. बिठौली	14. कालीगांव
6. निमैती	15. जगन्नाथपुर
7. हरिपुर	16. पोखराम
8. जयन्तीपुर डठ	17. कहुआ
9. तरोनी	18. बिरोल

लेप्रोस्कोप्स पर आयात शुल्क

2832 **श्री दिग्विजय सिंह : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लेप्रोस्कोप्स पर कितने प्रतिशत आयात शुल्क लगाया गया है;

(ख) क्या ये उपकरण परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं;

(ग) क्या ये भारत में भी बनते हैं; और

(घ) किन कारणों से सरकार लेप्रोस्कोप्स पर आयात शुल्क हटाने के लिए सहमत नहीं हुई है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :

(क) : लेप्रोस्कोप पर अब भी सीमा शुल्क मूल्यानुसार 40 प्रतिशत की रियायती दर

से लगता है। उपसंगी शुल्क की दर मूल्यानुसार 10 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, उस पर मूल्यानुसार 8 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त शुल्क लगता है। और कतिपय श्रेणियों के अस्पतालों, जैसे केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों और विनिर्दिष्ट धर्मादा संगठनों द्वारा शल्यक और नेदनिक उपकरण के रूप में आयातित लैपरोस्कोप को उन पर उद-ग्रहणीय आयात-शुल्क से पूरी छूट दी गई है।

(ख): परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत लैप्रोस्कोप का कार्य दूसरे शल्यक उपकरणों के कार्य के समान ही होता है।

(ग) लैप्रोस्कोप का निर्माण भारत में नहीं किया जाता है, अपितु लेप्रोस्कोप के कुछ संघटकों का निर्माण भारत में किया जा रहा है।

(घ) जैसा कि ऊपर (क) में बताया गया है, कतिपय श्रेणियों के अस्पतालों द्वारा आयात किये जाने की दशा में लैपप्रोस्कोप को शुल्क से पूरी छूट प्राप्त है। सरकार को उपर्युक्त रियायत के विषय-क्षेत्र में विस्तार करने की सामान्यतया जरूरत महसूस नहीं हुई है।

कार्यरत भारतीय संयुक्त उद्यमों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने के अध्ययन

2833, **श्री केशव राव पारधी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह उन संयुक्त उद्यमों के कार्य निष्पादन का तथा भारत को विभिन्न रूपों में उनसे प्राप्त होने वाली दीर्घावधिक और अल्पावधिक दोनों ही प्रकार की आय का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(ख) भुगतान-शेष, निर्यात विस्तार तथा तकनीकी अंतरण इत्यादि पर इन संयुक्त उद्यमों का क्या प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) :

(क) तथा (ख) : अपेक्षित जानकारी "ज्वाइंट वेनचर्स एब्राड एन एप्रैजल" नामक प्रकाशन में दी गई है। इस प्रकाशन की प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है। इण्डियन इन्वैस्टमेंट सेंटर का यह प्रकाशन वाणिज्य मंत्रालय द्वारा की गई समीक्षा पर आधारित है।

विदेशों में संयुक्त उद्यमों की स्थापना के लिये उद्यमियों को प्रोत्साहन

3834 **श्री राम लाल राही** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिये उद्यमियों को विभिन्न प्रकार के कौन से प्रोत्साहन दिये जाते हैं।

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : भारतीय उद्यमियों को बढ़ती हुई भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिये जिससे कि वे अन्य विकासशील देशों को अपनी तकनीकी जानकारी और हुनर दे सकें और विदेशों में संयुक्त उद्यमों की स्थापना में मदद करने के लिये, भारत सरकार ने अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं जिनमें कुछ वित्तीय प्रोत्साहन भी शामिल हैं। संक्षिप्त में ये निम्नलिखित हैं :

(1) विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिये सभी प्रस्तावों के लिये सरकार एकल प्वाइंट निकासी की व्यवस्था करती है।

(2) इक्विटी भागीदारी के रूप में उपस्कर करने मशीनरी आदि के निर्यातों पर सामान्य आयात प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जाती है जैसे कि पंजीकृत निर्यातकों के लिये समय-समय पर लागू आयात नीति के अन्तर्गत निर्यातकों को उपलब्ध है।

(3) भारतीय इक्विटी के बदले में निर्यात की गई मशीनरी तथा उपस्करों के निर्यातों पर नकद सहायता दी जाती है जो कि एफ० ओ० बी० मूल्य की 10 प्रतिशत की सीमा के अध्यधीन है। किन्तु इक्विटी भागीदारी के अलावा मशीनरी और उपस्करों के निर्यातों के लिये नकद सहायता की सामान्य दरें उपलब्ध हैं।

(4) सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को संयुक्त उद्यम कम्पनी स्थापित करने के बारे में प्रारंभिक कार्य करने पूरा करने तथा संभाव्यत अध्ययन करने, तकनीकी तथा प्रबन्धकीय कार्मिकों आदि के दौरों के लिये विदेशी मुद्रा रिलीज करने हेतु अनुरोधों पर विचार करने के लिये आवश्यक शक्तियां सौंपी हैं।

(5) विदेशी मुद्रा स्रोतों को बढ़ाने की दृष्टि से विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिये आयकर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों में कुछ कम रियायतें देने की व्यवस्था है। अधिनियम की धारा 80—ओ, रायल्टी कमीशन, फीस आदि के रूप में भारतीय कम्पनी द्वारा प्राप्त सम्पूर्ण आय को कर से छूट प्रदान करती है जो भारत से बाहर किसी पेटेन्ट, माडल, डिजाइन आदि के इस्तेमाल के लिये किसी विदेशी उद्यमी से मिलती है। विदेशी कम्पनी द्वारा आवंटित किये गये शेयरों पर लाभांश के रूप में किसी भी भारतीय कम्पनी द्वारा माडल, डिजाइन, गुप्त फार्मूले या प्रोसेस आदि के इस्तेमाल के रूप में प्राप्त आय को अधिनियम की धारा 80-एन के अन्तर्गत आयकर से पूरी छूट प्राप्त है।

(6) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अपनी विदेशी वित्त योजना के माध्यम से भारतीय प्रवर्तकों द्वारा विदेशों में संयुक्त उद्यम में इक्विटी सह-भागीदारी के वित्त पोषण के लिये आवधिक निर्यात ऋण देता है।

(7) भारतीय औद्योगिक बैंक द्वारा गैर-इक्विटी निर्यातों के लिये अस्थापित भुगतान सुविधाओं पर उसी प्रकार विचार किया जाता है जैसा कि सामान्य निर्यातों पर किया जाता है।

(8) निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम अपनी विदेशी निवेश बीमा योजना के माध्यम से विदेशी निवेश के लिये राजनीतिक जोखिम कवर प्रदान करता है।

बड़े औद्योगिक घरानों को दिये गये नये लाइसेंस

2835. **श्री राजेश पाइलट : वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी कोई नीति निर्धारित की गई है जिसके कारण सूती धागा पोलिएस्टर/विस्कोस धागा बनाने वाले बड़े औद्योगिक घरानों को विस्तार लाइसेंस/नए लाइसेंस नहीं दिये जायेंगे;

(ख) क्या छोटे पैमानों के एककों ने मात्र नगण्य क्षमता का उपयोग किया है;

(ग) यदि बड़े घरानों को नए लाइसेंस दिये जा रहे हैं तो उन घरानों के नाम क्या हैं जिन्हें पिछले एक वर्ष के दौरान ये लाइसेंस दिये गये हैं;

(घ) उन घरानों की संख्या क्या है जिन्होंने पिछले दो वर्षों के दौरान विस्तार / नये लाइसेंसों के लिये आवेदन दिया है;

(ङ) उन घरानों की संख्या क्या है जिन्हें लाइसेंस दिये गये; और

(च) उन घरानों की संख्या क्या है जिन्हें लाइसेंस नहीं दिये गये और उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) : सूत सम्बन्ध में एम० आर० टी० पी० एकक, एकक के अधिक से अधिक कार्य करने हेतु 50,000 तकुओं तक और संतुलन प्रयोजनार्थ 50,000 तकुओं से अधिक विस्तार लाइसेंस पाने के पात्र हैं।

विस्कोस / पोलिस्टर स्पन यार्न के सम्बन्ध में, एम० आर० टी० पी० एककों को विस्तार की अनुमति नहीं।

फिलामेंट यार्न के लिए एम० आर० टी० पी० एककों द्वारा क्षमता स्थापित करने / विस्तार करने के बारे में कोई रोक नहीं है।

(ख) : ऐसे मामलों में निवेश की आवश्यकताएं लघु एककों के लिये निवेश की सीमा से अधिक होने के कारण ये एकक लघु क्षेत्र में स्थापित नहीं किये जा सकते।

(ग) से (च) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर दी जाएगी।

बिहार में निजी खानों का राष्ट्रीयकरण

2836. **श्री चिन्ता महाटा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार तथा अन्य राज्यों में स्थित खानों का राष्ट्रीयकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) : जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) उस प्रकार के निर्णय समुचित औचित्य होने तथा सभी परिणामों पर विचार करने के बाद ही लिए जाते हैं।

हुगली मिल्स लिमिटेड पर आयकर/प्रवर्तन छापे

2837. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर/प्रवर्तन अधिकारियों ने हुगली मिल्स लिमिटेड के परिसरों, इस कम्पनी के मालिक के कार्यालय, निवास-स्थान और अन्य सम्बन्ध स्थानों पर कितनी बार छापे मारे थे;

(ख) इन छापों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन छापों का परिणाम क्या निकला; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (घ) : गत पांच वर्षों के दौरान प्रवर्त्तन निदेशालय द्वारा, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत, मैसर्स हुगली मिल्स लि०, के परिसरों, इसके मालिक के कार्यालय, आवास तथा अन्य सम्बद्ध स्थानों पर कोई छापा नहीं मारा गया। तथापि इस कर्म द्वारा विदेशों से तथाकथित घटिया किस्म का तथा हल्का कच्चा पटसन और मेस्टा आयात किए जाने के सम्बन्ध में निदेशालय द्वारा 3-6-1975 को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 35 (2) के अन्तर्गत एक निर्देश जारी करके खुली जांच की गई थी।

उससे यह पता चला कि मैसर्स हुगली मिल्स कं० लि०, 10, क्लाइव रोड, कयकत्ता-1 ने वर्ष 1966 में विदेश से कच्चे पटसन और मेस्टा की एकखेप आया त की थी। यहां पहुंचने पर माल का वजन 1022.02 पौण्ड अर्थात् 21,548.32 रु० की भारतीय मुद्रा के बराबर कम पाया गया। चूंकि ऐसा लगा कि मैसर्स हुगली मिल्स कं० लि०, कलकत्ता ने, जिन्हें इस प्रकार विदेशी बिक्रेताओं से 1022.02 पौण्ड की उपर्युक्त रकम प्राप्त करने का अधिकार मिल गया था, उक्त विदेशी मुद्रा को वसूल करने/भारत में वापस लाने का कोई प्रयत्न नहीं किया इसलिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा 10 (1) (ख) का उल्लंघन करने के लिए 22 दिसम्बर, 1975 को कम्पनी को, एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अधिनियम की धारा 23 (ग) के उपबन्धों के अन्तर्गत कम्पनी के चार निदेशकों पर भी आरोप लगाए गए। मामला न्यायानिर्णयाधीन है।

तलाशी के लिए प्राधिकृत किये जाने पर आयकर अधिकारियों ने 25-2 76 को हुगली मिल्स कं० लिमिटेड से सम्बद्ध अनेक स्थानों पर तलाशियां लीं। निदेशकों के आवासीय परिसरों की भी तलाशियां ली गईं।

उपर्युक्त तलाशियों के परिणामत: निम्नलिखित वस्तुएं पकड़ी गईं :-

1.5 लाख रु० नकद; 68.41 लाख रु० मूल्य के 1.5 शेयर-पत्र। 41 लाख रु० मूल्य की, लेखा बाह्य पटसन-उत्पादों की 3000 गांठों का पता लगाया गया। लगभग 16.5 लाख रुपये मूल्य के छिपाये गये कच्चे पटसन के भण्डार का भी पता चला।

कर निर्धारिती ने तलाशी लिए जाने के बाद शीघ्र ही समझौते के लिए समझौता आयोग के समक्ष याचिका दायरा की। इसमें प्रार्थना की गई कि 2.68 करोड़ रुपये के लेखाबाह्य लाभ को 68-69 से 76-77 तक के कर निर्धारण-वर्षों में फैला दिया जाए। समझौता आयोग ने 4-1-77 के अपने आदेश में, कर निर्धारण वर्ष 76-77 के लिए निर्धार्य 1417378 रु० की आय के अतिरिक्त 2,461,41,229 रु० की छिपायी गयी लेखाबाह्य आय निर्धारित की और इस आय को 68-69 से 75-76 तक के कर निर्धारण वर्षों में फैलाने की अनुमति दी। एतदनुसार ही धारा 245 (क) के अन्तर्गत 68-69 से 76-77 तक के वर्षों के कर निर्धारण और पुनर्कर निर्धारण किए गए। संगणना करने पर 1,53,85,524 रु० का अतिरिक्त कर संदेय बना। कर निर्धारिती ने

छिपायी गयी आय पर सम्पूर्ण कर अदा कर दिया है और धारा 220 (2) के अन्तर्गत लगभग 494535 रु० का ब्याज ही बकाया है।

मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की अदायगी के बारे में लेखा परीक्षा आपत्ति

2838. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या वित्त मन्त्री मै० प्योर ड्रिंक्स, नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की अदायगी के बारे में, लेखा परीक्षा आपत्ति के बारे में 28 नवम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1693 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दोनों आपत्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या इन आपत्तियों को वापस ले लिया गया है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) : दो लेखापरीक्षा आपत्तियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

(i) पहली आपत्ति, दिनांक 4-7-1977 की अधिसूचना संख्या 211/77-के० उ० शु० के अनुसार मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (न्यू देहली) लिमिटेड द्वारा उठाये गये छूट सम्बन्धी लाभ के बारे में थी। उक्त अधिसूचना के अनुसार, वातित जल की प्रथम पचास लाख बोतलों पर, जिनमें कोला गिरियों का सार शामिल नहीं हो और जिनकी निकासी किसी भी वित्तीय वर्ष में की गई हो, उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त थी जितनी मूल्यानुसार पच्चीस प्रतिशत से अधिक हो। दिनांक 4 जुलाई 1977 की अधिसूचना सं० 211/77-के० उ० शु० का अधिलंघन 1-3-1979 को किया गया था। लेखापरीक्षा दल का यह मत था कि उक्त अधिसूचना के तहत विनिर्दिष्ट रियायती शुल्क-दर वित्तीय वर्ष 1978-79 में केवल 11 महीनों के लिए उपलब्ध थी, इसलिए रियायती शुल्क-दर अनुपाततः 45, 83, 333 बोतलों के लिए अनुमत्य थी, न कि पचास लाख बोतलों के लिए। लेखापरीक्षा दल द्वारा यह दलील दी गई कि रियायती शुल्क-दर पर 4, 16, 667 बोतलों की अधिक निकासी करना गलत था, जिसके परिणामस्वरूप 75, 796, 93 रु० (पचाहत्तर हजार सात सौ छियानवे रुपये तिरानवे पैसे) का न्यून शुल्क अदा किया।

(ii) जहां तक दूसरी लेखा परीक्षा आपत्ति का सम्बन्ध है, जून, 1976 में मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (न्यू देहली) लिमिटेड की स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि शुल्क-निर्धारिती, कार्यचालन के क्षेत्र के भीतर की दूरी को ध्यान में रखे बिना, मूल्य में प्रति क्रेट रु० 1.70 की एक समान रकम को जोड़ता रहा था। यह समझा गया कि इस प्रकार वसूल किया गया परिवहन-व्यय, भाड़े को समानीकृत करने का प्रतीक था। यह प्रथा 1-10-1975 से 16-3-1976 तक चलती रही। इसके बाद, विशिष्ट शुल्क-दरें लागू की गईं। लेखापरीक्षा दल ने यह ठहराया कि इस प्रकार वसूल किया गया समानीकृत भाड़ा शुल्क-निर्धारणीय मूल्य का हिस्सा था जिसके कारण 5, 83, 168.00 रु० (पांच लाख तिरासी हजार एक सौ अड़सठ रुपये) न्यून शुल्क निर्धारण हुआ।

(ख) ऊपर (i) पर लेखा परीक्षा आपत्ति के सम्बन्ध में चूंकि दिनांक 4-7-1977 की अधिसूचना सं० 211/77-के० उ० शु० के तहत महीने-वार यथानुपात निकासियों की संगणना के

लिए व्यवस्था नहीं थी, इसलिए विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार नहीं की। लेखापरीक्षा दल इस दृष्टिकोण से सहमत हो गया और तदनुसार यह आपत्ति छोड़ दी गयी।

दूसरी लेखा परीक्षा आपत्ति का सम्बन्ध भाड़ा व्यय के शुल्क-निर्धारणीय मूल्य में दिल्ली/नई दिल्ली आदि में तत्स्थानीय डिलीवरी को शामिल करने से था। यह आपत्ति विभाग ने स्वीकार नहीं की क्योंकि अलग-अलग केन्द्र के लिए अलग-अलग भाड़ा वसूल किया जा रहा था और इसलिए समानीकृत भाड़े का प्रश्न ग्रस्त नहीं था और परिवहन-व्यय को शुल्क निर्धारणीय मूल्य में समाविष्ट नहीं करना होता है।

खान मालिकों द्वारा अव्यवस्थित अन्वेषण

2839. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पट्टे पर दिए गए अनेक क्षेत्रों में खान मालिकों द्वारा खानों का व्यवस्थित अन्वेषण नहीं किया गया है तथा उनके लिए लम्बी अवधि की योजनाएं तैयार नहीं की गई हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) खान मालिकों द्वारा खानों के क्रमबद्ध अन्वेषण न किए जाने और उनके लिए दीर्घकालीन योजनाएं न बनाए जाने के मामले ध्यान में आए हैं।

(ख) भारतीय खान ब्यूरो, खान सुरक्षा महानिदेशक तथा राज्य के खनन और भूतत्व निदेशालय समय-समय पर खानों का निरीक्षण करते हैं तथा सम्बद्ध नियमों और विनियमों के अन्तर्गत समुचित कार्यवाही करते हैं।

बैंक आफ इण्डिया की चांदनी चौक शाखा अधिकारियों को सवारी भत्ते का भुगतान

2840. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि बैंक आफ इण्डिया की चांदनी चौक शाखा में किन्हीं अधिकारियों को जून-जुलाई, 1981 में समयोपरि भत्ते की बजाय सरकारी भत्ते के रूप में काफ़ी अधिक धन राशि की अदायगी की गई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) :

बैंक के अधिकारी, समयोपरि भत्ते की अदायगी के पात्र नहीं होते। सामान्यतः वे सवारी भत्ता भी तब तक प्राप्त करने के हकदार नहीं होते जब-तक यात्रा बैंक की ओर से न हो अथवा बैंक के विनियमों के अधीन अनुमत न हो। अलबत्ता, यदि किसी अधिकारी को कार्य की अधिकता की वजह से कार्यालय में देर तक रुकना पड़े और जन परिवहन के सामान्य साधनों के उपलब्ध

न होने की वजह से उसे स्कूटर/टेक्सी से यात्रा करनी पड़े तो उसके द्वारा किए गए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति कर देने की प्रथा है।

बैंक आफ इण्डिया ने सूचना दी है कि 12-6-1981 से 1-7-1981 के बीच लगभग 25 अधिकारियों को वास्तविक यात्रा खर्च के रूप में 2204.40 रुपये अदा किए गए। इस अवधि के दौरान, कुछ विशेष कारणों की वजह से, इन अधिकारियों को, चेकों के निपटान के आवश्यक कार्य को पूरा करने के वास्ते कार्यालय में देर तक बैठना पड़ा था।

ओवर ड्राफ्ट नियमन

2841. **श्री समर मुखर्जी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओवर ड्राफ्ट नियमन योजना (अक्तूबर, 1978 में चालू किये गये रूप में), जो कि वस्तुत: राज्यों से सम्बन्धित है, के बारे में राज्य सरकारों के साथ कोई अग्रिम चर्चा की गयी थी;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो चर्चा की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) : ओवरड्राफ्ट संविधान के अनुच्छेद 293 (3) और राज्यों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 21 (क) के अधीन किये गये करार के उल्लंघन में होते हैं। ओवरड्राफ्ट विनियम स्कीम सर्वप्रथम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्त मंत्रालय और योजना आयोग से परामर्श करके 1 मई 1972 से आरम्भ की गई थी। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक और प्रत्येक राज्य सरकारों के बीच करार हुआ। बाद में, इस स्कीम में 1 अक्तूबर 1978 से मामूली संशोधन किया गया। इस संशोधित स्कीम के अधीन सभी राज्य सरकारों की सामान्य अर्थोपाय सीमाओं को दुगुना कर दिया गया। इसके अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी सरकारों को पूरक करार करने के लिए कहा। इस सम्बन्ध में सभी राज्य सरकारों ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पूरक करार किया है।

गांधी शान्ति प्रतिष्ठान को आय-कर से मुक्त किया जाना

2842. **श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव** :

प्रो० के० के० तिवारी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधी शान्ति प्रतिष्ठान को कभी आय-कर से छूट दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो कब और कितनी अवधि के लिए;

(ग) क्या यह सच है कि प्रतिष्ठान द्वारा आय-कर की छूट का दुरुपयोग किया गया और भारत सरकार द्वारा इस पर छापा मारा गया; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार यह छापा मारा गया था और प्रतिष्ठान द्वारा की गई आय-कर की छूट के दुरुपयोग के कारण प्रतिष्ठान के खिलाफ क्या कार्रवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) : जी, हाँ ।

(ख) गांधी शान्ति प्रतिष्ठान को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 के अधीन कर-निर्धारण वर्ष 1978-79 तक आय-कर से छूट दी गई है ।

(ग) तथा (घ) : धर्मार्थ प्रयोजनों के लिये न्यास के अधीन रखी गई सम्पत्ति से प्राप्त आय को धारा 11 के अन्तर्गत उस सीमा तक छूट मंजूर की जाती है जिस सीमा तक इसका इस प्रकार का इस्तेमाल किया जाता है । आयकर विभाग के रिकार्डों से इस छूट के किसी दुरुपयोग का पता नहीं चलता ।

तथापि कुछ प्रतिकूल रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं । अनिर्णीत पड़े कर-निर्धारण के मामलों में इनकी जांच की जा रही है तथा कानून के अनुसार समुचित कार्यवाही की जाएगी आयकर विभाग ने धारा 132 के अधीन गाँधी शान्ति प्रतिष्ठान की तलाशी नहीं ली है ।

अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड द्वारा गांधी शान्ति प्रतिष्ठान को अनुदान

2843. **प्रो० के० के० तिवारी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड ने पिछले तीन वर्षों के दौरान गाँधी शान्ति प्रतिष्ठान को कोई अनुदान दिये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितना धन दिया गया है;

(ग) ये अनुदान किस प्रयोजन के लिये दिये गये हैं और किन शर्तों पर; और

(घ) ऐसी संस्थाओं की, जिनके पास न तो कोई तकनीकी सक्षमता है और न ही विशेषज्ञता है, अनुदान देने की सरकार की क्या नीति है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) : जी हाँ ।

(ख) अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड ने गाँधी शान्ति प्रतिष्ठान की निम्नलिखित अनुदान दिया था :

1978-79	6,70,100 रु०
1979-80	4,70,776 रु०
1980-81	कुछ नहीं

(ग) जरदोजी, हाथी दांत, लकड़ी तथा आभूषण शिल्पों में प्रशिक्षण योजनाएं चलाने तथा बिहार में दो खण्डों में दो ग्रामीण विपणन केन्द्र स्थापित करने के लिये अनुदान दिया गया था । अनुदान की सूची विवरण में दी गई हैं ।

(घ) सरकार ऐसे स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान देती है जिनके पास विशेष योजना स्कीमों के क्रियान्वित करने की क्षमता होती है ।

विवरण

अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत की जाने वाली अनुदान सहायता की शर्तें ।

1. कोई भी राशि जो खर्च नहीं होती वह वित्तीय वर्ष के अन्त में लौटा दी जाएगी जब तक आगामी वर्ष के अनुदान के बदले इसका समंजन करने की अनुमति नहीं दी जाती।

2. लेखों की लेखा परीक्षा पंजीकृत लेखाकार अथवा लेखा परीक्षकों के मान्यता प्राप्त निकाय द्वारा की जायेगी।

3. अनुदान प्राप्त करने वाला संस्थान, सरकार को लेखा-परीक्षकों के प्रमाणपत्र, कि अनुदान के समय संलग्न शर्तों को पूरा किया जा रहा है। (अथवा इन शर्तों का उल्लंघन करने के बारे में विवरण देते हुए) के साथ लेखा परीक्षित लेखों के विवरण भेजेगा। लेखों के विवरण पर अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थान के किसी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किये जाएंगे। वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाने के बाद जून के अन्त तक जिससे यह संबंधित हो, लेखा परीक्षित विवरण भेज दिया जायेगा।

4. यह अनुदान जिस प्रयोजनार्थ स्वीकृत किया गया है उसके सिवाए किसी अन्य प्रयोजन के लिए दिया जाएगा अथवा खर्च नहीं किया जाएगा। योजनाओं को पूरा करने का काम, जिसके लिये अनुदान दिया गया है। अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना अन्य संस्थान या संगठन को सौंपा नहीं जाएगा। इस सम्बन्ध में व्यय अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थान द्वारा ही किया जाएगा।

5. अनुदान प्राप्त करने वाला संस्थान, अनुदान से होने वाले व्यय के बारे में ऐसी रिपोर्ट, विवरण आदि यह दिखाने के लिये सरकार को यथावश्यक प्रस्तुत करेगा, कि अनुदान की शर्तों का अनुपालन होता रहा है और निधि में किसी प्रकार का परिवर्तन अथवा फेर-बदल नहीं किया गया है।

6. अनुदान प्राप्त करने वाला संस्थान महा-नियन्त्रक तथा लेखा परीक्षक द्वारा, अपने लेखों को उसकी इच्छानुसार जांच के लिए प्रस्तुत करेगा।

7. अनुदान प्राप्त करने वाला संस्थान यथावश्यक अपने लेखे शीघ्र ही लेखा परीक्षा के लिये प्रस्तुत करेगा चाहे वह पूर्ण हों या नहीं।

8. अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थान पर अनुदान तथा परिसंपत्तियों की सभी शर्तें लागू होंगी।

9. अनुदान प्राप्त करने वाला संस्थान जी० एफ० आर०-19 फार्म में एक रजिस्टर रखेगा जिसमें वह इस सरकारी अनुदान में से पूर्ण रूप से या अधिकांश रुप से खरीदी गई स्थायी अथवा अर्ध-स्थायी परिसम्पत्तियों के विवरण रखेगा और वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद, जिससे यह सम्बन्धित हो, जून के अन्त में प्रतिवर्ष उसकी एक प्रति सरकार को भेजेगा। परिसम्पत्तियों का रजिस्टर लेखा परीक्षण द्वारा जांच किये जाने हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

10. सरकारी अनुदान सहायता से पूर्ण अथवा अधिकांश रुप से खरीदी गई परिसम्पत्तियां केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना बेची नहीं जाएगी, ऋणग्रस्त नहीं की जाएगी अथवा उस प्रयोजन के अलावा जिसके लिए अनुदान स्वीकृत किया गया था, इस्तेमाल नहीं की जाएगी।

11. अनुदानग्राही द्वारा निष्पादन सह-उपलब्धि रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

12. अनुदान उस विशिष्ट प्रयोजनों के लिये खर्च किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत किया गया हो।

पालम हवाई अड्डे पर अर्द्ध स्वचालित पिस्तौल से गोली चलाया जाना

2844. **श्री के० ए० राजन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इण्डिया के एक यात्री ने जो 6 जून, 1981 को पालम पर पहुँचा था, एक अर्द्ध-स्वचालित पिस्तौल से गोली चलाई थी और भाग गया था;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं;

(ग) वह किस प्रकार का तथा कितने मूल्य का सामान अपने साथ लाया था; और

(घ) उसको गिरफ्तार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) : जी, हाँ।

(ख) : 6-6-1981 को श्री सुनील संदीप न्यूयार्क से एयर इण्डिया की उड़ान संख्या 108 द्वारा लगभग 01.30 बजे पालम हवाई अड्डे पर पहुँचा। आप्रवासन तथा स्वास्थ्य की जाँच हो जाने के बाद, वह सीमा-शुल्क काउन्टर पर गया। सीमा-शुल्क अधिकारी ने उक्त यात्री के सामान को खोला और सूटकेस में से एक "टू-इन-वन" (ताइवान में निर्मित जी०ई०सी०) उठाया जो कि उन्हें असामान्य तौर पर भारी लगा। उसने उसे खुलवाया और उसके अंदर दो पिस्टल मिले। उस समय वह अपने वरिष्ठ अधिकारी को बुलाने के लिए थोड़ा एक तरफ मुड़ा। इस क्षणिक ध्यान-परिवर्तन का फायदा उठाते हुए, यात्री ने एक पिस्टल (9 एम एम) हथिया लिया और सीमा-शुल्क अधिकारी की ओर पिस्टल ताने हुए आप्रवासन काउन्टर की ओर पीछे की तरफ हटा। सीमा-शुल्क अधिकारी ने शोर मचा दिया, जिससे आप्रवासन कर्मचारी चौकस हो गए। तब सुनील संदीप बैगेज कन्वेयर बैल्ट के खुले स्थान में से बच कर निकल भागा। ऐसा करने से पहले, उसने एक शाट फायर किया परन्तु कोई घायल नहीं हुआ। ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल तथा भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के एक कर्मचारी ने उसका पीछा किया। सुनील संदीप अपना पिस्टल घुमाता हुआ और धमकी देता हुआ अंधेरे में गायब हो गया।

(ग) : जैसा कि दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट की है, अभियुक्त का उद्देश्य भारत में किसी जुर्म के इरादे से अस्त्र-शस्त्र तथा गोला-बारुद (दो पिस्टल तथा 292 कारतूस और दो मैगजीन) ले जाना था जो कि एक 'टू-इन-वन' में छुपा रखे थे। अभियुक्त, सुनील संदीप से प्राप्त किए गए माल का विवरण संलग्न है। ऐसे सामान का मूल्य-निर्धारित करना संभव नहीं है जिसमें नये तथा पुराने दोनों किस्म का माल शामिल है।

(घ) : दिल्ली पुलिस ने, जिसने धारा 25/27, 54/59 186/307 पी० सी० के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 63, दिनांक 6-6-81 द्वारा एक मामला दर्ज किया था, उक्त अभियुक्त की तलाश में एक पुलिस दल बंगलौर भेजा जहाँ अभियुक्त 15-6-81 को एक डकैती में शामिल

हुआ था और उसे बंगलौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।

विवरण

श्री सुनील संदीप के कब्जे से शस्त्रास्त्र अधिनियम की धारा 25/27, 254/59 तथा आई० पी० सी० 307/186 के अन्तर्गत पुलिस स्टेशन दिल्ली एक्सपोर्ट में दिनांक 6-6-81 की प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 63 के अन्तर्गत प्राप्त की गयी वस्तुओं की सूची।

1. एक टू-इन-वन स्टीरियो रेडियो कैसेट रिकार्डर मॉडल नं० 3-525/ए.
2. एक पिस्टल स्टर्लिंग० 22 एल० आर० आटो-मेक नं० ए-87324 मेक स्टर्लिंग आर्मज।
3. 9 एम० एल० कारतूस कुल 193+2 मैगजीन
4. पीली जैकेट रेमिंगटन० 22 कारतूस कुल 49
5. सी० सी० आई० स्टर्लिंग० 42 एल० आर० कारतूस कुल 50
6. एक काले रंग का सूटकेस
7. दो निकर लाल रंग की और एक खाकी।
8. एक साड़ी लाल।
9. दो हल्के हरे रंग की कमीजें, दो बादामी रंग की कमीजें, तथा एक नीली कमीज।
10. एक साड़ी नीली।
11. एक नीली कमीज।
12. दो (चैकदार) कमीजें।
13. एक ऊनी शाल।
14. एक स्वीटर काले रंग का।
15. 35 बच्चों के कपड़े तथा तीन जोड़े बच्चों के जूते।
16. एक बेबी कार, एक ब्रट स्टिक डियोडोरेंट।
17. एक ब्रट टोटियोन, एक जैंट एरियाने।
18. एक सूटकेस पीले रंग का।
19. सात टाई अलग अलग रंगों का।
20. एक सफेद चद्दर।
21. दो नीली कमीजें तथा एक सफेद कमीज।
22. एक जैकट।
23. एक कैमरा कोडक नं० 600 इलेक्ट्रोनिक-1 लैंश।
24. दो कार (बेबी), एक छतरी।
25. तीन जीन पैंट तथा दो पैंट।
26. एक आफ्टर-शेव, दो नाखुन पालिश।
27. सात (गोले) ऊन।
28. दो नीली कमीजें, दो पीली तथा तीन जैकदार कमीजें और एक गाउन।
29. एक ब्लाउज, एक सफेद कमीज, चार निकर, एक चश्मा (गोगल)।
30. दो ब्रेजरी ब्रांक फ्री गैस, 4 प्लास्टिक रेजर।
30. तीन तम्बाकू सिगरेट पैकेट।

मछलियों का निर्यात

2845. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में मछली निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) लक्ष्य पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) चालू वर्ष में कितनी मछली निर्यात करने का अनुमान है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) : छठी योजना के दौरान समुद्री उत्पादों, जिसमें मछली भी शामिल है, के निर्यात के लक्ष्य निम्नलिखित हैं :

1981-82	300 करोड़ रु०
1982-83	412 करोड़ रु०
1983-84	493 करोड़ रु०
1984-85	591 करोड़ रु०

1982-83 के और इसके बाद के लक्ष्यों में संशोधन हो सकता है जो कि 1981-82 की उपलब्धियों पर निर्भर करेगा।

(ख) : समुद्री उत्पादों के निर्यातों में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिये अनेक उपाय किये गये हैं। इनमें शामिल हैं : गहरे समुद्रों में मछली पकड़ने की नौकाएं, चार्टर करना, फ्राम की खेती, मछली छीलने के शेड स्थापित करना, राजसहायता पर इंसूलेटिड बक्सों का वितरण, नये बाजारों तथा नये उत्पादों के विकास हेतु सहायता। सरकार ने समुद्री उत्पादों के निर्यातों में वृद्धि के उपायों का सुझाव देने के लिए एक टास्क फोर्स की भी स्थापना की है।

(ग) : 1981-82 में समुद्री उत्पादों के, जिसमें मछली भी शामिल हैं, निर्यात 122120 मे० टन होने का अनुमान है जिनका मूल्य 300 करोड़ रु० है।

भारतीय रुई निगम द्वारा आन्ध्र प्रदेश में सूविन रुई की खरीद

2846. **श्री पी राजगोपाल नायडू** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रुई निगम आन्ध्र प्रदेश में सूविन रुई खरीद रहा है;

(ख) यदि हां, तो कितनी रुई खरीद ली गई है; और

(ग) इस वर्ष के दौरान इस राज्य में इस प्रकार की रुई का कितना उत्पादन हुआ है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) : जी, हां।

(ख) भारतीय रुई निगम ने 1980-81 के रुई मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश से लगभग 33,592 क्विंटल सूविन रुई की खरीद की है।

(ग) आंध्र प्रदेश में 1980-81 मौसम में सूविन रुई का उत्पादन 4.25 लाख क्विंटल आंका गया है।

मनीपुर में तस्करी

2847. **श्री रशीद मसूद** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बर्मा की सीमा से लगने वाला मणीपुर राज्य भारत में विदेशी वस्तुओं की तस्करी का एक मार्ग बना रहा है;

(ग) यदि हां, वर्ष 1980 और 1981 के दौरान तस्करी के कितने मामलों का पता चला और इस अवधि के दौरान कितने मूल्य की वस्तुयें जब्त की गई थीं; और

(ग) तस्करी रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सरकार को मिली सूचना के अनुसार मणिपुर राज्य में भारत-बर्मा सीमा के साथ लगने वाला क्षेत्र तस्करी के लिए सुगम्य है ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) मणीपुर में भारत-बर्मा सीमा के पार तस्करी के हर प्रयास को रोकने के लिए संबंधित प्रवर्त्तन अभिकरणों अर्थात् सीमाशुल्क प्राधिकारियों, सीमा सुरक्षा दल तथा राज्य पुलिस को सचेत कर दिया गया है ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में चेयरमैनों के रिक्त पद

2848. श्री सूरज भान : श्री अटल विहारी वाजपेयी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनमें इस समय कोई चेयरमैन नहीं है अथवा अस्थायी चेयरमैन हैं;

(ख) प्रत्येक मामले में यह पद कब से रिक्त पड़ा है और उसके कारण क्या है ?

(ग) अनुमानित अवधि जिसमें उक्त रिक्तियों के भरे जाने की संभावना है ।

(घ) क्या किसी सार्वजनिक उपक्रम का वर्तमान चेयरमैन ऐसा है जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो; और

(ङ) क्या नई नियुक्तियां करते समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के दावे पर भी विचार करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्र (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :

(क) से (ग) : सरकारी क्षेत्र के ऐसे 13 उद्यमों के सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है जिनके फिलहाल पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियमित अध्यक्ष नहीं है । इसमें यह भी दिया गया है कि यह पद कब से खाली है । इनमें से सरकारी उद्यम चयन मण्डल ने प्रथम 8 सरकारी उद्यमों में अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति के लिए सरकार को अपनी सिफारिशें भेज दी है । इलेक्ट्रोनिकी व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के पद के सिवाय, जिसकी नियुक्ति पिछले महीने तक सरकार के स्तर पर स्थगित रखी गई थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के शेष पद जून 1981 और अगस्त 1981 के बीच खाली हुए हैं । इन पदों के लिए चयन सरकारी उद्यम चयन मण्डल के विचाराधीन है तथा संभवत; चयन मंडल अगले दो महीने में अपनी सिफारिशें भेज देगा । मुख्य कार्यकारी अधिकारी

के स्तर की नियुक्तियों को भरने की अस्थायी व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि उद्यम के काम में हर्ज न हो।

इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र के ऐसे 18 उद्यम हैं जिनमें अंशकालिक अध्यक्ष के पद खाली हैं। इनमें से दो को छोड़कर अन्य सभी उद्यमों में पूर्णकालिक प्रबन्ध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के रूप में विधिवत कार्य कर रहे हैं।

(घ) और (ङ) : ऐसा कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक नहीं है जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो। सरकारी उद्यमों में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। सरकारी उद्यम चयन मंडल सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में पूर्णकालिक अध्यक्ष तथा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति के लिए सभी क्षेत्रों और सभी जातियों (जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति भी शामिल हैं) के उम्मीदवारों के बारे में विचार करता है।

विवरण

क्रमांक	उद्यम के नाम	पद रिक्त होने की तारीख
1.	नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन	जून 1980
2.	केन्द्रीय खान आयोजन एवं अभिकल्प संस्थान	अप्रैल 1981
3.	प्रदीप उर्वरक परियोजना	जनवरी 1981
4.	नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन (उत्तर प्रदेश) लि०	दिसम्बर 1979
5.	नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन	जनवरी 1981
6.	राज्य व्यापार निगम	फरवरी 1981
7.	केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम	जुलाई 1981
8.	भारतीय खाद्य निगम	जून 1991
9.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	जून 1980
10.	इलेक्ट्रोनिकी व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम	मार्च 1981
11.	भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लि०	जुलाई 1981
12.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिल्स लि०	जुलाई 1981
13.	खनिज गवेषण निगम	अगस्त 1981

सेवानिवृत अधिकारियों की राज्य/सरकार के स्वामित्वाधीन निगमों अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि में नियुक्ति

2849. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 2 वर्ष के दौरान राज्य/सरकार के स्वामित्वाधीन निगमों/कम्पनियों अथवा उद्यमों अथवा सरकारी उपक्रमों में प्रबन्ध निदेशकों तथा वित्तीय सलाहकारों सहित चेयरमैन तथा प्रबन्धक मंडल के सदस्यों के अवैतनिक पदों पर कितने सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति

की गई है तथा उन परिस्थितियों का ब्यौरा क्या है जिसके कारण इन नियुक्तियों को करना पड़ा;

(ख) ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनकी पिछले 1 वर्षों में सेवानिवृत्त की आयु के पश्चात सेवाकाल में वृद्धि की गई/पुनर्नियोजित किया तथा ऐसी कितनी अवधि के लिए किया गया तथा उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सेवा की अवधि बढ़ाये जाने/पुनर्नियोजित/अवैतनिक नियुक्तियों के मामलों में संबंधित अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कौन से सुरक्षोपाय किए गए हैं तथा उनका पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :

(क) से (ग) : सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के अध्यक्ष एवं निदेशक मंडलों की अंशकालिक नियुक्ति से है। नीति यह है कि इन पदों पर उद्योग एवं वाणिज्य, श्रमिक संघों और शिक्षाविदों और प्रशासकों आदि में से ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए जो सरकारी उद्यमों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकें। ये नियुक्तियां अंशकालिक होने के कारण इन पर सिवाय कम्पनी के कार्यों के शुल्क के और कोई वेतन या अनुलब्धियां नहीं दी जाती। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के अंशकालिक अध्यक्ष एवं अंशकालिक निदेशकों के इन पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित आयु सीमा नहीं है। इस समय ऐसे 8 सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी, जिन्हें अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अंशकालिक निदेशकों के बारे में इस प्रकार की सूचना केंद्रीय रूप से नहीं रखी गई है, क्योंकि ये नियुक्तियां सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा विभिन्न स्रोतों; अर्थात सरकार के सेवा निवृत्त अधिकारियों, सरकारी संस्थानों, जैसे वित्तीय संस्थानों, अनुसंधान निकायों आदि से की जाती है।

सरकारी उद्यमों के पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तथा निदेशक मण्डल के पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्तियों के बारे में सरकार की यह नीति है कि ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त न किया जाए जिन्होंने अधिवर्षिता की आयु, अर्थात 58 वर्ष (अथवा कम्पनी के नियमानुसार अधिवर्षिता की सामान्य आयु) पूरी कर ली हो। यदि ऐसे पदों को भरने के लिए तत्काल कोई सुयोग्य उत्तराधिकारी सुलभ न हो और उद्यम अथवा सरकार के हित में उनका सेवाकाल बढ़ाकर या पुनर्नियुक्ति करके उन्हें बनाये रखना आवश्यक समझा जाए, तो ऐसे व्यक्तियों की नियुक्तियां जिन्होंने इन पदों पर या तो सेवाकाल बढ़ाने या पुनर्नियुक्ति के कारण अधिवर्षिता प्राप्त कर ली हो, केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में ही की जाती है। इस नीति का सरकारी उद्यमों में बोर्ड स्तर से नीचे 2500 रुपये और उससे अधिक वेतन पाने वाले पदों पर ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए भी अनुपालन किया जाता है जिन्होंने 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। इन सभी नियुक्तियों के बारे में सरकार द्वारा उच्चतम स्तर पर निर्णय किये जाते हैं।

वर्ष 1981-82 के लिये बजट घाटा

2850. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मूल्यों के चालू स्थिति के रुझान को देखते हुए 1981-82 के लिए बजट में घाटे के बारे में योजना आयोग की आशंका क्या है; और

(ख) बजट में घाटे की स्थिति की रोकथाम के लिए समुचित उपाय करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरमन) : (क) तथा (ख) : बजट के घाटे को कम करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। मूल्यों की स्थिति पर सरकार कड़ी नजर रखे हुए है और इस सम्बन्ध में कई उपाय किए गये हैं।

सरकारी उपक्रमों के मुख्यालयों का दिल्ली में होना

2851. **श्री जेवियर अराकल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने सरकारी उपक्रमों के मुख्यालय दिल्ली में हैं; और

(ख) कितने सरकारी उपक्रमों के मुख्यालय, उनके स्थापना स्थलों से दूर स्थित हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) 1979 में एकत्र की गई जानकारी के अनुसार सरकारी क्षेत्र के 48 उपक्रमों के मुख्यालय दिल्ली में हैं।

(ख) इन 48 में से 8 सरकारी उपक्रम, जो विनिर्माणकारी उद्यमों की श्रेणी में आते हैं, के मुख्यालय उनके स्थापना स्थलों से काफी दूर हैं।

दिल्ली में मुख्यालय रखने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :

(1) सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालय से पारस्परिक कार्रवाई की आवश्यकता है;

(2) कम्पनी के कार्य अन्तर्देशीय क्षेत्र तथा विदेशों में फैले होना;

(3) दिल्ली में कम्पनी का अपना कार्यालय भवन उपलब्ध होना तथा कम्पनी द्वारा अपने कार्यालय की इमारत के लिए कम किराया अदा करना; और

(4) स्थापना स्थलों पर समुचित रिहायशी क्वार्टरों के निर्माण के लिए धन प्राप्त करने में कठिनाइयां।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

2852. **श्री भीखा भाई** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या में अत्यधिक कमी है और उनका प्रतिनिधित्व भी कम है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने सरकारी क्षेत्र के सभी प्रकार के उपक्रमों में आरक्षण सम्बन्धी आदेश एवं रोष्टर प्रणाली को क्रियान्वित कराने के लिए कोई निगरानी तन्त्र स्थापित किया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों ने भारतीय संविधान लागू होने के 21 वर्षों के बाद आरक्षण आदेशों पर अमल करना शुरू किया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) : 1-1-1980 को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या में कुल मिलाकर गिरावट इस प्रकार रही :

समूह	अनुसूचित जाति-निर्धारित प्रतिशत (15%) में कमी	अनुसूचित जन-जाति निर्धारित प्रतिशत (7%) में कमी
"क"	11.10	6.84
"ख"	9.89	6.15
"ग"	कोई कमी नहीं।	
"घ"		

(ख) : सरकारी उद्यमों के लिए उत्तरदायी प्रत्येक प्रशासनिक मंत्रालय विभाग में एक-एक वरिष्ठ अधिकारी रखा गया है जो उस मंत्रालय/विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी उद्यम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के बारे में निर्णयों को लागू करने सम्बन्धी देख-रेख करता है।

(ग) : प्रश्न ही नहीं पैदा होता।

(घ) गृह मंत्रालय ने 3956 में मंत्रालयों विभागों को यह सलाह दी थी कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को ये अनुदेश जारी करें कि वे अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के बारे में आदेशों का पूर्ण अनुपालन करें तथा उन्हीं आदेशों की 1957 और 1964 में पुनरावृत्ति की गई थी। इस विषय पर 1969 में सभी मंत्रालयों को राष्ट्रपति का एक निदेश पत्र जारी किया गया कि वे अपने नियंत्रणाधीन सरकारी उद्यमों को उसकी सूचना दे दें।

रेल डिब्बों, इंजनों और वैगनों का निर्यात

2853. श्री राम अवध :

श्री ए० ए० रहीम : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें विगत तीन वर्षों के दौरान रेल डिब्बों, इंजनों और वैगनों का निर्यात किया गया और क्रमशः इनकी संख्या कितनी है; और

(ख) इस निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

	1978-79			1979-80			1980-81		
	जिस देश को निर्यात किये गये।	निर्यात की गई संख्या	मूल्य (लाख रु०)	जिस देश को निर्यात किये गये	निर्यात की गई संख्या	मूल्य (लाख रु०)	जिस देश को निर्यात किये गये।	निर्यात की गई संख्या	मूल्य (लाख रु०)
1. सवारी डिब्बे	फिलीपीन्स	30	362.66	वियतनाम	50	500 00	श्रीलंका	36	161.50
	युगांडा	20	252.24	श्रीलंका	8	40.33			
				नेपाल	4(पुराने)	3.33			
2. वैगन	युगांडा	32	73.29	युगांडा	75	189.06	युगांडा	143	314.77
	श्रीलंका	14	36.48	श्रीलंका	15	41.69	वियतनाम	392	818.20
	बंगलादेश	66	97.47	वियतनाम	515	1091.15	बंगलादेश	135	249.86
3. इंजन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त की गई पुरातात्विक वस्तुएं

2854. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा शुल्क अधिकारियों द्वार जब्त की गई वस्तुओं में पुरातात्विक वस्तुए भी पाई जाती हैं;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान जब्त की गई पुरातात्विक वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) पुरातात्विक वस्तुओं की महत्ता को परखने के लिये की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन पुरातात्विक वस्तुओं को किन स्थानों पर रखा जाता है और इनकी देख-भाल करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ; और

(ङ) क्या इस संबंध में ब्यौरा सदन के पटल पर रखा जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रहीं है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी ।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम में अनुसूचित जातियों ।
जन जातियों के लिए रखी गई रिक्तियां

2855. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या वाणिज्य मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम में गत एक वर्ष (1-7-1980 से 1-7-1981 तक) के दौरान, अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए श्रेणीवार, कितनी रिक्तियां रखी गई; और

(ख) अब तक (1-7-1971 तक) श्रेणीवार,. पदवार, कुल कितनी रिक्तियां भर ली गई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) (ख) नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन (नियंत्रक कम्पनी) के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

ग्रुप	1-7-1980 से 1-7 1981 के दौरान अनुसूचित जातियों। अनुसूचित जनजातियों के लिए रखे गये रिक्त स्थानों की संख्या	1-7-1981 तक भरे गए रिक्त स्थानों की कुल संख्या
(1)	(2)	(3)
ग्रुप 'क'		
मुख्य सलाहकर	—	—
सलाहकार	—	—
प्रबंधक	—	—
उप प्रबंधक	—	—

1	2	3
ग्रुप 'ख'		
सहायक प्रबंधक	1	1
विशेष सहायक	—	1
वरिष्ठ सहायक	3	—
ग्रुप 'ग'		
सहायक	2	—
वरिष्ठ आशुलिपिक	—	—
कनिष्ठ आशुलिपिक	2	—
कनिष्ठ सहायक	4	1
ड्राइवर	—	—
गेएटेटनर आपरेटर	—	—
मोदाम इंचार्ज	3	—
दुकान प्रबंधक ग्रेड 1	3	—
दुकान प्रबंधक ग्रेड 2	2	—
दुकान प्रबंधक ग्रेड 3	14	1
रोकिड़िया-सह-लेखा क्लर्क	—	—
वरिष्ठ सेल्समैन	10	2
सेल्समैन	29	5
सहायक सेल्समैन	14	9
ग्रुप 'घ'		
एटेण्डेण्टा चौकीदार	2	4
डिलीवरी ब्वाय	19	5

गुजरात में अमरेली के लिये विमान सेवा सुविधाएं

2856. **श्री उत्तमभाई एच० पटेल :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें सौराष्ट्र में वायु सेवाओं का विस्तार किये जाने की नई योजना के अन्तर्गत गुजरात राज्य में अमरेली के लिए विमान सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे में अमरेली चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री (सौराष्ट्र-गुजरात) से दिनांक 4 अगस्त, 1981 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) उपलब्ध कराई जाने वाली प्रस्तावित विमान सेवाओं का विवरण क्या है;

(घ) इन विस्तार योजनाओं के कब तक चालू होने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (घ) : जी, नहीं। तथापि, अमरेली वाणिज्य मंडल ने अपने दिनांक 23 जून, 1979 के पत्र में इंडियन एयरलाइन्स द्वारा अमरेली के लिए विमान सेवाएं परिचालित करने के बारे में लिखा था।

इंडियन एयरलाइन्स अमरेली के लिए विमान सेवाओं का परिचालन करने पर विचार करने में असमर्थ है क्योंकि वहां की अच्छे मौसम की हवाई पट्टी इंडियन एयरलाइन्स के विमान-बेड़े में उपलब्ध किसी प्रकार के विमान द्वारा परिचालन के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

बिहार में खनिज विकास के लिए मंजूरी की गई योजनाएं

2857. **श्री कुंवर राम** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में खनिज विकास के लिए हाल में कितनी योजनाएं मंजूर की गई हैं :

(ख) इसके फलस्वरूप खनिज के उत्पादन में अनुमानित कितनी वृद्धि होगा; और

(ग) इससे कितने लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) से (ग) : बिहार में खनिज विकास के लिए छठी पंच वर्षीय योजना में स्टेट सेन्टर में 6 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा स्कीमें शुरू की जानी हैं। इसके अलावा केन्द्र सरकार ने खनिज गवेषणा निगम के माध्यम से सिंहभूम पट्टी में लाने के लिए व्यापक खोज कार्य शुरू कर दिया है। इससे कितने अतिरिक्त तांबे का उत्पादन किया जा सकता है, इसका अभी निर्धारण किया जाना है। बिहार में दस कोयला खनन परियोजनाओं को भी कोल इण्डिया लि० द्वारा अपनी सहायक कम्पनियों के ज़रिए कार्यान्वित किए जाने हेतु मंजूरी दी जा चुकी है। पूर्ण उत्पादन होने पर उनसे प्रतिवर्ष 13·5 मि० टन कोयला प्राप्त होने की आशा है। सभी केन्द्रीय और राज्य स्कीमें कितना अतिरिक्त रोजगार जुटा पाएँगी के बारे में अभी अनुमान लगाना असामयिक होगा।

राज्यों द्वारा ओवरड्राफ्ट लिया जाना

2858 **श्री दिलीपसिंह भूरिया : श्री निहालसिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट लिए हैं और प्रत्येक मामले में इसकी राशि क्या है :

(ख) इन राज्यों के ओवरड्राफ्ट की राशि एक साथ कैसे खर्च हो पाती है,

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा इन राज्यों को समय पर राजस्व में अंश का प्रावधान न किया जाना इन राज्यों द्वारा ओवरड्राफ्ट लिये जाने का कारण है, और

(घ) यदि राज्य अपने घाटे के कारण ओवरड्राफ्ट लेते हैं, तो स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) (क) : एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रखा जाता है।

(ख) : भारतीय रिजर्व बैंक ने साधारण अर्थोपाय अग्रिमों और विशेष अर्थोपाय अग्रिमों, जिनकी राज्य सरकारें निकासी कर सकती है की सीमाएँ निर्धारित कर रखी हैं। इन सीमाओं से किसी राज्य सरकार को उस समय सहायता मिलती है जब उसका व्यय प्राप्तियों से अधिक बढ़ जाता है। चूंकि किसी राज्य सरकार से यह आशा नहीं की जाती कि वह भारतीय रिजर्व बैंक से स्वीकृत सीमाओं से ऊपर अर्थोपाय निकासी करे, इसलिए ओवरड्राफ्टों के समाप्त हो जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से की अदायगी, वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों को समय-समय पर संगत नियमों और आदेशों में निर्धारित समय और विधि के अनुसार कर दी जाती है। अतः राज्यों के राजस्व के हिस्से की समय से व्यवस्था न किये जाने का प्रश्न नहीं उठता। इस विषय में अदायगियाँ वास्तव में कभी-कभी नियत समय से पहले ही कर दी जाती हैं ताकि राज्य सरकारों को अपनी कठिन वित्तीय स्थिति का सामना करने में सहायता मिल सके।

(घ) ओवरड्राफ्ट या तो राज्यों के बजटों में संरचनात्मक असन्तुलन के कारण होते हैं अथवा ये राज्य के नकद प्रवाह में अस्थायी असमानताओं के कारण होते हैं। संरचनात्मक असंतुलन के कारणों का पता लगाने और स्थिति में सुधार लाने की दृष्टि से भारत सरकार ओवरड्राफ्ट लेने वाले इन राज्यों के साथ विचार-विमर्श करती रही है।

विवरण

	राज्य	29-7-1981 की स्थिति के अनुसार ओवरड्राफ्ट (करोड़ रुपए)
1.	असम	13.13
2.	गुजरात	3.70
3.	हरियाणा	8.80
4.	हिमाचल प्रदेश	0.13
5.	कर्नाटक	17.01
6.	केरल	9.63
7.	मध्य प्रदेश	47.62
8.	महाराष्ट्र	58.16
9.	मणिपुर	2.03
10.	पंजाब	25.47
11.	राजस्थान	71.51
12.	त्रिपुरा	1.51
13,	पश्चिमी बंगाल	68.11*
		326.81

*इनमें मार्च से, 1981 के बीच पश्चिमी बंगाल सरकार के खातों में जमा किए गए कुछ चैकों का क्रेडिट शामिल नहीं है, क्योंकि कलकत्ता स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय के काम में अव्यवस्था होने के कारण वस्तुतः इन्हें जुलाई-अगस्त 1981 में ही भुनाया जा सका।

आयकर के बकायों की वसूली

2859 **श्री चिन्तमणि पाणिग्रह : श्री रशीद मसूद : प्रो० अजित कुमार मेहता : श्री सत्य गोपाल मिश्रा : श्री चिरंजीलाल शर्मा : श्री वी० डी० सिंह : श्री पी० के० कोडियन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1980-81 के दौरान आयकर के बकायों की वसूली में भारी कमी हुई है;

(ख) क्या आयकर के बकाया 800 करोड़ से बढ़कर 1000 करोड़ हो गया ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इतने अधिक बकायों के लिए क्या कार्यवाही करेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) केन्द्रीय कार्य-योजना में बकाया मांगों में कटौती के लक्ष्य बोर्ड द्वारा निर्धारित किये हैं। इन कार्य योजनाओं में केन्द्रीय अधिकार-क्षेत्र नहीं आते हैं। बकाया माँग की वसूली/कटौती तथा लक्ष्यों के मुकाबले वसूली के प्रतिशत-अनुपात से सम्बन्धित सूचना इस प्रकार है:—

(करोड़ रुपयों में)

वित्तीय वर्ष	बकाया माँग में से वसूली / घटौती के लिए अन्तिम लक्ष्य	वास्तविक वसूली/ घटौती	लक्ष्यों के मुकाबले वसूली का प्रतिशत-अनुपात
1980-81	449.97	359.75	79.9 प्रतिशत

(ख) बकाया के ब्योरेवार आँकड़े, प्रत्येक तिमाही के अन्त में संकलित किये जाते हैं। 31 मार्च 1981 को समाप्त तिमाही तक की सूचना अब उपलब्ध है। 'बकाया करों' तथा 6 मांग जारी की गई किन्तु देय नहीं बनी' के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना इस प्रकार है:—

(करोड़ रुपयों में)

बकाया कर	641.82
मांग जारी की गई किन्तु देय नहीं बनी	अनन्तिम 470.67

(ग) बकाया करों की वसूली तथा उगाही के प्रवर्तन के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम, 1961 में अनेक उपायों की व्यवस्था है—जैसे अर्थ दण्ड लगाना, चूककर्ताओं को प्राप्य धन का अधिग्रहण, चल सम्पत्ति की कुर्की तथा उसकी बिक्री, अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण तथा उसकी बिक्री, चूककर्ता को सिविल कारावास के हवाले करना आदि। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए, कर की बकाया की वसूली के लिए सम्बन्धित आयकर अधिकारियों द्वारा समय-समय पर समुचित उपाय किये जाते हैं। वसूली की गति को तेज करने के लिए अनेक उपाय किये गये हैं। चालू वर्ष के लिए बकाया करों की वसूली तथा उगाही को बहुत उच्च प्राथमिकता दी गई है। वर्ष 1981-82 के लिए विभाग की वार्षिक कार्य योजना में लक्ष्य निर्धारित कर दिये गये हैं यथा ये लक्ष्य आयकर आयुक्तों को सूचित कर दिये गये हैं। बोर्ड भी, प्रत्येक महीने आयकर आयुक्तों से प्राप्त होने वाली रिपोर्टों के जरिये बकाया रकमों की कटौती पर बराबर निगरानी रखता है।

विदेशों में भारतीय अफीम की मांग

2860. **श्री दौलतराम सारण** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन स्थानों पर अफीम का उत्पादन किया जाता है और इनमें से प्रत्येक स्थान में कितने-कितने क्षेत्र में अफीम की खेती होती है;

(ख) अफीम का प्रति एकड़ न्यूनतम तथा अधिकतम उत्पादन कितना है और विश्व के अन्य अफीम उत्पादक देशों के नाम क्या हैं और वहां अफीम का न्यूनतम तथा अधिकतम उत्पादन कितना होता है ;

(ग) क्या विदेशों में भारतीय अफीम की मांग कम हो रही है और विदेशों में इसकी मांग कम होने के परिणामस्वरूप देश में अफीम का कितना स्टाक जमा हो गया है; और

(घ) क्या विदेशों में अफीम की मांग कम हो जाने के कारण सरकार ने अफीम की खेती के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में कमी कर दी है और यदि हां, तो कितने क्षेत्र की कमी की गई है तथा राजस्थान में कितने ऐसे क्षेत्र में कमी की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) अफीम की पैदावार मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में की जाती है। फसल वर्ष 1980-81 के दौरान इन राज्यों में पोस्त की खेती का रकबा नीचे दिये अनुसार था :—

	(रकबा हेक्टेयर में जिस पर वस्तुत: खेती होती है)
मध्यप्रदेश	15 956
रास्थान	10,114
उत्तरप्रदेश	9,308
समस्त भारत :	15,178

(ख) अलग-अलग काश्तकारों द्वारा सरकार को दी जाने वाली अफीम की उपज की मात्रा में काफी विभिन्नता होती है। यद्यपि फसल वर्ष 1980-81 के दौरान भारत में अफीम की औसत उपज प्रति हेक्टेयर 31.835 किलोग्राम हुई है।

आजकल भारत निर्यात के लिए अफीम का एकमात्र उत्पादक है। फिर भी सूचना मिली है कि कुछेक दूसरे देश मुख्यत: ईरान और पाकिस्तान अपनी स्वदेशी जरूरतों को पूरा करने के लिए अफीम की खेती करते हैं। उपलब्ध रिपोर्टों से पता चलता है कि वर्ष 1978 में इन देशों में अफीम का उत्पादन प्रति हेक्टेयर नीचे दिये अनुसार थी:—

वर्ष	ईरान		पाकिस्तान	
	उत्पदन (किलोग्राम)	उपज प्रतिहेक्टेयर	उत्पादन किलोग्राम	उपज प्रतिहेक्टेयर
1978	158921	10.507	5084	3.631

(ग) जी, हां। दिनांक 1-8-1981 की स्थिति के अनुसार 900 गाढ़ता की अफीम का स्टाक 2651 मीटरी टन था।

(घ) : जी, हां। पोस्त की खेती का रकबा नीचे दिये गए अनुसार उत्तरोत्तर कम कर दिया गया है:—

फसल वर्ष	राजस्थान (हेक्टेयर में)	समस्त भारत (जिसमें राजस्थान भी शामिल है हेक्टेयर में)
1977-78	17,330	63.685
1978-79	14,393	52,083
1979-80	11,143	35,164
1980-81	10,114	35,578

थोक मूल्य वृद्धि की दर

2861. **श्री पलाश बर्मन** : क्या वित्त मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1956-61, 1961-65, 1965-68, 1968-73, 1973-78, और 1978-81 की अवधि के दौरान थोक विक्रय मूल्य में वृद्धि की वार्षिक दर क्या थी; और

(ख) इन अवधियों में मूल्यों में वृद्धि अथवा गिरावट के कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) : थोक मूल्य सूचकांक (1970-71 =100) में वार्षिक वृद्धि की दर निम्नलिखित :—

अवधि (वित्तीय वर्ष के आधार पर)	औसत वार्षिक वृद्धि प्रतिशत
1956-61	+6.3
1961-65	+5.1
1965-68	+11.1
1968-73	+ 4.7
1973-78	+10.3
1978-81	+11.7

कीमतें, पूर्ति और मांग दोनों पर प्रभाव डालने वाले कई कारणों से प्रभावित होती हैं। कीमतों की स्थिति को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारणों की चर्चा सरकारी प्रकाशनों जैसे कि पंचवर्षीय योजनाओं, वार्षिक आर्थिक समीक्षाओं और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई करेंसी और वित्त विधेयक वार्षिक रिपोर्ट में की गई। हाल के स्फीतिकारी दबावों के कारण संक्षेप में इस प्रकार हैं : अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रास्फीति और कच्चे तेल (क्रूड) और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि, कुछ प्रशासित कीमतों में अपरिहार्य वृद्धिकारी समायोजन, कुछ वस्तुओं की

पूर्ति में अनवरत बाधाएँ, कतिपय जमाखोरों और सट्टेबाजों द्वारा पैदा की गई बनावटी कमियां तथा अर्थव्यवस्था में विद्यमान नकदी का बाहुल्य ।

पाकिस्तान से रुई की गाँठों का आयात

2862. **श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रुई निगम ने रुई की गाँठें आयात करने के लिए पाकिस्तान के रुई निर्यात निगम के साथ कोई समझौता किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) : जी हाँ।

(ख) वस्त्र उद्योग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अभी तक पाकिस्तान से आयात के लिए मीडियम स्टेपल रुई की 49,500 गांठों के लिए संविदा की गई है । इनमें कमर एस जी 1.1/16, ईगल एस जी 1,1424 एस जी तथा 1423 एस जी किस्में शामिल हैं और इन किस्मों की कीमतें 71.81 अमरीकी सेन्ट प्रति पौंड से लेकर 66.90 सेन्ट प्रति गाँठ तक हैं ।

अफगान तस्करों द्वारा कथित तस्करी

2863. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री के० ए० राजन** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें कुछ अफगान तस्करों द्वारा, जो इस समय दिल्ली में जे० आर० बेलाग, 3-सी/3, न्यू रोहतक रोड से कार्य कर रहे हैं, तस्करी करने के सम्बन्ध में कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो आरोपों का स्वरूप क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) इस पत्र में दिल्ली में अफगान राष्ट्रिकों के अनेक गिरोह द्वारा कथित तस्करी और विदेशी मुद्रा के अवैध लेन-देन में ग्रस्त होने का उल्लेख है ।

(ग) सरकार इन आरोपों की जांच कर रही है ।

काफी बोर्ड में उचित प्रतिनिधित्व

2864. **श्री स्कारिया थामस** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि काफी बोर्ड पुनर्गठन करते समय काफी उद्योग में सम्बन्धित विभिन्न हितों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बोर्ड में नियुक्तियों के लिए कोई मानक निर्धारित किया हुआ है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) : जी नहीं।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) : जी हाँ। काफी बोर्ड में नियुक्तियाँ काफी अधिनियम, 1942 की धारा 4 (2) और काफी नियमावली, 1955 के नियम (3) में निहित उपबन्धों के अनुसार की जाती है जो नीचे उद्धृत किये जाते हैं :

काफी अधिनियम, 1942

4 (2) बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे—

(क) शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला एक अध्यक्ष;

(ख) तीन संसद सदस्य, जिनमें से दो लोकसभा द्वारा और एक राज्यसभा द्वारा चुने जाएँगे; और

(ग) 29 से अनधिक अन्य इतने सदस्य जितने केन्द्रीय सरकार द्वारा ठीक समझे जाएं; सरकार द्वारा, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना उन व्यक्तियों में से जो उसकी राय में निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करने के लिए सक्षम हो, नियुक्ति किये जाने होते हैं :—

(1) प्रमुख काफी उपजकर्ता राज्यों की सरकारें;

(2) काफी उपजकर्ता उद्योग;

(3) काफी व्यापार हित

(4) संसाधन प्रतिष्ठान

(5) श्रमिक हित;

(6) उपभोक्ताओं के हित; और

(7) ऐसे अन्य हित जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बोर्ड में प्रतिनिधित्व करने के लिए ठीक समझे जाएं।

काफी नियमावली, 1955

3. (1) बोर्ड में एक अध्यक्ष, तीन संसद और उपनियम (2) में स्वनिर्दिष्ट रूप में राज्य सरकारों तथा अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले 29 अन्य सदस्य।

(2) 29 अन्य सदस्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे :

(क) चार सदस्य, जो प्रमुख काफ़ी उपजकर्ता राज्यों की सरकारों का प्रतिनिधित्व करेंगे जिनमें से एक-एक सदस्य आन्ध्रप्रदेश; कर्नाटक; केरल तथा तमिलनाडु

में से प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा, संबंधित राज्य सरकार के साथ परामर्श करके नियुक्त किये जाएंगे;

(ख) दस सदस्य काफी उपजकर्ता उद्योग का प्रतिनिधित्व करेंगे जिनमें से पांच बड़े उपजकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करेंगे; और पांच लघु उपजकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करेंगे बशर्ते रोबस्टा उपजकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे सदस्य तीन से कम नहीं होंगे;

(ग) दो सदस्य काफी व्यापार हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे, एक सदस्य चालू प्रतिष्ठान का प्रतिनिधित्व करेगा, चार सदस्य श्रमिक हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे, पांच सदस्य उपभोक्ता हितों का प्रतितिधित्व करेंगे और अन्य तीन सदस्य उन अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे जो केन्द्रीय सरकार की राय में बोर्ड में प्रतिनिधित्व के लिए ठीक समझे जाएं।

कालाधन

2865. **श्री के० लकप्पा : श्री ए० एन० नन्जे गौडा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में काले धन की समस्या का कोई हल ढूंढने में असफल रही है; और

(ख) यदि हां, तो उद्योगपतियों और बड़े व्यापारिक घरानों से कालाधन समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) (क) तथा (ख) : काले धन के खिलाफ संघर्ष एक सतत् प्रक्रिया है तथा काले धन की वृद्धि को रोकने की लगातार और जोरदार कोशिशों का स्थानापन्न कोई एक योजना नहीं हो सकती। सरकार, काले धन की उत्पत्ति को रोकने के लिए समय-समय पर अनेक वैधानिक उपाय करती रही है। प्रशासन तथा जांच तंत्र को मजबूत करने के लिए वैधानिक उपायों को उत्तरोत्तर सशक्त बनाया गया है। जब भी आवश्यकता होगी सरकार विशिष्ट चुनौतियों से निपटने के लिए इस दिशा में आगे और भी कदम उठायेगी।

तैयार कपड़ों को यूनान में रोका जाना

2866. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 जुलाई 1981 के 'फाइनेन्सियल एक्सप्रेस' के समाचार-भारत से 1.74 लाख रुपये के तैयार कपड़ों की प्रेषित यूनान में रोकी गई की तरफ आकृष्ट किया गया है ; और

(ख) : यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) :(क) : जी, हाँ।

(ख) : यूनान के 1-1-1981 से यूरोपीय आर्थिक समुदाय में प्रवेश करने पर भारत द्वारा

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय वस्त्र करार को बढ़ाने के लिए एक संलेख पर हस्ताक्षर किये गए। भारत ने यूनान को होने वाले वस्त्र के निर्यातों की लाइसेंसिंग को 1-5-9181 से अधिकार में ले लिया जो कि अब तक उस देश द्वारा आयात नियंत्रण के अधीन थे।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय में उसके प्रवेश तथा 1-5-1981 से निर्यात लाइसेंसिंग को भारत द्वारा अधिकार में लिए जाने के बावजूद, यूनान स्वयं को इस नए प्रबन्ध के अनुकूल करने में समय ले रहा है और इसके स्थान पर प्रवेश से पहले की क्रियाविधि का अनुकरण कर रहा है। सिले मिलाए परिधानों की कुछ खेपें यूनान पत्तन पर रोक लिए जाने की सूचना मिली थी जिसका मुख्य कारण यह था कि यूनान का सीमा शुल्क विभाग भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय वस्त्र करार में दी गई नई क्रियाविधि से परिचित न था। सरकार ने यूनान के लिए भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय करार को बढ़ाने सम्बन्धी संलेख की शर्तों के अनुसार इन रोकी गई खेपों को क्लीयर करने के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा यूनान के अधिकारियों के साथ इस मसले को उठाया है।

सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतनमानों में एकरूपता

2867 **श्री एन० ई० होरो:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के सभी उत्पादन और सेवा यूनिटों के कर्मचारियों के वेतनमानों में एकरूपता लाने को इच्छुक है ; और

(ख) यदि हाँ, तो विभिन्न संगठनों के वेतनमानों की असमानताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौर क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया)

(क) और (ख) : सरकारी क्षेत्र से उद्योगों के प्रबन्धक अपने श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों से बातचीत करते समय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट मंजूरी नीति के व्यापक प्राचलों को ध्यान में रखते हैं। वेतन ढांचे में कोई परिवर्तन करने के लिए सरकार की स्वीकृति लेना आवश्यक है। चूंकि उद्यम की स्थिति और काम के स्वरूप के आधार पर उसके काम के हालात में भारी भिन्नता पाई जाती है, अतः मंजूरी परिशोधन प्रस्तावों पर स्वीकृति देते समय अनौचित्यपूर्ण असमानताओं को समाप्त करने और वेतन ढाँचे को युक्तिसंगत बनाने के लिए पूर्ण सावधानी बरती जाती है। यह प्रयास किया जाता है कि एकरूपता लाने की बजाए असमानताओं में कमी की जाए।

बर्नपुर में "इस्को" से मर्करी लैम्पों का गायब होना

2868 **श्री आनन्द पाठक :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्नपुर में जहां "इस्को" का निरन्तर काम चल रहा है, प्रतिदिन मर्करी लैम्प गायब हो रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को यह पता है कि दुर्घटनाओं को टालने के लिए ये लैम्प आवश्यक हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच कराई है, और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :(क) : जी, नहीं।

(ख) : जी, हां।

(ग) : और (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

गोला और नारियल के तेल का आयात

2879. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान भारत में कितनी मात्रा में गोला और नारियल के तेल का आयात किया गया;

(ख) पिछले छः महीने के दौरान उसकी कितनी मात्रा का आयात किया गया है;

(ग) आयात के समय नारियल का मूल्य क्या था और इस समय मूल्य क्या है ;

(घ) क्या इस समय केरल के नारियल उत्पादकों को इस फसल के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त हो रहा है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके लिए क्या निदानात्मक उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) : इस अवधि के आयात आंकड़ों को अभी संकलित नहीं किया गया है। जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) : 1981 में कोचिन बाजार में नारियल की कीमत (छिलके सहित) प्रति 1000 रु० बताई गई थी जबकि छः महीने पहले फरवरी 1981 में 1350 रु० थी और जनवरी, 1980 में 1150 रु० थी।

(घ) : इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा हाल में कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि ऊपर बताई गई कीमतों से नारियल के उपजकर्ताओं के लिए प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न नहीं होती।

(ङ) : प्रश्न नहीं उठता।

"ब्लैक मार्केट इन एयर टिकट्स" शीर्षक समाचार

2870 **श्री मुकुन्द मंडल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 26 मई, 1981 के "स्टेट्समैन" के कलकत्ता संस्करण में "ब्लैक मार्केट इन एयर टिकट्स" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा): (क) : जी, हां।

(ख) : यह समाचार दमदम विमान क्षेत्र पर अत्यधिक भीड़-भाड़ तथा एयर इण्डिया में ब्लैक मार्केटिंग के बारे में था।

(ग) : दमदम विमान क्षेत्र पर भीड़-भाड़ को कम करने के लिए इस मामले को कलकत्ता स्थित इण्डियन एयरलाइन्स के क्षेत्रीय अधिकारियों तथा यात्रियों की निकासी से सम्बन्धित सरकारी एजेंसियों के माध्यम से उठाया गया है।

जहां तक टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग का संबंध है, जब शिकायतकर्ता से सम्पर्क किया गया तो यह कोई पक्का सबूत प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं था। तथापि, यह पता चला है कि इण्डियन एयरलाइन्स के किसी कर्मचारी का इस विशेष मामले में सीधे हाथ नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि यात्री अपनी उत्सुकता एवं जल्दबाजी की वजह से कुछ ऐसे अनैतिक बाहरी तत्वों का शिकार हो गए, जिन्होंने परिस्थिति का फायदा उठाया। तथापि इण्डियन एयर लाइन्स के क्षेत्रीय प्राधिकारी स्थानीय सी. बी. आई. के सहयोग से ऐसे गुप्त क्रियाकलापों का पता लगाने तथा इनके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के लिए उपयुक्त उपचारी उपाय कर रहे हैं।

बिहार और उत्तर प्रदेश में डेरी उद्योग को बैंक द्वारा ऋण दिया जाना

2871. **श्री त्रिलोक चंद : श्री शिवशरण वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में डेरी उद्योग को बैंकों द्वारा ऋण नहीं दिए जा रहे हैं; जबकि डेरी उद्योग कृषि की वरीयता सूची में है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पटना की एक मशहूर डेरी फार्म को ऋण देने का मामला भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के मुख्यालयों में पिछले तीन वर्षों में लंबित पड़ा है जिसके परिणामस्वरूप हजारों किसानों को भारी हानि उठानी पड़ रही है और फैक्ट्री भी बंद होने की अवस्था में है, और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में शीघ्र ही क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट): (क) कृषि, जिसमें डेयरी विकास शामिल है तथा लघु उद्योग, जिसमें डेरी उद्योग शामिल है, लघु उद्योग की परिभाषा की परिधि में आते हैं। इसलिए बैंक वित्त के प्रयोजन के वास्ते प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में शामिल किये जाते हैं। तदनुसार बैंक इन क्षेत्रों को बराबर सहायता दे रहे हैं। यह कहना सही नहीं है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में डेरी विकास के लिए बैंकों द्वारा ऋण नहीं दिये जा रहे हैं।

(ख) और (ग) : पटना की डेरी फार्म से आशय सम्भवतः मेसर्स पटना पालसन प्राइवेट लिमिटेड से है। वित्तपोषण के प्रस्ताव में जिस पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पहले विचार किया गया था, मौजूदा रूग्ण बन्द पड़े एकक के एक पक्ष से दूसरे पक्ष द्वारा अधिग्रहण के लिए पूल रूप

से वित्तीय सहायता शामिल थी तथा प्रस्तावित सहायता के एक बड़े भाग का प्रयोग खरीद के भुगतान के वास्ते होना था। क्योंकि बैंकों की सावधि ऋण योजना में ऐसे प्रयोजनों का वित्त-पोषण शामिल नहीं होता और प्रवर्तकों (प्रोमोटर्स) से आशा की जाती है कि वे अपने संसाधनों में से खरीदारी को पूरा करेंगे। अत: वह प्रस्ताव भारतीय स्टेट बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। इस प्रस्ताव पर पंजाब नेशनल बैंक द्वारा भी विचार किया गया था, जिसने एकक को अपने पिछले बैंकर्स से "बेबाकी प्रमाणपत्र" लाने को कहा था। ऐसे प्रमाणपत्र की अनुस्थिति में पंजाब नेशनल बैंक इस मामले को अन्तिम रूप नहीं दे सका है।

इण्डियन एयरलाइन्स में कम्प्यूटर आरक्षण प्रणाली का अभाव

2872. **श्री बागुन सुम्बरुई** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा प्रतिदिन कितने यात्री लाए ले जाए जाते हैं;

(ख) अगले वर्ष आगामी एशियाई खेलों के दौरान और उससे पहले इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा लाये ले जाने वाले यात्रियों की संख्या कितनी होने का अनुमान है।

(ग) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स के पास पर्याप्त कम्प्यूटर आरक्षण प्रणाली की व्यवस्था नहीं है। जिसके परिणामस्वरूप एक ही यात्री के एक से अधिक बार नाम लिख दिये जाते हैं और इससे लाभ में कमी होती है;

(घ) क्या यह सच है कि कम्प्यूटर आरक्षण प्रणाली लगाए जाने का प्रस्ताव पिछले लगभग दस वर्षों से सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा): (क) : इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा अप्रैल से जुलाई, 1981 तक की अवधि के दौरान वाहित यात्रियों की औसत संख्या प्रतिदिन 16,500 से अधिक थी।

(ख) लगभग 20,000 प्रतिदिन।

(ग) से (ङ) इण्डियन इयरलाइन्स के पास एक कुशल कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली नहीं है। आरम्भ में इण्डियन एयरलाइन्स की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एयर इण्डिया के पास उपलब्ध कम्प्यूटर की क्षमता में वृद्धि करने का प्रस्ताव था परन्तु इस प्रस्ताव को तकनीकी कारणों की वजह से छोड़ दिया गया। अकेले इण्डियन एयरलाइन्स के लिए एक पृथक कम्प्यूटर प्रणाली का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी विवरण अधिनियम अथवा सीमा शुल्क अधिनियम के उल्लंघन के लिए की गई गिरफ्तारियां

2873. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम अथवा सीमा शुल्क अधिनियम के उल्लंघन के लिए देश में प्रवेश करने के प्रत्येक वैध स्थानों में 1977, 1978, 1979,

1980 और 1981 (25-8-81 तक) कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया/दण्ड दिया गया (अलग-अलग संख्या बताएं), उक्त कैलेण्डर वर्षों के दौरान इन स्थानों पर कितनी राशि (मुद्रा), अवैध सामान और अन्य सामान पकड़ा गया; और

(ख) सरकार द्वारा इस प्रकार के उल्लंघन को रोकने और इस बुराई को समाप्त करने के लिए समय-समय पर क्या कदम उठाए गये हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) वर्ष 1977 से 1981 (जून तक) जिसके सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं (तक की अवधि के दौरान, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़े गए तस्करी के माल (जिसमें मुद्रा भी शामिल है।) का कुल मूल्य, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन गिरफ्तार किये गए तथा सजा दिलवाए गये व्यक्तियों की संख्या, और विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत नजर-बन्द किये गए व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित है :

वर्ष	पकड़े गये माल का मूल्य (करोड़ रु. में)	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	सजा दिलवाए गए व्यक्तियों की सं0	विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अन्तर्गत नजर-बन्द किए गये व्यक्तियों की संख्या
1977	29.94	1841	1034	305
1978	30.94	1810	1005	234
1979	40.42	1788	1086	224
1980	52.84	1878	783	298
1981 (जून तक)	17.87	1064	390	129

(ख) बीस सूत्री कार्यक्रम के अनुसरण में, तस्करी को रोकने के लिए सरकार ने एक कार्य-योजना बनाई थी। जो उपाय किए गए हैं, उनमें विशेष रूप से तस्करी के लिए सुगम्य-क्षेत्रों तथा तस्करी आकर्षण वाली वस्तुओं के संदर्भ में निवारक और गुप्तसूचना तंत्र को सुदृढ़ बनाया जाना भी शामिल है।

कार्य-योजना लागू करने से प्राप्त होने वाले परिणामों की सरकार समय-समय पर समीक्षा तथा मूल्यांकन करती है ताकि आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जा सकें।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय

2874. **श्री चिरजी लाल शर्मा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के मुख्यालय को हैदराबाद में रखे जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) : राष्ट्रीय खनिज विकास निगम मुख्य रूप से लौह-अयस्क के उत्पादन के बारे में है। मध्य प्रदेश लौह-अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य नहीं है।

(ख) : राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय हैदराबाद में है, जो पहुंच, संचार और परिचालन-नियंत्रण की दृष्टि से केंन्द्रीय स्थान है और जहां से मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि में निगम की गतिविधियों पर आसानी से नजर रखी जा सकती है।

भारत से अयस्क प्राप्त करने में नाइजीरियां की रुचि

2875 **श्री जगदीश टाईटलर :** क्या वाणिज्य मंत्री क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नाईजीरिया की सरकार ने अपनी इस्पात कम्पनी के लिए भारत से अयस्क प्राप्त करने में रुचि दिखाई है;

(ख) क्या भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई द्विपक्षीय करार किया है; और

(ग) यदि हां, तो करार का ब्यौरा क्या है

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) : जुलाई 28-30-1981 के दौरान नई दिल्ली में भारत-नाईजीरिया संयुक्त आयोग के प्रथम सत्र में भारत की ओर से यह कहा गया था कि देश लौह अयस्क का उत्पादक एवं निर्यातक है और वह नाईजीरिया को उसके स्टील संयंत्रों के लिए अयस्क की पूर्ति करने की स्थिति में है। नाइजीरिया ने भारत की रुचि को नोट किया। भारत सरकार ने अभी तक नाईजीरिया के साथ कोई द्विपक्षीय करार नहीं किया है।

उत्तर प्रदेश में पोस्त के खेती के लिए लाइसेंस दिया जाना

2876. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में जिलावार ऐसे किसानों की संख्या कितनी है जिन्हें वर्ष 1970-71 से 1979-80 के दौरान पोस्त की खेती के लिए लाइसेन्स दिया गया था और कितनी क्षेत्रफल भूमि के लिए लाइसेंस जारी किये गए थे,

(ख) पोस्त के उत्पादकों की सख्या में कमी होने के क्या कारण हैं और इन वर्षों में वर्षवार, पोस्त की खेती कितनी क्षेत्रफल भूमि में की गई।

(ग) क्या सभी जिलों में समान क्षेत्रों के लिए पोस्त की खेती करने के लिये लाइसेन्स नहीं दिए गए थे और यदि हां तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) आवेदन करने वाले सभी व्यक्तियों को लाइसेन्स जारी करने में क्या कठिनाई हैं;

(ङ) क्या पिछले अनेक वर्षों के दौरान पोस्त की खेती को बहुत नुकसान पहुँचा है और सम्बन्धित अधिकारियों ने इस नुकसान का आकलन बहुत विलम्ब से किया है; और

(च) क्या नुकसान के बारे में राजस्व विभाग की रिपोर्ट अस्वीकृत कर दी गई थी और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) : मांगी गई सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान पोस्त की काश्त के रकबे तथा लाइसेन्स शुदा काश्तकारों की संख्या को कम करने का मुख्य कारण अफीम के निर्यात में आई गिरावट और सरकार के पास अफीम का बहुत बड़ा भंडार जमा हो जाना था।

(ग) पोस्त की काश्त हेतु लाइसेन्स, संगत वर्ष के लिए बनाए गए लाइसेन्स जारी करने सम्बन्धी सिद्धांतों के अनुसार जारी किये जाते हैं। ये लाइसैन्स सभी जिलों में एक ही जैसे रकबे के लिए नहीं दिये जाते हैं।

(घ) पिछले तीन सालों के दौरान पोस्त की काश्त के क्षेत्र को कम कर दिए जाने के कारण पोस्त की काश्त हेतु लाइसेन्स उन सभी काश्तकारों को नहीं दिये जाते हैं, जो उसके लिए आवेदन करते हैं।

(ङ) सरकार को मिली रिपोर्टों से यह पता चला है कि फसल वर्ष 1977-78, 1979-80 और 1980-81 के दौरान उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में पोस्त की फसल को वर्षा और ओला वृष्टि से क्षति पहुँची थी। परन्तु फसल को हुई क्षति का अन्दाजा लगाने में कोई अनावश्यक बिलम्ब नहीं हुआ था।

(च) जी, हां। नारकोटिक्स विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों ने स्वयं प्रभावित क्षेत्रों के काश्तकारों को राहत पहुंचाने के प्रयोजन से, उक्त क्षति का अनुमान लगाने के लिए विस्तार से अध्ययन किया था।

विवरण

वर्ष	फैजाबाद		गाजीपुर		आजमगढ़		बस्ती		गोंडा		बाराबंकी	
	काश्त-कारों की सं०	लाइसेंस शुदा रकबा	काश्त-कारों की सं०	लाइसेंस शुदा रकबा	काश्त-कारों की सं०	लाइसेंस शुदा रकबा	काश्त-कारों की सं०	लाइसेंस शुदा रकबा	काश्त-कारों की सं०	लाइसेंस शुदा रकबा	काश्त-कारों की सं०	लाइसेंस शुदा रकबा
1970-71	6673	862.15	3806	601.75	1728	209.50	2039	223.95	1632	152.40	3989	7005.66
1971-72	3384	456.42	3531	575.93	2195	284.23	453	42.83	547	45.01	32490	5650.50
1972-73	2438	358.28	2434	385.85	430	62.07	—	—	—	—	30018	5787.75
1973-74	4434	581.37	2763	432.50	539	71.96	—	—	—	—	42244	7949.39
1974-75	4041	543.64	2857	457.75	494	68.94	—	—	—	—	38723	7337.10
1975-76	4921	609.85	1310	234.69	1048	119.80	—	—	—	—	34877	7132.83
1976-77	3226	482.95	936	226.25	1069	142.25	668	82.95	1495	154.48	36621	7584.20
1977-78	4128	549.80	1644	270.80	1305	118.20	8812	87.30	1488	152.25	38436	8773.95
1978-79	2802	365.80	1323	205.55	443	55.25	—	—	—	—	34070	7074.75
1979-80	2101	280.10	998	150.60	192	25.25	—	—	—	—	29928	5882.55

वर्ष	लखनऊ		रायबरेली		शाहजहांपुर		बरेली		बदायूं	
	काश्त-कारों की सं०	लाइसेंस शुदा रकबा	काश्त-कारों की सं०	लाइसेंस शुदा रकबा	काश्त-कारों की सं०	लाइसेंस शुदा रकबा	काश्त-कारों की सं०	लाइसेंस शुदा रकबा	काश्त-कारों की सं०	लाइसेंस शुदा रकबा
1970-71	1166	277.25	1224	195.45	—	—	—	—	—	—
1971-72	2818	521.45	2426	390.00	2648	378.55	17281	3260.58	—	—
1972-73	1620	314.95	793	147.40	4125	552.80	15358	2477·75	—	—
1973-74	3552	521.30	1578	271.00	9271	1142.60	23449	3534.26	—	—
1974-75	3041	584.50	973	175.75	8238	1034.94	17149	2930.93	—	—
1975-76	3811	729.75	1151	200.25	8014	1218·70	15543	3305.12	11825	·2133.49
1976-77	3719	781.80	1073	192.75	6570	1287.84	12445	3541.63	15461	2657.69
1977-78	4201	1055.60	1118	194.60	7891	1615.11	13352	3999.98	13579	3218.80
1978-79	3727	329.35	944	150.50	4975	944·10	12794	31>7.20	9685	2179.77
1979-80	2750	566.20	778	122.80	4106	735·20	10393	2393.60	7863	1697.60

ग्रुप "ख" आय कर अधिकारियों को ग्रुप "क" में बदला जाना

2877. श्री मूलचन्द डागा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारियों के ग्रुप 'ख' के 400 पदों को इस बीच ग्रुप 'क' में परिवर्तित कर दिया गया है अथवा नहीं;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और यह परिवर्तन जल्दी करने तथा पदों को केवल आयकर अधिकारियों के ग्रुप 'ख' से भरने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) उपर्युक्त पदों को कब तक परिवर्तित करने तथा भरे जाने की सम्भावना है;

(घ) क्या इन पदों को भरने में होने वाले बिलम्ब से आल इण्डिया फेडरेशन आफ इनकम टैक्स गजटेड सर्विसेज एसोसिएशन्ज के सदस्यों में बहुत असन्तोष व्याप्त है; और

(ङ) ग्रुप 'ख' के उन आयकर अधिकारियों की संख्या कितनी है जो पहले ही ग्रुप 'क' में पदोन्नति के हकदार हो चुके हैं परन्तु 400 पदों में उनकी अभी भी पदोन्नति नहीं हो सकेगी तथा ग्रुप 'ख' में उनकी सेवा की अवधि कितनी है और पदोन्नति के योग्य शेष अधिकारियों की पदोन्नति के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है तथा इस कार्य को कब तक किया जाना संभव होगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) : समूह 'ख' के आयकर अधिकारियों के 400 पदों को समूह 'क' में परिवर्तित करने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। उक्त प्रस्ताव का सम्बन्ध केवल समूह 'ख' के पदों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें समूह 'क' के पदों में बदलने से ही नहीं है बल्कि पदों को भरने के तरीके तथा पदोन्नति पर अधिकारियों का वरिष्ठताक्रम निश्चित करने से भी है। इन प्रश्नों पर, जिन्हें अन्य विभागों और संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके तय किया जाना है, शीघ्र ही निर्णय किये जाने की सम्भावना है।

(घ) : आयकर राजपत्रित सेवा संगठनों के महासंघ ने प्रस्ताव पर शीघ्र कार्यवाही करने के लिए सरकार को लिखा है।

(ङ) : जो आयकर अधिकारी (समूह 'ख') इस ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा कर चुके हैं, वे आयकर अधिकारी (समूह 'क') के पदों पर पदोन्नति पाने के पात्र हो जाते हैं। परन्तु, यह पात्रता उन्हें स्वतः पदोन्नति के लिये हकदार नहीं बनाती क्योंकि पदोन्नतियां, समूह 'क' में उपलब्ध रिक्त पदों की संख्या के आधार पर की जाती हैं। आयकर अधिकारियों (समूह 'ख') के ग्रेड में लगभग 1400 अधिकारी हैं जिन्होंने पदोन्नति के लिए पात्र बनने के लिए अपेक्षित सेवा-अवधि पूरी कर ली है। समूह 'ख' के 400 पदों को बदलने का उपर्युक्त प्रस्ताव उनके पदोन्नति के अवसरों में सुधार लाने के लिये ही विचारार्थ लिया गया है। यह बताना संभव नहीं है कि पदोन्नति के लिये पात्र बनने के पश्चात किसी अधिकारी को कितनी जल्दी पदोन्नति मिलेगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मालदा जिले में शाखाएं खोलना

2878. **श्री सुबोध सेन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान पश्चिमी बंगाल के मालदा जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितनी बैंक शाखाएं खोली गई हैं;

(ख) क्या बैंक शाखायें खोलने में रिजर्व बैंक की नीति का पालन किया गया है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) : जनवरी, 1980 से अप्रैल 1981 तक की अवधि में पश्चिम बंगाल के मालदा जिला में 25 बैंक कार्यालय खोले गए थे। ये सभी कार्यालय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों समेत सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा खोले गए थे।

(ख) और (ग) : भारतीय रिजर्व बैंक की 1979-81 (कैलेंडर वर्ष) की शाखा लाइसेंसिंग नीति के अनुसार कम बैंक वाले जिलों के बैंक रहित ग्रामीण/अर्ध शहरी केन्द्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार की सुनिश्चित व्यवस्था करना आवश्यक है ताकि ग्रामीण/अर्ध शहरी क्षेत्रों में प्रति 20000 लोगों के लिए एक बैंक के हिसाब से औसत बैंकिंग व्याप्ति की व्यवस्था की जा सके। इस मानदण्ड के अनुसार मालदा जिले में 81 ग्रामीण/अर्ध शहरी शाखाओं की व्यवस्था करनी होगी। अप्रैल, 1981 के अन्त की स्थिति के अनुसार, मालदा जिले में 62 ग्रामीण/अर्ध शहरी शाखाएं कार्यरत थीं। उक्त तारीख की स्थिति के अनुसार, इस जिले में कार्यालय खोलने के लिए बैंकों के पास 25 लाइसेंस/प्रावंटन पत्र थे।

कोटा वापस करने के लिए विद्यमान मार्गदर्शी सिद्धांतों में संशोधन

2879. **श्री मोहम्मद इस्माईल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि सिले हुए कपड़ों के निर्यात के सम्बन्ध में 6 पास्ट परफोर्मेंस कोटा सेल प्राइज' में वृद्धि एक चिन्ताजनक बात है जिस पर 'ए पी सी' अब तक नियंत्रण करने में असफल रहा है और जिसके परिणामस्वरूप ये कोटे कुछ शक्तिशाली निर्यातकों के पास इकट्ठे हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो कोटा वापस करने के सम्बन्ध में विद्यमान मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन के लिए क्या कार्यवाही की गई है जिससे 6 जून, 1981 के बाद निर्यातकों द्वारा वापस किए गए 'पास्ट परफोर्मेंस कोटा' तथा ठेका आरक्षण (कान्ट्रेक्ट रिजर्वेशन) ऐसी शर्त बन जाए कि आगामी वर्ष उन्हें ठेका आरक्षण और 6 पास्ट परफोर्मेंस कोटा' न मिल सके ?

वाणिज्य मंमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) : 1981 की परिधान कोटा संवितरण नीति के अनुसार कुछ प्रतिबन्धों व शर्तों के अधीन गत निष्पादन कोटे पंजीकृत निर्यातकों को अन्तरित किये जा सकते हैं। अन्तरणों की शर्तें सम्बन्धित निर्यातकों के बीच आपस में तय की जाती हैं। अतः सरकार को गत निष्पादन कोटों की बिक्री कीमतों में वृद्धि या शक्तिशाली निर्यातकों के पास कोटे इकट्ठे हो जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

वर्ष 1982 की नीति में जिसकी घोषणा पहले ही की जा चुकी है, ऐसी व्यवस्था नहीं है कि यदि निर्यातक 6-6-1981 तक अपने गत निष्पादन कोटे या ठेका आरक्षण कोटे का इस्तेमाल नहीं कर पाये हैं तो उन्हें 1982 के दौरान गत निष्पादन कोटे या ठेका आरक्षण कोटे के आवंटन से वंचित कर दिया जाये। गत निष्पादन कोटों/ठेका आरक्षण कोटों के इस्तेमाल न करने के मामले में नीति में कठोर दण्डों की व्यवस्था है।

आयात करने वाले देशों द्वारा लौटाया गया निर्यातित चावल

2880. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष बड़ी मात्रा में अच्छे किस्म का चावल निर्यात किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि कुछ माह पूर्व आयात करने वाले देशों ने भारत द्वारा निर्यात किये गये चावल को इस कारण लौटा दिया था कि वह खराब किस्म का था; और

(ग) यदि हाँ, तो इन देशों द्वारा कितनी मात्रा में चावल भारत को लौटाया गया और उससे कितनी हानि हुई ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) : बासमती चावल का निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस पर है। गैर-बासमती चावल के निर्यात भारतीय खाद्य निगम/राज्य व्यापार निगम के माध्यम से करने की अनुमति है।

(ख) तथा (ग) : ऐसा कोई मामला जानकारी में नहीं आया है। बासमती चावल के निर्यात अनिवार्य क्वालिटी नियंत्रण निरीक्षण के अधीन है।

गैर-सरकारी वित्तीय कम्पनियों का अधिग्रहण

2881. **श्री जार्ज फर्नाण्डीज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी वित्तीय कम्पनियों के अधिग्रहण का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा इन कम्पनियों के कथित अधिग्रहण की आशंका को लेकर स्टाक बाजारों में व्याप्त आतंक के बारे में सरकार को जानकारी है ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) इस समय कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कुछ समाचारपत्रों में प्रकाशित यह रिपोर्ट कि सरकार प्रमुख गैर-सरकारी वित्तीय कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने का विचार कर रही है, भ्रमपूर्ण तथा बे-बुनियाद थी।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियमन के अन्तर्गत गिरफ्तारियां

2882. **श्री सुभाष यादव** :

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कम राशि अथवा अधिक राशि के बीजक बनाने सम्बन्धी उल्लंघन करने पर व्यक्तियों को गिरफ्तार करना विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम प्राधिकारियों के लिए प्रथागत है।

(ख) क्या निर्यात के बारे में स्पष्टीकरण मांगे बिना भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में और किन कारणों वश; और

(घ) कम राशि अथवा अधिक राशि के बीजक बनाये जाने के कारण विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम प्राधिकारियों द्वारा अब तक कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) : विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1971 की धारा 15 के अनुसार, "यदि केन्द्रीय सरकार के सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा इस आशय के लिए प्राधिकृत प्रवर्तन विभाग के किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण मौजूद हो कि भारत में अथवा भारतीय सीमा शुल्क सम्बन्धी समुद्री क्षेत्र (इण्डियन कस्टम्स वाटर्स) के भीतर कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय किसी अपराध का दोषी है तो वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और वह उस व्यक्ति को इस प्रकार गिरफ्तार किए जाने के कारण, यथासंभव शीघ्र सूचित करेगा।" केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना द्वारा, प्रवर्तन विभाग का प्रत्येक अधिकारी जो प्रवर्तन-अधिकारी के ओहदे से नीचे के ओहदे का नहीं हो, उक्त धारा में विनिर्दिष्ट सभी शक्तियों का प्रयोग करने और कर्त्तव्यों को पूरा करने का प्राधिकार रखता है।

एतदनुसार, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तारियाँ करने में उपर्युक्त धारा के उपबन्धों का पालन किया जाता है।

जिन आयातकर्ताओं और निर्यातकर्ताओं ने न्यून-बीजकांकन अथवा अधि-बीजकांकन के परिणामत: विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया हो, उनके मामले में वही कार्यविधि अपनाई जाती है जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है।

(घ) : प्रश्न में मांगी गई सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। सूचना एकत्र करने और उसे संकलित करने में जो समय और श्रम लगेगा वह उससे प्राप्त होने वाले परिणाम के मुकाबले कहीं अधिक होगा। लेकिन, यदि माननीय सदस्य किसी विशेष मामले/मामलों का उल्लेख करते हैं तो उसके/उनके सम्बन्ध में सूचना एकत्र करके प्रस्तुत कर दी जायेगी।

केरल के वायानाड जिले में खनिज संसाधन

2883. **श्री ए० नीला लोहियादसन नाडा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने केरल के खासतौर पर नए बने वायानाड जिले के खनिज संसाधनों की जांच की है;

(ख) क्या यह सच है कि 1885 से 1905 के दौरान ब्रिटिश खनन कंपनियों द्वारा अनेक स्थानों पर सोना प्राप्त किया जा रहा था; और

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था के भूतपूर्व महानिदेशक डा० एम० एस० कृष्णन जैसे प्रमुख भू-विज्ञानिकों ने वायनाड में सल्फर युक्त पाइरेट के भारी भंडार होने की बात कही थी ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) : जी, हाँ। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी० एस० आई०) ने वायनाड जिले सहित केरल में खनिजों की खोज की है।

(ख) : जी हाँ।

(ग) : यह सही है कि जी० एस० आई० के एक भूतपूर्व महानिदेशक श्री एम० एस० कृष्णन और केरल में जैसे वायनाड गोल्ड फील्ड में पाइराइट होने की बात अवश्य कही है लेकिन इस क्षेत्र में पाइराइट के कोई महत्वपूर्ण निक्षेप नहीं पाए गए है।

छपरा के लिए विमान सेवाएं

2884. **प्रो० सत्यदेव सिंह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में छपरा के लिए विमान सेवाएं शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) : जी, नहीं।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता।

(ग) : छपरा में विमान सेवाओं के परिचालन के लिए कोई उपयुक्त हवाई पट्टी नहीं है।

केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा विमान किराये में आर्थिक सहायता दिया जाना

2885. **श्री पी० नामग्याल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कौन-कौन से हवाई जहाज मार्गों के किरायों में केन्द्रीय/राज्य सरकारें सहायता देती है;

(ख) देश में चल रहे इण्डिया एयरलाइन्स के श्रीनगर-लेह और चंडीगढ़-लेह मार्गों के अतिरिक्त अन्य मार्गों पर प्रति हवाई मील या प्रति घण्टा उड़ान का औसतन विमान किराया कितना है;

(ग) इण्डियन एयरलाइन्स के श्रीनगर-लेह और चंडीगढ़-लेह मार्ग पर प्रति हवाई मील या प्रति घण्टा उड़ान का औसतन विमान किराया कितना है;

(घ) ईंधन की लागत, प्रचालन लागत, अधिक ऊंचाई होने के कारण अतिरिक्त खर्च के संबंध में परिकलन से संबद्ध विस्तृत ब्यौरा तथा अन्य ऐसे ब्यौरा क्या हैं जिस पर श्रीनगर-लेह, चंडीगढ़-लेह सेवा का किराया आधारित है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार 10 प्रतिशत राउंड ट्रिप रियायत के बावजूद इस क्षेत्र की जनता द्वारा लगातार की जा रही मांग को देखते हुए लेह की उड़ानों का विमान किराया कम करने का है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ङ) : सामग्री एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विशेष धारक बाण्डों के माध्यम से काले धन को एकत्र करना

2886. **श्री चित्त बसु:**

श्री दया राम शाक्य :

श्री एम० रमन्ना राय :

श्री कुंवर राम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में विशेष धारक बाण्डों के माध्यम से कितना काला धन एकत्र किया जाने का अनुमान था;

(ख) अब वास्तव में कुल कितना काला धन एकत्र किया गया; और

(ग) काला धन एकत्र करने की रफ्तार बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) : चालू वित्तीय वर्ष में, धारक बन्ध-पत्रों की बिक्री से होने वाली प्राप्तियों का अनुमान 800 करोड़ रुपये नियत किया गया था।

(ख) : 30 अप्रैल 1981 को जब बन्ध-पत्रों की बिक्री की गई थी, कारोबार के सामाप्त होने तक 3,85,59,70,000 रु० मूल्य के बन्ध-पत्र बेचे गये थे।

(ग) कर अपवंचन से निपटने के लिये अन्य उपायों के मामले में कानून के अनुसार सक्रिय रूप से कार्यवाही की जायगी।

अलाय स्टील प्लान्ट, दुर्गापुर में दूसरे चरण का विस्तार

2887. **श्री कृष्ण चन्द्र हल्दर** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या इस्पात मंत्रालय ने अलाय स्टील प्लांट, दुर्गापुर में दूसरे चरण का विस्तार कार्य और वेक्यूस रिफाइनिंग तकनालाजी के उपयोग द्वारा इस्पात निर्माण की प्रक्रिया को आधुनिक बनाने का कार्य और इस संयंत्र की उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 2,70,000 टन करने के

लिए कास्ट प्रक्रिया अपनाने का काम हाथ में लिया हैं और क्या सरकार ब्लूमिंग तथा बिल्लेट मिल की बेकार पड़ी अन्तःनिर्मित (इन बिल्ट) क्षमता का उपयोग करने के लिए उचित उपाय किया है;

(ख) : क्या शीट मिल, हाट स्ट्राइप मिल तथा कोल्ड मिल को आधुनिक बढ़ाकर 60,000 टन स्टील शीट और प्लेट प्रतिवर्ष बनाने और छड़ों तथा शलाकाओं के निर्माण को बढ़ाने के लिए आर्बिग मिल की स्थापना करने के लिए कदम उठाये हैं ।

(ग) : क्या सरकार "सीमा-लेस" ट्यूब मिल स्थापित कर रही है; और

(घ) : क्या सरकार का दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का विस्तार करने का कोई कार्यक्रम है; यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और कैप्टिव पावर प्लांट का निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) : सरकार ने दुर्गापुर के मिश्र इस्पात कारखाने के विस्तार के दूसरे चरण को स्वीकृति दे दी है । इससे इसका द्रव इस्पात का वार्षिक उत्पादन बढ़कर 2,60,000 टन हो जायेगा । इस पर 65.98 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है । इस विस्तार कार्यक्रम में वेक्यूम रिफाइनिंग तथा निरन्तर ढलाई प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जायेगा और ब्लूमिंग तथा बिलेट मिल की अन्तर्निहित क्षमता का भी बेहतर उपयोग हो सकेगा ।

(ख) : प्रतिवर्ष 60,000 टन इस्पात की चादरों तथा प्लेटों का उत्पादन करने के लिए कोल्ड स्ट्रिप मिल के साथ हॉट स्ट्रिप मिल लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

अभी हाल ही में 2,000 टन की प्रेस का वाटर हाइड्रोलिक प्रणाली से आयल हाइड्रोलिक प्रणाली में बदलने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो गया है । इससे प्रेस का अधिक उपयोग हो सकेगा और उत्पादन की लागत में कमी होगी । फोर्ज शॉप का आधुनिककरण करने का और कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) : इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(घ) : अभी हाल ही से सरकार को दुर्गापुर इस्पात कारखाने का आधुनिककरण तथा विकास करने के लिए स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० (सेल) से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । प्रस्ताव में दुर्गापुर इस्पात कारखाने का लोहा बनाने के क्षेत्र तक आधुनिकरण करने तथा सहायक सुविधाओं सहित एक अतिरिक्त धमन भट्ठी लगाने की परिकल्पना की गई है । इस परियोजना पर 900 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है जिसमें वर्तमान इकाइयों की पूंजीगत मरम्मत प्रतिस्थापन आदि शामिल नहीं हैं । इन कार्यों पर 236 करोड़ रुपए लागत आने का अनुमान है ।

सेल ने सूचित किया है कि रक्षित बिजली संयंत्र के अब सितम्बर, 1983 में पूरा होने की संभावना है ।

मुद्रा-स्फीति की दर

2888. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक के अनुसार 1980-81 के लिए मुद्रा-स्फीति दर, 24 प्रतिशत है जो 1973-74 और 1974-75 से अधिक है;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि वर्ष 1977-78 और 1978-79 में मुद्रा-स्फीति की दर केवल 2 प्रतिशत थी; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और बिना भय के मुद्रा-स्फ़ीति को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामण) : (क) : यह स्पष्ट नहीं है कि प्रश्न में भारतीय रिजर्व बैंक के किन आंकड़ों का उल्लेख किया गया है। कीमतों में हुई अल्पवधिक घटबढ़ के परिवीक्षण (मानीटरिंग) के लिए बिन्दु-प्रति-बिन्दु आधार पर मुदास्फीति की दर अधिक संगत है। इस आधार पर, थोक मूल्य सूचकांक (1970-71=100) में 1980-81 में 16.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो 1979-80 में हुई 21.4 प्रतिशत की वृद्धि से काफ़ी कम है। 1973-74 और 1974-75 में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर क्रमश: 30.0 प्रतिशत और 10.1 प्रतिशत थी।

(ख) : 1977-78 और 1978-79 के लिए मुद्रास्फीति की दर क्रमश: 0.3 प्रतिशत और 4.6 प्रतिशत थी।

(ग) : लगातार मुद्रास्फीतिकारी दबाव बने रहनेके लिए कई मिले-जुले तत्व उत्तरायी हैं जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय तत्व, देश में पूर्ति संबंधी बाधाएं, नकदी का बाहुल्य, मौसमी तत्व आदि शामिल हैं। सरकार कीमत वृद्धि को काबू में रखने के प्रयास को उच्च प्राथमिकता देती है। इस संबंध में पूर्ति और मांग दोनों पक्षों में कई एक उपाय किये गए हैं। उभरती हुई प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए और कदम उठाये जाएंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिकृत राशियों से अधिक राशियां निकलवाना

2889. **श्री जी० एम० बनातवाला :**
श्री बी० एस० विजयराघवन :
श्री एन० ई० होरो : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने भारतीय रिजर्व बैंक से अपनी अधिकृत राशियों से अधिक राशि निकाली है; और

(ख) ऐसे प्रत्येक राज्य का क्या नाम है और उसने अधिकृत राशि से कितनी अधिक राशि निकलवाई है; और

(ग) अधिकृत राशि से अधिक की निकाली गई राशि को नियमित करने अथवा उसकी वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) : 29 जुलाई, 1981 की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के लिए दिये गए ओवर ड्राफटों को दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा जा रहा है।

(ग) राज्यों के ओवर ड्राफ्ट उनकी दैनिक नकद स्थिति को दर्शाते हैं और इनकी मात्रा में परिवर्तन होता रहता है। ओवर ड्राफ्ट राज्यों के बजटों से या तो संरचात्मक असंतुलन के कारण होते हैं अथवा राज्यों के नकद प्रवाह में अस्थायी असमानता के कारण होते हैं। संरचनात्मक असन्तुलनों के कारणों का पता लगाने के लिए तथा स्थिति का समाधान करने के लिए भारत सरकार उन राज्यों के साथ जो ओवर ड्राफ्टों में हैं, बातचीत करती रहती है।

विवरण

राज्य	29-7-81 की स्थिति के अनुसार ओवर-ड्राफ्ट
	(करोड़ रुपये)
1. असम	13.13
2. गुजरात	3.70
3. हरियाणा	8 80
4. हिमाचल प्रदेश	0.13
5. कर्नाटक	17.01
6. केरल	9.63
7. मध्य प्रदेश	47.62
8. महाराष्ट्र	58.16
9. मणिपुर	2.03
10. पंजाब	25.47
11. राजस्थान	71.51
12. त्रिपुरा	1.51
13. पश्चिम बंगाल	68.11*
जोड़ :-	326.81

फिल्मी कलाकारों तथा अन्य लोगों पर आयकर छापे

2890. **श्री मंगल राम प्रेमी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश में विभिन्न फिल्मी कलाकारों तथा फिल्म उद्योग के प्रमुख व्यक्तियों, व्यापारियों, उद्योगपतियों, डाक्टरों, इंजीनियरों, तस्करों आदि के यहां आयकर तथा वित्त विभाग के विभिन्न एजेंसियों द्वारा 1 जनवरी, 1981 से 31 जुलाई, 1981 के दौरान अनेक छापे मारे गये हैं :

(ख) यदि हां, तो इन छापों का ब्यौरा क्या है;

*इसमें मार्च से जून, 1981 के बीच पश्चिम बंगाल सरकार के खातों में जमा किए गए कुछ चेकों का क्रेडिट शामिल नहीं है, क्योंकि कलकत्ता स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय के काम में अव्यवस्था होने के कारण वस्तुतः इन्हें जुलाई/अगस्त, 1981 में ही भुनाया जा सका।

(ग) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जहाँ ये छापे मारे गये थे;

(घ) इसमें कितना लेखा-बाह्य धन, जेवरात, नकदी बेनामी दस्तावेज। खाते, तस्करी का सामान तथा अन्य अवैध माल तथा सामग्री पाई गई;

(ङ) प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(च) ऐसे प्रमुख व्यक्तियों द्वारा ऐसे अवैध कार्यों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (घ) : श्रीमान्, वित्त मंत्रालय के कई विभागों से सम्बन्धित मामलों की बहुत बड़ी संख्या को देखते हुए विस्तृत सूचना उस ढंग से दे पाना व्यवहार्य नहीं हो सकेगा जिसमें मांगी गई है। तथापि, माननीय सदस्य सम्भवतः निम्नलिखित सूचना जानना चाहें :-

आयकर विभाग ने इस वर्ष में 801 तलाशियां ली हैं और निम्नानुसार लगभग 7.50 करोड़ रुपये की मूल्य की प्रथम दृष्टया, लेखा-बाह्य परिसम्पत्तियाँ पकड़ी हैं :—

1 जनवरी, 1971 से 31 जुलाई, 1981

स्थान का नाम	तलाशियों की सख्या	पकड़ी गई परिसम्पत्तियों का लगभग मूल्य
		(लाख रुपयों में)
बम्बई सिटी	370	377.72
महाराष्ट्र (बम्बई सिटी को छोड़ कर)	113	29.49
गुजरात	122	66.63
उत्तर प्रदेश	196	260.00
	801	749.84

(ङ) मामलों की जांच-पड़ताल की जा रही है और इन मामलों में विभिन्न अधिनियमों के अधीन उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है।

(च) सरकार, ऐसी गैरकानूनी कार्यवाहियों को रोकने के लिए समय-समय पर प्रशासनिक तथा वैधानिक उपाय करती रही है।

राजनयिक थैलों के माध्यम से पुरातत्वों की तस्करी

2891. **श्री राम विलास पासवान :**
श्री राजेश कुमार सिंह :
श्री रशीद मसूद :
श्री सुभास यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समृद्ध पश्चिमी देशों के कुछ वरिष्ठ राजनयिक अपने राज-

नियक थैलो का उपयोग पुरातत्वों की तस्करी के लिए कर रहे हैं और केवल दिल्ली से करोड़ों रुपयों के पुरातत्व इन राजनयिक थैलों के माध्यम से तस्करी किए गए है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और भारत से विदेशी राजनयिकों द्वारा अपने राजनयिक थैलों के माध्यम से तस्करी किए पुरातत्वों का वार्षिक अनुमानित मूल्य क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) : सरकार को कोई ऐसी विशिष्ट रिपोर्ट नहीं मिली है कि राजनयिक माध्यमों से पुरावशेष भारत से बाहर चोरी-छिपे भेजे जा रहे हैं।

(ख) पिछले दिनों में सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने ऐसा कोई मामला नहीं पकड़ा है। सरकार के पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि राजनयिक माध्यमों से भारत से भारत बाहर चोरी-छिपे भेजे जा रहे पुरावेशों का सालाना अनुमानित मूल्य क्या है।

(ग) राजनयिकों के तस्करी क्रियाकलापों में अन्तर्गत होने जिन मामलों का पता है, उसमें सरकार ने सम्बन्धित देशों की सरकारों के सहयोग से उचित कार्यवाही की है, और ऐसे दुरुपयोगों की किसी भी पुनरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से सरकार इन देशो की सरकारों से सम्पर्क बनाए हुए है।

पश्चिमी जर्मनी को भारतीय गलीचों के निर्यात को धक्का

2892. **श्री जैनुल बशर** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्क के अवमूल्यन से पश्चिमी जर्मनी को भारतीय गलीचों के निर्यात को भारी धक्का लगा है?

(ख) यदि हां, तो निर्यात को कितना धक्का पहुंचा है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संकट से गलीचा उद्योग को उबारने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) : सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि ड्यूश मार्क के मूल्य में गिरावट आ जाने से पश्चिमी जर्मनी को भारत से गलीचों के निर्यात के बारे में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। पता चला है कि पश्चिम जर्मनी के कुछ आयातक ड्यूश मार्क के मूल्य में गिरावट आने से पहले तय की गई कीमतों पर वचनबद्धताएं पूरी करने के अनिच्छुक है।

(ग) भारत से अन्य क्षेत्रों को गलीचों के निर्यात बढ़ाने के लिए संवर्धनात्मक उपाय तीव्र करने की योजना है। अभी हाल में हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम तथा जे० के० हस्तशिल्प निगम से मध्यस्थता करने को कहा गया है जिससे जम्मू तथा कश्मीर में हाथ से गांठ लगे गलीचों के बुनकरों के लिए कुछ राहत की व्यवस्था की जा सके। हाथ से गांठ लगे गलीचा

उद्योग के लिए आर० ई० पी० लाभ, कच्ची ऊन का शुल्क-मुक्त आयात तथा नकद मुआवजा सहायता जैसे प्रोत्साहन पहले से ही उपलब्ध हैं।

निर्यात उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव

2893. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) : क्या निर्यात आयोग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) : यदि हाँ, तो आयोग के कब तक स्थापित होने और कार्य करने की संभावना है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) : जी नहीं।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) के संसाधन

2894. **डी० पी० यादव** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के संसाधन अत्यधिक सीमित हैं जिसके कारण परियोजनाओं को और ऋण देना कठिन है; और

(ख) क्या यदि नया पूंजी निवेश घरेलू इस्तेमाल अथवा निर्यात के लिए अधिक उत्पादन करने तथा रोजगार बढ़ाने हेतु किया जाता है तो संसाधनों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और सावधि ऋण देने वाली अन्य संस्थानों के संसाधनों की स्थिति को देश में समग्र संसाधनों की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। अलबत्ता सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की संसाधन आवश्यकताएं पूरी हों और संसाधनों में रुकावटों की वजह से स्वीकृत सहायताओं के संवितरण में कोई कटौती या देरी न हो अथवा पात्र परियोजनाओं को नयी सहायता देने से इन्कार न किया जाय। चालू वर्ष के दौरान अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के वास्ते सरकार ने, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को सार्वजनिक निर्गतों के माध्यम से अतिरिक्त बाजार उधार जुटाने और विदेशों से और ऋण प्राप्त करने की अनुमति देने का निर्णय किया है। इन उपायों द्वारा जुटाये गये संसाधनों का उपयोग भारतीय औद्योगिक एककों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के सामान्य कार्यकलापों के वास्ते किया जाएगा। ऐसी वित्तीय सहायताओं के स्वाभाविक परिणामस्वरूप हुए औद्योगिक विकास से देशी उपभोग या निर्यात के वास्ते उत्पादन और रोजगार के अवसरों की सम्भावना बढ़ेगी।

केरल में पालघाट में सोने और लोहे के निक्षेप

2895. **वी० एस० विजयराघवन** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूगर्भ अध्ययन से केरल में पालघाट में सोने और लोहे के निक्षेपों के होने का पता चला है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) : केरल के पालघाट जिले में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा अब तक के भूवैज्ञानिक अध्ययन के फलस्वरूप वहां स्वर्ण और लौह अयस्क के कोई बड़े निक्षेप होने का पता नहीं चला है। लेकिन पालघाट जिले की अल्लापडी घाटी और अन्य स्थानों में मैग्नेटाइट और क्वार्टजाइट के अनेक पतले निक्षेप अवश्य पाए गए हैं। इन निक्षेप भंडारों का अभी आकलन किया जाना है।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम और हथकरघा क्षेत्र द्वारा निर्मित कपड़े की दरों का निर्धारण

2896. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय राष्ट्रीय वस्त्र निगम और हथकरघों से निर्मित नियंत्रित कपड़े और जनता साड़ी धोतियों की कई दरें निर्धारित हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम और हथकरघों से निर्मित समान नम्बर के कपड़े अथवा साड़ी या धोती की दरें समान हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो दरों में अन्तर के क्या कारण हैं और राष्ट्रीय वस्त्र निगम और हथकरघों को दी गई छूट में अन्तर के क्या कारण हैं जबकि हैंडलूम के कपड़ों का उत्पादन मूल्य से अधिक होता है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खानमंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) : कंट्रोल के कपड़े व जनता कपड़े की उपभोक्ता कीमतें निर्धारित की गई हैं।

(ख) तथा (ग) : मिल क्षेत्र तथा हथकरघा क्षेत्र में उत्पादित कपड़े की ठीक-ठीक तुलना नहीं की जा सकती। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि पुरानी तथा अप्रचलित मशीनरी, क्षमता के कम उपयोग, अधिक ब्याज व श्रम लागत और मिल उत्पादों पर उच्च शुल्कों के कारण एन टी सी मिलों में उत्पादन लागत हथकरघा क्षेत्र की उत्पादन लागत से अधिक है।

तिरुपति के नजदीक इंडियन एयरलाइन्स के एवरो विमान की दुर्घटना

2897. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 जून, 1981 को तिरुपति के नजदीक इंडियन एयरलाइन्स के एवरो विमान की दुर्घटना के क्या कारण हैं; और

(ख) हवाई यात्राओं की सुरक्षा में सुधार के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) : दुर्घटना की जांच वायुयान नियम, 1937 के नियम 71 के अन्तर्गत नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा नियुक्त किए गए एक दुर्घटना निरीक्षक द्वारा की जा रही है जिसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) : सरकार विमान सुरक्षा में जो कि एक सतत प्रक्रिया है, सुधार करने के लिए

आवश्यक कदम उठाती रहती है। इस मामले में दुर्घटना जांच-रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर, उसमें सिफारिश किए गए अगले कदम उठाए जाएंगे।

इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा छः बोइंग विमानों की खरीद

2898. **रामसिंह यादव** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स ने अपने बेड़े की क्षमता बढ़ाने के लिए छः बोइंग 737 विमानों की खरीद करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या ले जाये जाने वाले यात्रियों में वृद्धि करने तथा चालू वर्ष और आगामी वर्षों में गए यात्री उड़ान किलोमीटर राजस्व में वृद्धि करने के लिए बोइंग विमानों की खरीद आवश्यक है; और

(ग) छः बोइंग 737 विमानों की खरीद में विलम्ब क्यों किया गया है और इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) : जी, नहीं। इन्डियन एयरलाइन्स ने सरकार के पूर्व अनुमोदन से केवल चार बी-737 विमान लेने के आदेश दिए है।

(ख) : जी, हां। 1982-83 वर्ष के लिए पूर्वानुमानित यातायात की पूर्ति करने के लिए उस वर्ष के लिए क्षमता में वृद्धि करना नितांत अनिवार्य हो गया है।

(ग) : इसमें कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

अमरीका से वस्तुओं का आयात

2899. **श्रीमती गीता मुखर्जी** क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : यह गारंटी देने के लिए सतर्कता बरतने की क्या प्रणाली है कि अमरीका से भारी मात्रा में आयात होने वाले विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादों जैसे बाल आहार, दवाइयां आदि, वे उत्पाद शामिल न हों जिन पर अमरीका में तो प्रतिबन्ध है किन्तु उनके निर्यात पर प्रतिबन्ध नहीं है;

(ख) : क्या सरकार को यह जानकारी है कि पहले अमरीका द्वारा भारत को ऐसी बहुत सी मदों का निर्यात किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो ऐसी कौन सी उत्पादें पिछले तीन वर्षों में भारत को निर्यात की गई; और

(घ) : ऐसे आयातों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए।

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मन्त्री (प्रणव मुखर्जी)(क) से (घ) : औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत नियमों के अधीन औषधि नियंत्रक (भारत) की अनुमति के बिना देश में कोई नई औषधि आयात अथवा विनिर्मित नहीं की जा सकती। नई औषधियों के आयात की अनुमति प्रस्तुत किये गए आँकड़ों के आधार पर यह सुनिश्चित करने के बाद दी

जाती है कि इनका उद्भव वाले देश ने अनुमोदन कर दिया है और अनेक देशों में इसकी बिक्रियां की जा रही हैं।

किसी औषधि को प्रचलित करने के बाद यदि उसके विषैले परिणाम की जानकारी मिलती है तो इसके आयात, विनिर्माता अथवा बिक्री पर रोक लगाने के लिए देश में चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ परामर्श करके कार्यवाही की जाती है।

हाल के वर्षों के दौरान पशुओं में अतिरिक्त विषैले परिणाम। चिकित्सकीय क्षमता की कमी। कैन्सरजनीयता के छः मामले जानकारी में आये हैं। ये औषधियाँ इनसे संबंधित हैं (1) प्रैक्टोनोल, (2) नियलेमाइड. (3) मेथापायरीलीन फ्यूमरेट, (4) एमीडोपायरीन, (5) हलोजिनेटिड आक्सीक्वीनोलीन तथा (6) फेनफोर्मिन।

फेनफोर्मिन तथा हलोजिनेटिड आक्सीक्वीनोलीन के मामले में जिन चिकित्सा विशेषज्ञों से, जिनमें भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद भी शामिल है, परामर्श किया गया, वे इन औषधियों के प्रयोग पर रोक लगाने के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि इन औषधियों के मामले में बताये गये विषैले परिणाम इस देश में नहीं पाये गये, हालाँकि ये औषधियां कई वर्षों से प्रयोग की जा रही हैं। इन औषधियों से बनी दवाइयों के बेचने वाले विनिर्माताओं को यह हिदायतें दी गई हैं कि वे अपने पैकेज पर तथा संवर्धनात्मक साहित्य में इन औषधियों के अतिरिक्त परिणामों के बारे में सचेत करने वाले उपयुक्त विवरण शामिल करें।

शिशु आहार का आयात भी खाद्य पदार्थ मिलावट निरोधक नियमों के अनुरूप होना चाहिए। तथापि उपभोक्ता माल के रूप में इस समय इस मद के आयात पर रोक लगी हुई है।

राजभाषा विभाग की सिफारिशों पर हिन्दी के पदों की स्वीकृति प्रदान करना

2900.**श्री टी० एस० नेगी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या यह सच है कि व्यय विभाग का यह विचार है कि राजभाषा विभाग की सिफारिशों पर सामन्य रूप में ही हिन्दी के पदों को स्वीकृति प्रदान नहीं की जानी चाहिये, बल्कि स्वीकृति ऐसे पदों की आवश्यकता के आधार पर दी जानी चाहिये जो कि राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत किए जाने वाले काम के लिए आवश्यकता के अनुसार सिद्ध हों।

(ख) : यदि हाँ, तो क्या वित्त मंत्रालय के अध्ययन कक्षों को पदों के सृजन की सिफारिश करते समय उपरोक्त सिद्धान्त ध्यान में रखने का निर्देश जारी किए हैं ; और

(ग) : यदि नहीं, तो क्या मितव्ययता लाने के लिए ऐसे आदेश जारी किए जाने का विचार है और यदि हाँ, तो कब ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) : राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबन्धों और उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित पदों को, आयोजना भिन्न पक्ष में अतिरिक्त पदों के सृजन पर लगाए गए प्रतिबंध आदेशों से मुक्त रखा गया है। विभिन्न मंत्रालयों के वित्तीय सलाहकारों को यह सलाह दी गई है कि वे

मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों की ऐसे पदों के लिए आवश्यकता को निर्धारित करते समय राजभाषा विभाग द्वारा तैयार की गई सामान्य योजना को ध्यान में रखें और वास्तविक तथा उचित आवश्यकताओं के आधार पर हिन्दी कर्मचारियों की स्वीकृति दें।

कच्चे रेशम का आयात

2901. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि कच्चे रेशम के मूल्यों में भारी वृद्धि के कारण भारत में बहुत से निर्यातकर्ताओं को विदेशी आयातकर्ताओं के साथ ठेके पूरे करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या सच है कि उन्हें इस कारण कई करोड़ रुपये का घाटा होने की सम्भावना है; और

(ग) क्या सरकार का विचार निर्यातकर्ताओं को आयात लाइसेंस का 20 प्रतिशत तक कच्चा रेशम आयात करने की अनुमति देने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) : भारत के रेशम निर्यातों में अप्रैल, 1981 से गत वर्ष की उसी अवधि की तुलना में वृद्धि का रूख रहा है। इससे पता चलेगा कि स्वदेशी कच्चे रेशम की कीमत में वृद्धि से निर्यातों पर गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग) 1981-82 की आयात नीति के अन्तर्गत कच्चे रेशम के आयात की अनुमति विशिष्ट निर्यात निष्पादन के आधार पर है। आयात के लिए अनुमति कच्चे रेशम का मूल्य निर्यातकों के लिए 20% प्रतिपूर्ति हकदारी के मूल्य का 50% है।

मैसर्स कुमार टेक्सटाइल्स, बम्बई

2902. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स कुमार टेक्सटाइल्स, बम्बई राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा रक्षा और अन्य सरकारी संस्थाओं को पूर्ति तथा निष्पादन महानिदेशालय से स्वीकृत सप्लाई का सामान प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम के सम्पर्क एजेंसी के बतौर काम कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए उनके द्वारा शुल्क लिया जा रहा है;

(ग) क्या यह भी सच है कि विभिन्न केन्द्रों में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अपने सम्पर्क कार्यालय हैं; और

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा एक बिजली एजेंसी का काम सौंपने के क्या कारण हैं और इस प्रकार मैसर्स कुमार टेक्सटाइल्स को शुल्क के रूप में भुगतान किए गए लाखों रुपयों से सार्वजनिक राजकोष को क्यों नुकसान पहुँचाया जा रहा है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) तथा (ख) : एन. टी. सी. की कुल अनुषंगी कम्पनियों ने इस फर्म को आपूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय तथा अन्य

सरकारी अभिकरणों के माध्यम से अपने उत्पादों की बिक्री के लिए अपने एजेन्ट के रूप में नियुक्त किया है। यह फर्म संविदाकारी एवं सप्लाई किए गए माल के निवल मूल्य का 1-1/2% से 3% के बीच फीस लेती है।

राजस्थान के उद्योगों और नागरिक पूर्ति विभाग को इस्पात का आवंटन

2903. **श्री अशोक गहलोत** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के लघु, मध्यम दर्जे के और बड़े उद्योगों तथा वहां के नागरिक पूर्ति विभाग को कितने इस्पात का आवंटन किया गया और उसकी मांग की तुलना में उन्हें कितना इस्पात दिया गया,

(ख) राजस्थान ने कितने इस्पात की मांग की थी और उसे वास्तव में कितना दिया गया।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में राजस्थान ने कितने इस्पात की मांग की है, और

(घ) उसकी मांग की तुलना में उसे अब तक कितना इस्पात आवंटित किया गया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) से (घ) : इस्पात के वितरण पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। इस्पात सामग्री का वितरण संयुक्त समिति द्वारा लोहे और इस्पात सामग्री के वितरण के लिए बनाए गए और प्रकाशित किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में राज्यवार आवंटन करने की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः "आवंटन" के मुकाबले में वास्तविक सप्लाई की तुलना करना सम्भव नहीं है।

लैटिन अमरीकी देशों में निर्यात बाजार

2904. **श्री वीरभद्र सिंह** :

श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लैटिन-अमरीका क्षेत्रों में उनके हाल के दौरे के दौरान, उन्हें निर्यात के लिए अपने बाजारों की स्थापना की सम्भावनाओं का पता चला है; और

(ख) यदि हाँ, तो वहां निर्यात-बाजारों की स्थापना के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) : वाणिज्य मंत्री ने 27 से 31 जुलाई, 1981 तक अर्जेन्टीना और ब्राजील का दौरा किया था। मिशनों के प्रमुखों और वाणिज्यक प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित करने के अलावा द्विपक्षीय व्यापार से सम्बन्धित मामले पर सम्बन्धित सरकारों के साथ विचार विमर्श किया गया। इन देशों में व्यापार तथा उद्योग के सदस्यों के साथ भी विचार विमर्श किया गया। लैटिन अमरीका में निर्यात बाजार स्थापित करने के उद्देश्य से सरकार भारतीय उद्योगों और लैटिन अमरीका में उनके प्रतिपक्षों के बीच सम्बन्धों को प्रोत्साहित कर रही है। अध्ययन सह-बिक्री

प्रतिनिधिमण्डलों का भी आयोजन किया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल परिसंघ ने व्यापार से सम्बन्धित जानकारी के आदान-प्रदान के लिए संयुक्त संस्थागत व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रबन्ध किए हैं। भारत और लैटिन अमरीका के बीच समुचित नौवहन अनुबंध स्थापित करने की सम्भाव्यताओं का पता लगाने के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं।

कोको का आयात

2905. **ई० के० इम्बीची बाबा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोको की मांग क्या है और किन-किन कम्पनियों द्वारा कोको उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) क्या केरल में कोको का उत्पादन देश में आन्तरिक खपत के लिए पर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो भारत सरकार ने केरल के गरीब किसानों को क्षति पहुचा कर कोको के आयात का लाइसेन्स क्यों जारी किया है; और

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल और कर्नाटक राज्य में उत्पन्न होने वाले कोको में "एसिडिटी" नहीं होती और निहित स्वार्थ वाले तत्व किसानों तथा राष्ट्रीय हितों को चोट पहुंचाने के लिए झूठा प्रचार कर रहे हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) : 1981-82 के दौरान कोक की सूखी फलियों की अनुमानित आन्तरिक आवश्यकता लगभग 2,000 मे. टन होगी। कोक उत्पादों का उत्पादन करने वाले प्रमुख उपभोक्ता ये हैं :

मैसर्स डिस्ट्रिक्ट कोआप्रेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्ज यूनियन लि० आनन्द।
प्रोड्यूसर्ज यूनियन लि०, आनन्द।
मैसर्स कैडबरी इण्डिया लि०, बम्बई।
मैसर्स साठे बिस्कुट एण्ड चाकलेट्स कं० लि० पुणे।
डा० राइटर्स चाकलेट एण्ड केनिंग कं०, बम्बई।
मैसर्स जगजीत इंडस्ट्रीज, लि० हसीरा।
मैसर्स एच० एम० एम० लि० नामा।
मैसर्स कोका प्रोडक्ट्स एंड बीवरेजिस लि०, मद्रास
मैसर्स एलवीटोन लैबोरेट्रीज, मद्रास।
मैसर्स फुड, फैट्स एंड फर्टिलाइजर्स लि० तादेपल्लीगुदम।

(ख) से (घ) : यद्यपि कोका फलियों का स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त है फिर भी उद्योग के चालू कार्यों की सहायता के लिए ब्लेंडिंग प्रयोजनार्थ कोका फलियों का थोड़े से आयात की अनुमति देना उचित समझा गया था ताकि अब तक भारतीय कोका की अम्लता अंश के बारे में आधुनिक प्रौद्योगिक, तकनीकी जानकारी और प्रोसैसिंग हुनर सम्बन्धी वैज्ञानिक जाँचें नहीं हो जातीं तब तक भारतीय कोका की मांग को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके और उससे कोका फलियों के थोड़े से आयात को भी समाप्त किया जा सके।

प्राकृतिक रबड़ की आवश्यकता, उत्पादन और इसका आयात

2906. **श्री एम० रामन्ना राय** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उद्योगों की मांग पूरी करने के लिए प्राकृतिक रबड़ की वार्षिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) भारत में प्राकृतिक रबड़ का कुल उत्पादन कितना है;

(ग) केरल राज्य का भाग कितना है;

(घ) प्रतिवर्ष आयात किए गए प्राकृतिक रबड़ की मात्रा कितनी है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) :(क), (ख) और (घ) : गत तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन, खपत और आयात आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

(मे० टन में)

वर्ष	उत्पादन	खपत	आयात
1978-79	135,297	164,524	25,850
1979-80	148,470	165,245	21,100
1980-81	153,100	173,640	9,250

(ग) : देश में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा केरल का है।

ग्रामीण ऋण सुविधाओं का विस्तार

2907. **श्री जयनारायण रौत** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ग्रामीण ऋण सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 1980 में कुछ ठोस उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है तथा अब तक उनसे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ग) ग्रामीण ऋण सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सरकार और क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) : जी, हां।

(ख) : वर्ष 1980 में और 25 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए जिनको मिलाकर 17 राज्यों के 144 जिलों में कुल 85 ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा खोली गई शाखाओं की संख्या जो दिसम्बर 1979 में 2420 थी, बढ़कर दिसम्बर 1980 में 3279 हो गई। वर्ष 1980 के अन्त की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की बकाया रकम 21.16.740 खातों में 243.39 करोड़ रुपये थी। वाणिज्य बैंकों को सलाह दी गई थी कि वे किसानों, कारीगरों, कमजोर वर्गों आदि को ऋण देने के संबंध में विनिर्दिष्ट कतिपय मानक

लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने आधारभूत ढांचे को मजबूत बनायें और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये संसाधनों की व्यवस्था करें। वर्ष 1980 के अन्त की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिये गये अग्रिमों की बकाया राशि 121,87,000 खातों में 7409 करोड़ रुपये थी।

(ग) : किये जाने वाले प्रस्तावित उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, देहाती इलाकों में पहले की अपेक्षा ऋण का अधिक संवितरण करने के उद्देश्य से वाणिज्यिक बैंकों के आधारभूत ढांचे का सुदृढ़ीकरण तथा कृषि और ग्रामीण ऋण प्रदान करने के कार्यकलापों पर बारीकी से निगरानी रखने तथा उनमें समन्वय स्थापित करने की सुनिश्चित व्यवस्था के आधार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष संस्था अर्थात् राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (एन० ए० बी० ए० आर० डी०) की स्थापना शामिल है।

देश में स्टाक एक्सचेंजों का खोला जाना

2908. **नवल किशोर शर्मा : श्री अशोक गहलोत** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विभिन्न भागों में स्टाक एक्सचेंज खोलने का है।

(ख) यदि हां, तो सरकार को जयपुर (राजस्थान) में एक स्टाक एक्सचेन्ज खोलने के लिए राजस्थान सरकार से कोई प्रस्ताव मिला है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) : प्रतिभूत संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 के विनयमनकारी उपबंधों के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में नए स्टाक एक्सचेंजों की स्थापना करने के प्रश्न पर सरकार मुक्त दृष्टिकोण से विचार करती है। विभिन्न केन्द्रों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर उनके गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है।

(ख) से (घ) : जयपुर में स्टाक एक्सजेंजों की स्थापना करने के लिए राजस्थान सरकार से कोई प्रस्ताव अभी तक केन्द्रीय सरकार को नहीं मिला है। तथापि राजस्थान वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, जयपुर की तरफ से इस आशय का एक प्रस्ताव अवश्य प्राप्त हुआ है। राजस्थान में स्थित पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की संख्या, राजस्थान में शेयरधारी लोगों की अनुमानित संख्या, ऐसे व्यक्तियों के नाम तथा उनकी योग्यताएं जो प्रस्तावित स्टाक एक्सचेंजों के सदस्य बन सकते हैं तथा इस समय जयपुर में होने वाले सिक्यूरिटियों के लेनदेन के अनुमानित परिमाण आदि के सम्बन्ध में, राजस्थान वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, जयपुर से विस्तृत जानकारी मांगी गई है ताकि सरकार इस मामले में आगे कार्रवाई कर सके। अभी तक उक्त मंडल से इस सम्बन्ध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

तमिलनाडु को कच्चे रेशम के आयात की अनुमति

2909. **श्री एन० सुन्दरराजन** :

श्री एन० चिन्नास्वामी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र से तामिलनाडु के करघों के लिये कच्चे रेशम की कमी के कारण कच्चा रेशम आयात करने के लिए अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कच्चा रेशम आयात करने की अनुमति कब प्रदान की जायेगी ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) : तमिलनाडु में करघों द्वारा सामना की जा रही कमी को पूरा करने के लिए कच्चा रेशम आयात करने के संबध में केन्द्र की अनुमति के लिए तमिलनाडु सरकार से कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, हथकरघा निदेशक, तमिलनाडु ने हथकरघा विकास आयुक्त से खुले सामान्य लाइसेंस योजना के अन्तर्गत तमिलनाडु राज्य हथकरघा बुनकर शीर्ष सहकारी समिति (कोपटैक्स) को कम से कम 10,000 कि० ग्रा० कच्चा रेशम आयात करने के लिए आवश्यक अनुमति देने के समबन्ध में भारत सरकार से कार्यवाई करने के लिये अनुरोध किया है। विद्यमान नीति के अन्तर्गत, केन्द्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम को छोड़कर वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिए कच्चे रेशम का आयात करने के लिए कोई उपबन्ध नहीं है जोकि इस समय कच्चे रेशम की कीमत स्थिरीकरण योजना की समीक्षा को ध्यान में रखते हुये इस उपबन्ध का उपयोग करने के लिये प्राधिकृत नहीं है। कच्चा रेशम, निर्यात के द्वारा केवल प्रतिपूरक योजना के अन्तर्गत विदित फार्मूलों के अनुसार उनके निर्यात निष्पादन के आधार पर आयात किया जा सकता है। इसलिये कोपटैक्स को कच्चे रेशम के आयात करने के लिए अनुमति देने का प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात, महाराष्ट्र और औरंगाबाद में पर्यटन केन्द्रों का विकास

2910. **श्री काजी सतीस** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1-1.1981 से 26-7-1981 की अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से तथा गुजरात, महाराष्ट्र और औरंगाबाद (महाराष्ट्र) के पर्यटन बोर्डों से अपने अपने क्षेत्रों और राज्यों के विभिन्न पर्यटन केन्द्रों को विकसित करने के बारे मे कुछ प्रस्ताव तथा योजनाएं प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक मामले में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(घ) उसके क्या परिणाम निकले ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (घ) : गुजरात सरकार से डकई में पर्यटक सुविधाओं के विकास और गुजरात में जलाशय पर बोटिंग सुविधाओं हेतु नावों की व्यवस्था करने के लिये क्रमश: 1.25 करोड़ रुपये और 7.00 लाख रुपये की लागत वाले प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार अथवा महाराष्ट्र या औरंगाबाद के पर्यटन बोर्ड से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं, तथापि वेरूल विकास समिति, औरंगाबाद से प्राप्त कुछ प्रस्तावों पर समिति के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया गया था। समिति के इन प्रति-

निधियों से अनुरोध किया गया है कि वे राज्य के पर्यटन विभाग के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव भिजवाएं। इन प्रस्तावों की प्रतीक्षा है।

त्रिवेन्द्रम तथा खाड़ी के देशों के बीच अतिरिक्त सेवाएं चलाया जाना

2911. क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि केरल निवासी तथा खाड़ी के देशों में कार्यरत दक्षिण भारत के लोगों को बम्बई होकर केरल से खाड़ी के देशों में जाने तथा वहां से घर को वापिसी यात्राओं में काफी असुविधा, धन तथा समय की परिहार्य बर्बादी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या उन्हें इस बात की भी जानकारी है कि उनमें से अधिकांश लोग कोलम्बो होकर यात्रा करने में हिचकिचाते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार त्रिवेन्द्रम तथा खाड़ी क्षेत्र के कुछ नगरों के बीच अतिरिक्त सेवाएं चलाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) : फिलहाल एयर इंडिया त्रिवेन्द्रम और खाड़ी के देशों, अर्थात् दुबई आबूधाबी, 'कुवैत, रस-अल-खैमाह तथा शारजाह के बीच सप्ताह में सात सेवाओं का परिचालन करती है। हमारी राष्ट्रीय कम्पनी द्वारा अभी एक ओर त्रिवेन्द्रम तथा दूसरी ओर दोहा, मस्कट और बहरीन के बीच परिचालन आरम्भ किये जाने हैं। तथापि ये स्थान त्रिवेन्द्रम से/के लिए उपयुक्त संयोजी उड़ानों से बम्बई के साथ जुड़े हुए हैं।

(ख) : यह भी सम्भव है कि त्रिवेन्द्रम तथा खाड़ी के देशों के बीच का कुछ यातायात कोलम्बो से होकर जाता है।

(ग) और (घ) : एयर इण्डिया की त्रिवेन्द्रम व ओमन, मस्कट, बहरीन के बीच परिचालन शुरू करने की इच्छा है। तथापि, गल्फ राज्यों की राष्ट्रीय कम्पनी अर्थात् गल्फ एयर, इण्डिया द्वारा ऐसे परिचालन किये जाने का विरोध करती है और इसीलिये गल्फ राज्यों के सिविल एविएशन अधिकारियों ने एयर इंडिया को ऐसे परिचालनों के लिए अभी तक अनुमति नहीं दी है।

इस्पात के लिए ग्राहकों की जरूरत

2912. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उत्पादित इस्पात की सभी किस्मों का कुल लाख टन माल अनबिका पड़ा है ?

(ख) यदि हां, तो आवंटन एवं वितरण में क्या दोष है;

(ग) इसका निपटान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस्पात की कुछ मदों को ओपन जनरल लाइसेंस में रख दिया, है यदि हां, तो वे क्या हैं और ऐसा किस कारण से किया गया है तथा क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के चेयरमैन ने सरकार से अनुरोध किया है कि इनको ओ० जी० एल० से हटाया जाये; और

(ङ) यदि हाँ, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) : 1.7.80 को मुख्य-उत्पादकों के पास बिक्रेय इस्पात के स्टाक की तुलनात्मक स्थिति के बारे में नीचे बताया गया है:—

(टनों में)

	1.7.80 को	1.7.81 को
1. स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड	7,32,000	7,64,000
2. टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (टिस्को)	1,06,000	1,33,000
कुल :	8,38,000	8,97,000

(ख) और (ग) : वितरण प्रणाली में दोष नहीं है। पिछले एक वर्ष की तुलना में अब उत्पादन का स्तर काफी कम था, अब स्टाक मामूली अधिक है। फिर वितरण प्रणाली की समय-समय पर समीक्षा की जाती है तथा जब कभी आवश्यक समझा जाता है तो इसमें संशोधन किए जाते हैं। अभी हाल में बिलेट और पुनर्बेलन योग्य सामग्री, छड़ तथा गोल छड़ (तार छड़ भी शामिल हैं), गर्म बेलित क्वायल (मोटाई 5 मि० मी० से अधिक) तथा ठंड बेलित चादर/क्वायल संयुक्त संयंत्र समिति की विनियमित वितरण व्यवस्था से निकाल दी गई हैं।

(घ) : चालू वर्ष की आयात नीति में खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत जिन मदों का आयात करने की व्यवस्था की गई है, वे हैं:—पुनर्बेलन के लिए बिलेट, पुनर्बेलन योग्य स्क्रैप, छड़ और गोल छड़, (तार छड़ भी शामिल हैं), 2.5 मि० मी० और उससे कम के गर्म बेलित क्वायल, डी० डी० और ई० डी० डी० क्वालिटी की चादरें चैकर्ड प्लेटें, वाएलरों/प्रेशर बेसल में इस्तेमाल होने वाली तथा भारतीय मानक—2062 की प्लेटें, भारतीय मानक—2062 क्वलिटी के संरचनात्मक, 400 मि०मी० और उससे अधिक के बेलित ब्लूय तथा कुछ विशेष प्रकार के प्रोफाइल सैक्शन। ऐसा इसलिये किया गया था कि इन्जीनियरी साज-सामान का उत्पादन करने वाले उद्योग को कच्चे माल की उपलब्धि में कठिनाई का सामना न करना पड़े। इस सम्बन्ध में विदेशीय सक्षमता और प्रत्याशित उत्पादन को ध्यान में रखा गया था। आयात-नीति के बारे में कई संगठनों से (सेल भी शामिल है) भिन्न-भिन्न प्रकार के सुझाव प्राप्त हुए हैं।

(ङ) : अब और जैसे आवश्यक समझा जाएगा नीति में परिवर्तनों की घोषणा कर दी जाएगी।

गैस पर आधारित स्पंज लोहा परियोजना की स्थापना के बारे में गुजरात की मांग

2913. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या गुजरात सरकार ने हजीरा के निकट गैस पर आधारित स्पंज लोहा परियोजना की स्थापना किये जाने की मांग की है और यह मांग कब तक स्वीकार कर ली जाएगी;

(ख) : क्या उन्होंने गुजरात के दौरे के समय इस परियोजना को स्वीकृति देने का आश्वासन दिया था और यदि हां, तो यह आश्वासन कब तक पूरा हो जाएगा; और

(ग) : इस परियोजना पर कितनी लागत आएगी और इसमें स्पंज लोहे का कितना उत्पादन होगा, तथा इस सम्बन्ध में पूरा ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) : गुजरात इन्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन से हजीरा के पास गैस पर आधारित 4 लाख टन स्पंज लोहे के उत्पादन के लिए एक कारखाना लगाने हेतु आशय-पत्र प्राप्त करने के लिए एक आवेदन प्राप्त हुआ था। योजना आयोग ने अभी हाल ही में यह विचार व्यक्त किया है कि गुजरात इन्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन और महाराष्ट्र के स्टेट इन्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन दोनों की स्पंज लोहे की प्रस्तावित परियोजनाएँ आर्थिक दृष्टि से समझ नहीं हैं। इस्पात विभाग काफी इच्छुक है कि देश में गैस पर आधारित स्पंज लोहे की एक अथवा दो परियोजनाएं लगाई जानी चाहिए ताकि हमारे इंजीनियर गैस पर आधारित स्पंज लोहा बनाने की प्रौद्योगिकी के विकास से परिचित और प्रशिक्षित हो सकें, लेकिन यह आवश्यक है कि सरकार इन प्रस्तावों की आर्थिक सक्षमता के बारे में पूर्णतया सन्तुष्ट हो जाए। चूंकि योजना आयोग गुजरात इन्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन द्वारा सप्लाई किए गए आंकड़ों से पूर्णतया सन्तुष्ट नहीं है। अतः परियोजना की सम्भावित लागत तथा उसमें उत्पादित होने वाले स्पंज लोहे की सम्भावित मात्रा के बारे में विश्वसनीय जानकारी देना सम्भव नहीं है।

तेल निर्यात देशों द्वारा पूंजी निवेश

2914. **श्री हरिनाथ मिश्र :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल निर्यातक देशों द्वारा हमारे देश में पूंजी निवेश के मामले में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) वे ठोस प्रस्ताव क्या हैं जिन्हें क्रियान्वित किया गया है और चालू योजना अवधि में तेल निर्यातक देशों द्वारा हमारे देश में कितना पूंजी निवेश किया जाएगा ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) तथा (ख) : नई नीति के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया अनुकूल रही है। कुछ परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रारम्भिक बातचीत चल रही है। किंतु अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे मामलों में जिनमें बाहर के देशों को पूंजी निवेश के फैसले करने हों, चालू आयोजना की अवधि में तेल निर्यातक देशों द्वारा भारत में किए जाने वाले पूंजी के निवेश की मात्रा का अनुमान लगाना कठिन है।

अफ़ीम का उत्पादन करने वाले जिलों का पुनः वर्गीकरण

2915. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफीम की खेती के लिए जिले में क्षेत्र निर्धारित करने का आधार क्या है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश के रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, शाजापुर जिलों की अफीम की विभिन्न किस्मों की खेती के लिए विभिन्न ढंग से अफीम के जिलों का वर्गीकरण किया गया है;

(ग) क्या इससे अफीम उत्पादकों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है; और

(घ) क्या अफीम उत्पादन करने वाले जिलों का पुनर्गठन या पुनर्वर्गीकरण करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) अफीम की काश्त के लिए क्षेत्र का इस प्रकार निर्धारण किया जाता है जिससे —

(1) परम्परागत पोस्त उत्पादक रकबे और सघन क्षेत्रों तक ही काश्त को सीमित रखा जा सके;

(2) बेहतर और अपेक्षाकृत अधिक अनियंत्रण के लिए हालात पैदा किए जा सकें।

(3) गैर उत्पादक रकबे को निकाला जा सके।

(ख) और (ग) : जी, नहीं

(घ) : अफीम उत्पादक जिलों के पुनः वर्गीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि अफीम उत्पादक प्रभागों का पुनः वर्गीकरण, पोस्त की काश्त के लिए लाइसेंसशुदा क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार समय-समय पर किया जाता है।

शीघ्र कर निर्धारण योजना

2916. **प्रो० अजीत कुमार मेहता** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1971 में शुरू की गई आयकर के लिए शीघ्र कर निर्धारण की सफलता या असफलता का कोई मूल्यांकन किया है; और

(ख) यदि हाँ, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि सरकार ने इस योजना के कार्यकरण में कोई कमी देखी होती उसे दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) : जी, हां। सरकार, संक्षिप्ततः कर-निर्धारण योजना के कार्यचालन का समय-समय पर विश्लेषण करती रहती है तथा स्थिति में सुधार लाने के लिए परिवर्तन करती रही है। वित्त वर्ष 1980-81 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 30.99 लाख मामले निपटाये गये थे जो वर्ष 1979-80 में किए गए निपटान की तुलना में 5 लाख से भी ज्यादा से अधिक था।

2. इस सम्बन्ध में स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा किये गये कुछ उपाय इस प्रकार हैं :

(1) वित्त (सं० 2) अधिनियम, 1980 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143 (i) (ख) के उप-खंड (ii) तथा (iii) निकाल दिये गये हैं, जिससे विवरणी में दिखाई गई आय में समायोजन करने सम्बन्धी आयकर अधिकारी की शक्ति समाप्त हो गई है।

(2) 25,000/-रु० तक के मामलों में संक्षिप्ततः कर-निर्धारण करने के लिए आयकर निरीक्षकों को प्राधिकृत किया गया है।

चाय उद्योग को पुनः सक्रिया बनाना

2917. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चाय उद्योग को पुनः सक्रिय बनाने के लिए कदमों पर विचार करने हेतु एक राष्ट्रीय बैठक बुलाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अच्छी किस्म की चाय का उत्पादन करने और अनुसन्धान तथा विकास में सुधार करने के लिए किन उपायों का सुझाव दिया गया था; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) : बैठक द्वारा की गई सिफारिशों दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। विवरण में निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चाय की बेहतर क्वालिटी के उत्पादन तथा गवेषण और विकास के उपाय सुझाये गए है।

विवरण

उद्योग

1 कि उद्योग :

(क) निर्यातों को प्राथमिकता देगा ताकि निर्यातों के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें;

(ख) बढ़िया क्वालिटी की चाय का उत्पादन करेगा जिससे इसके लिए अधिक लाभकारी कीमतें मिल सकें;

(ग) बचाई हुई अधिकांश आय का समुन्नत उत्पादन और अनुसन्धान तथा विकास के लिए पुनर्निवेश करेगा;

(घ) मूल्य-वर्द्धित रूप में चाय का उत्पादन बढ़ायेगा;

भारत सरकार तथा राज्य सरकारें संयुक्त रूप से

(2) कि अगले तीन वर्षों (1981-82 से 1983-84) के लिए चाय उद्योग को इस योग्य बनाना कि वह वर्तमान कठिन परिस्थियों पर काबू पा ले और इसमें स्थिरता लाने के लिए निम्न कार्यवाही की जाए—

(क) चाय पर उत्पादन शुल्क में काफी कमी की जाये;

(ख) निर्यातों पर दिये गए अप्रत्यक्ष कर लौटाये जायें तथा वापसी प्रक्रिया सरल बनाई जाये;

(ग) चूंकि पैकेट चाय के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना है, और पैकेट चाय पर उत्पादन शुल्क या तो काफी कम किया जाये अथवा हटा दिया जायेगा;

(घ) अगली समीक्षा होने तक यह सिफ़ारिश अगले तीन वर्षों के बाद भी वैध रहनी है।

(ङ) नीलामी की चाय पर बिक्री-कर स्थगित रखा जाना चाहिए;

(च) कृषि सम्बन्धी आय-कर तथा अन्य स्थानीय करों में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पर्याप्त कमी की जानी चाहिए और यदि किसी विशेष कानून के अधीन करों की देयता में कमी करना संभव नहीं हो तो अन्य कानूनों के अन्तर्गत उपयुक्त समायोजनों द्वारा समुचित राहत प्रदान करने के प्रयास किये जायें।

भारत सरकार

3. कि प्रत्येक तिमाही में होने वाली अनुमानित आय के आधार पर अग्रिम आयकर देने के लिए उद्योग को समर्थ बनाया जाए;

4. संचालन के कृषि स्वरूप को देखते हुए, आगामी तीन वर्षों के लिए, उद्योग की ऋण संबन्धी आवश्तकताएं ब्याज की रियायती दरों पर वित्तीय संस्थानों द्वारा पूर्ण रूप से पूरी की जाएं;

5. कि निम्नलिखित के लिए रेलवे प्राधिकारियों से विचार विमर्श किया जाये: —

(क) चाय बागानों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु कोयला परिवहन के लिए पूर्ण संचालन सुविधाएं देना और इसे सुकर बनाने के लिए उद्योग को कोयले की खानों से रेलवे स्टेशन तक लाने के लिए साधन सुलभ कराये जाएं;

(ख) कि पूरी गाड़ी से कम चाय अर्थात माल डिब्बों की कम संख्या तथा साथ-साथ कंटेनरों में लाने ले जाने के लिए रेलवे द्वारा उद्योग को सुविधाएं दी जायें।

6. कि आंतरिक चाय विपणन पद्धति के बारे में एक अध्ययन किया जाये और उचित रिपोर्टिंग एवं मानिटरिंग पद्धति तैयार की जाये।

7. कि सरकार द्वारा पहले की गठित, लघु उपजकर्ताओं संबंधी समिति से उनकी विशेष कठिनाइयों एवं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यथाशीघ्र अपनी सिफारिशें देने के लिए आग्रह किया जाये।

(8) कि चाय बोर्ड के अध्यक्ष को त्रिपुरा में उद्योग की एक अलग बैठक बुलानी चाहिये ताकि विशेष रूप से त्रिपुरा से संबंधित समस्याओं पर विचार किया जा सके उपयुक्त उपायों की सिफारिश की जा सके;

राज्य सरकारें

(9) कि चाय उत्पादक राज्यों की सरकारों को समय-समय पर उत्पन्न होने वाले सम-

स्थाओं पर चाय उद्योग के साथ साथ आवधिक तथा नियमित आधार पर विचार करने की दृष्टि से परामर्शदात्री समितियां गठित करने पर विचार करें। इन समितियों में सम्बन्धित सरकारों तथा उद्योग के प्रतिनिधि होंगे। यदि राज्य सरकारें ऐसा चाहें तो भारत सरकार के प्रतिनिधियो को इस प्रकार की बैठकों में भाग लेने में प्रसन्नता होगी। केरल सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था पहले ही आरम्भ कर दी है।

(10) कि राज्य सरकारों को (क) चाय की सभी निर्यात विक्रियों, (ख) पैकेटीकरण प्रयोजनार्थ अपनी स्वयं की चाय का प्रयोग करने वाले उत्पादकों, के ग्रामीण रोजगार उपकर की छूट देने पर विचार करना चाहिए;

(11) कि मूल्य-वर्धित रूपों में उत्पादन के लिए प्रयोग की जा रही चाय की नीलामियों के माध्यम से बिक्री करना अनिवार्य न रखा जाये;

(12) कि पश्चिम बंगाल सरकार से सी० सी० पी० ए० द्वारा उन्हें दिये गये अभ्यावेदन पर (क) उद्योग को अपने विपणन मार्ग को चुनने के लिए स्वतंत्रता; और (ख) ग्रामीण रोजगार उपकर से छूट; के बारे में शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध किया जाये।

(13) राज्य सरकारों को चाय उद्योग के साथ लकड़ी ईंधन जो कि एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, की उपलब्धता संबधी उनके प्रस्तावों पर विचार विमर्श करना चाहिए।

सामान्य

(14) उद्योग के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाये रखने के लिए चाय उद्योग सम्बन्धी राष्ट्रीय स्तर की बैठकें समय-समय पर आयोजित की जायें।

उड़ीसा में पर्यटन के लिए फीडर विमान सेवा से जोड़े जाने वाले स्थान

2918. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उड़ीसा के पर्यटन रुचि के स्थानों को "फीडर-विमान सेवा" से जोड़ने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो 1980 के दौरान जोड़े जाने वाले स्थानों के नाम क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) : वायु-दूत सेवाओं का उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के स्थानों से इतर स्थानों के लिए एक चरण बद्ध कार्यक्रम के अनुसार विस्तार करने का सिद्धांत रूप में निर्णय ले लिया गया है। विस्तृत ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

लेह और दिल्ली/चण्डीगढ़ को विमान उड़ानों का क्रम

2919. **श्री सुनील मैत्रा :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शनिवार, रविवार और सोमवार को विमान-उड़ान लेह को दिल्ली और चण्डीगढ़ से मिलाती है; और

(ख) यदि हां तो क्या कारण हैं कि इन विमान-सेवाओं के क्रम को इस ढंग से नहीं रखा जा सकता है कि जिससे इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की विमान उड़ान प्रत्येक दूसरे दिन लेह को दिल्ली अथवा चंडीगढ़ के साथ मिलाये ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा (क) : जी, हां।

(ख) : इण्डियन एयरलाइन्स की अक्तूबर, 1981 से लागू होने वाली अपनी शीतकालीन समयावली में लेह के लिए किए जाने वाले परिचालनों की तारीखों में फेर-बदल करने की योजना है।

मध्य प्रदेश में स्पंज लौह संयंत्र की स्थापना

2920. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में स्पंज लौह संयंत्र की स्थापना की सम्भावनाएं क्या हैं,

(ख) क्या सरकार मध्य प्रदेश में एक स्पंज लौह संयंत्र की स्थापना करने पर विचार कर रही है, और

(ग) : यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) से (ग) : मध्य प्रदेश में स्पंज लोहे का कारखाना लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

कोक का आयात

2921. **श्री एम० एम० लारेंस** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1978, 1980 और 1981 में कोको का आयात करने के लिए लाइसेंस दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ष आयात की गई मात्रा कितनी है; और

(ग) कोको का राज्यवार देशी उत्पादन कितना है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) : 1978-79, 1979-80 तथा 1980-81 (15.7.80) के दौरान ओ० जी० एल० के अधीन वास्तविक प्रयोक्ता औद्योगिक को कोको बीन्स/पाउडर के आयात की अनुमति थी। नीति के अनुसार आर. ई. पी. तथा अतिरिक्त लाइसेंसों के आधार पर यह मद निर्यात सदन भी आयात कर सकते थे। 16 जुलाई, 1980 से इस मद का आयात भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० के जरिए सरणीबद्ध कर दिया गया। तब से 1981-82 के दौरान सरणीकरण अभिकरण के माध्यम से केवल 75 एम० टन का आयात क्लियर किया गया है।

(ख) 1978-79, 1979-80 तथा 1980-81 (मई 1980 तक) के दौरान आयातित मात्राएं नीचे दी गई हैं :—

वर्ष	मात्रा (एम० टन)
1978-79	693
1979-80	586
1980-81 (मई, 1980 तक)	121

(ग) : उत्पादन का सरकारी प्राक्कलन उपलब्ध है। 1980 के दौरान मुख्यतः केरल तथा कर्नाटक राज्यों में स्वदेशी उत्पादन का मोटे तौर पर अनुमान 3000 तथा 3500 एम० टन के बीच है।

कुटीर उद्योगों को ऋण सुविधायें

2922. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुटीर उद्योगों की ब्याज की रियायती दर पर ऋण सुविधायें देने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो कितना ऋण दिया जायेगा और ब्याज की दर क्या होगी,

(ग) यह योजना कब तक कार्यान्वित की जायेगी और इसके परिणामस्वरूप कितने लोगों को को लाभ पहुँचेगा, और

(घ) सरकार ने कुटीर उद्योग को अन्य क्या नई सुविधायें देने का निर्णय किया है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मत्री (श्री मगनभाई बरोट) (क) और (ख) : ग्राम और कुटीर उद्योगों सहित लघु उद्योगों को रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता दी जाती है। इन औद्योगिक एककों को दिए जाने वाले अग्रिमों के सम्बन्ध में 2 मार्च, 1981 से लागू ब्याज दरें इस प्रकार हैं:—

(1) 25 हजार रुपये तक के मिश्रित ऋण कारीगरों, ग्राम और लघु उद्योगों के लिए

(क) पिछड़े क्षेत्र	10.25 प्रतिशत
(ख) अन्य क्षेत्र	12.50 प्रतिशत

(2) सावधिक ऋण

(क) पिछड़े क्षेत्र	12.50 प्रतिशत
(ख) अन्य क्षेत्र	13.50 प्रतिशत

(3) अत्यावधिक ऋण

(क) 2 लाख रुपये	15 प्रतिशत से अधिक
(ख) 2 लाख रुपये से ऊपर और 26 लाख रु० तक	18.50 प्रतिशत से अधिक
(ग) 25 लाख रुपये से ऊपर	19.50 प्रतिशत अनधिक

(4) विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत मात्र अग्रिमों पर 4 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लिया जाता है।

(ग) : दिसम्बर, 1979 और जून, 1980 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बैंकों द्वारा कारीगरों, ग्राम और कुटीर उद्योगों को दिए गए अग्रिमों की राशि इस प्रकार थी :

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कारीगरों ग्राम और कुटीर उद्योगों को दिए गए अग्रिम :

(एककों की संख्या हजार में)
(रकम करोड़ रुपयों में)

अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार	एककों की संख्या	बकाया रकम
दिसम्बर, 1989	295	88
जून, 1989 (अन्तिम)	321	94

(इससे पहले की अवधि के आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं)

यह देखा जाएगा कि बैंकों द्वारा इस विकेन्द्रीय क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में लगातार वृद्धि हुई है ।

(घ) : लघु तथा कुटीर उद्योगों के कारीगरों आदि को दिए जाने वाले बैंक ऋण का प्रसार करने के उद्देश्य से विशिष्ट उपाय करने के लिए सरकार द्वारा अक्तूबर 1978 में स्थापित किए गए एक कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसम्बर 1978 में बैंकों के नाम मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये थे जिनकी मुख्य बातें ये हैं :—

(1) किसी एक कारीगर, ग्राम और कुटीर एकक को उपस्कर वित्त अथवा कार्यचालन पूंजी अथवा दोनों के लिए 25 हजार रुपये तक का ऋण मिश्रित सावधिक ऋण के रूप में मंजूर किया जाएगा जिसकी वापसी अदायगी की अवधि 7 से लेकर 10 वर्षों तक की होगी और शुरू में उसके 12 से 18 महीनों तक की आस्थगन अवधि साथ होगी । बैंकों को मार्जिन, संपार्श्विक जमानत अथवा गारंटी पर जोर नहीं देना चाहिए ।

(2) शाखा प्रबन्धकों को किसी अन्य उच्चतर प्राधिकरी की अनुमति लिए बिना 25 हजार रुपये तक के प्रस्तावों को मंजूर करने के लिए विवेकाधिकार शक्तियां प्राप्त होनी चाहिए । लघु क्षेत्र अथवा कारीगरों अथवा ग्राम/कुटीर उद्योगों से प्राप्त होने वाले एक लाख रुपये तक के सभी प्रस्तावों को प्रार्थनापत्र प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि तक निपटाया जाना चाहिए ।

(3) ऋण सीमा अथवा ऋण मंजूर करते समय एक परिचालन चक्र की आवश्यकताओं का उदारता से जायजा लिया जाना चाहिए और आकस्मिक व्यय के लिए मूल स्वीकृति में ही इस राशि में 10 से 20 प्रतिशत तक और रकम जोड़ दी जानी चाहिए और उसका भुगतान उस समय किया जाना चाहिए जब वह परिचालन संबंधी कठिनाइयों अथवा विशुद्ध उपभोग की आवश्यकताओं के कारण पैदा हुई अप्रत्याशित आकस्मिकता के लिए आवश्यक हो ।

(4) बैंकों को लघु क्षेत्र में ग्राम और कुटीर उद्योगों तथा लघु उद्योगों को दिए जाने

वाले ऋणों और अग्रिमों के सम्बन्ध में चाहे वे सावधिक आवश्यकताओं के लिये दिये गए हों अथवा कार्यचालन पूंजी के लिए, दण्डात्मक ब्याज नहीं लेना चाहिए।

(5) बैंक लघु उद्योगों को दिये जाने वाले मिश्रित और सावधिक ऋणों के सम्बन्ध में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त करने के पात्र हैं।

बैंकों को सलाह दी गई है कि वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले अपने ऋण की राशि को बढ़ाकर वर्ष 1985 तक अपने कुल ऋण के 40 प्रतिशत तक पहुँचा दें। इससे लघु उद्योगों जिनमें कारीगर, ग्राम और लघु उद्योग शामिल हैं, के हिस्से में वृद्धि होगी। बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम विषयक कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसरण में लघु औद्योगिक क्षेत्र में 25 हजार रुपये तक की ऋण सीमाओं वाले सभी एककों को कमजोर वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बैंकों को यह परामर्श दिया गया है कि वे इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करें कि उनके द्वारा 1985 तक लघु उद्योगों को दिए जाने वाले अग्रिमों का कम से कम 12 प्रतिशत इस कमजोर वर्ग को प्राप्त होने लगे।

"वायुदूत" फीडर एयरलाइन्स का कार्यकरण

2923. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में चालू की गई फीडर एयरलाइन्स सेवा 'वायुदूत' के कार्यकरण के बारे में कोई पुनरीक्षण किया गया है?

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में कुछ नये केन्द्रों में "वायुदूत" सेवा चालू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) (क) और (ख) : वायुदूत सेवाओं के परिचालनों का लगातार पुनरीक्षण किया जा रहा है और समय-समय पर किए गए ऐसे पुनरीक्षणों के परिणामों से पता चलता है कि जो भार अनुपात फरवरी, 1981 में 27 प्रति. था, जुलाई, 1981 में बढ़कर 37.36 प्रति. हो गया। झाबुआ-तेज-छाबुआ सेक्टर में भार-अनुपात में वृद्धि होने से सेवाओं में वृद्धि करना जरूरी हो गया। तदनुसार, वायुदूत इस सैक्टर में शनिवार को एक अतिरिक्त शटल सेवा का परिचालन कर रही है। हाल में किए गए एक पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप, यह पाया गया कि इन सैक्टरों के किरायों में संशोधन करके वृद्धि करने की जरूरत थी।

(ग) और (घ) : वायुदूत सेवाओं का उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के स्थानों से इतर स्थानों के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार विस्तार करने के बारे में सिद्धांत रूप में निर्णय ले लिया गया है। विस्तृत ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

आयात और निर्यात

2924. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश द्वारा पिछले तीन वर्षों में किये गये आयात तथा निर्यात का मूल्य क्या था;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान व्यापार सन्तुलन की स्थिति क्या थी; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के लिए आयात निर्यात संबंधी लक्ष्य क्या नियत किए गये थे ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) (क) तथा (ख) :

(करोड़ रु०)

वर्ष	आयात	निर्यात	व्यापार क्षेत्र
1978-79	6814.30	5726.26	-1088.04
1979-80	9021.75	6458.76	-2562-97
1980-81 (अन्तिम)*	12329.90	6704.12	-5625.78

(ग) : 1978-79, 1979-80 1980-81 के अनन्तिम निर्यात लक्ष्य क्रमशः 5800 करोड़ रु०, 6268 करोड़ रु० और 7100 करोड़ रु० थे। मंत्रालय द्वारा इस प्रकार के आयात लक्ष्य तैयार नहीं किये गये थे।

श्री जे० आर० डी० टाटा की अध्यक्षता में बनी मूल्यांकन समिति की सिफारिशें

2925. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इण्डिया बोर्ड ने श्री जे. आर. डी. टाटा की अध्यक्षता में बनी एक मूल्यांकन समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) (क) और (ख) : एयर इण्डिया बोर्ड ने, पुराने बी-707 विमानों के बदले में, जिन्हें कि सेवा से हटाया जाना है, 1983 में तीन एल-1011-500 ट्रि-स्टार विमान ले लेने की श्री जे. आर. डी. टाटा की अध्यक्षता वाली मूल्यांकन समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली है।

बैंकिंग आर्थिक कार्य विभाग के प्रतिवेदन की सिफारिशें

2926 **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकिंग आर्थिक कार्य विभाग के प्रतिवेदन की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

* 1980-81 के निर्यात/आयात आंकड़े अनन्तिम हैं (जून 1981 तक संकलित) और सीमा शुल्क कार्यालयों से विलम्बित/पूरक विवरणियों की प्राप्ति पर इनमें वृद्धि होने की संभावना है। 1980-81 के दौरान निर्यात और आयात क्रमशः लगभग 7100 करोड़ रु० तथा 12600 करोड़ रु० तक पहुँच सकते हैं।

(ख) क्या सरकार का विचार उपरोक्त प्रतिवेदन की सिफारिशों के अनुसार वर्तमान राष्ट्रीयकृत बैंकों को एक अथवा इससे अधिक यूनिटों में विलय करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) : सम्भवत:, माननीय सदस्य का तात्पर्य वर्ष 1972 में प्रस्तुत की गई बैंकिंग आयोग की रिपोर्ट से है। आयोग ने सामान्य रूप से यह सिफारिश की थी कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों को दो अथवा तीन अखिल भारतीय बैंकों और छह क्षेत्रीय बैंकों के रूप में समूहित किया जा सकता है।

(ख) और (ग) : हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग प्रणाली के परिचालन में सुधार लाने के लिए लगातार उपाय कर रहा है लेकिन, इसका ढांचा फिर से तैयार करने के लिए सभी संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए बारीकी से अध्ययन करने की आवश्यकता होगी।

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे का विस्तार

2927. **प्रो. जे. कुरियन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे के प्रस्तावित विस्तार तथा अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस कार्य पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई है तथा कितना कार्य अब तक पूरा किया जा चुका है; और

(ग) प्रस्तावित विस्तार का कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) : छठी योजना (1980-85) में त्रिवेन्द्रम में पूरे किए गए, चल रहे तथा आरम्भ किए जाने वाले प्रस्तावित निर्माण कार्यों के विस्तृत ब्यौरे संलग्न विवरण में दर्शाये गए हैं। इस समय प्रायोजित समस्त परियोजनाओं के चालू योजनावधि के दौरान पूरा होने की आशा है।

विवरण

हाल ही में पूरे किए गए निर्माण-कार्य	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)
1. धावनपथ का 8500 फुट तक विस्तार तथा उसे एल. सी. एन.-40 तक मजबूत करना	99.57
2. लिंक टैक्सी-पथ का निर्माण	16.27
3. परिचालन दीवार (चरण 1) का निर्माण	10.75
4. अंतर्राष्ट्रीय विंग का विस्तार	1.98
5. अन्तर्देशीय टर्मिनल भवन का विस्तार तथा परिवर्तन	43.47
6. "आवासी" की व्यवस्था	6.00
7. चार क्रैश फायर टैंडरों की व्यवस्था	38.00
8. फायर स्टेशन का निर्माण	5.11
9. एक ड्राई कैमिकल टैंडर की व्यवस्था	1.00
योग :	222.15

चालू निर्माण कार्य		मई, 1981 तक हुआ व्यय (लाख रु० में)
1. नियंत्रण टावर तथा तकनीकी ब्लाक का निर्माण		
चालू निर्माण कार्य		
1. नियंत्रण टावर तथा तकनीकी ब्लाक का निर्माण	60.94	12.89
2. धावनपथ का 10,000 फुट तक विस्तार तथा धावनपथ व संबद्ध पेवमेंट्स को एल० सी० एन० - 60 तक मजबूत करना	168.52	134.21
3. नये अन्तर्राष्ट्रीय ब्लाक के लिए भूमि का अधिग्रहण*		20.03
4. रिहायशी क्वार्टरों का निर्माण	15.90	2.79
5. तीन डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर	0.48	0.32
6. उपकरण अवतरण प्रणाली की व्यवस्था	50.00	42.99
	295.84	213.22

प्रायोजित निर्माण-कार्य	अनुमानित लागत (लाखों रुपयों में)	
1. नये अंतरराष्ट्रीय ब्लाक का निर्माण	213.61	(प्राक्कलनों को संशोधित किया जा रहा है)
2. दो वाटर बाउजरों की व्यवस्था	6.00	
3. उच्च वोल्टता वाली धावनपथ एप्रोच लाइट्स	6.30	
4. तीन बार वासी दो सैट	6.30	
5. सिम्पल एप्रोच लाइट	5.22	
6. चार हस्त धारित मैटल डिटेक्टर	0.88	
7. दो एक्सरेहैंड बेग चैकिंग	28.00	
8. विस्तारित परास वाली वी० एच० एफ०-संचार की व्यवस्था	40.00	
9. सिंगल बैंड मोड में उच्चावृत्ति वायु-भू-संचार की व्यवस्था	30.00	
10. कन्वेयर बेल्ट की व्यवस्था	2.00	
11. कम्यूनिटी सैंटर का निर्माण	2.00	
12. दर्शक दीर्घा की व्यवस्था	2.00	
13. एप्रोच लाइट के लिए भूमि का अधिग्रहण	20.00	
14. कार्यालय तथा सुरक्षा कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण	3.00	
15. मैकेनिकल स्वीपर्स	7.00	
योग	371.56	

* इसे "प्रायोजित निर्माण-कार्यों" के अन्तर्गत दिए गए 213 लाख रुपए की अनुमानित लागत वाले नये अन्तर्राष्ट्रीय ब्लाक के निर्माण के प्रस्ताव में सम्मिलित कर लिया गया है।

बिक्री कर का समाप्त किया जाना

2928. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करोड़ों रुपयों के बिक्री कर की वसूली नहीं हो पाती;

(ख) यदि हां, तो सरकारी राशियों की वसूली के लिये सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है; और

(ग) क्या सरकार बिक्री कर को समाप्त करके उसके स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाने अथवा जहां तक सम्भव हो सके स्रोत तथा अन्य मामलों में प्रथम बिन्दु पर बिक्री कर वसूल करने के लिये कोई कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :

(क) तथा (ख) : किसी राज्य के भीतर होने वाली माल की बिक्री अथवा खरीद पर कर लगाना, संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची □ की प्रविष्टि 54 के अन्तर्गत राज्य-कराधान का विषय है। केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत माल की अन्तर राज्यीय बिक्री पर लगने वाले कर से प्राप्त राजस्व भी संविधान के अनुच्छेद 269 (1) (छ) के अन्तर्गत राज्यों को सौंपा गया है। केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम-1956 का प्रशासन, कानून द्वारा राज्य के बिक्री कर अधिकारियों को सौंपा गया है, जो इस प्रकार के कर का निर्धारण करते हैं और वसूल करके, उसे अपने पास रखते हैं। वसूल नहीं किये गए बिक्री कर सम्बन्धी जानकारी, सम्बन्धित राज्य सरकारों के पास ही उपलब्ध हो सकती है और बकाया कर की वसूली के लिए उपयुक्त कार्यवाही करना उन्हीं का कर्तव्य है।

(ग) : जैसा कि ऊपर बताया गया बिक्री कर राज्य कराधान का विषय है। देश की बिक्री कर प्रणाली में कोई भी सुधार, राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके और उनके सहयोग से ही किया जा सकता है। इस मामले पर सभी पहलुओं से चर्चा करने के लिए 16 और 17 सितम्बर 1980 की मुख्य मंत्रियों और बिक्री कर का कार्य देखने वाले मन्त्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलनों ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि ऐसी वस्तुओं की सूची में वृद्धि करने के लिए जिन पर, बिक्री कर के स्थान पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगाने की योजना को लागू किया जा सके और घोषित वस्तुओं की सूची में वृद्धि करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिये मुख्य मंत्रियों का एक पैनल बनाय जाए। इस सम्बन्ध में आगे और विचार करने के लिए 15-2-1981 को मुख्य मंत्रियों का एक और सम्मेलन बुलाया गया जिसमें उपर्युक्त पैनल के सदस्य भी शामिल थे। वनस्पति, औषध द्रव्यों और औषधियों, सीमेंट, कागज और गत्ता तथा पेट्रोलियम उत्पादों को घोषित वस्तुओं की सूची में शामिल करने और बिक्री कर के स्थान पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगाने के वित्त मन्त्री के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद सम्मेलन ने एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की सिफारिश की, जिसका अध्यक्ष कोई ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा जो वित्त आयोग का अध्यक्ष बनने की योग्यता रखता हो और एक अर्थ-शास्त्री और एक प्रशासक इसके सदस्य होंगे। और यह समिति इस प्रस्ताव में निहित वित्तीय पेचिदगियों का तथा इस बात का अध्ययन करेगी कि राज्यों के वित्तीय हितों की रक्षा किस प्रकार की जा सकती है। लेकिन पश्चिमी बंगाल, केरल और जम्मू तथा कश्मीर राज्य सिद्धांततः

इस सिफारिश से सहमत न थे। विशेषज्ञ समिति का गठन विचाराधीन है।

जहां तक बिक्री कर की वसूल करने की विधि का सम्बन्ध है अर्थात् उसे जहां कहीं व्यवहार्य हो, स्रोत पर वसूल किया जाय और अन्य मामलों में प्रथम बिन्दु पर यह निर्णय करना सम्बन्धित राज्य सरकारों का का है।

अफीम की खेती के लिए लाइसेंस जारी किया जाना

2929. श्री सत्य नारायण जटिया : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 के दौरान जितनी भूमि पर अफीम की खेती की जा रही थी उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) अफीम की खेती के लिए अफीम उत्पादकों का वर्ष 1981 के दौरान राज्यवार कितने लाइसेंस जारी किये गए;

(ग) 1981 के दौरान अफीम उत्पादकों को अफीम के प्रति किलोग्राम रेट क्या दिए गये;

(घ) 1981 के दौरान अफीम का कुल उत्पादन कितना हुआ;

(ङ) क्या सरकार को इसके तोल में अनियमितता की कोई शिकायत मिली है; और

(च) यदि हां, तो किस स्थान से और इस बारे में की गई जांच का क्या निष्कर्ष निकला ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) : फसल वर्ष 1980-81 के दौरान पोस्त की काश्त के निमित्त लाइसेंसशुदा रकबे के और अफीम-उत्पादकों को जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या के राज्य-वार ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :

राज्य	अधीन रकबा जिस पर वास्तव में पोस्त की काश्त की गई।	जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या
मध्य प्रदेश	15,956	77,222
राजस्थान	10,114	54,377
उत्तर प्रदेश	9,308	50,663
कुल	35,378	1,82,262

(ग) : फसल वर्ष 1980-81 के लिए काश्तकारों को अदा किया गया अफीम-मूल्य प्रति-ग्राम अफीम 120 रु० से लेकर 220 रु० तक के बीच में था, जो कि उनके द्वारा प्रति हेक्टेयर दी गई अफीम की पैदावार के आधार पर था। अफीम के मूल्य की अदायगी से संबंधित खण्डों के ब्यौरे नीचे दिये गए हैं :

प्रति हेक्टेयर अफीम की दी गई पैदावार की मात्रा।	700 गाढ़ता की प्रति किलोग्राम अफीम का मूल्य (रुपयों में)
(i) प्रति हेक्टेयर अफीम 60 किलोग्राम अथवा अधिक।	220:00

(2) प्रति हेक्टेयर 45 किलोग्राम 60 किलोग्राम से कम।	200.00
(3) प्रति हेक्टेयर 35 किलोग्राम अथवा अधिक किन्तु 45 किलोग्राम से कम।	180.00
(4) प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम अथवा अधिक किन्तु 35 किलोग्राम से कम।	150.00
(5) प्रति हेक्टेयर 25 किलोग्राम अथवा अधिक किन्तु 30 किलोग्राम से कम।	130.00
(6) प्रति हेक्टेयर 25 किलोग्राम से कम।	120.00

(घ) : 1980-81 के दौरान राज्य-वार उत्पादित अफीम की कुल मात्रा नीचे दी गई है :

राज्य	900 गाढ़ता की उत्पादित मात्रा (मी०टन)
मध्य प्रदेश	550
राजस्थान	356
उत्तर प्रदेश	220
सम्पूर्ण भारत	1126

(ङ) तथा (च) : जी, हां। मध्यप्रदेश "मोरबन" तौलन केन्द्र में कदाचार के एक मामले की रिपोर्ट मिली है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि नारकोटिक्स विभाग के कर्मचारियों ने पोस्त के काश्तकारों द्वारा दी गई अफीम के तौल में हेराफेरी करके लगभग 240 ग्राम के एक चुम्बकीय भार का इस्तेमाल किया है। आगे जांच के लिए मामले को केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को सौंप दिया गया है।

अरब देशों को इलायची का निर्यात

2930. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अरब देशों को इलायची का निर्यात करने के लिए हाल में एक बाजार अध्ययन किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत में खेती कर, आयात शुल्क, बिक्री कर आदि के कारण भारतीय इलायची को ग्वाटेमाला में भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव इलायची का उत्पादन बढ़ाने के लिए कर में राहत देने का है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) : जी, हां।

(ख) : ग्वाटेमाला इलायची की कम कीमत के कारण भारतीय इलायची को खासकर मध्य-पूर्व देशों में कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है।

(ग) : ऐसी कोई प्रस्थापना इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

लघु तथा मध्यम उद्योगों की वित्तीय आवश्यकतायें

2931. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय मंत्रालय ने लघु तथा मध्यम उद्योगों की अल्पावधि एवं दीर्घावधि दोनों की वित्तीय आवश्यकताएं बढ़ाने के लिए बहुत से कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए;

(घ) इन कदमों से उद्योग की रुग्णता कहां तक दूर हुई;

(ङ) क्या मंत्रालय ने यह भी बताया है कि प्रबन्ध तथा विपणन व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है; और

(च) अल्पावधि तथा दीर्घावधि ऋणों के कितने प्रोत्साहन दिए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) : लघु उद्योगों की ऋण सुविधाएं बढ़ाने और ऋण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उठाये जाने वाले कदमों के बारे में, भारतीय रिजर्व बैंक, समय-समय पर बैंकों को सलाह देता रहता है । बैंकों को जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्त संक्षेप में नीचे दिए गये हैं :

1. बैंकों को यह सुनिश्चित करना है कि, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को जिसका कि लघु उद्योग एक भाग है, दिये जाने वाले अग्रिम 1985 तक कुल अग्रिमों को 40 प्रतिशत तक पहुंच जाएं । इसके अलावा बैंक को यह भी सुनिश्चित करना है कि लघु उद्योगों को दिए जाने वाले 25,000/-रुपये की सीमाओं तक के ऋण 1985 तक लघु उद्योगों के कुल अग्रिमों के कम से कम 12.5 प्रतिशत तक पहुँच जाएं ।

2. उन लघु औद्योगिक ऋणकर्ताओं के लिए जिनकी ऋण सुविधाओं की आवश्यकता 2 लाख रुपये से अधिक की नहीं है, बैंक को एक ही प्रकार के सरलीकृत आवेदनपत्र और साक्षात्कार तथा मूल्यांकन फर्मों का प्रयोग करना होगा ।

3. उन्हें मार्जिन आवश्यकताओं के सम्बन्ध में लचीला रुख अपनाना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी अर्थक्षम प्रस्ताव मात्र मार्जिन की आवश्यकता के कारण ही अस्वीकृत न हो जाए ।

4. उन्हें मुख्यतः परियोजनाओं की अर्थक्षमता से निर्देशित होना चाहिए और उन्हें नेमी तौर पर तीसरे पक्ष की अचल संपत्ति के माध्यम से सांपार्श्विक प्रतिभूति पर जोर नहीं देना चाहिए । यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी अर्थक्षम प्रस्ताव मात्र सांपार्श्विक प्रतिभूति गारंटी के अभाव में अस्वीकृत न हो जाए ।

5. तदर्थ आधार पर सावधि ऋणों के वापसी अदायगी कार्यक्रम तैयार न किए जाएं

बल्कि इन्हें एकक की लाभ हानि बराबर कर लेने की स्थिति
ध्यान मे रखते हुए निर्धारित किया जाए।

6. किसी व्यक्तिगत शिल्पकार अथवा ग्रामीण/कुटीर उद्योग पोषण अथवा कार्यशील पूंजी अथवा दोनों के लिए 25,000/- रुपये तक 10 वर्ष अथवा और अधिक समय की वापसी अदायगी के साथ संमिश्र सा स्वीकृत की जानी चाहिए और इसके लिए सांपार्श्विक प्रतिभूति/गारंटी/मा दिया जाना चाहिए।

7. शिल्पकारों,ग्रामीण कुटीर उद्योग के एककों और अति लघु क्षेत्र के एककों को दिए अग्रिमों पर, बैंकों को दण्डात्मक ब्याज नहीं वसूलना चाहिए।

8. शाखा प्रबंधकों में समुचित विवेकाधिकार शक्तियां निहित की जाएं जिससे 60 से 80 प्रतिशत ऋण निर्णयों की शाखा स्तर पर निपटारा सुनिश्चित हो सके। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना है कि 25,000/-रुपये ऋण सीमाओं को आवेदन पत्रों के प्राप्त होने के 4 सप्ताहों के भीतर और इससे अधिक 2 लाख रुपये से कम की ऋण सीमाओं को 8 से 9 सप्ताहों के भीतर निपटा दिया जाए।

9. लघु उद्योगों के वास्ते ब्याज दर का ढांचा रियायती है तथा इसमें अभी हाल में ही 2 मार्च 1981 से संशोधन किया गया है जो निम्न प्रकार है :—

25,000 रुपये तक के संमिश्र ऋण

(शिल्पकारों) ग्रामीण कुटीर उद्योग की इकाइयों के लिए

पिछड़े क्षेत्र	10.25 प्रतिशत
अन्य क्षेत्र	12.50 प्रतिशत
सावधि ऋण	
पिछड़े क्षेत्र	12.50 प्रतिशत
अन्य क्षेत्र	13.50 प्रतिशत
अल्पावधि अग्रिम	
2 लाख रुपये तक	15.00 प्रतिशत से अधिक नहीं
2 लाख से अधिक और 25 लाख रुपये तक	17.50 प्रति. अधिक नहीं
35 लाख रुपये से अधिक	19.50 प्रति. से अधिक नहीं।

इसके अतिरिक्त भारतीय औद्योगिक विकास बैंक पात्र संस्थाओं द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों को रियायती ब्याज की दरों पर दिये गए सावधि ऋणों के सम्बन्ध में पुनर्वित्त प्रदान करता है और उसने इस क्षेत्र को दिए गये पुनर्वित्त की सहायता में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये हैं :—

1. जुलाई 1978 से छोटे पैमाने के उद्योगों और छोटे सड़क परिवहन चालकों को 5 लाख

रुपये तक के ऋणों के बारे में पुनर्वित्त की मंजूरी और वितरण स्वत: पुनर्वित्त स्कीम के अधीन स्वत: आधार पर हो रहा है।

2. फरवरी 1979 से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक शिल्पकारों और कुटीर तथा ग्रामीण उद्योगों और अत्यन्त लघु (टाइनी) क्षेत्र के उद्योगों की मंजूर किये गए उपस्कर वित्त और अथवा कार्यकारी पूंजी के 25,000 रुपये तक के संमिश्र ऋणों के बारे में पूर्ण सीमा तक पुनर्वित्त उपलब्ध करा रहा है।

3. हुण्डी पुनर्भुगतान स्कीम के अधीन छोटे पैमाने के उद्योगों के लाभ के लिए निम्नलिखित रियायतें आरम्भ की गई हैं :—

(1) अप्रैल 1978 से भुगतान, पुनर्भुगतान की नीची दरें।

(2) इस प्रकार की हुण्डियों के बारे में छोटे पैमाने के क्षेत्र को सहायता के एक प्रोत्साहन के रूप में बैंकों को अधिक कीमत-लागत अन्तर की अनुमति।

(3) जुलाई 1978 से छोटे पैमाने के क्षेत्र में निर्माता विक्रेता और क्रेता उपयोगकर्ता के अनन्य उपयोग के लिए बैंकों को अलग से सीमाओं (लिपिट्स) की अनुमति

छोटे और मझोले उद्योगों को सहायता की उपलब्धि को तेज बनाने की दृष्टि से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कुछ शर्तों के अधीन पुनर्वित्त के लिए पात्र ऋणों की सीमाएं बढ़ाता रहा है।

इसने दो सीड पूंजी स्कीमें भी चालू की हैं (1) एक राज्य वित्तीय निगमों (एस० एफ० सी०) के लिए स्वीकृत और दूसरी राज्य औद्योगिक विकास निगमों (एस० आई० डी० सी०) के लिए। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और सावधिक ऋण प्रदान करने वाली अन्य अखिल भारतीय संस्थाओं ने 13 तकनीकी परामर्श संगठनों का एक जाल (नेट वर्क) भी तैयार किया है जो देश के विभिन्न भागों में फैला हुआ है और छोटे मझोले उद्यमकर्ताओं को अनेक प्रकार की तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराता है।

(ग) और (च) : निम्नलिखित सारिणी में (1) छोटे पैमाने के उद्योगों को बैंकों के ऋणों और (2) छोटे पैमाने के उद्योगों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की पुनर्वित्त सहायता (सकल) को दिखाने वाले विवरणों से पता लगता है कि इन क्षेत्रों को बैंकों और आई० डी० बी० आई० के ऋणों में निरंतर प्रगति हुई है :

छोटे पैमाने के उद्योग को बैंकों के ऋण

(इकाइयों की संख्या हजारों में)

(राशि करोड़ रुपयों में)

निम्नलिखित के अंतिम शुक्रवार की स्थिति	इकाइयों की संख्या	शेष बकाया	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के कुल ऋणों से%	कुल ऋणों से%
जनवरी, 69	57	286	59.2	7.9
दिसम्बर, 70	103	469	46 0	10 2
दिसम्बर, 72	173	659	उपलब्ध नहीं	11.7
दिसम्बर, 75	269	1147	44.0	11.4
दिसम्बर. 77	477	1703	41.2	11.1
दिसम्बर, 79	681	2633	38.9	12.4
जून, 80	751	2766	39.3	12.4

छोटे पैमाने के औद्योगिक क्षेत्र को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की पुनर्वित्त सहायता

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष जुलाई-जून	मंजूर की गई कुल पुनर्वित्त सहायता		छोटे पैमाने के उद्योग और छोटे सड़क परिवहन चालकों को पुनर्वित्त सहायता	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1977-78	14578	256.5	13588	162.5
1978-79	29618	429 1	28628	305.1
1979-80	54447	633.7	53339	447.7
1980-71	61210	704.3	60017	481.2

(घ) और (ङ) : ऊपर जिन उपायों का विवरण दिया गया है उनका उद्देश्य छोटे क्षेत्र के उद्योगों की प्रगति को प्रोत्साहन देना है। साथ ही, छोटे पैमाने के उद्योगों समेत सभी उद्योगों की रुग्णता की समस्या को हल करने के लिए भी अनेक उपाय किये गये हैं। इस विषय में अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों को दी गई हिदायतों में इस प्रकार के पहलू भी शामिल हैं जैसे बैंकों के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना और उपयुक्त केन्द्रों पर योग्यता प्राप्त स्टाफ की तैनात करना ताकि वह बीमार इकाइयों के विपणन और प्रबंध सहित उनके परिचालन के विभिन्न पहलुओं पर नजर रख सके और परामर्श सहायता दे सके। बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि उपयुक्त मामलों में अर्थक्षमता की संभावना से युक्त इकाइयों के पुनरुज्जीवन के लिए भी प्रयास करें और आवश्यक हो तो ब्याज की रियायती दर पर आवश्यकता-आधारित ऋण मंजूर करने, कम मार्जिन की अनुमति देने और पिछली देयताओं की वापसी का कार्यक्रम पुनर्निर्धारित करने आदि पर विचार करें। बैंकों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे छोटे पैमाने के उद्योगों के खाते (रुग्ण उद्योगों सहित) की सावधिक समीक्षा करें और उनकी स्थिति अपने बोर्डों के सामने रखें। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि छोटे पैमाने के उद्योगों की इकाईयों पर पर्यावरण के दबावों का बहुत असर पड़ता है, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को यह स्पष्ट किया है कि लघु औद्योगिक क्षेत्र की अर्थक्षम रुग्ण इकाईयों की समय से सहायता दी जाए। इस बात पर भी जोर दिया है कि लघु औद्योगिक क्षेत्र की रुग्ण इकाईयों और छोटे उद्यमकर्त्ताओं के समक्ष आने वाली समस्याओं को सहानुभूति और समझ के साथ हल किया जाना चाहिए और इसलिए बैंकों को अपने कर्मचारियों की मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए।

लघु और मझोले आकार की औद्योगिक इकाईयों और छोटे उद्यमकर्त्ताओं के सामने आने वाली समस्याओं पर विचार करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में राज्य स्तरीय अंतरसंस्थागत समितियां भी स्थापित की हैं।

बैंकों ने सावधिक ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं के साथ, अनेक राज्यों में, छोटे पैमाने के उद्योगों समेत औद्योगिक क्षेत्र में परामर्श सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए, तकनीकी परामर्श संगठन स्थापित किये हैं। यह संगठन प्रबंध और विपणन समेत विभिन्न क्षेत्रों में, जिनको कि उद्योग में रुग्णता का कारण माना जाता है, परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं।

बैंकों और संस्थाओं के प्रयासों से अनेक रुग्ण इकाईयों पुनरुज्जीवित हुई हैं।

एल्यूमिनियम संयंत्रों की स्थापना हेतु विदेशी सहायता

2932. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं, जिन्होंने एल्यूमिना संयंत्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता देने के सम्बन्ध में अपनी इच्छा व्यक्त की है;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं, जिन्होंने ऐसे एल्यूमिना संयंत्रों की स्थापना के लिये धन देना पहले ही शुरू कर दिया है;

(ग) किस-किस एल्यूमिना संयंत्र को ऐसे वित्तीय अनुदान दिए गये हैं;

(घ) उन एल्यूमिना संयंत्रों की अनुमानित लागत क्या है;

(ङ) क्या भारत तथा किसी अन्य देश के संयुक्त सहयोग से किसी प्रस्तावित एल्यूमिना संयंत्र की स्थापना होने जा रही है; और

(च) यदि हाँ, तो ऐसे एल्यूमिना संयंत्रों का ब्यौरा क्या है जिनका कार्य समय पर चल रहा है और कौन-कौन से एल्यूमिना संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (च) : फ्रांस सरकार ने उड़ीसा एल्यूमिना/एल्यूमिनियम का पर्लका के एक भाग के लिए वित्त व्यवस्था हेतु ऋण दिया है। यह कम्पलैक्स 1242.4 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्थापित किया जा रहा है और इसको 1985-86 में चालू करने का कार्यक्रम है। अभी तक परियोजना का काम कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है।

इसके अलावा, सोवियत सरकार ने भारत में एक प्रस्तावित एल्यूमिना संयंत्र के लिये अंशत: धन जुटाने हेतु ऋण देने में रुचि दिखाई है। 8,00,000 टन वार्षिक क्षमता के इस प्रस्तावित संयंत्र की अनुमानित लागत 498.4 करोड़ रुपये है। सोवियत रूस से संयंत्र हेतु अधिक धन की प्राप्ति और बदले में समूचे अथवा अधिकांश उत्पादन की खरीद के प्रश्न पर दोनों सरकारों के बीच विचार-विमर्श चल रहा है।

उपर्युक्त के अलावा गुजरात और महाराष्ट्र सरकारों द्वारा भारत में मध्य पूर्व की कम्पनियों के सहयोग से एक संयुक्त परियोजना स्थापित करने की सम्भावनाओं का भी अध्ययन किया जा रहा है।

देश में एल्यूमिना/एल्यूमिनियम संयंत्रों के लिये विदेशी सरकारों से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।

महालेखाकार कार्यालय, ग्वालियर के कर्मचारियों को भत्तों की अदायगी

2933. **श्री एन० के शेजवलकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महालेखाकार कार्यालय, ग्वालियर, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को दौरों के दौरान कितना दैनिक तथा मील भत्ता दिया जाता है;

(ख) क्या उक्त राशि 1971 में निर्धारित की गई थी और क्या इस समय सभी चीजों के मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए यह राशि पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) : दैनिक भत्ते और मील भत्ते की दरें सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होती हैं (जिनमें महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर के कर्मचारी भी शामिल हैं)। दैनिक भत्ते की संशोधित दरें 1.6.1974 से लागू हुईं और वे तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित थीं। सरलीकरण/युक्तिकरण के लिये गठित किये गये एक कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर 1.2.1978 से इनकी दरों में सुधार किया गया था, जिसके द्वारा बम्बई/कलकत्ता में लागू दैनिक भत्ते की उच्चतर दरें सभी 'क' श्रेणी के शहरों में और दिल्ली/शिमला की दरें सभी 'ख'। श्रेणी के शहरों में स्वीकार्य कर दर दो गई थीं। दैनिक भत्ते की दरों में संशोधन करने का प्रश्न कर्मचारी पक्ष द्वारा भी जे० सी० एम० की राष्ट्रीय परिषद में उठाया गया है। उस फोरम में कर्मचारी पक्ष के साथ हुए विचार-विमर्श के निष्कर्षों और अन्य सभी संगत बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा इस मामले पर निर्णय लिया जायेगा।

सभी बातों पर विचार करने के बाद मील भत्ते की दरों में समय-समय पर संशोधन किया जाता है। पिछली बार ऐसा संशोधन 29.6.79 को किया गया था।

जिला पुरलिया में अयोध्या पहाड़ियों के विकास के लिए पश्चिम बंगाल सरकार का प्रस्ताव

2934. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार का विचार पुरलिया जिले की अयोध्या पहाड़ी का विकास करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) : पश्चिम बंगाल सरकार ने पुरलिया जिले में अयोध्या पहाड़ियों के विकास का प्रस्ताव किया है। पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय राज्य और प्राइवेट सेक्टरों में उपलब्ध संसाधनों को एक करते हुए एकीकृत ढंग से और अवस्थानुसार विकास के लिए अभिनिर्धारित यात्रा परिपथों में से एक यात्रा परिपथ में अयोध्या पहाड़ियों को शामिल किया गया है। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे अभिनिर्धारित यात्रा परिपथों के साथ-साथ पड़ने वाले केन्द्रों के पर्यटन विकास का एक ब्लू प्रिंट तैयार करें जिसमें इन केन्द्रों में विद्यमान सुविधाओं, राज्य सेक्टर में प्रदान की जा रही सुविधाओं का और उन अतिरिक्त सुविधाओं का उल्लेख किया जाए जो वहां प्रदान की जानी अपेक्षित हैं ताकि कार्यान्वयन के लिए स्कीमों का एक शेल्फ तैयार किया जा सके बशर्ते धन-राशि उपलब्ध हो और पारस्परिक प्राथमिकताएं अनुकूल हों।

खाद्य तेलों के आयातकर्त्ताओं को परमिट/लाइसेंस

2935. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य तेल के उन प्रमुख आयातकर्ताओं के नाम क्या हैं जिन्हें वर्ष 1978-79, 1979-80 1980-81 और 1981-82 (31 जुलाई, 1981 तक) के दौरान तेल आयात करने के लिए परमिट लाइसेंस दिए गए थे; कितने तेल का आयात किया गया; कितने का किया जाना है और यह किन देशों से खरीदा गया;

(ख) क्या उनमें से कुछ ने इसके आयात से बहुत मुनाफा कमाया तथा उन्होंने बहुत सी अनियमितताएं भी की तथा उनकी खेपों को समुद्र में ही बेच दिया अथवा उन्हें किन्हीं अन्य स्थानों भेज दिया, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की;

(ग) क्या आयात को सारिणीबद्ध करने तथा राज्य व्यापार निगम के माध्यम से वितरण से पूर्व सरकार ने उस मूल्य पर कोई नियन्त्रण रखा जो उन्होंने मिलों अथवा थोक खरीदारों से वसूल किया; और

(घ) उन आयातकर्त्ताओं द्वारा जिनका उद्देश्य केवल मूल्य बढ़ाना और पैसा बनाना है, उन खेपों की बिक्री पर इस समय सरकार क्या नियंत्रण रखती है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) : वर्ष 1978-79 के दौरान, 1 दिसम्बर 1978 तक खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत कुछ खाद्य तेलों के आयात करने की अनुमति थी। अतः इस अवधि में कोई विशिष्ट आयात लाइसेन्स जारी नहीं किये गये थे।

2.12 1978 से खाद्य तेलों का आयात भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० की मार्फत सारिणीबद्ध है और यह नीति अभी भी लागू है।

सारिणीकरण के बाद 2.12.1978 के पूर्व खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत की गई पक्की वचन बद्धताओं के आधार पर आयात लाइसेंस जारी किये गये हैं। ऐसे आयात लाइसेंसों के ब्यौरे वीकली बुलेटिन आफ इम्पोर्ट लाइसेंस, एक्सपोर्ट लाइसेंस तथा इन्डस्ट्रियल लाइसेंस में प्रकाशित किये जाते हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

खाद्य तेलों के आयातों सम्बन्धी यथा उपलब्ध एक विवरण संलग्न है। (अनुबन्ध)।

(ख) कुछ आयातकों द्वारा अपने आयातों पर आयतित तेल की उतरने की लागत तथा इसकी विद्यमान बाजार कीमत के बीच अन्तर के कारण काफी लाभ कमाया होगा। ऐसे लाभों को खपाने की दृष्टि से हाल ही में कुछ खाद्य तेलों पर सीमाशुल्क में वृद्धि की गई है।

सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि उक्त आयात लाइसेंसों के बदले में खरीदी गई कोई भी खेप किसी अन्य गन्तव्य स्थान को भेज दी गई हो।

वर्ष 1978-79 में खुला सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयातों पर कीमत या वितरण नियंत्रण के सम्बन्ध में कोई शर्तें लागू नहीं थी। किन्तु खुला सामान्य लाइसेंस के अधीन आयातों को वनस्पति उद्योग तथा अन्य औद्योगिक प्रयोजनार्थ इस्तेमाल करने की कोई अनुमति नहीं थी।

(घ) 2.12.1978 से पूर्व ओ. जी. एल. के अन्तर्गत की गई पक्की वचन-बद्धताओं के आधार पर जारी किये गये लाइसेन्सों पर किये गये आयात भी कीमत अथवा वितरण नियन्त्रण की किसी भी शर्त के अधीन नहीं हैं।

विवरण

1978-79 से 1980-81 (मई 1981 तक) के दौरान खाद्य तेलों के आयात दर्शाने वाला विवरण

क्रमांक	मद का विवरण	1978-79		1979-80		1980-81 (मई 1980 तक)	
		मात्रा	देश जहां से आयात किया गया	मात्रा	देश जहां से आयात किया गया	मात्रा	देश जहां से आयात किया गया
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सोयाबीन तेल	350617	अर्जेंटीना; बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मन जनवादी गणराज्य, इटली, मलेशिया, नीदरलैंड, स्पेन, स्विटजरलैंड, ब्रिटेन, अमरीका।	267071	ब्राजील, फ्रांस, जापान, मलेशिया, नीदरलैंड, सं. रा. अमरीका, सिंगापुर	102702	मलेशिया, नीदरलैंड सं. रा. अमरीका
2.	मूंगफली का तेल						
	(क) कच्चा तेल	1696	फ्रांस, सं. रा. अमरीका,	3	कोरिया गणराज्य	—	—
	(ख) शोधित अथवा परिशोधित	1478	इटली, सं. रा. अमरीका	3003	मलेशिया	—	—
	(ग) निगंधीकृत	3330	फ्रांस, सं. रा. अमरीका	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	ओलिव तेल	44	फ्रांस, इटली, स्पेन ब्रिटेन	172	फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, सिंगापुर, स्पेन, सं. रा. अमरीका	3	इटली, स्पेन
4.	सूरजमुखी का तेल	30722	अर्जेंटीना, ब्राजील, फ्रांस, जर्मन संघीय गणराज्य, इटली, नीदरलैंड, स्विटजरलैंड	—	—	—	—
5.	सरसों का तेल रेप तथा कोल्जा तेल शामिल हैं	251995	अर्जेंटीना, बेल्जियम, ब्रिटेन, बल्गारिया, कनाडा, नीदरलैंड, चेकोस्लोवाकिया, सिंगापुर, डेनमार्क, फेयरी द्वीप समूह, मलेशिया, फ्रांस, जर्मन जनवादी गणराज्य, जर्मन संघीय गणराज्य, जापान, स्वीडन	119555	कनाडा, जर्मन संघीय गणराज्य, जापान, कोरिया गणराज्य, नीदरलैंड, ब्रिटेन	6200	कनाडा
6.	ताड़ का तेल	397331	चीन गणराज्य, जर्मन संघीय गणराज्य, इन्डोनेशिया, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, स्वीडन, सं. रा. अमरीका	328935	कनाडा, जर्मन संघीय गणराज्य, इन्डोनेशिया, जापान, मलेशिया, नीदरलैंड, सिंगापुर, श्रीलंका	92856	जापान, मलेशिया, सिंगापुर, सं रा. अमरीका

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	नारियल का तेल	3793	मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका	—	—	—	—
8.	ताड़ की गिरी का तेल	—	—	150	मलेशिया	—	—

टिप्पणी : आंकड़े अनन्तिम हैं और इनमें संशोधन हो सकता है।

स्रोत : (1) 1978-79 तथा 1979-80 — वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित मंथली स्टेटिस्टिक्स आफ फारेन ट्रेड आफ इण्डिया वाल्यूम-2।

(2) 1980-81 (मई, 1980 तक) — डी जी सी आई एण्ड एस कलकत्ता से आर्थिक सलाहकार, वाणिज्य विभाग में प्राप्त अग्रिम आंकड़े।

थाल परियोजना के लिए ऋण

2936. **श्री लक्ष्मण कुमार मलिक :**

श्री हीरालाल आर० परमार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने थाल परियोजना के लिए जापान से ऋण मांगा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में किसी दल ने जापान का दौरा किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो कितना ऋण मांगा गया है और उस दल के दौरे का परिणाम क्या निकला ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी, हाँ ।

(ख) : जी, हां ।

(ग) : इस परियोजना के लिए 20 अरब येन का एक ऋण प्राप्त करने के लिए दोनों सरकारों के बीच हाल ही में पत्रों का आदान-प्रदान हुआ है ।

मजदूरी को उत्पादकता के साथ जोड़ा जाना

2937. **श्री बी० एस० विजयराघवन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मजदूरी को उत्पादकता के साथ जोड़ने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) चूंकि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में मजूरी को उत्पादकता से जोड़ने का प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है, अतः तत्संबंधी ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

संयुक्त राज्य अमरीका को रेलवे कल-पुर्जों का निर्यात

2938. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे कल पुर्जों के विनिर्माताओं के एक शिष्टमण्डल द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका का दौरा करने का कोई प्रस्ताव है ताकि इन कल पुर्जों के निर्यात की सम्भावना का पता लगाया जा सके;

(ख) यदि हाँ, तो उन मदों के बारे में कोई अध्ययन किया गया है जिनकी संयुक्त राज्य अमरीका में भारी माँग है; और

(ग) इस दल के सदस्यों के नाम क्या हैं और उन्हें भेजने वालों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां ।

(ख) इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता ने अमरीकी बाजार का प्रारंभिक

अध्ययन किया है जिससे यह पता चलता है कि वहाँ रेलवे की अनेक मदों की अच्छी माँग है जिसमें भाड़ा कारें, उनके संघटक, सवारी कारों के संघटक, रेलवे ट्रैक फास्टर्स तथा रेलवे ट्रैक औजार आदि शामिल हैं।

(ग) इस प्रतिनिधिमंडल में प्रमुख रेलवे रोलिंग स्टाक तथा संघटक उद्योग के 5 सदस्य तथा इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद से सदस्य सचिव के रूप में एक वरिष्ठ अधिकारी होगा।

इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद इस प्रतिनिधिमंडल की प्रायोजक है।

भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक में से अदालती टिकटों का गायब हो जाना

2939. **श्री तारिक अनवर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक में से लगभग 1.50 करोड़ रुपये के मूल्य के अदालती टिकट, जो कि हाल ही में विभिन्न स्थानों के लिए भेजे गए थे, गन्तव्य स्थानों पर पहुँचने से पूर्व ही गायब हो गए;

(ख) यदि हाँ, तो हर एक स्थान के लिए भेजे गए टिकटों का मूल्य क्या है;

(ग) क्या इसमें शामिल अपराधियों को पकड़ा जा चुका है;

(घ) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई जाँच की है कि इस मामले में भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक के कुछ कर्मचारी सम्मिलित थे;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(च) किस एजेंसी के माध्यम से जाँच कराई गई थी, और यदि नहीं कराई गई तो उसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (च) : भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक द्वारा सारे देश में भिन्न-भिन्न स्थानों को बहुत थोड़े-थोड़े समय के बाद स्टाम्पों आदि की पूर्ति की जाती है और इसलिए स्थानों और अवधियों के ब्यौरे के अभाव में अपेक्षित सूचना प्रदान करना संभव नहीं है।

सरकार को उत्तरी बिहार क्षेत्र में हाल में हुई चोरी की घटना की जानकारी है जिसमें रेलवे मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, गैर-अदालती स्टाम्प के पैकेटों वाले दो बैगनों के बारे में यह पता चला था कि उनमें गढ़रा और मोकामा जंक्शन पर हेराफेरी की गई थी। इन बैगनों के उत्तर-पूर्वी रेलवे के बरौनी जंक्शन, सहरसा, सीतामढ़ी, बेगूसराय, कटिहार और सिवान स्टेशन पहुँचने पर संबद्ध पैकेटों से 29.74 लाख रुपए के मूल्य की कमियाँ होने की रिपोर्ट दी गई थी। रेल संपत्ति (विधिविरुद्ध कब्जा) अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कियागया है और अब तक 20,000/रुपए मूल्य के गैर-अदालती स्टम्प बरामद किए जा चुके है। रेलवे प्राधिकारियों द्वारा जाँच की जा रही है। अभी तक भारत प्रतिभूति मुद्रणासय के किसी कर्मचारी के इस मामले में सम्मिलित होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली

है और इसलिए भारत मुद्रणालय के कर्मचारियों के विरूद्ध कोई जांच करने का सवाल पैदा नहीं हुआ है। भारत प्रतिभूति मुद्रणालय की पूर्ति की शर्त नासिक में रेल पर्यंतनः शुल्क है और पैकटों का प्रेषण भारत प्रतिभूति मुद्रणालय के एक से अधिक पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा विस्तृत जांच पड़ताल के बाद किया जाता है। मार्ग में हानि हो जाने की दशा में परिवेती (कन्साइनी) द्वारा रेलवे विभाग के प्राधिकारियों से दावा किये जाने की अपेक्षा की जाती है।

रक्षा असैनिक पैंशनरों द्वारा की गई मांगें

2940. **श्री आर० महलगी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 'डिफेन्स सिविलियन पैंशनर फोरम आफ फ्री एन्टरप्राइज पुणे' (महाराष्ट्र) द्वारा माननीय राष्ट्रपति के प्रस्तुत किए गए दिनांक 1 जनवरी, 1980 के ज्ञापन की प्रति मिल गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में निर्णय ले लिया है; और

(घ) यदि हाँ तो निर्णय का ब्यौरा क्या है, और उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) : जी, हाँ।

(ख) से (घ) : मुख्य मांगें ये थीं; पेंशन अधिनियम, 1971 को बदलना, 1-1-1964 से पहले सेवा-निवृत हुए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की विधवाओं को परिवार-पेंशन की स्वीकृति देना, पुराने और नये पेंशनभोगियों के बीच की असमानता को दूर करना और जे० सी० एम० आदि की राष्ट्रीय परिषद में पेंशन भोगियों को प्रतिनिधित्व देना। इन मांगो पर सावधानी से विचार किया गया है लेकिन इन्हें स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया है। अभी कुछ समय पहले सरकार ने सेवा-निवृत होने वाले सरकारी कर्मचारियों को पेंशन संबंधी हकदारी में पर्याप्त सुधार किये हैं। सरकार उपलब्ध साधनों के अन्दर, जितना अधिक से अधिक हो सकता है उतनी सीमा तक मांगें स्वीकार करने का प्रयास करती है। जहाँ तक पुराने पेंशनभोगियों को सुधरे हुए पेंशन सम्बन्धी लाभ प्रदान करने का प्रश्न है, किसी कर्मचारी की सेवा-निवृति की सुविधाओं का निर्धारण उसके सेवा-निवृत्त होने की तारिख को लागू नियमों के सन्दर्भ में किया जाता है। सुविधाओं का निर्धारण उसके सेवा-निवृत्त की सुविधाओं में किसी उदारीकरण/संशोधन को प्रशासनिक और वित्तीय कारणों से बाद की तारीख से प्रभावी किया जाता है, तथापि सरकार तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पुराने पेंशनभोगियों को भी मंहगाई राहत प्रदान कर रही है। अभी तक राहत की 13 किस्तें, जिनकी राशि कम से कम 60 रु० और अधिक से अधिक 300/-रु. प्रति महीने बैठती है, मंजूर की गई है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार जो पेंशनभोगी 1-1-1973 से पहले सेवा निवृत्त हुए थे, उन्हें 15/-रु० से 35/-रु० प्रति महीने तक तदर्थ राहत की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त जैसा कि वित्त मंत्री ने 28-2-1981 को अपने बजट भाषण में घोषणा की थी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत में, अब तक प्रत्येक 16 अंकों की वृद्धि के लिए 5 प्रतिशत की दर से राहत की बजाय अब प्रत्येक 8 अंक की वृद्धि के लिए पेंशन के 2.5 प्रतिशत की दर से पेंशनभोगियों को मंहगाई राहत प्रदान की जा रही है।

पेंशनभोगियों को मंहगाई राहत की अदायगी की कार्यविधि को भी सुव्यवस्थित कर दिया गया है।

आयकर अधिनियम की धारा 269 'घ' के अन्तर्गत नोटिस

2941. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर प्राधिकारियों द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269-घ के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में हरएक राज्य में (शहर-वार) सम्बन्धित पार्टियों को कितने नोटिस जारी किए गए;

(ख) आयकर अधिकारियों द्वारा ऊपर बताई गई अवधि में प्रस्तुत की गई संपत्तियों की संख्या क्या है;

(ग) संबंधित पार्टियों को मुआवजे के रूप में कितनी राशि दी गई; और

(घ) अर्जित की गई इन संपत्तियों का निपटान कैसे किया गया और उनके निपटान से कितनी राशि वसूल की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269-घ के अधीन राज्य-वार (केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों सहित) जारी किये गये नोटिसों की संख्या संलग्न चार्ट के अनुसार है;

(ख) : पिछले तीन वर्षों, अर्थात 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान वस्तुतः अधिग्रहीत सम्पत्तियों की संख्या क्रमशः 2, 2 और 3 थी;

(ग) : अधिग्रहीत सम्पत्तियों के लिए अदा किये गये/देय मुआवजे की रकम क्रमशः 7,59,000 रु०, 1,89,750 रु० तथा 5,26,326 रु० है तथा

(घ) : अधिग्रहीत सम्पत्तियों का अभी तक निपटान नहीं किया गया है।

विवरण

संख्या 1530 ख दिनांक 4-9-1981

क्र० सं०	राज्य का नाम	वित्तीय वर्षों में जारी किये गये नोटिस की संख्या		
		1978-79	1979-80	1980-81
1.	आंध्र प्रदेश	616	763	605
2.	+असम तथा सभी पर्वतीय राज्य	38	33	3
3.	बिहार	44	76	87
4.	दिल्ली	240	278	702
5.	+गुजरात, दमण, दीव तथा दादर नागर हवेली	252	452	535

1	2	3	4	5
6.	—हरियाणा	—	—	332
7.	+कर्नाटक तथा गोवा	114	138	203
8.	+केरल, लक्षद्वीप, मिनिकोय तथा अमिनदीव	112	112	94
9.	मध्य प्रदेश	278	258	426
10.	महाराष्ट्र	163	107	102
11.	उड़ीसा	11	9	4
12.	—पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर और चण्डीगढ़	989	1520	2229
13.	राजस्थान	150	133	241
14.	—तमिलनाडु तथा पांडिचेरी	391	617	529
15.	उत्तर प्रदेश	306	539	631
16.	पश्चिमी बंगाल तथा अंडमान और निकोबार	256	347	431
	कुल	4060	5382	7164

नए बम्बई विमानपत्तन टर्मिनल पर व्यय

2942. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये बम्बई विमान पत्तन टर्मिनल के निर्माण पर कुल कितना व्यय हुआ;

(ख) यह कब बन कर तैयार हुआ और उसे चालू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और महानिदेशक नागर विमानन को कब सौंपा गया;

(ग) इस भवन का निर्माण दायित्व किस एजेंसी पर था, इस भवन के ठेकेदार कौन थे, यह ठेका देने, भवन को हाथ में लेने और ठेकेदार को अन्तिम भुगतान करने से पहले भवन का निरीक्षण करने का अधिकार किस प्राधिकरण को प्राप्त था;

(घ) क्या उन्हें मालूम है कि यह नवनिर्मित विमानपत्तन टर्मिनल की छत अभी बरसात के दिनों में बुरी तरह टपक रही थी;

(ड.) क्या इस बारे में कोई जाँच की गई है कि भवन के निर्माण के इतने थोड़े समय के बाद ही छत क्यों टपकने लगी; और

—अलग से राज्य-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि आयकर आयुक्त का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों में फैला है।

+वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 के लिये आंकड़े क्रम संख्या 12 पर पंजाब, हिमाचल प्रदेश आदि में शामिल हैं।

(च) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और उन ठेकेदारों और पर्यवेक्षण प्राधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई जिन्होंने भवन निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र दिया था और यदि नहीं, तो इतनी घटिया निर्माण क्षमता के लिए जिम्मेदारी न ठहरने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) बम्बई हवाई अड्डे पर नये अन्तरराष्ट्रीय यात्री तथा कार्गो टर्मिनल कॉम्प्लेक्स (चरण i) के निर्माण पर 31.3.81 तक कुल 1844.88 लाख रुपए खर्च हुए हैं।

(ख) : टर्मिनल को परीक्षण उड़ानों के लिए 5-12-1980 को खोल दिया गया था तथा 21-2-1981 को इसे औपचारिक रूप से चालू कर दिया गया।

(ग) : ठेके दिये जाने, निर्माण का निरीक्षण करने तथा धन की अदायगियां करने के लिए भारत अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण उत्तरदायी थे। यात्री टर्मिनल कॉम्प्लेक्स के मुख्य भवन के निर्माण कार्य का ठेका मैसर्स मोहन लाल परवेज लाल भयाना एण्ड कं० को दिया गया था।

(घ) से (च) : टर्मिनल कॉम्प्लेक्स की छत में विशेष अधिक लीकिंग नहीं पाई गई। तथापि, फ्लाई-ओवर की रचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिये गये विस्तार जोड़ (एक्सपैंशन ज्वाइंट) में लीकेज पाई गई। यह लीकेज विस्तार जोड़ को शील न किए जाने की वजह से हुई। छानबीन के पश्चात् यह पाया गया कि कारीगरी (वर्कमैनशिप) में कोई कमी नहीं थी। लीकेज को रोकने के लिए जोड़ को अब सील कर दिया गया है।

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि० से एल्यूमिनियम उठाने के लिए ग्राहक

2943. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल एल्यूमिनियम कं० लि० को अपनी उड़ीसा के विशाल कमप्लैक्स से एल्यूमिनियम उठाने के लिए ग्राहकों की तलाश है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) भारत एल्यूमिनियम कं० लि० (बालको) द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं की व्यवहार्यता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) : नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि० द्वारा पूर्ण क्षमता (वर्ष 1986-87) प्राप्त करने पर प्रति वर्ष 400,000 टन एल्यूमिनियम का निर्यात हेतु उत्पादन करने का प्रस्ताव है। चूंकि एल्यूमिनी के खपतकर्त्ताओं ने खपत की अवधि से काफी पहले पूर्ति संभावनाओं पर विचार शुरू कर दिया है, इसलिए बालको के प्रतिनिधि संभावित खपतकर्त्ताओं से तथ्यपूर्ण विचार-विमर्श कर रहे हैं। इसके परिणामों का आकलन करना अभी असामयिक होगा।

(ग) : भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि० ने दोनों परियोजनाओं अर्थात् उड़ीसा एल्यूमिनियम/एल्यूमिनियम कम्पलैक्स तथा आंध्र प्रदेश एल्यूमिनी कम्पलैक्स के लिए प्रारम्भिक कार्य

किया है। पहले में हुई प्रगति का दूसरे को उपादेयता पर असर नहीं पड़ता, जिसके लिए सोवियत संघ से वित्त जुटाने और निर्यात संभावनाओं के बारे में विचार-विमर्श किया जा रहा है।

पटना हवाई अड्डे पर हवाई जहाजों का उतरना

2944. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पटना हवाई अड्डे में रात में भी हवाई जहाजों के उतारने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां तो इस निर्णय को लागू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं और सरकार इसे कब तक लागू करेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री(श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) :(क) : जी, हाँ।

(ख) : क्योंकि पटना विमान क्षेत्र पर हाल ही में रात्रिकालीन अवतरण सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, इण्डियन एयरइन्स का अक्तूबर, 1981 से लागू होने वाली आगामी शीतकालीन समयावली में पटना से होते हुए देर गए सायंकाल में परिचालित होने वाली सेवाएं भी चालू करने का प्रस्ताव है।

पर्यटन के विकास क लिए प्रस्ताव

2945. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने बिहार में पर्यटन के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार को एक योजना भेजी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (अनन्त प्रसाद शर्मा) :

(क) से (ग) : राज्य सरकार ने बिहार में पर्यटन के विकास के लिए एक 10 वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना (1981-91) तैयार की थी जो बिहार में यात्रा परिपथ अभिनिर्धारित करने के लिए राज्य सरकार के पर्यटक अधिकारियों के साथ 17 मार्च, 1981 को हुई बैठक के दौरान बातचीत का आधार बनी थी। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे अभिनिर्धारित यात्रा परिपथों के साथ-साथ पड़ने वाले केन्द्रों पर पहले से ही उपलब्ध सुविधाओं और इन केन्द्रों पर जिन अतिरिक्त सुविधाओं की जरूरत होगी, उनका उल्लेख करते हुए इन यात्रा परिपथों पर आधारित पर्यटन विकास का एक संशोधित ब्लू प्रिंट तैयार करें ताकि केन्द्रीय, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों के अन्तर्गत एकीकृत और अवस्थानुसार ढंग से तथा संसाधनों को एकत्र करते हुए कार्यान्वित करने के लिए स्कीमों का एक शेल्फ तैयार किया जा सके। बिहार में पर्यटन के समग्र विकास का यह ब्लू प्रिंट राज्य सरकार से अभी प्राप्त होता है। तथापि केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित करने के लिए शुरू की जा रही हैं/प्रस्तावित हैं :

पर्यटन विभाग

केन्द्र	स्कीम	टिप्पणी
1. बोधगया	पर्यटन सुविधाओं की व्यवस्था	इस उद्देश्य के लिए 19.54 लाख रुपये की लागत पर बोधगया में महाबोधि मन्दिर के आस-पास 21.56 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है।
2. राजगीर	पर्यटक सुविधाओं की व्यवस्था	ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।
3. नालन्दा	कैफेटेरिया	ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।
4. पालमाऊ नेशनल पार्क बेतला	वन्य जीव दृश्यावलोकन के लिए प्रशिक्षित हाथी	5 हाथियों की खरीद के लिए 1.00 लाख रुपये की वित्तीय मंजूरी जारी कर दी गई है।
5. पटना और तिलैया बांध	पैडल बोट्स/रोइंग बोट्स	पटना और तिलैया में प्लाइंग के लिए 5 पैडल बोट्स और 5 रोइंग बोट्स की खरीद के लिए 2.25 लाख रुपये की वित्तीय मंजूरी जारी की गई।
6. पालमऊ नेशनल पार्क बेतला	वन गृह	राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि समुचित भूमि की व्यवस्था करें।
7. हजारीबाग	मिनी बसों की व्यवस्था	प्रस्ताव की जांच की जा रही है।
8. बक्सर	पर्यटक गांव	ब्यौरे अभी तैयार किए जाने हैं।

भारत पर्यटन विकास निगम

1. बोधगया	विद्यमान यात्री गृह का विस्तार	भारत पर्यटन विकास निगम की योजना में बोधगया स्थित एक यात्री गृह सहित भारत में यात्री गृहों के विस्तार के लिए 50 लाख रुपए का एकमुश्त प्रावधान किया गया है।
2. रांची	एक होटल का निर्माण	बिहार पर्यटन विकास निगम के सहयोग से एक संयुक्त सेक्टर परियोजना के रूप में होटल निर्मित किए जाने का प्रस्ताव है। स्थल का चयन पहले कर लिया गया है।

थोक मूल्य सूचकांक

2946. **प्रो० मधु दण्डवते : श्री हरीश कुमार गंगवार :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब नई सरकार का गठन हुआ तो थोक मूल्य सूचकांक क्या था;

(ख) नई सरकार के आने के 19 महीने बाद थोक मूल्य सूचकांक क्या था और थोक मूल्य सूचकांक में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ग) क्या प्रतिशत में यह वृद्धि अभूतपूर्व है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) : से(ग) : जब वर्तमान सरकार का गठन हुआ था, 12.10.80 को समाप्त हुए सप्ताह में थोक मूल्य सूचकांक (1970-71 = 100) 227.2 था। 19 महीनों के पश्चात् 15.8.1981 को समाप्त हुए सप्ताह में सूचकांक 287.7 था, जिससे 26 6 प्रतिशत की वृद्धि प्रकट होती है। 1978-80 के गत 19 महीनों की तदनुरूप अवधि के दौरान थोक मूल्य सूचकांक में 40.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

भारत में 3-4 स्टार होटल खोलने को उत्सुक देश

2947. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में 3-4 स्टार होटल खोलने को उत्सुक देशों के बारे में सरकार की क्या नीति है;

(ख) क्या देश में इनकी गुंजाइश है और इनके लिये सामान्य शर्त क्या होगी;

(ग) क्या इस बावत भारत सरकार से किसी विदेशी सरकार ने अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो ऐसे देशों के नाम क्या हैं और इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा):(क) और (ख) : विदेशों द्वारा भारत में होटलों को स्थापित करने की अनुमति नहीं है।

(ग) : केन्द्रीय पर्यटन विभाग को ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

(घ) : प्रश्न नहीं उठता

हथकरघा और रेशम के कपड़े के निर्यात में कमी

2948. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980-81 के दौरान हथकरघा और रेशम के कपड़े के निर्यात में कोई कमी हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो कितनी और उसके कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) : जी नहीं। वर्ष 1978-79 और उसके बाद निर्यातों के आंकड़े निम्नलिखित हैं :

(करोड़ रु० में)

	78-79	79-80	80-81
सूती हथकरघा फैब्रिक्स	54.60	68.89	89.51
रेशमी ड्रेस सामग्री	7.05	9.81	12.18

(ख) : प्रश्न नहीं उठता ।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋण

2949. **श्री क्रिस्टोफर एक्का** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1981-82 के दौरान भारत को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से कुल कितना ऋण प्राप्त होने की सम्भावना है;

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त ऋण किन राज्यों में व्यय किये जायेंगे;

(ग) उस राशि का निवेश किन मुख्य विकास कार्यों पर किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) : जून 1981 में भारत सहायता संघ की बैठक में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन) ने अपने राजकोषीय वर्ष 1982 (जुलाई 1981-जून 1982) के लिए 160.00 करोड़ डालर की सहायता के वचन का संकेत दिया था ।

(ख), (ग) और (घ) : अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के चालू वर्ष में निम्नलिखित तीन परियोजनाओं के लिए सहायता के वास्ते विचार-विमर्श किया गया :

1. पश्चिम बंगाल सामाजिक वन पालन परियोजना	2.9 करोड़ डालर
2. दूसरी कोर्बा तापीय विद्युत परियोजना	40.0 करोड़ डालर
3. मध्य प्रदेश बड़ी सिंचाई परियोजना	22.0 करोड़ डालर

राजकोषीय वर्ष 1982 के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए संघ के सम्मुख विचारार्थ रखी गई अन्य परियोजनाओं के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से सहायता प्राप्त करने के लिए बातचीत चल रही है तथा जब तक कि परियोजनाओं को सहायता की राशि का अन्तिम रूप से निर्णय नहीं हो जाता तब तक इस संबंध में निर्माण कार्यों, उनके संघटकों आदि के ब्यौरे देना सम्भव नहीं है ।

मंगलौर में इस्पात संयंत्र की स्थापना

2950. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मंगलौर में कोई इस्पात संयंत्र की स्थापना करने का है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) इसकी कुल अनुमानित लागत क्या होगी; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) : मंगलौर में इस्पात कारखाना लगाने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख), (ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठते ।

पाकिस्तान, नेपाल, बंगला देश और श्री लंका की तुलना में भारत में आने वाले पर्यटकों की वृद्धि दर

2951. **श्री जनार्दन पुजारी :**

श्री लक्ष्मण मलिक : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान, नेपाल, बंगला देश, श्री लंका आदि जैसे पड़ोसी देशों की तुलना में भारत आने वाले पर्यटकों की औसत वृद्धि दर काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी क्या कारण हैं; और

(ग) देश में पर्यटन के विकास और प्रोत्साहन के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) : 1979 और 1980 के दौरान पाकिस्तान, नेपाल, बंगला देश, श्री लंका और भारत में कुल पर्यटक आगमनों के तुलनात्मक आंकड़े, प्रतिशतता अन्तर सहित नीचे दिए गए हैं :—

देश	पर्यटक आगमनों की संख्या (लाखों में)		प्रतिशतता अन्तर (प्रतिशत)
	1979	1980	1980/79
पाकिस्तान	3.19	2.99	—6.1
नेपाल	1.62	1.63	0.4
बंगला देश	0 57	0.49 (जनवरी-अक्टूबर)	उपलब्ध नहीं
श्री लंका	2.50	3.22	28.6
भारत	7.65	8.00	4.6

उपर्युक्त आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि केवल श्रीलंका की 1980 के दौरान पर्यटक आगमनों में वृद्धि की प्रतिशतता भारत से अधिक थी । जहां 1980 में नेपाल में पर्यटक आगमनों में 0.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, पाकिस्तान में आगमनों के मामलों में 6.1 प्रतिशत की गिरावट हुई । निरपेक्ष रूप से यदि आंकड़ों को देखा जाए तो भारत में अन्य चार देशों की तुलना में अधिक संख्या में पर्यटकों का आना जारी रहा ।

(ख) 1981 के दौरान भारत में पर्यटक आगमनों में तुलनात्मक निम्नतर वृद्धि दर के कारण नीचे दिए गए हैं :—

(i) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई किरायों में ठोस वृद्धि;

(ii) कुछ पड़ोसी देशों में गड़बड़ी वाले हालात;

(iii) पर्यटक भेजने वाली परम्परागत मार्केटों में मुद्रा-स्फीति की प्रवृत्तियां;

(iv) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों, विशेष रूप से बम्बई और दिल्ली के हवाई अड्डों पर भीड़-भाड़; और

(v) दिल्ली और बम्बई के प्रमुख प्रवेश द्वारों पर पर्याप्त होटल आवास का अभाव; जिसके परिणामस्वरूप टूअर्स रद्द कर दिए गए।

(ग) देश में पर्यटन को प्रोत्साहन देने और इसे विकसित करने के लिए सरकार द्वारा ये कदम उठाये जा रहे हैं : अभिनिर्धारित यात्रा परिपथों के साथ-साथ पड़ने वाले पर्यटक केन्द्रों का सघन विकास; होटल और स्थल परिवहन जैसी पर्यटक आधारिक संरचना का तेजी के साथ विकास; नेशनल एयर कैरियर्स के फ्लीट में वृद्धि; फिल्मों, दृश्य-श्रृव्य प्रदर्शनों, पर्यटक साहित्य के प्रकाशन, विज्ञापनों आदि जैसे विभिन्न प्रचार माध्यमों द्वारा विदेशों में सवर्धन कार्य को गति प्रदान करना; यात्रा अभिकर्त्ताओं, यात्रा लेखकों, पत्रकारों आदि को विभाग के अतिथियों के रूप में परिचायक दौरे पर आमंत्रित करके मीडिया संपर्कों को बढ़ाना ताकि बदले में वे भारत का संवर्धन कर सकें।

पन्ना की हीरा खानों में उत्पादित हीरों का भार एवं उनका मूल्य

2952. **श्री भीकूराम जैन :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खनिज विकास निगम द्वारा जिला पन्ना में चलाई जा रही हीरा खानों में उत्पादित हीरों का भार एवं मूल्य क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : 31 मार्च, 1981 तक राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने पन्ना जिले में हीरों की अपनी खानों से 2.34 लाख कैरेट हीरे निकाले थे जिनका मूल्य 16.70 करोड़ रुपये था।

सीमाओं पर तस्करी रोकने के उपाय

2953. **श्री मनीराम बागड़ी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा शुल्क कर्मचारियों ने अभी हाल में अमृतसर सीमा पर तस्करी में लाई जाने वाली व्हिस्की की 200 बोतलें पकड़ी थीं; और

(ख) यदि हां, तो सीमाओं पर तस्करी रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) : जी, हां। 5.8.81 को अमृतसर के सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने 200 बोतलें व्हिस्की की तब पकड़ीं जब उन्हें भारत-पाक सीमा पार चोरी-छिपे भारत से बाहर ले जाने की कोशिश की जा रही थी।

(ख) : भारत-पाक सीमा पार तस्करी के हर प्रयास को रोकने के लिए सम्बन्धित प्रवर्त्तन अभिकरणों अर्थात् सीमा शुल्क प्राधिकारियों, सीमा सुरक्षा बल तथा राज्य पुलिस को सतर्क कर दिया गया है।

पटसन की वस्तुओं के लिए नकद मुआवजा सहायता

2954. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ पटसन वस्तुओं के मामले में नकद मुआवजा सहायता की समीक्षा करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि उन्हें विश्व की मण्डी में प्रतियोगी बनाया जा सके;

(ख) यदि हाँ तो इस प्रस्ताव की मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) इस समय यह प्रस्ताव किस चरण में है और इसे अन्तिम रूप देने में कितना समय लगेगा ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) : सरकार ने पटसन की मदों पर निम्नोक्त प्रकार नकद प्रतिपूर्ति सहायता के लिए अनुमति देने का निर्णय किया है :—

उत्पाद का ब्यौरा	नकद प्रतिपूर्ति सहायता की दर (एफ.ओ.बी. मूल्य की प्रतिशतता)	टिप्पणी
कालीन अस्तर टाट	7.5%	
(बी ट्विल)	5%	नकद प्रतिपूर्ति सहायता केवल तभी देय होगी जबकि मद का विश्वव्यापी निविदा के आधार पर प्राप्त आदेशों पर राज्य व्यापार निगम के माध्यम से निर्यात किया गया है।
आस्ट्रेलियाई वूल-पैक	7.5%	
सजावटी फैब्रिक	10%	
यार्न तथा ट्वाइन	7.5%	
सूती थैले	12.5%	

उपरोक्त निर्णय 1 सितम्बर 1981 को अथवा उसके पश्चात् किए गए निर्यातों पर लागू होगा तथा 31 मार्च 1982 तक वैध रहेगा।

नई इस्पात वितरण नीति तैयार करना

2955. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या इस्पात व खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या सरकार नई इस्पात वितरण नीति तैयार करने के प्रश्न पर विचार कर रही है,

(ख) : क्या यह सच है कि इस व्यापार में विशेष रूप से कथित कोटाधारियों द्वारा इसमें बहुत से कदाचार आ गये हैं और क्या उनका इस्पात वितरण नीति में आ गई सभी

बुराइयों को दूर करने के लिए समूची प्रणाली को बदलने की वांछनीयता पर विचार करने का है; और

(ग) : यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) : इस समय इस्पात का वितरण संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा वितरण के बारे में बनाये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किया जाता है। जब कभी आवश्यक समझा जाता है मार्गदर्शी-सिद्धान्तों में परिवर्तन कर दिए जाते हैं।

(ख) और (ग) : इस्पात के वितरण पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है, अतः किसी "कोटाधारी" का प्रश्न नहीं उठता है। जैसा कि ऊपर प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में बताया गया है जब कभी आवश्यक होता है मार्गदर्शी-सिद्धान्तों में परिवर्तन कर दिए जाते हैं। हाल में बिलेट और पुनर्वेलन योग्य सामग्री, छड़ें और गोल छड़ें (तार छड़ें भी शामिल हैं), 5 मि० मी० से अधिक मोटाई के गर्म वेलित क्वायल और ठंडे वेलित क्वायल/चादरों का वितरण विनियमित वितरण की योजना से निकाल दिया गया है।

कताई मिलें

2956. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे बड़े औद्योगिक गृह कौन से हैं जिन्हें चालू वर्ष के दौरान कताई मिलों की स्थापना के लिए अथवा विद्यमान एककों के विस्तार के लिए लाइसेंस दिये गये हैं;

(ख) प्रत्येक मामले में कितने तकुए मंजूर किये गये हैं;

(ग) क्या यह सभी निर्यात के लिए अथवा घरेलू खपत के लिए भी अभिप्रेत हैं; और

(घ) यह एकक कहां पर स्थित है ;

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) : उन एन आर टी पी एककों के जिन्हें यार्न के विनिर्माण का पर्याप्त विस्तार करने अथवा व्यवसाय जारी रखने के लिए वर्ष 1981 के दौरान लाइसेंस दिये गये हैं उनके ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। इन मामलों में कोई निर्यात दायित्व नहीं है।

विवरण

क्रमांक	एम आर टी पी एकक का नाम	स्थान	अतिरिक्त तकुओं की सं०	जिस प्रयोजन के लिए दिया गया
1.	मै० चौगुले एण्ड कं. प्रा. लि., चौगुले हाउस, गोआ ।	तहसील क्यूपेम जिला, गोआ, यू. टी, गोआ, दमन तथा दीव	6036 एस. ई.*	सूत का विनिर्माण
2.	मै० बाम्बे डाइंग एण्ड मैन्यु. कं. लि., बम्बई जामनगर. गुजरात	जाम नगर, गुजरात	25048 सी ओ बी**	-वही-
3.	मै० राजस्थान स्पि. एण्ड वीवि. मिल्स, नई दिल्ली	खरीमैग्राम गुलाबपुर राजस्थान	250000 (सी ओ बी)	-वही-
4.	मै० अहमदाबाद मैन्यु. एंड एण्ड कैलिको प्रिंटिंग कं. लि., बड़ोदा	बड़ोदा गुजरात	6100 एस. ई.	पोलिस्टर स्टैपल रेशम

उड़ीसा के क्योंझर जिले में किसानों को कृषि ऋण

2957. **श्री हरिहर सोरन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों के नाम क्या हैं जो उड़ीसा के क्योंझर जिले में किसानों को कृषि ऋण तथा औद्योगिक उद्यमियों को ऋण दे रहे हैं ।

(ख) 1978-79, 1979-80 और 1980-81 में क्योंझर जिले के कितने किसानों और औद्योगिक उद्यमियों को इन राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों से लाभ पहुंचा है;

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष में क्योंझर जिले में इन राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों की कुछ और शाखाएं खोले जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो क्योंझर जिले के किन-किन स्थानों पर इन वाणिज्यिक बैंकों की नई शाखाएं खोली जायेंगी; और

(ङ) तत्सबन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) उड़ीसा के क्योंझर जिले में कार्यरत निम्नलिखित बैंक अन्य बातों के साथ-साथ किसानों को कृषि ऋण और औद्योगिक उद्यमियों को ऋण देते हैं :—

1. भारतीय स्टेट बैंक

*एस. ई.—पर्याप्त विस्तार

**सी ओ बी—व्यवसाय जारी रखना ।

2. बैंक आफ इण्डिया
3. बैंक आफ बड़ौदा
4. यूनाइटेड कमर्शियल बैंक
5. यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना लोकसभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (ङ) क्योंझर जिले में तोडा और मोलांगटोली नामक स्थानों पर शाखाएं खोलने के वास्ते, भारतीय रिजर्व बैंक ने, भारतीय स्टेट बैंक को लाइसेंस जारी किए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नागपुर में भूखंड खरीदा जाना

2958. **श्री आर० के० महालक्ष्मी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ समय पहले अतिरिक्त भवन के लिए नागपुर (महाराष्ट्र) में एक भूखंड खरीदा है;

(ख) इस भूखंड को वास्तव में कब खरीदा गया था और किस मूल्य पर;

(ग) क्या 'इश्यु विभाग' के उप कार्यालय हेतु इस भूखंड पर एक भवन का निर्माण होना था;

(घ) उपर्युक्त निर्माण की क्या प्रगति है; और

(ङ) यदि अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है, तो विलंब के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) : जी, हां।

(ख) : भूखंड (प्लाट) का कब्जा सितम्बर, 1972 में 6.12 लाख रुपये की लागत पर महाराष्ट्र सरकार से लिया गया था।

(ग) : जी, हां। परन्तु भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्तमान आवश्यकताओं के संदर्भ में नागपुर में अपने कार्यालय के लिए स्थान की पुनरीक्षा की है। अब वह नागपुर में अपने कार्यालय की ऐसी इमारत बनाना चाहता है जिसमें बैंक के कुछ ऐसे विभागों के लिए स्थान की व्यवस्था हो जिन्हें बम्बई से नागपुर ले जाने का प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ) : इस इमारत के निर्माण के लिए प्लान को अन्तिम रूप दे दिया गया है और वह नगरपालिका के प्राधिकारियों के विचाराधीन है। निर्माण के लिए टेंडर मंगाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।

मैसर्स सोशिडाइड-द-फोमेंटों इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड के बारे में जांच

2959. **श्री बापू साहिब परुलेकर** : क्या वित्त मन्त्री मैसर्स सोशिडाइड-द-फोमेंटों इंडीस्ट्रियल प्रा० लि० की जांच के बारे में 10 अप्रैल, 1981 के तारांकित प्रश्न संख्या 7319 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया): (क) तथा (ख): 1972-73 से 1976-77 तक के कर निर्धारण वर्षों से सम्बन्धित जांच-कार्य, आयकर विभाग ने पूरा कर लिया है और आगे उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है। इनके बाद के वर्षों से सम्बन्धित जांच कार्य अभी जारी है।

विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के अन्तर्गत जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा राज्यों की राजधानियों में होटल स्थापित किया जाना

2960 **श्री के० मालन्ना** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम के माध्यम से प्रत्येक राज्य में होटल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार का विचार राज्य सरकार से सहयोग लेने का भी है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा): (क): अपनी छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 बनाते समय सभी राज्यों की राजधानियों पर अपनी सेवाओं के तंत्र में विस्तार करने की बात भारत पर्यटन विकास निगम के ध्यान में थी। तथापि, संसाधनों पर प्रतिबन्ध होने के कारण भारत पर्यटन विकास निगम के लिए यह संभव नहीं हो पाया कि वे छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान योजना के 42 करोड़ रुपये के अनुमोदित अपने परिव्यय के भीतर रहते हुए सभी राज्यों को कवर कर सकते जिसके लिए प्राथमिकताएं पहले ही नियत कर दी गई हैं।

(ख) और (ग) : भारत पर्यटन विकास निगम ने राज्य सरकारों/राज्य पर्यटन विकास निगमों के सहयोग से देश में पर्यटन के विकास हेतु संयुक्त उद्यम की एक स्कीम तैयार की है। राज्यों में पर्यटन परियोजनाए शुरू करने के लिए इस स्कीम में प्रत्येक राज्य में एक पृथक कंपनी स्थापित करने की परियोजना की गई है जिसमें भारत पर्यटन विकास निगम और राज्य पर्यटन विकास निगमों की बराबर-बराबर इक्विटी साझेदारी होगी। इस प्रबन्ध के अधीन परस्पर स्वीकृत उपयुक्त व्यापारिक शर्तों के आधार पर भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा स्थापित किये जाने वाले होटलों की योजना, डिजाइन तैयार किया जाएगा और उनका प्रबन्ध तथा मार्केटिंग की जाएगी।

इस स्कीम के अधीन गोहाटी, पुरी और हैदराबाद में एक-एक होटल परियोजना के निर्माण के लिए निगम ने क्रमश: असम की राज्य सरकार, उड़ीसा पर्यटन विकास निगम और आंध्र प्रदेश यात्रा तथा पर्यटन विकास निगम के साथ मीमो आफ अन्डरस्टेंडिंग पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। भोपाल में एक परियोजना के लिए मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के साथ और गोवा में एक होटल परियोजना के लिए आर्थिक विकास निगम गोवा, दमन तथा द्वीव के

साथ भी इसी प्रकार के करार को अंतिम रूप दिया जाने वाला है। राँची में एक परियोजना के लिए बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के साथ इसी प्रकार के समझौते किए जा रहे हैं। कई अन्य राज्यों ने ऐसे सहयोग में रुचि दिखाई है और प्रस्ताव प्रगति की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

जीवन बीमा निगम द्वारा पालिसी धारकों को भुगतान की गई राशि

2961. श्री निहाल सिंह क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान, अलग-अलग पालिसियों के भुगतान देय होने पर और पालिसी धारकों की मृत्यु के कारण भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा पालिसी धारकों को कितनी राशि का भुगतान किया गया; और

(ख) उपरोक्त अवधि के ऐसे कितने मामले हैं जिनमें अभी तक भुगतान नहीं किया गया है और उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) :

(क) :

(करोड़ रुपए)

वर्ष	भुगतान-देय (परिपक्व) दावों की चुकाई गई राशि	मृत्यु दावों की चुकाई गई राशि
1978-79	181.16	51.77
1979-80	210.48	60.40
1980-81	आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं*	आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं*

* पूरे लेखे तैयार नहीं हैं।

(ख)

वर्ष	वर्ष के अन्त में विचाराधीन दावे	
	भुगतान देय (परिपक्व) दावे	मृत्यु दावे
1978-79	61,413	21,287
1979-80	71,454	28 888
1980-81	आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं*	आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं*

*पूरे लेखे तैयार नहीं हैं।

दावों के विचाराधीन पड़े रहने का मुख्य कारण है दावेदार द्वारा पालिसी संबंधी कागजात, विमुक्ति वाऊचरों (डिस्चार्ज वाउचर), आयु का प्रमाण (जिन मामलों में पुराने नियमों के अन्तर्गत पालिसी बिना किसी आयु के प्रमाण के जारी कर दी गई थी लेकिन आयु सम्बन्धी कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है), हकदारी सबूत अथवा इसके न होने की सूरत में क्षतिपूर्ति बांड प्रस्तुत करने जैसी अपेक्षाओं का पूरा न किया जाना। कुछ एक मृत्यु दावे इस बात की जाँच के लिए पड़े रह जाते हैं कि क्या पालिसी धारक महत्वपूर्ण विवरण देने में असफल रहा है और इस प्रकार संविदा का उल्लंघन हुआ है।

मद्रास तथा मदुरै के समाहर्ता के नियंत्रण के अधीन क्षेत्र से सामान्य को अनधिकृत रूप से हटाये जाने का पता लगाया जाना

2662. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशन** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास तथा मदुरै के समाहर्ता के नियंत्रण के अधीन किसी क्षेत्र से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमों के अधीन माल को स्वत: हटाने की प्रक्रिया के अनुसार उत्पादन शुल्क लगाये जाने वाले सामान को अनधिकृत रूप से हटाने पर कोई मामला पिछले तीन सालों में पता लगा था;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सामान का कुल मूल्य क्या था और उस पर कितने कर का अपवंचन हुआ और पार्टियों के नाम क्या हैं; और

(ग) पार्टियों के विरुद्ध क्या अग्रिम कार्रवाई की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त स्टेशनों पर मकान किराया भत्ते की मंजूरी

2963. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **वित्त मंत्री** हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त स्टेशनों पर मकान किराया भत्ते की मंजूरी के बारे में 24 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8678 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त स्टेशनों पर मकान किराया भत्ते की मंजूरी के सम्बन्ध में अभ्यावेदन पर कोई निर्णय ले लिया गया है विशेषकर जबकि यहां नवीनतम जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आंकड़े भी उपलब्ध हैं; और

(ख) यदि (दिनांक 25 मई, 1979 के मूल पत्र की तिथि को ध्यान में रखते हुए) अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, तो निर्णय के किस तिथि तक लिए जाने की सम्भावना है और विलंब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) (क) जी, नहीं।

(ख) इस मामले पर 1981 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के अन्तिम आंकड़े प्राप्त होने पर विचार किया जाएगा और उसके बाद यथासम्भव निर्णय लिया जाएगा।

चीन से 'बी' ग्रेड के सिल्क के आयात पर प्रतिबन्ध

2964. **श्री माधवराव सिंधिया** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार चीन से 'बी' ग्रेड के सिल्क के, जो चंदेरी साड़ियों के निर्माण के लिए अत्यन्त आवश्यक होता है, आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का है;

(ख) यदि हाँ, तो चंदेरी साड़ी, उद्योग के लिए अपेक्षित सिल्क की नियमित सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) चंदेरी उद्योग के लिए सिल्क की अनुमानित सालाना आवश्यकता कितनी है और इस उद्योग के लिए देशी स्रोत से उसी ग्रेड के सिल्क की कितनी वार्षिक मात्रा निर्धारित किए जाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) विद्यमान नीति के अंतर्गत वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिए कच्चे रेशम के आयात करने की कोई व्यवस्था नहीं है। तथापि, विशिष्ट निर्यात निष्पादन के आधार पर प्रतिपूर्ति नीति के अन्तर्गत रेशम के आयात की अनुमति है। चालू वर्ष की नीति में प्राकृतिक रेशम की वस्तुओं के निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत अन्तर्राष्ट्रीय ग्रेड 'क' तथा 'ख' के कच्चे रेशम के आयात की भी व्यवस्था है।

(ख): वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिए कच्चे रेशम के आयात पर लगी रोक को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसा अनुमान लगाया गया है कि चंदेरी साड़ी उद्योग के लिए कच्चे रेशम की वार्षिक मांग 11,000 किग्रा बैठती है जिसमें 6000 किग्रा ताने तथा 5000 किग्रा बाने और बार्डर के लिए है। देश में कच्चे रेशम की अधिप्राप्त और सप्लाई पर कोई कंट्रोल नहीं है और इसलिए इस उद्योग के लिए कोई मात्रा और सप्लाई निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात के भूमिहीन श्रमिकों को गृह निर्माण के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दी गई राशि

2965. **श्री आर० पी० गायकवाड** क्या वित मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में भूमिहीन श्रमिकों को गृह निर्माण के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कितनी धनराशि दी गई है; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान इस कार्य के लिए कितनी धनराशि दिए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) (क) और (ख) : भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उसने आवंटिती भूमिहीन मजदूरों को प्रति व्यक्ति 1000 रुपये के वैयक्तिक ऋण के हिसाब से 41.16 लाख रुपए की राशि मंजूर की है। उसने अप्रत्यक्ष रूप से भी गुजरात ग्रामीण आवास बोर्ड के माध्यम से भी भूमिहीन मजदूरों को 50 लाख रुपये के आवास ऋण दिये हैं। इसके अतिरिक्त उसने इस प्रकार के ऋणों के रूप में और 100 लाख रुपये देने का वचन दिया है।

पर्यटन के लिए बजट आवंटन

2966. **श्री आर० पी० गायकवाड** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष पर्यटन के लिए कितना बजट आवंटन किया गया था और इसमें से कितना व्यय किया गया; और

(ख) क्या सरकार का प्रस्ताव विश्व के सबसे तेजी से बढ़ रहे इस उद्योग के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देने और इसके आवंटन में वृद्धि करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) (क) केंद्रीय सेक्टर के अंतर्गत विभिन्न योजना स्कीमों के कार्यान्यवन के लिए 1980-81 के दौरान प्रारम्भ में 922.00 लाख रुपये का बजट आवंटन किया गया था। इसमें ये पर्यटन विभाग की योजना स्कीमों के लिए 322.00 लाख रुपये और भारत पर्यटन विकास निगम की योजना स्कीमों के लिए 600.00 लाख रुपये निर्धारित किए गए थे। इसके अलावा, भारत पर्यटन विकास निगम ने अपनी योजना स्कीमों के कार्यान्यवन के लिए अपने आंतरिक संसाधनों से 60.00 लाख रुपये का प्रावधान किया।

तथापि, विभिन्न योजना स्कीमों की आवश्यकताओं में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 55.92 लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि की अनुपूरक अनुदान के रूप में व्यवस्था की गई जिससे 1980-81 के लिए बजट परिव्यय 922.00 लाख रुपये से बढ़कर 977.92 लाख रुपए (योजना) हो गया।

1981-82 के लिए 977.92 लाख रुपए के बजट आवंटन की तुलना में 1981-82 के बजट अनुमान में 144.00 लाख रुपए का परिव्यय रखा गया है। पर्यटन विभाग की स्कीमों के लिए 400.00 लाख रुपये और भारत पर्यटन विकास निगम के लिए 1040.00 लाख रुपए अपनी योजना स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम ने अपने आंतरिक संसाधनों से 60.00 लाख रूपए की अतिरिक्त धन-राशि भी निर्धारित की है।

(ख) कुल राष्ट्रीय परिव्यय के भीतर रहते हुए अर्थ-व्यवस्था में विभिन्न सेक्टरों के प्रतिशत हिस्से की सापेक्ष स्थिति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सेक्टरों को प्रदान की गई प्राथमिकता पर विचार किया जाता है, जो कई कारणों पर निर्भर करती है जिसमें ये शामिल हैं। सैक्टरोल आवश्यकताओं का सापेक्ष साइज, आर्थिक विकास के संदर्भ में सापेक्ष प्राथमिकताएं, आदि। यद्यपि विभिन्न सेक्टरों के लिए रखे गए वित्तीय परिव्यय के संदर्भ में पर्यटन को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई प्रतीत नहीं होती, तथापि यह उल्लेख किया जाता है कि कुछ अन्य सेक्टरों अर्थात नागर विमानन, परिवहन, रेलवे, सड़कें, फारेस्ट और वन्य जीवन आदि में किए गए पूंजी···निवेश के अधिकांश भाग से पर्यटन को ही बढ़ावा मिलता है। पर्यटन को विकसित करने के लिए सार्वजनिक सैक्टर परिव्यय के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी पूंजी-निवेश का एक बड़ा भाग देश में पर्यटन आधारित संरचना को विकसित करने के लिए है।

पुनर्गठित काफी बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया जाना

2967. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुनर्गठित काफी बोर्ड में आन्तरिक काफी व्यापार को प्रतिनिधित्व न दिए जाने के कारण काफी संघों ने भारत सरकार के समक्ष विरोध प्रकट किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बोर्ड में व्यापारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसे व्यक्ति को नामांकित किया गया है जो न तो डीलर है और न ही काफी को भूनने वाला; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हाँ ।

(ख) काफ़ी बोर्ड से व्यापार हितों के प्रतिनिधियों को पूरी तरह से काफी अधिनियम 1942 तथा काफी नियम, 1955 में निहित उपबंधों का अनुपालन करते हुए मनोनीत किया गया है । काफी अधिनियम तथा नियमों में ऐसा कोई अनुबंध नहीं है कि व्यापार हितों के प्रतिनिधि व्यापारी/रोस्टर होने चाहिए ।

(ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों को विदेशों से प्राप्त राशि जमा करने की अनुमति

2968. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने यह निर्णय किया है कि अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग क्षेत्र में ख्याति प्राप्त राष्ट्रीयकृत बैंकों को विदेशों से प्राप्त राशि को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित दरों पर जमा कराने की अनुमति दी जाये, जिसके लिये उक्त जमाराशियों को उसी विदेशी मुद्रा में, जिसमें वे प्राप्त हुई हों, वापस करने की व्यवस्था हो;

(ख) यदि हां वे कौन से बैंक हैं जिन्हें ऐसा करने की अनुमति दी गई है और इससे विदेशों में रह रहे भारतीयों को किस हद तक लाभ होगा;

(ग) क्या यह भी सच है कि हांककाग में भारतीय बैंकों की समावनाएं धमिल हो गई हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) : सरकार ने इस तरह का कोई निर्णय नहीं किया है ।

(ख) : यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) : इस समय चार ऐसे भारतीय बैंक हैं जिनकी चौदह पूर्णकार शाखाएँ हांककाग में हैं । इनमें से एक बैंक (भारतीय स्टेट बैंक) के पूर्णतः स्वामित्व वाली जमा राशियां स्वीकार करने वाली कम्पनी (डिपोजिट टेकिंग कम्पनी) उस देश में कार्यरत है । इसके अलावा, तीन भारतीय बैंकों (बैंक आफ बड़ौदा, इण्डियन बैंक तथा यूनियन बैंक आफ इण्डिया) ने मिल कर हांककांग में जमा राशियां स्वीकार करने वाली कम्पनी स्थापित की है । हांगकांग में कार्यरत किन्हीं भारतीय बैंकों अथवा उनके सहायक बैंकों को कोई ऐसा संकेत नहीं दिया गया है कि हांगकांग में उनकी संभावनाएं बाधाग्रस्त हो गई हैं ।

(घ) : यह प्रश्न नहीं उठता ।

पर्यटन विकास योजनाओं के साथ निजी क्षेत्र को सम्बद्ध करना

2969. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में निजी क्षेत्रों को पर्यटन विकास योजनाओं के साथ संबद्ध करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या देश में, छठी योजना के दौरान पर्यटन विकास के लिए खर्च की जाने वाली राशि के लिए निजी क्षेत्र भी अंशदान देगा; और

(ग) यदि हाँ, तो छठी योजना के पहले दो वर्षों में पर्यटन विकास के लिए कौन सी योजनाएं हाथ में ली जाएँगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) : जी, हाँ।

(ख) और (ग) : देश में पर्यटन के विकास में विशेष रूप से आवास तथा परिवहन सुविधाओं और यात्रा अभिकर्ताओं, वन्य जीव संभारकों तथा यात्रा परिचालकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर पहले से ही शामिल हैं। छठी योजना में देश में फैले हुए 61 यात्रा परिपथों के साथ पड़ने वाले 441 पर्यटक केन्द्र अभिनिर्धारित किए जा चुके हैं। इन केन्द्रों को तथा इन केन्द्रों में यात्रा परिपथों के आस-पास आधारिक संरचना संबंधी सुविधाओं को केन्द्रीय और राज्य सेक्टर तथा प्राइवेट सेक्टर में भी उपलब्ध सभी साधनों को एकत्र करके एकीकृत ढंग से विकसित करने का प्रस्ताव है।

बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन को बढ़ावा

2970. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या उन्होंने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन को लक्ष्य स्तर से 10 प्रतिशत अधिक करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कहा है;

(ख) : यदि हाँ, तो वर्ष 1980-81 के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है;

(ग) : क्या भा० ई० प्रा० लि० को कुछ उपाय भी सुझाए गए हैं जिससे कि वे अपना उत्पादन 10 प्रतिशत और बढ़ा सकें;

(घ) : यदि हाँ, तो क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण इससे सहमत हो गया है; और

(ङ.) : यदि हाँ, तो इस संबंध में उसने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (घ) : सरकार ने स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) के साथ परामर्श करके सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के लिए 1981-82 में 63 लाख टन विक्रय इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित करने का सुझाव दिया है जबकि 1980-81 के लिए लक्ष्य 57.7 लाख टन था।

(ग) और (ङ.) उत्पादन के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अवस्थापना की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था से सम्बन्धित उपायों पर सेल और सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सतत् समीक्षा की जाती है। इस बारे में उल्लेखनीय उपाय हैं :—आदानों की सप्लाई करने वाली मुख्य एजेन्सियों के साथ निकट और सतत् सम्पर्क बनाए रखना, दामोदर घाटी निगम,

राज्य विद्युत बोर्डों और इस्पात कारखानों की बिजली की अपनी इकाइयों में बिजली का अधिकाधिक उत्पादन करना, बोकारो, दुर्गापुर और राउरकेला के इस्पात कारखानों की क्षमता में वृद्धि करना, औद्योगिक अवस्थापना से सम्बन्धित मंत्रिमण्डल की समिति सहित विभिन्न स्तरों पर सतत् निगरानी रखना और कठिनाइयों को शीघ्रता से दूर करने के लिए प्रभावी उपाय करना।

महाराष्ट्र की कपास एकाधिकार क्रय योजना के लिए वित्तीय सहायता

2971. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र की कपास एकाधिकार क्रय योजना के लिए वित्तीय सहायता देने का है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष तथा भावी वर्षों के लिए सरकार द्वारा इसके लिए क्या शर्तें रखी जायेंगी ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) : जी नहीं।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता।

अशोक स्तम्भ स्टैम्प और अनवाटर मार्क स्टैम्प पेपर बनाने वाली फ़र्में

2972. **श्री निहाल सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजकल अशोक स्तम्भ स्टैम्प और "अनवाटर मार्क स्टैम्प" पेपर का विदेशों से आयात नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त पेपर बनाने वाली फर्मों का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान इसका फर्मवार, कितना उत्पादन हुआ और इससे विदेशी मुद्रा की कितनी बचत हुई ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) : अशोक स्तम्भ वाटरमार्क वाले स्टैम्पों के लिए बेस पेपर का आयात, कलकत्ता के मेसर्स त्रिवेणी टिश्यूज द्वारा विकसित देशी किस्म के कागज के, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय नासिक द्वारा संतोषजनक पाये जाने के बाद, पिछले वर्ष बन्द कर दिया गया तथापि 4-रंग के स्मारक स्टैम्पों के लिए अनवाटर मार्क बेस पेपर का अभी तक आयात किया जा रहा है किन्तु उस किस्म का पेपर भी देश में प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त स्रोत खोजने के लिए सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ख) अशोक स्तम्भ वाटरमार्क वाले स्टैम्प पेपर की पूर्ति केवल मेसर्स त्रिवेणी टिश्यूज द्वारा ही की जा रही है और इसके ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

वर्ष	मात्रा	विदेशी मुद्रा में लगभग बचत
1979-80	30 मेट्रिक टन (परीक्षणात्मक आदेश)	4.50 लाख रुपए
1980-81	577.08 मेट्रिक टन	91.15 लाख रुपए
1981-82 (पूर्ति 31.5.82 तक पूरी होनी है)	1173.70 मेट्रिक टन	212.55 लाख रुपए

विदेशों में भारतीय संयुक्त उद्यम

2973. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष के दौरान विदेशों में ऐसे कितने संयुक्त उद्यमों के लिए मंजूरी दिये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : विदेशों में उन संयुक्त उद्यमों की प्रास्थापनाओं की सही संख्या दर्शाना संभव नहीं होगा जो वर्ष 1981 के दौरान अनुमोदित की जाने वाली हैं। यह भारतीय कंपनियों से प्राप्त प्रस्थापनाओं की संख्या तथा साथ ही उनकी स्वीकार्यता पर भी निर्भर करेगा। तथापि, यह कहा जा सकता है कि 1981 के प्रथम आठ महीनों के दौरान 24 अनुमोदन जारी किए गए हैं।

समुद्र तल खनन में प्रगति

2974. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :**
श्री राय सिंह यादव : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामुद्रिक वैज्ञानिकों द्वारा समुद्र तल खनन के सम्बन्ध में क्या प्रगति की गई है ?

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में कोई विदेशी सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) : भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थान इस समय केवल समुद्र में खोज का काम कर रहे हैं समुद्र तल पर खनन का काम नहीं।

(ख) : जी नहीं।

(ग) : सवाल नहीं उठता।

मध्यप्रदेश और राजस्थान में अफीम की खेती के क्षेत्र को बढ़ाना

2975. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ विधायक तथा संसदविज्ञ विशेष रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान में अफीम की खेती में वृद्धि करने के लिए जोरदार समर्थन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है (नामों के साथ); और

(ग) अफीम के उत्पादन, उसकी मांग और उसकी तस्करी की गतिविधियों के बारे में वास्तविक स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) : जी नहीं। सरकार को इस आशय की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) : फसल वर्ष 1980-81 के दौरान देश में उत्पादित 90% गाढ़ता की अफीम की मात्रा 1126 मी० टन थी। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अफीम की मांग में आयी गिरावट के कारण इसका निर्यात 1979-80 के 796 मी० टन की तुलना में घटकर 1980 में 444 मी० टन रह गया है। देश से बाहर भारतीय अफीम की तस्करी पर पूरे तौर पर रोक जारी है। 1980 के दौरान देश में और देश से बाहर तस्करी करते हुए अभिगृहीत की गयी निषिद्ध अफीम की कुल मात्रा लगभग 546 किलोग्राम थी।

आयात की जाने वाली रुई की किस्म

2976. **श्री मोहन लाल पटेल :**

श्री डी० पी० जदेजा : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किस देश से कितनी और किस किस्म की रुई आयात किए जाने की संभावना हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : वस्त्र उद्योग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान से आयात के लिए अब तक मध्यम स्टेपल रुई की 49,500 गांठों के लिए संविदा की गई है।

टसर रेशम का उत्पादन करने वाले राज्य

2977. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में टसर रेशम का उत्पादन करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं?

(ख) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि चीन से बहुत अधिक मात्रा में टसर के अप्रत्याशित आयात के कारण मयूरभंज, क्योंझर, धेनेकनाल, देवगढ़ और उड़ीसा के अन्य टसर पैदा करने वाले क्षेत्रों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन टसर उत्पादकों को, जो कि मुख्यतः आदिवासी हैं, टसर का समर्थन मूल्य देने के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं;

(घ) क्या उड़ीसा की राज्य टसर विपणन सहकारी समितियों को यह निवेश दिए गए हैं अथवा दिए जाने का प्रस्ताव है कि वे टसर उत्पादकों के हितों की रक्षा करें; और

(ङ) उड़ीसा राज्य व अन्य टसर उत्पादक राज्यों को इस संबंध में भेजे गए मार्ग निर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) : बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश तथा मणिपुर, देश के प्रमुख टसर रेशम उत्पादक राज्य हैं।

(ख) तथा (ग) : उड़ीसा राज्य के इन दोनों में टसर रेशम के कोयों के जमाव की समस्या तो है लेकिन यह सही नहीं है कि चीन से टसर रेशम की विशाल मात्रा की अप्रत्याशित आयात इसका कारण है। पिछले कुछ वर्षों में उड़ीसा सरकार ने रेशम उत्पादन क्षेत्र में आदिवासी विकास कार्यक्रमों का लाभ उठाया है जिसके फलस्वरूप आदिवासी टसर कीट पोषकों के बीच एक अच्छी सहकारी कार्यव्यवस्था स्थापित की गई है। कोयों के जमाव के कारण नीचे दिये गये हैं।

(1) विकासात्मक प्रयासों के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप टसर कोयों के उत्पादन में वृद्धि।

(2) देश के विभिन्न बुनकर केन्द्रों में टसर कोयों के लापेटन की अवस्थापना सम्बन्धी पर्याप्त सुविधाओं और कच्चे टसर रेशम के प्रयोग में कमी।

(3) टसर कच्चे रेशम के बारे में प्रतिपूर्ति आयात नीति। जहाँ तक कारण (ग) का संबंध है, उनके बारे में चालू वर्ष की आयात नीति में सुधारात्मक उपाय पहले ही किये जा चुके हैं। इस नीति के अनुसार प्राकृतिक रेशम माल के आयातकों द्वारा उनके विशिष्ट निर्यात निष्पादन के आधार पर प्रतिपूर्ति सूत्र के अधीन कच्चे टसर रेशम की केवल नगण्य मात्रा ही आयात की जा सकती है।

(4) आदिवासी टसर कीट पोषकों के लिए न्यूनतम लाभकारी कीमतें सुनिश्चित करने के वास्ते राज्य स्तरीय अभिकरण व केन्द्रीय रेशम बोर्ड का कच्चे माल सम्बन्धी समूह एक कीमत समर्थन योजना चला रहा है। जैसा कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड के एक अध्ययन दल ने बताया है विभिन्न अधिग्रहण अभिकरणों के स्तर पर टसर कोयों के निपटान के लिए 20 प्रतिशत की छूट की घोषणा की है। छूट योजना पर होने वाला व्यय केन्द्रीय रेशम बोर्ड व सम्बन्धित राज्य द्वारा सदृश्यता आधार पर वहन किया जायेगा। 23 फरवरी तथा 23 मई, 1981 के बीच तीन महीनों की अवधि के लिए छूट योजना चलाई गई।

(घ) तथा (ङ) : जहाँ तक उड़ीसा राज्य टसर विपणन सहकारी समिति तथा अन्य राज्य स्तरीय अधिग्रहण संगठनों का सम्बन्ध है, उन पर सीधे आदिवासी टसर रेशम की पोषकों या उनकी सहकारी समितियों से समय-समय पर केन्द्रीय रेशम बोर्ड के निकट परामर्श में तय की गई लाभकारी कीमत की उन्हें पेशकश करके, सीधे अधिग्रहण का उत्तरदायित्व है।

मुद्रास्फीति विरोधी उपायों से थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि

2978. **डा० ए० यू० आजमी : श्री हरीश कुमार गंगवार :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुचर्चित मुद्रास्फति उपायों से थोक मूल्य सूचकांक, उपाय को घोषित किए जाने के पहले सप्ताह में ही 5.1 अंक बढ़ गया है जो कि साल भर में अब तक बड़े साप्ताहिक मूल्यों में सर्वाधिक है तथा मूल्य वृद्धि पैट्रोलियम उत्पादों की वृद्धि को नहीं दर्शाती;

(ख) इसके क्या कारण हैं कि अच्छी वर्षा के कारण चीनी और अन्य कृषि उत्पादों का

रिकार्ड उत्पादन होने के बावजूद मूल्यों में इतनी अधिक वृद्धि हुई है, सब्जियां और फलों के भाव 15 प्रतिशत बढ़ गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ऐसे कौन से उपाय और तरीके काम में ला रही है जिससे महंगाई रोकी जा सके तथा आम आदमी को राहत मिल सके ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) तथा (ख) : संभवतः माननीय सदस्यों का संकेत 11 जुलाई, 1981 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान थोक मूल्य सूचकांक में हुई 5.1 अंकों की वृद्धि की ओर है और इस सप्ताह के दौरान समग्र सूचक अंक में हुई कुल वृद्धि का लगभग आधा भाग पेट्रोलियम उत्पादों में हुई मूल्य वृद्धि के प्रत्यक्ष प्रभाव को प्रकट करता है और इस वृद्धि का यही कारण है। साप्ताहिक मूल्यों में यह सर्वाधिक वृद्धि नहीं और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि का अप्रत्यक्ष प्रभाव धीरे-धीरे महसूस होगा। कीमतों में लगातार वृद्धि होने के कई कारण हैं, जैसे कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रास्फीति, पूर्ति में बाधाएं, प्रशासित कीमतों में अपरिहर्य वृद्धिकारी समायोजन, नकदी बाहुल्य मौसमी कारण आदि। फलों और सब्जियों की कीमतों में मुख्यतः मौसमी दबावों के कारण वृद्धि हुई।

(ग) : सरकार मुद्रास्फीतिकारी दबावों को रोकने के प्रयास को उच्च प्राथमिकता देती है। इस दिशा में पहले से ही बहुत से उपाय किए गए हैं। ये हैं : (1) घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आधारभूत ढांचे के कार्य-निष्पादन में सुधार करना, (2) कम मात्रा में उपलब्ध वस्तुओं का आयात करके घरेलू पूर्ति को बढ़ाना; (3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को, मूल्य स्थिरीकरण नीति के अनिवार्य अंग के रूप में, सुदृढ़ बनाना; (4) जमाखोरी और काला-बाजारी जैसी समाज विरोधी गतिविधियों को रोकना; (5) काले धन पर रोक लगाना और (6) अर्थव्यवस्था में नकदी बाहुल्य को समेटना।

आवश्यक वस्तुएं निर्धारित कीमतों पर उपलब्ध करा कर, कतिपय सेवाओं की निःशुल्क अथवा सहायता प्राप्त दरों पर व्यवस्था करके और महंगाई भत्ते की व्यवस्था के द्वारा वेतन वृद्धि की व्यवस्था करके कीमतों की वृद्धि के प्रभाव को न्यूनतम रखने का प्रयत्न किया गया है। कमजोर और निर्धन वर्गों की सहायता छठी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित विशेषरूप से तैयार किए गए कार्यक्रमों के माध्यम से की जा रही है।

आंध्र प्रदेश में एल्यूमिना संयंत्र की स्थापना

2979. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशाखापट्टनम में भारी बाक्साइट निक्षेप हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बाक्साइट निक्षेप की उपलब्धता को दृष्टि में रखते हुए सरकार आंध्र प्रदेश में एल्यूमिना संयंत्र की स्थापना करने के बारे में विचार कर रही है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) : जी हां। आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में बाक्साइट भंडार है

(ख) : आंध्र प्रदेश में बाक्साइट भंडारों पर आधारित एक एल्यूमिना संयंत्र की स्थापना के लिए सोवियत सलाहकारों द्वारा एक साध्यता रिपोर्ट पहले ही तैयार की जा चुकी है। परियोजना की लागत के अधिकांश भाग के लिए धन जुटाने और एल्यूमिना के निर्यात के बारे में सोवियत संघ से विचार-विमर्श चल रहा है। इन पहलुओं पर संतोषजनक निर्णय हो जाने पर ही परियोजना पर निवेश का निर्णय लिया जा सकेगा।

इलैक्ट्रिकल ग्रेड के और एल्यूमिनियम की कमी

2980. **श्री सत्येन्द्र नारायन सिंह** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'कंडक्टर' निर्माताओं से एलैक्ट्रिकल ग्रेड के एल्यूमिनियम की कम शिकायत की है; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) : जी नहीं।

एल्यूमिनियम धातु के उत्पादन और आयात में सुधार होने से इलैक्ट्रिकल ग्रेड एल्यूमिनियम आसानी से उपलब्ध है।

(ख) : सवाल नहीं उठता।

छठी योजना में हस्तशिल्प के लिए रखी गई राशि

2981. **श्री पियूष तिरकी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 21 जुलाई, 1981 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में "रुपीज 20 करोड़ इयरमार्कड फोर हैण्डी क्राफ्ट्स इन सिक्स्थ प्लान" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रस्ताव यह जानकारी देने का है कि विभिन्न योजनाओं में अब तक इस पर कुल कितना व्यय किया गया है; और

(ग) हस्तशिल्प पर राज्यवार कितना व्यय हुआ ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) : जी हां।

(ख) : विभिन्न योजनाओं में केन्द्रीय क्षेत्र में हस्तशिल्प की वस्तुओं के विकास पर कुल व्यय को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) : इस केन्द्रीय योजना व्यय का लेखा राज्य वार नहीं रखा गया है।

विवरण

केंद्रीय हस्तशिल्प की वस्तुओं का योजना व्यय।

	व्यय (लाख रु० में)
पहली योजना (1951-52 से 1955-56 तक)	25.87
दूसरी योजना (1956-57 से 1960-61 तक)	209.29
तीसरी योजना (1961-62 से 1965-66 तक)	224.58
चौथी योजना (1969-70 से 1973-74 तक)	90.95
पाँचवी योजना (1974-75 से 1977-78 तक)	719.34
1978-79	1204.75
1979-80	769.97
छठी योजना (1980-81 से 1984-85 तक)	
- 1980-81	641.34

टिप्पणी:—पहली, दूसरी तथा तीसरी योजनाओं के लिए व्यय में स्थापना प्रभार भी शामिल है। चौथी योजना से लेकर स्थापना संबंधी प्रभार को गैर योजना के रूप में दिखाया गया था, अतः इसमें शामिल नहीं किया गया है।

मंत्रियों द्वारा विदेशों का दौरा करने के लिए मानदण्ड

2982. **डा० बसन्त कुमार आर० पंडित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत 18 महीनों के दौरान केन्द्रीय मंत्रिमंडल के अनेक मंत्रियों और राज्य मन्त्रियों ने विदेशों का दौरा किया है;

(ख) प्रत्येक कैबिनेट मन्त्री और राज्य मन्त्री ने कितने-कितने विदेशी दौरे किये; प्रत्येक दौरे पर मन्त्री परिवार, स्टाफ आदि के सहित लगभग कितना खर्च आया; और कौन-कौन से देशों का दौरा किया, दौरे का प्रयोजन क्या था और यात्रा की अवधि क्या थी;

(ग) क्या यह सच है कि इसी का अनुसरण करते हुए मुख्य मंत्रियों ने भी इसी आधार पर विदेशी दौरे किये; और

(घ) क्या सरकार ने केन्द्रीय मंत्रियों, राज्य के मुख्य मन्त्रियों तथा दूसरे मन्त्रियों के विदेशी दौरों पर किए जाने वाले खर्चों में मितव्ययिता बरते जाने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) : पिछले 18 महीनों में केन्द्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के विदेशी दौरों के बारे में विस्तृत जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है। सूचना एकत्रित की जाएगी और यथासम्भव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) और (घ) : केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा विदेशों के दौरे केवल तभी किये जाते हैं जब ये उनके समुचित कार्य-निष्पादन के लिए नितांत रूप से आवश्यक हों। मन्त्रिमण्डल स्तर के मंत्रियों और स्वतंत्र रूप से कार्यभार ग्रहण करने वाले राज्य मंत्रियों के विदेश दौरे के प्रस्तावों पर प्रधान मन्त्री का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होता है। विदेश जाने वाले अन्य मन्त्रियों के मामलों का अनुमोदन वित्त मन्त्री द्वारा किया जाता है। दौरे वाले देशों में भोजन, आवास, टिप्स, प्रासंगिक और मनोरंजन (जहां आवश्यक हो) पर व्यय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये नियमों और आदेशों के अनुरूप किया जाता है और यह व्यय किफायत तथा आडम्बरपूर्ण व्यय को टालने की आवश्यकता के अनुरूप होता है।

कुछ मुख्य मन्त्रियों ने भी अपने-अपने राज्यों के कार्यों के सम्बन्ध में पिछले 18 महीनों में विदेशों का दौरा किया है।

फाउन्ड्री उद्योग में संकट

2983. **श्री भीकू राम जैन** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्चे लोहे के, सी. आई. स्क्रैप तथा हाई कोक जैसे मूल कच्चे माल की अपर्याप्त सप्लाई से कारण फाउन्ड्री उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कच्चे माल की कमी के कारण फाउन्ड्री उद्योग निर्यात आर्डर पूरा कर पाने की स्थिति में नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) : जहां तक कच्चे लोहे और ढलवे लोहे के स्क्रैप (सी. आई. स्क्रैप) की सप्लाई का प्रश्न है, यह सच है कि इस समय देश में इन दोनों प्रकार की सामग्री की उपलब्धि मांग से कम है। लेकिन ढलाई कारखाने वास्तविक उपभोक्ताओं के लिए खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत कच्चे लोहे का आयात कर सकते हैं और देशीय उपलब्धि में वृद्धि कर सकते हैं, इसलिए यह कहना ठीक न होगा कि इस प्रकार की सामग्री की अपर्याप्त सप्लाई के कारण ढलाई उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है। यह भी बता दिया जाए कि निर्यात के आर्डरों के सम्बन्ध में शुल्क मुक्त योजना के अन्तर्गत इस सामग्री का आयात भी किया जा सकता है और सम्बन्धित ढलाई कारखाने इस सुविधा का लाभ भी उठा सकते हैं। जहाँ तक हाई-कोक की सप्लाई का सम्बन्ध है, ढलाई कारखानों को "बीहाइव कोक" की आवश्यकता होती है। इस प्रकार का कोक आसानी से उपलब्ध है और खान के मुहानों पर ही इसका पर्याप्त स्टाक है। हो सकता है कि रेल यातायात की कठिनाई हो। यदि ढलाई कारखाने चाहें तो ट्रकों से ढुलाई करा सकते हैं।

कलकत्ता एयरपोर्ट होटल में खानपान व्यवस्था

2984. **नीरेन घोष** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता एयरपोर्ट होटल, कलकत्ता हवाई अड्डे के सभी इण्डियन एयरलाइन्स यात्रियों के खानपान की व्यवस्था करता था;

(ख) क्या खान-पान व्यवस्था का 50 प्रशिशत और बाद में इसके अतिरिक्त साढ़े 6 प्रतिशत का ठेका किसी निजी ठेकेदार को दिया गया था;

(ग) यदि हाँ, तो सरकारी क्षेत्र के सहयोगी उपक्रम को क्यों हानि उठानी पड़ी;

(घ) क्या इसके परिणामस्वरूप यात्रियों को सप्लाई किए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता में गिरावट आई है;

(ङ) क्या इस पर पुनः विचार किया जायेगा; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) : जी, हां।

(ख) : इस समय खाद्य सामग्री (केटरिंग सप्लाईज़) में कलकत्ता विमान क्षेत्र रेस्टोरेंट (आई. टी. डी. सी.) का भाग 50% से थोड़ा अधिक है।

(ग) : कलकत्ता विमान क्षेत्र रेस्टोरेंट में श्रमिक अशान्ति होने के कारण, खाद्य सामग्री की सप्लाई असन्तोषजनक समझी गई। इसीलिए इण्डियन एयरलाईन्स ने एक ऐसे निजी खान-पान प्रबंधक के साथ आंशिक सप्लाई की व्यवस्था की, जिसकी दरें भी 25 प्रतिशत कम थीं।

(घ) : जी, नहीं।

(ङ) और (च) : प्राइवेट पार्टी के साथ चालू ठेका समाप्त हो जाने पर ही इस पर पुनः विचार किया जाएगा।

दार्जिलिंग में पर्यटकों के लिए आवास सुविधाओं की कमी

2985. **श्री नीरेन घोष** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि दार्जिलिंग में पर्यटकों के लिए आवास की जबर्दस्त कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कमी को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाये गए हैं;

(ग) क्या पर्यटकों की मांग को पूरा करने के लिए भारतीय पर्यटन विकास निगम का विचार दार्जिलिंग में होटल स्थापित करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) : पर्यटन विभाग द्वारा किए गए प्रायोगिक सर्वेक्षण के अनुसार, इस समय चार होटलों में उपलब्ध 148 कमरों के मुकाबिले 1990 में दार्जिलिंग में अनुमोदित श्रेणी के 250 होटल-कमरों की जरूरत पड़ेगी।

(ख):केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत पर्यटन विभाग ने दार्जिलिंग में 44 बैडों की क्षमता वाले एक यूथ होस्टल का निर्माण किया गया जो 2.11.1975 को पूरा हो गया था। दार्जिलिंग में मौजूदा पर्यटक गृह में 14 कमरे जोड़ कर 6.6.1975 को इसके विस्तार का कार्य पूरा कर दिया गया था।

(ग) और (घ) : संसाधनों पर प्रतिबंध होने के कारण भारत पर्यटन विकास निगम की छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में दार्जिलिंग में एक होटल की स्थापना के बारे में किसी स्कीम की परिकल्पना नहीं गयी है।

विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से ऋण में भारत का हिस्सा

2986. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : 1976 से 1980 के दौरान बैंक के राजकोषीय वर्षों में (जुलाई-जून) विश्व बैंक समूह (अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ और अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक) द्वारा दिये जाने वाले उधारों में भारत का हिस्सा 4½ और 45 प्रतिशत के बीच रहा। किसी राजकोषीय वर्ष में हस्ताक्षरित उधार/ऋण करारों की परियोजनाओं की वास्तविक संख्या, विश्व बैंक समूह द्वारा दिए जाने वाले उधारों की कुल राशियों आदि के कारण इस प्रतिशत में कभी-कभी थोड़ा फेर-बदल हो जाता है. अतः भारत के हिस्से में कोई कमी नहीं हुई है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विभिन्न सुविधाओं के अन्तर्गत उन सदस्यों को अपने साधन उपलब्ध कराता है जिन्हें आवश्यक समायोजनों के लिए भुगतान शेष सम्बन्धी अस्थायी सहायता की जरूरत होती है। सदस्यों को ऐसे उधार समय-समय पर उनके अनुरोध पर दिए जाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ऋण देने का कोई नियमित कार्यक्रम नहीं है इसलिए इसमें किसी देश का हिस्सा होने का प्रश्न पैदा ही नहीं होता। भारत ने भी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्यों को मिलने वाली सुविधाओं के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार रकमें निकाली हैं।

(ख) : यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) : विश्व बैंक समूह द्वारा दी जाने वाली सहायता में अपने हिस्से को बनाये रखने और उसमें वृद्धि करने के अपने दावे पर जोर देने के लिए अनेक परियोजनाएं तैयार की गई हैं और बैंक के सम्मुख प्रस्तुत की गई हैं। हमने चालू परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता का अधिक इस्तेमाल करके सहायता का इस्तेमाल करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन भी किया है। सहायता के अपने हिस्से को कायम रखने के लिए भारत और बैंक के बीच बराबर बातचीत होती रहती है।

निर्यात कोटे का आवंटन

2987. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र निर्यात कर्ताओं ने निर्यात कोटे के परस्पर आवंटन के बारे में कोई शिकायत की है; और

(ख) क्या वस्त्र "टैक्सप्रोसिल" ने स्रोतों की विविधता बढ़ाने तथा बड़े पैमाने पर रोज-

गार पैदा करने के लिए वस्त्र कोटे के आवंटन में पर्याप्त उपबन्ध किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) : निर्यातकों के बीच परिधान कोटों के आवंटन को विनियमित करने वाली नीति सरकार द्वारा परिधान उद्योग तथा व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों के विचारों और हितों को ध्यान में रख कर तैयार की जाती है। कोटा नीति का वास्तविक कार्यान्वयन एपेरल निर्यात संवर्धन परिषद् (ए. ई. पी. सी.) द्वारा किया जाता है और यदि कोई शिकायत हो तो निर्यातक वस्त्र आयुक्त के पास अपील दायर कर सकता है।

(ख) : टैक्सप्रोसिल नहीं बल्कि ए. ई. पी. सी. परिधानों के लिए कोटा प्रबंधक अभिकरण है। ए. ई. पी. सी. बाजार सर्वेक्षणों/ अध्ययनों को आरम्भ करती है और पूरा करती है तथा नये क्षेत्रों/नये बाजारों में निर्यातों के विविधीकरण के लिए क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करती है।

कांडला को विमान-सेवा से जोड़ना

2988. **श्री डी.पी. जदेजा : श्री मोहन लाल पटेल : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला को विमान सेवा से जोड़े जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव की क्या प्रगति है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) : यद्यपि इण्डियन एयरलाइन्स की कांडला के लिए विमान सेवा का परिचालन करने की कोई योजनाएं नहीं हैं, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से बाहर वायुदूत सेवाओं द्वारा जोड़े जाने वाले स्टेशनों पर सरकार विचार कर रही है

दिल्ली और जोधपुर के बीच दैनिक विमान सेवायें

2989. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली और जोधपुर के बीच दैनिक विमान सेवा शुरू करने के लिए निश्चित तौर पर किस दिन तक निर्णय लिया जाएगा।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : इण्डियन एयरलाइन्स की दिल्ली तथा जोधपुर के बीच एक दैनिक विमान सेवा की व्यवस्था करने की कोई योजनाएं नहीं हैं। यद्यपि अक्तूबर,1981 से लागू होने वाली अपनी शीतकालीन समयावली में, जोधपुर के लिए तथा दिल्ली से एच. एस.-748 सेवा के स्थान पर सप्ताह में तीन बी-737 सेवाएं परिचालित करके क्षमता में वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

सरकारी क्षेत्र के निगमों में रिक्त पदों को भरने में अत्यधिक विलम्ब

2990. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन : श्री बाला साहिब वीखे पाटिल: : श्री जगदीश टाइटलर : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 6 अगस्त, 1981 "नेशनल हैराल्ड" में प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि प्रधान मन्त्री ने विभिन्न मंत्रालयों को उनके अधीन सरकारी क्षेत्र के निगम में रिक्त पदों को भरने में होने वाले अत्यधिक विलम्ब के लिए फटकारा है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के निगमों में कोई उच्च पद (अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक) आदि रिक्त पड़े हैं और ये पद कब से रिक्त हैं;

(ग) इन पदों को अभी तक न भरे जाने के क्या कारण हैं ? और

(घ) इन पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) : जी, हां। इस्पात तथा खान मंत्रालय के बारे में स्थिति नीचे बताई गई है:—

उपक्रम का नाम	पद का नाम	किस तारीख से खाली पड़ा है
1. स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड	प्रबन्ध निदेशक, दुर्गापुर इस्पात कारखाना	6.8.1981
2. खनिज गवेषण निगम लिमिटेड	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	31.7.1981

(ग) और (घ) : उपर्युक्त पद अभी हाल में खाली हुए हैं तथा सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (पब्लिक इन्टरप्राइजेज़ सेलेक्शन बोर्ड) से इन पदों के लिए चयन करने का अनुरोध किया गया है। आशा है ये पद शीघ्र ही भर लिए जाएंगे।

उड़ीसा में पर्यटन का विकास

2991. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा राज्य में पर्यटन के विकास के लिए उड़ीसा सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) : 16 अप्रैल, 1981 को हुई बैठक में पर्यटन के विकास के लिए उड़ीसा में निम्नलिखित यात्रा परिपथ अन्तिम रूप से अभिनिर्धारित किए गए थे:—

(1) भुवनेश्वर-पुरी-कोणार्क-घोल-रत्नागिरी-उदयगिरी-भद्रक-चांदपुर-किचिंग--जोशीपुर (सिमली पाला)-और भुवनेश्वर वापिस।

(2) भुवनेश्वर-चिल्का झील-गोपालपुर समुद्र तट पर-तप्तापानी-कोरापुल-बातनगीर-बारगढ़-सम्बलपुर-अंगुल (तिरकापारा)-भुवनेश्वर।

राज्य सरकार के पर्यटक अधिकारियों से यह अनुरोध किया गया था कि वे अभिनिर्धारित यात्रा परिपथों के साथ-साथ पड़ने वाले केन्द्रों पर पहले से ही उपलब्ध सुविधाओं का और इन केन्द्रों पर किन-किन अतिरिक्त सुविधाओं की जरूरत है, उनका उल्लेख करते हुये पर्यटन विकास का ब्लू प्रिंट तैयार करें ताकि केन्द्रीय, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों के अन्तर्गत एकीकृत और अवस्थानुसार ढंग से तथा संसाधनों को एकत्र करते हुए कार्यान्वयन करने के लिए ,स्कीमों का एक शेल्फ तैयार किया जा सके। उड़ीसा में पर्यटन के समग्र विकास का यह ब्लू प्रिंट राज्य सरकार से अभी प्राप्त होना है।

तथापि, केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित स्कीमें प्रारम्भ की गयी हैं/प्रस्तावित हैं :

केन्द्र	स्कीम	स्थिति
1. सिमली पाल नेशनल पार्क	एक वन गृह का निर्माण	स्थल का अभी चयन किया जाना है।
2. तलित गिरी-उदयगिरी और रत्नागिरी	मास्टर प्लानें तैयार करना (भूमि-प्रयोग योजनाएं)	जांच की जा रही है।
भारत पर्यटन विकास निगम		
पुरी	होटल	उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के साथ एक संयुक्त सेक्टर परियोजना।
कोणार्क	समुद्र-तट कुटीरें	उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के साथ एक संयुक्त सेक्टर परियोजना।

विशेष धारक बांडों की बिक्री

2992. **श्री रास बिहारी बहेरा : श्री एम. रामन्ना राय** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल कितने विशेष धारक बांडों की बिक्री हुई है (राज्य-वार); और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) : 30 अप्रैल, 1981 तक 385.60 करोड़ मूल्य के 3,85,597 बाण्डों की बिक्री हुई।

राज्य-वार बिक्री के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन लोक ऋण कार्यालय-वार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण		
लोक ऋण कार्यालय	अधिकार-क्षेत्र राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बाण्डों की संख्या
1	2	3
अहमदाबाद	गुजरात, दादरा और नगर हवेली	24,288
बंगलौर	कर्नाटक	14,617
बम्बई	बम्बई, गोवा, दमन और दीव सहित महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र	1,31,610
नागपुर	बम्बई ऋण कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के अलावा महाराष्ट्र क्षेत्र; मध्य प्रदेश	10,064
कलकत्ता	पश्चिम बंगाल, आसाम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्कम, त्रिपुरा, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल-प्रदेश, मिजोरम	33,021
हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	8,009
जयपुर	राजस्थान	2,654
कानपुर	उत्तर प्रदेश	20,748
मद्रास	तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी लक्षद्वीप	20,915
पटना	बिहार	6,740
नई दिल्ली	पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, चण्डीगढ़	1,12,936
		3,85,597
	कुल मूल्य	385,59,70 लाख रुपये

क्योंझर, उड़ीसा में क्रोम संयंत्र

2993. श्री रास बिहारी बहेरा : श्री के० पो० सिंह देव : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्योंझर, उड़ीसा में 'चार्ज क्रोम संयंत्र' कब चालू हो जाएगा; और

(ख) : इससे कितने रोजगार क्षमता का निर्माण होगा ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) : उड़ीसा

माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अप्रैल, 1980 में दी गई सूचना के अनुसार इस कारखाने के सन् 1983 के मध्य तक उत्पादन करने लगने की सम्भावना है। उन्होंने कारखाने के चालू होने के बारे में अभी किसी संशोधित कार्यक्रम की सूचना नहीं दी है। आशा है इस परियोजना से लगभग 1500 लोगों को रोजगार मिलेगा।

उड़ीसा में क्रोमाइट भण्डारों के स्थानों का पता लगाया जाना

2994. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में क्रोमाइट भंडारों के स्थानों का पता लगाने का कार्य आरम्भ किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस खोज के क्या परिणाम निकले और यह खोज किन-किन स्थानों पर की गई है।

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) : जी हां। उड़ीसा में क्रोमाइट के ज्ञात प्राप्ति स्थलों के आधार पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपनी देख-रेख में उड़ीसा सरकार, उड़ीसा खनन निगम और खनिज गवेषण निगम की भागीदारी से मार्च, 1977 में कटक, क्योंझर और धेनकनाल जिलों की सुकिन्दा-नोशाही क्रोमाइट पट्टी में गहन खोज का कार्यक्रम शुरू किया था।

(ख) : अब तक की खोज के फलस्वरूप कालियापानी और नौशाही-बाउला खंडों में 100 मीटर की गहराई तक, सरुआबिल और सुकरंगी खंडों के 250 मीटर तथा भीमतानगर और भीमतानगर के छूटे हुए खंडों में 250 मीटर की गहराई तक लगभग 112 मि० टन क्रोमाइट भंडार होने का अनुमान है। अयस्क पिंडों की चौड़ाई 1.50 मीटर से 22 मीटर के बीच है और उनका ग्रेड 37.78 से 52.92 प्रतिशत के बीच होगा।

भारत और जिम्बाबवे के बीच व्यापारिक समझौते

2995. **श्री माधव राव सिंधिया** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिम्बाबवे के प्रधानमंत्री की हाल ही की नई दिल्ली की यात्रा के दौरान जिम्बाबवे के साथ कोई व्यापारिक और वाणिज्यिक समझौते किए गए;

(ख) यदि हाँ, तो समझौतों का ब्यौरा और शर्तें क्या हैं; और

(ग) दोनों देशों के बीच 1980-81 के दौरान कितना व्यापार हुआ और इन समझौतों के परिणामस्वरूप 1981-82 के दौरान व्यापार में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) : जी-हाँ। जिम्बाबवे के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान 22 मई, 1981 को नई दिल्ली में जिम्बाबवे के साथ एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर किये गए थे। करार में ये व्यवस्थाएं हैं : (1) उच्च व्यापार स्तर प्राप्त करने के लिए दोनों देशों द्वारा प्रयत्न; (2) एक दूसरे को परम मित्र राष्ट्र व्यवहार का विस्तार; (3) परिवर्तनीय मुद्राओं में भुगतान; तथा (4) इसके प्रभावी कार्यान्वयन

के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति का गठन करना। यह करार आरंभ में दो वर्षों के लिए वैध है और उसके बाद तब तक दो वर्षों की और अवधि के लिए स्वतः ही नवीकृत हो जायेगा जब तक संविदाकारी पक्षकारों में से कोई एक पक्षकार इस करार की समाप्ति से छः महीने पहले इसको समाप्त करने के लिए लिखित सूचना नहीं दे देता।

(ग) : दोनों देशों के बीच व्यापार अप्रैल, 1980 में जिम्बाबवे की स्वतंत्रता के बाद ही आरम्भ हुआ था। वर्ष 1980-81 के पहले तीन महीनों (अप्रैल-जून) के दौरान कोई व्यापार नहीं हुआ है। वर्ष की शेष अवधि के व्यापार संबंध हाल ही में आरम्भ हुए हैं और 1980-81 के पूरे वर्ष के लिए व्यापार आंकड़े अभी उपलब्ध होने हैं, अतः वर्ष 1980-81 के दौरान व्यापार में संभावित वृद्धि के बारे में इस अवस्था में पूर्वानुमान लगाना कठिन है।

चीनी का निर्यात

2996. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1980-81 के दौरान चीनी के निर्यात से भारत को 9.2 करोड़ रु० का लाभ हुआ!

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक देश को कितनी चीनी निर्यात की गई और उसका बिक्री मूल्य क्या था; और

(ग) 1981-82 के लिए विभिन्न देशों को चीनी निर्यात करने का यदि कोई आश्वासन दिया गया है, तो उसकी मात्रा कितनी है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान : (क) : जी नहीं।

(ख) : वर्ष 1980-81 में राज्य व्यापार निगम ने निम्नलिखित देशों को, जैसा कि उनके नाम के सामने दर्शाया गया है, 35.96 करोड़ रु० मूल्य की चीनी का निर्यात किया :—

मिस्र	11,550 मे. टन
ब्रिटेन	13,981 ,,
श्री लंका	14,020 ,,
इन्डोनेशिया	30,525 ,,
नेपाल	1,500 ,,

(ग) : भारत, 1 जुलाई, 1981 से 30 जून, 1982 के दौरान यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को 25,000 मे. टन चीनी का निर्यात करने के लिए वचनबद्ध है। 21.12.1981 से चीनी के निर्यातों पर रोक लगी हुई है।

इण्डिया आडिट एण्ड एकाउण्ट्स डिपार्टमेंट में सेवारत व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले नियम

2997. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 (5) के अंतर्गत, इण्डिया आडिट एण्ड एकाउण्ट्स डिपार्टमेंट में सेवारत व्यक्तियों की सेवा शर्तों को

विनियमित करने वाले नियमों को राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से बनाया जाना चाहिए;

(ख) क्या उन्हें इस बात की भी जानकारी है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने तृतीय वेतन आयोग को भेजे गए ज्ञापन के पैरा 7.8 के उप पैरा (ख) में "कतिपय श्रेणियों के लिए विशेष वेतन" शीर्षक से कथित वेतन आयोग को सूचित किया था कि उन्होंने केन्द्रीय सचिवालय के सहायकों के ग्रेड के समकक्ष वेतनमान में 'आडिटर्स' नाम से नया संवर्ग बनाने का निर्णय लिया था;

(ग) यदि हां, तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा कथित निर्णय के कार्यान्वयन का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि क्रियान्वित नहीं किया गया, तो उसके क्या कारण थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) : जी, हां। संविधान के अनुच्छेद 148 (5) में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के साथ केवल परामर्श की परिकल्पना की गई है परन्तु वे ऐसे मामलों में निर्णय लेने वाले अन्तिम प्राधिकारी नहीं हैं क्योंकि नियम राष्ट्रपति द्वारा बनाये जाते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के निर्णय के रूप में जिसका उल्लेख किया गया है वह वास्तव में वेतन आयोग को की गई एक सिफारिश के रूप में थी, जो कि सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों, आदि में संशोधन के प्रश्न पर विचार कर रहा था। नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के उपरिनिर्दिष्ट निर्णय का आशय केवल उनके द्वारा वेतन आयोग को किए गए प्रस्ताव को स्वीकृति मात्र देना है, जिसे इस प्रश्न पर सभी पहलुओं से और अन्य विभागों में इसी प्रकार के सेवारत कर्मचारियों के दावों को देखते हुए विचार करना था।

(ग) और (घ) : तीसरे वेतन आयोग ने केंद्रीय सचिवालय के सहायकों के ग्रेड को भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा-विभाग के उच्च श्रेणी लिपिकों (और उन उच्च श्रेणी लिपिकों जिन्हें अब लेखा परीक्षक कहा जाता है) देने के प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार किया लेकिन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के अध्याय 10 के पैरा 25 में उच्च श्रेणी लिपिकों के लिए सहायक ग्रेड के लागू किए जाने की सिफ़ारिश नहीं की। उसने 330-560 रु० के वेतनमान की सिफारिश की थी और सरकार ने स्वीकार कर लिया था। भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के सम्बन्ध में वेतनमानों को भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श करने के बाद तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित किया गया था। चूंकि भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा-विभाग में सेवारत व्यक्तियों की सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा (और न कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श करके तैयार की जाती हैं और राष्ट्रपति जी का (इस मामले में सरकार का) कोई ऐसा निर्णय नहीं था, इसलिए भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा-विभाग में लेखा परीक्षकों को सहायक ग्रेड देने के सम्बन्ध में नियंत्रक-लेखा परीक्षक के कथित निर्णय को क्रियान्वित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण बैंक, पूर्वी चम्पारन का कार्यकरण

2998. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण बैंक पूर्वी चम्पारण के कार्यकरण को संतोषजनक नहीं पाया गया था और प्रबन्ध मण्डल में परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव की गई थी;

(ख) क्या इस ग्रामीण बैंक पूर्वी चम्पारण मोतीहारी के भूतपूर्व चेयरमैन को बदले जाने के बारे में उक्त बैंक के कार्यकरण में सुधार हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सांख्यिकीय रिपोर्ट क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (ग) : भूतपूर्व अध्यक्ष को कुछ प्रशासनिक कारणों से हटा दिया गया था। अन्यथा पूर्वी तथा पश्चिमी चम्पारन जिलों में कार्यरत, चम्पारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मोतीहारी ने पिछले कई वर्षों से नियमित तथा संतोषजनक कार्य निष्पादन को बनाए रखा है, जैसा कि संलग्न विवरण में प्रकट होगा।

विवरण

चम्पारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मोतीहारी की प्रगति

	दिसम्बर, के अन्त की स्थिति के अनुसार				मार्च 1981 के अन्त की स्थिति के अनुसार
	1977	1978	1979	1980	
खोली गई शाखाएं	28	33	63	95	103
जमा राशियां (लाख रुपये)	56.31	123.57	271.98	369.85	458.60
अग्रिम (बकाया राशि)	52.71	133.73	294.19	397.73	588.47
लाभ प्राप्त कर्ताओं की संख्या	7,727	16,315	29,502	40,920	44 369

अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड

2999. **श्री कुम्मा राम आर्य** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की स्थापना कब हुई थी;

(ख) इसके चेयरमैन तथा निदेशक मंडल के अन्य सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) बोर्ड का आर्थिक, संस्कृति और कला क्षेत्रों में क्या योगदान रहेगा; और

(घ) बोर्ड का क्षेत्राधिकार क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) : नवम्बर, 1952.

(ख) से (ग) : 4 जून 1980 से अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड बन्द हो गया है और अब एक संयुक्त अखिल भारतीय हथकरघा तथा हस्तशिल्प बोर्ड गठित किया गया है। अधि-

सूचना सं० 1-181-ए० आई० एच० एच० बी० दिनांक 1 जुलाई, 1981 की एक प्रति संलग्न है जिसमें बोर्ड के गठन और साथ ही उसकी भूमिका का उल्लेख किया गया है।

(ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल टी 2775/81)

(घ) हथकरघा व हस्तशिल्प क्षेत्रों का विकास।

बैंकिंग उद्योग का राष्ट्रीयकरण

3000. **श्री राजेश कुमार सिंह** : वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में बैंकिंग उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) : जी, नहीं।

(ख) सरकार ने 15 अप्रैल, 1980 को छह भारतीय गैर सरकारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था जिनकी माँग और समय देनदारियां (डिमांड एण्ड टाइम लाइबिलिटीज) 200 करोड़ रुपये से ऊपर की थीं। अपेक्षाकृत उन छोटे बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना वांछनीय नहीं समझा गया है जिनके परिचालन की भूमिका सीमित और स्थानीय किस्म की है।

विशेषाधिकार प्रश्न आदि के बारे में

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, मैंने एक विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह मुझे मिल गई है।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या वह विचाराधीन है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने तथ्यों की जानकारी मांगी है।

प्रो० मधु दण्डवते : प्रथम दृष्टय : यह एक विशेषाधिकार का मामला है। जब सदन में यह सिद्ध हो चुका है कि प्रथम दृष्टय: यह मामला विशेषाधिकार का बनता है तो इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस पर विचार करना है। मुझे तथ्यों का पता लगाना है। मैं ऐसे ही इसे सही नहीं मान सकता। मुझे तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं वही कर रहा हूं जो आवश्यक है। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : पहले दिए गए प्रमाणों के अतिरिक्त हमारे पास एक नया प्रमाण और है। 'महाराष्ट्र टाईम्स' ने एक फोटो प्रकाशित किया है। (व्यवधान) यह एक अतिरिक्त प्रमाण है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा हूं। मैंने तथ्यों की जानकारी मांगी है। इसके बाद मैं कोई निर्णय लूंगा। इस प्रकार मैं कोई निर्णय नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : आज आप अनाउन्स कर दीजिये किन-किन माननीय सदस्यों ने प्रिवले मोशन के नोटिस दिये हैं, मोशन क्या है और आप क्या कार्यवाही उस पर कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : महाराष्ट्र में कुछ न्यासों को आम कर से छूट देने के मामले में कथित अनियमितताओं के बारे में 2 सितम्बर, 1981 को ध्यानाकर्ष प्रस्ताव पर स्पष्टीकरण सम्बन्धी प्रश्नों के उत्तर के दौरान सदन को गुमराह करने के कारण सर्वश्री जार्ज फर्नान्डीज, अटल बिहारी वाजपेयी, ज्योतिर्मय बसु, मनीराम बागड़ी तथा प्रो० मधु दण्डवते, संसद सदस्यों ने श्री आर० वेंकटरामन, वित्त मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग के प्रश्न की सूचनाएं दी हैं···

···(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मैं नया प्रमाण देना चाहता हूँ। प्रस्ताव में इस नये प्रमाण का उल्लेख नहीं है। प्रस्ताव में अतिरिक्त जानकारी का उल्लेख नहीं किया गया है। मैंने इस बात का उद्धरण दिया है कि महाराष्ट्र सरकार की सरकारी पत्रिका, लोकराज्य ने इसे प्रकाशित किया है। ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। (व्यवधान) तथ्यों को प्राप्त करने के बाद मैं आपको अपने निर्णय से अवगत कराऊंगा। (व्यवधान) मैंने यहां कहा है कि लोकराज्य ने फोटो छापा है। (व्यवधान) मेरा यह कहना है कि मुझे विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना मिली है तथा मैं इन सब प्रस्तावों को संबंधित वित्त मन्त्री के पास भेज दूंगा। (व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : वह इस बारे में कुछ कहने को तैयार हैं।

वित्त मन्त्री (बी० आर० वेंकटरामन) : क्या आप मेरी बात सुनने को तैयार हैं? कृपया बैठ जाइये। मैं आपको सारी जानकारी दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : पहले मुझे इसकी जांच करनी है। फिर मैं इसकी अनुमति दूंगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप वित्त मंत्री को बोलने की अनुमति दें। जब मैंने किसी बात का जिक्र किया था, तब वह कुछ और चीज दिखा रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : यह जानकारी मुझे मिल गई है। मुझे इसकी जांच करनी है, स्वयं को सन्तुष्ट करना है, इसके बाद ही मैं इन्हें कुछ कहने की अनुमति दूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि फोटो के अतिरिक्त···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, आपको बोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। आप वह जानकारी मेरे पास भेज दीजिए।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं यह चाहता हूं कि महाराष्ट्र टाईम्स में प्रकाशित फोटो को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप वह फोटो मेरे पास भेज दें। आप उसके सम्बन्ध में यह नहीं कह सकते। इस फोटो को मेरे पास भेज दीजिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यह सभा अपना कर्त्तव्य निभाने में असफल रहेगी यदि यह अपना आभार प्रकट नहीं करती। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इन सबकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : निदेश 2, नियम 197 के अन्तर्गत मैंने आपको अमरीकी राजदूत के बारे में एक सूचना दी थी। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में चर्चा करेंगे। इस प्रकार नहीं। आप कोई प्रस्ताव तो रखिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं पहले ही प्रस्ताव रख चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह विचाराधीन है। मैंने इसे अस्वीकार नहीं किया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, हमने कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं एक बात कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कुछ की अनुमति नहीं दी जायेगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ कहने की अनुमति नहीं मिलेगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ। धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा आदेश..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्य स्थगन का मामला नहीं बनता है। इसकी अनुमति नहीं मिलेगी।...(व्यवधान)

इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। आप कार्य में सभा का समय नष्ट करने की चेष्टा कर रहे हैं। (व्यवधान) आप क्या कर रहे हैं। यह मेरा काम है या आपका है? आप आ जाइये। आप मेरा स्थान लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं ? उपाध्यक्ष आप है या मैं ?

श्री आर० एन० राकेश (चंल) : अध्यक्ष जी, कांग्रेस (आई०) की मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन बहुगुणा जी मीटिंग्स नहीं हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। यह असंगत है। इसकी अनुमति नहीं मिलेगी।

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि आप जैसे ऐडजर्नमेंट मोशन लेते हैं और सुनने को तैयार नहीं होते, जैसे आपने किया 222 का...

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। मैं यह नहीं कर सकता, नहीं कर सकता।

श्री मनीराम बगड़ी : आपने खड़ा फिर क्यों किया ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहां खड़ा किया ? आप खुद खड़े हो रहे हैं ।

श्री मनीराम बागड़ी : आप बात ही नहीं सुनते ।

अध्यक्ष महोदय : ऐकार्डिंग टूलॉ सुनता हूँ । यह उसूल आपका ही बनाया हुआ है, मेरा नहीं है । आप चाहे बैठे-बैठे बोलें । (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपको सावधान कर रहा हूं । आपको हरियाणा से होकर गुजरना है ।

अध्यक्ष महोदय : आपको पहले से ही इनकी उपस्थिति का अभ्यास है !

श्री आर० एन० राकेश : अध्यक्ष जी, आज फिर ट्रेन डिरेलमेंट हो गया है और कितने ही लोग ऐक्सीडेंट में घायल हुए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : रेलवे की सप्लीमेंटरी डिमान्ड्स आ रही हैं उस पर बात कीजियेगा । (व्यवधान)

नहीं; इसकी अनुमति नहीं मिलेगी । यह सब नहीं चलेगा? कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा । (व्यवधान)*

श्री मनी राम बागड़ी : अध्यक्ष जी मैंने आपको गढ़वाल के बारे में ऐडजर्नमेंट मोशन दिया था । वहां पर दफा 144 लगी हुई है ।...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इसकी अनुमति नहीं मिलेगी । अब पत्र सभा पटल पर रखे जायेंगें ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत अधिनियम

संसदीय कार्य निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : महोदय, मैं श्री प्रणव कुमार मुखर्जी की ओर से निम्नलिखित पत्र की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ;

खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा. सां. नि. 449 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 23 जुलाई, 1981 के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में कतिपय संशोधन किया गया है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल टी 2753/81]

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

नेशनल कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) धन प्रशासन नियम, 1981 और पटसन कंपनी राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1980

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैं श्री खुर्शीद आलम खां की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ—

(1) नेशनल कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1980 की धारा 33 की उपधारा (3) के अन्तर्गत नेशनल कम्पनी लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन तथा अन्तरण) धन प्रशासन नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 16 जुलाई, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. सं. नि. 438 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी 2754/81]

(2) पटसन कम्पनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1981 की धारा 32 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) पटसन कम्पनी (राष्ट्रीयकरण) (किसी सम्पत्ति में बन्धक प्रभार, धारणाधिकार अथवा अन्य हित सम्बन्धी सूचना) नियम, 1981 जो दिनांक 26 मई, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. सं. नि. 366 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पटसन कंपनी (राष्ट्रीयकरण) धन प्रशासन नियम, 1981 जो दिनांक 16 जुलाई, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सं० नि० 439 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी 2755/81]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे पूरा...विश्वास...(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आप से अनुरोध करता हूँ...

अध्यक्ष महोदय : श्री बरोट

साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) नियम, 1973 का सातवां वार्षिक प्रतिवेदन; दिल्ली वित्तीय निगम का वर्ष 1979-80 का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और भारतीय स्टेट बैंक और इसके सात सहायक बैंकों का 31.12.1980 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : महोदय, मैं श्री मगनभाई बरोट की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) नियम, 1973 के नियम 6 के अन्तर्गत साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक कम्पनियों के 31 दिसम्बर, 1979 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यों सम्बन्धी सातवें वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी 2756/81]

(2) राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 की धारा, 37 की उपधारा (7) के अन्तर्गत

दिल्ली वित्तीय निगम के वर्ष 1979-80 के लेख पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल टी 2757/81]

(3) भारतीय स्टेट बैंक और इसके सात सहायक बैंकों अर्थात स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, स्टेट बैंक आफ हैदराबाद, स्टेट बैंक आफ इन्दौर, स्टेट बैंक आफ मैसूर, स्टेट बैंक आफ पटियाला, स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, और स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर के 31 दिसम्बर, 1970 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षा का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल टी 2758/81]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे पूरी आस्था है इस देश की जनता पर कोई किसी को रोक नहीं सकता । ऐसा करने से फायदा क्या है ।

यह जनता बड़ी समर्थ है हिन्दुस्तान की । इसको कोई नहीं दबा सकता ।

विधेयकों पर अनुमति

सचिव : महोदय, में सभा पटल पर निम्न तीन विधेयक प्रस्तुत करता हूँ । इन्हें संसद के चालू सत्र में दोनों सभाओं द्वारा पास किया गया तथा राष्ट्रपति ने इन पर अपनी अनुमति प्रदान की । इस बारे में पहले इस सभा को रिपोर्ट 18 अगस्त, 1981 को दी गई :

1. आवश्यक वस्तु (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 1981
2. चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदान (संशोधन) विधेयक, 1981
3. असम विनियोग विधेयक, 1981

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो भी यह महानुभाव कह रहे हैं, उसमें से कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जा रहा है । ध्यानाकर्षण । श्री बनात वाला

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

चुराई गई बहुमूल्य मूर्तियों और प्राचीन वस्तुओं की बरामदगी

श्री जो० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैं शिक्षा और अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे यह अनुरोध करता हूँ कि वे इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

"चुराई गई बहुमूल्य मूर्तियों और पुरावशेषों की दिल्ली में पुलिस द्वारा कथित बरामदी और सरकार द्वारा इस बारे में की जा रही कार्यवाही"

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : सदन से सविनय निवेदन है कि राजधानी में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक स्रोत से गुप्त सूचना मिलने पर चुराई गई मूर्तियों और पुरावशेषों की तस्करी/बिक्री के सम्बन्ध में एक संगठित रूप से छापा मारा और दो मूर्तियों को ले जाते हुए दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, उनके नाम हैं—श्री हरि, आत्मज श्री पन्नालाल और श्री बल्देव, आत्मज श्री राधा किशन दोनों ही सुभाष नगर, दिल्ली के निवासी हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के अधीन एक मामला एफ. आई. आर. सं० 351, दिनांक 28.8.81 को राजिन्दर नगर पुलिस थाना, नई दिल्ली में रजिस्टर किया गया। पूछताछ करने पर संदिग्ध व्यक्तियों ने प्रकट किया कि दो और व्यक्ति अर्थात् श्री सतनारायन आत्मज श्री सुगन सिंह, टैंक रोड, पापा नगर, करोल बाग, दिल्ली का निवासी और श्री काशीनाथ आत्मज श्री रामकिशन, एफ/2, लाजपत नगर, नई दिल्ली का निवासी भी इन घृणित कार्यकलापों में सम्मिलित थे। पुलिस ने उनके अधीन संदेहास्पद पुरावशेषों के रूप में काफी संख्या में वस्तुएं प्राप्त कीं। ता० 29.8.81 को वे भी गिरफ्तार कर लिये गये। लाजपत नगर का एक जेम्स के० लामा, जो इस मामले में सम्मिलित होने के लिए आरोपित है, अभी तक फरार है।

पुलिस द्वारा जब्त की गई वस्तुओं की कुल संख्या 21 है। पुलिस केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (पुरावशेष कक्ष) के अधिकारियों की सहायता से इस मामले की छानबीन कर रही है। तीन अभियुक्त पुलिस की हिरासत में हैं।

जब्त की गई वस्तुओं का प्रारम्भिक निरीक्षण पुरातत्व सर्वेक्षण के दो अधिकारियों ने कर लिया है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे पुरावशेष हैं या नहीं, पुलिस द्वारा जब्त की गई वस्तुओं का परीक्षण सुयोग्य विशेषज्ञों द्वारा अभी तक नहीं किया गया है। विशेषज्ञों द्वारा वस्तुओं का परीक्षण और पुरावशेष घोषित किए जाने के पश्चात ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पूछताछ करेगा कि इन वस्तुओं के स्वामियों ने इन वस्तुओं को पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 के अनुसार पंजीकृत कराया है या नहीं। पुरावशेषों को अधिकार में रखने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है बशर्ते वे पुरावशेषों की श्रेणियों में विनिर्दिष्ट हों, अर्थात् सभी पदार्थों की मूर्तियां, रंग, चित्र और रंगीन तथा सचित्र पाण्डुलिपियां जो अधिनियम के अधीन पंजीकरण अधिकारी के पास अधिसूचित और पंजीकृत हो।

उक्त अधिनियम की तहत विशेषज्ञों द्वारा पुरावशेष घोषित किए जाने पर यदि आरोपित व्यक्ति अपना स्वामित्व तथा पंजीकरण न सिद्ध कर पाएं तो पुलिस आरोपित संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ अभियोग चलाने के लिए आगे की कार्रवाई कर सकती है।

विशेषज्ञों के एक दल ने दिनांक 7.9.81 को इन वस्तुओं के परीक्षण करने का प्रस्ताव किया है।

श्री जी० एम० बनातवाला : उपाध्यक्ष महोदय, महोदय सबसे पहले, सरकार की इस बारे में अवश्य ही प्रशंसा की जानी चाहिए कि वह सतर्क और सावधान रही। उसकी इस सतर्कता और सावधानी के कारण ही सरकार बहुमूल्य पुरावशेषों को प्राप्त कर सकी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने भी बहुत ही सराहनीय काम किया। अतः मैं इस विशेष कार्य के लिए दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को विशेष रूप से बधाई दूंगा चाहे अन्य क्षेत्रों में वे इतने सफल नहीं रहे।

मूर्तियों और बहुमूल्य पुरावशेषों की चोरी अत्यधिक निन्दनीय कार्य है। इस प्रकार के मामलों में बहुत ही सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। विवरण में यह बताया गया है कि जब्त किए गए सामान की, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के दो अधिकारियों ने प्रारम्भिक जांच की है। यहाँ मैं, माननीया मंत्री से कुछ और स्पष्टीकरण जानना चाहूँगा। 21 मूर्तियां जब्त की गई हैं। इस सभा को यह बताया जाना चाहिए कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किए गए प्रारम्भिक सर्वेक्षण के परिणाम अथवा निष्कर्ष क्या हैं। इस सर्वेक्षण के प्रारम्भिक निष्कर्ष क्या हैं, बरामद की गई वस्तुएं किस प्रकार की हैं, इन सब वस्तुओं का मूल्य लगभग क्या है। मुझे यह उम्मीद है कि इस सभा को इस प्रारम्भिक सर्वेक्षण के परिणाम बताकर इसे इस मामले की गम्भीरता तथा प्राप्त बहुमूल्य मूर्तियों के महत्व से अवगत कराया जायेगा।

इसके अलावा मैं यह भी कहूँगा कि ये सब पुरावशेष जब्त किए गए थे तथा 28 और 29 अगस्त को गिरफ्तारियां की गईं। सरकार यह चाहती है कि इन वस्तुओं की विशेषज्ञों के एक दल द्वारा जांच की जाए। लेकिन हमें बताया गया है कि विशेषज्ञों का दल इन वस्तुओं की जांच 7 सितम्बर, 1981 को करेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इन वस्तुओं की केवल जांच करने में ही और उनके सही स्वरूप तथा मूल्य का पता लगाने के कार्य में असाधारण विलम्ब क्यों किया जा रहा है।

यह आम बात है कि इन सभी मामलों में प्रमुख अपराधी बच निकलते हैं तथा कोई अल्प वेतन भोगी ही दण्ड का भागी बनता है। मुझे आशा है कि सरकार और जांचकर्ता एजेंसी काफी सतर्क रहेगी तथा इस बात की हर सम्भव कोशिश की जाएगी, यह सरकार इस सभा को आश्वासन दे कि जब भी इस अवैध धन्धे का पता चलता है तो मुख्य अपराधियों को दण्ड दिया जायेगा।

दुर्लभ पुरावशेषों की बहुत ही व्यवस्थित ढंग से तस्करी की जा रही है तथा ऐसी खबरें हैं कि इनकी तस्करी होने के अनेक कारण हैं जिनमें एक यह है कि पुरावशेषों के मूल्य लदन, ज्यूरिख और न्यूयार्क के अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में बहुत अधिक हैं और भारतीय संग्रहकर्त्ता और संग्रहालय इतने अधिक मूल्य नहीं देना चाहते तथा पुरावस्तु अधिनियम इन वस्तुओं के निर्यात का निषेध करता है। इन पुरावशेषों को सुरक्षित रखने के लिए और यह देखने के लिए कि इनकी तस्करी न हो, सरकार वास्तव में क्या कर रही है।

स्थिति गंभीर इसलिए है क्योंकि ऐसी खबरें भी हैं कि भारत से बाहर इन दुर्लभ पुरावशेषों की व्यवस्थित ढंग से तस्करी करने के लिए यहां तक कि राजनयिक बैगों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। विदेशी मिशनों के राजनयिक बैग होते हैं जो सील किए हुए होते

हैं तथा उनका इस्तेमाल डाक और गोपनीय दस्तावेजों को ले जाने के लिए होता है। हमें यह बताया गया है कि इन बैगों का इस्तेमाल भी तस्करी के लिए किया जाता है। समाचारपत्रों में छपे एक अनुमान के अनुसार इस प्रकार की वस्तुओं की तस्करी से केवल दिल्ली में लगभग 1 करोड़ रु० की हानि हुई। जब समस्या इतनी गम्भीर है तो क्या सरकार को इसकी जानकारी है ? यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए इस विशेष दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि दुर्लभ मूर्तियों, पुरावशेषों, बहुमूल्य पुरावशेषों की व्यवस्थित ढंग से की जा रही ऐसी तस्करी पर रोक लगाई जा सके ?

महोदय, मैं भी माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा ख्याल है कि यह आपका अन्तिम प्रश्न होगा। क्योंकि आपने अनेक प्रश्न पूछ लिये हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : यह केरल की स्थिति के बारे में है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हाल ही में केरल के मंदिरों एवं अन्य पूजास्थलों में से दुर्लभ-मूर्तियों तथा अन्य दुर्लभ-वस्तुओं को देश से बाहर ले जाने के सुनियोजित प्रयास किये जा रहे हैं। इन दुर्लभ-मूर्तियों को देश से बाहर ले जाने का यह सुनियोजित षड्यंत्र निरन्तर जारी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मार्क्सवादी और उसके मोर्चे के अन्य दलों के शासन में पिछले दो वर्षों के दौरान केरल में 50 से अधिक मंदिरों में चोरी हो चुकी है। लेकिन पुलिस अभी तक केवल तीन या चार मामले ही पकड़ सकी है।

श्री ए० के० बाला (ओटापालम) : महोदय, यह बिल्कुल गलत है। क्या आप 1979-80 का ब्यौरा दे सकते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : वह यह नहीं कह रहे हैं कि आपकी सरकार ऐसा कर रही है, उन्होंने तो केवल यही कहा है कि वहां आपकी सरकार है। उन्होंने आपकी सरकार पर कोई आरोप नहीं लगाया है।

श्री जी० एम० बनातवाला : महोदय, 24 मई 1981 को या इसके आस-पास कोट्टायम के सदियों पुराने महादेव मन्दिरों में हाल के वर्षों में सबसे बड़ी चोरी हुई है। शुद्ध सोने की बनी हुई मुख्य मूर्ति और कुछ अन्य वस्तुयें चुरा ली गई और इसमें लगभग दस करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। महोदय, मैं कहता हूं कि केरल सरकार इन सब बातों पर रोक लगाने के लिये प्रभावी कदम नहीं उठा रही है। तथा सरकार को इस बात की जानकारी है। यह देखने के लिये केन्द्रीय सरकार क्या कर रही है कि दुर्लभ कलाकृतियों के संरक्षण की उसकी जिम्मेदारी कहां तक पूरी हो रही है। हम इस विशिष्ट प्रश्न के बारे में सरकार से जानना चाहते हैं।

आखिर में, मैं पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1973 (1972) को लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप केरल पर बोल चुके हैं अतः अब आपको इसका समाप्त करना चाहिये।

श्री जी० एम० बनातवाला : इस अधिनियम को कई अर्थों में कठोर बनाये जाने की आवश्यकता है। महोदय, हमें एक ऐसे मामले की भी जानकारी है जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी अक्सर यह कह देते हैं कि कोई प्राचीन कलाकृति विशेष दुर्लभ कलाकृति नहीं हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि कम से कम पिछले एक वर्ष में ऐसे कितने मामले में कार्यवाही की जानी थी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विशेषज्ञों ने उनमें से कितनों में इस बात का प्रमाण-पत्र दिया कि यह कोई विशेष वस्तु दुर्लभ वस्तु नहीं है अथवा जिन मान्यताओं के आधार पर ये प्रमाण पत्र दिये गये हैं उन्हें बताया जाये ताकि हम उन आधारों को समझ तो सकें।

अन्य बातें भी हैं। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कर रही है कि इस संबंध में समुचित निगरानी रखी जाय और इस अधिनियम के उपबन्धों को अधिक से अधिक कठोर बनाया जाये।

श्री ए० के० बालन : क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, आपको इसकी अनुमति नहीं है।

श्रीमती शीला कौल : माननीय सदस्य ने प्राथमिक जांच के निष्कर्षों के बारे में पूछा है। इस जाँच से यह पता चलता है कि चुराई गई 21 मूर्तियों या कलाकृतियों में से 4 तो मिट्टी की मूर्तियाँ हैं और 17 पत्थर की मूर्तियाँ हैं। यदि हम जल्दी में कोई परिणाम निकालते हैं तो इससे कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि सबसे पहले तो पकड़ी गई वस्तुओं का इस पर ब्यौरा देना कानूनी कार्यवाही के हित में नहीं होगा और दूसरी बात यह है कि काफी समय लगेगा। कलाकृतियों की तस्करी एक अन्तर्राष्ट्रीय अवैध धंधा है, तथा भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किये हुए हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए अन्य देशों की जांच और निवारक अधिकरणों के साथ सहयोग कर रहे हैं कि क्या हम इस प्रकार होने वाली तस्करी को रोक सकते हैं। और इसे रोका ही जाना चाहिये। हम तस्करी रोकने के प्रयासों में सभी प्रकार की सहायता करना चाहते हैं।

माननीय सदस्य ने केरल का उल्लेख किया है। कुछ ऐसी वस्तुयें हैं जो सीधे केन्द्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग के अन्तर्गत आती हैं और अन्य वस्तुयें राज्य सरकार के अन्तर्गत आती हैं, मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य यह मालूम करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वस्तुयें राज्य सरकार के अन्तर्गत आती हैं, मेरा ख्याल है कि ऐसा ही है।

माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इस बारे में क्या कार्यवाही कर रहा है सर्वेक्षण विभाग ने कलाकृतियों गैरकानूनी निर्यात रोकने के लिये महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर सीमा शुल्क अधिकारियों की सहायता के लिये अपने अधिकारियों की तैनाती की है। एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति भी है जिसका गठन अंतर्राष्ट्रीय निकासी पर या इसके पास किया गया है। यह समिति वस्तुओं की जांच करके गैर-पुरातात्विक वस्तुओं के बारे में प्रमाण पत्र देती है - उन्होंने पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम के बारे में जानना चाहा है इसके अन्तर्गत काफी लम्बी सूची है। यदि इजाजत दें तो मैं इस पढ़कर सुना दूं।

पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 के 5 अप्रैल 1976 से लागू किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृतियों के निर्यात व्यापार पर नियंत्रण करना, प्राचीन कलाकृतियों की तस्करी तथा उसके कारोबार में जाल साजी को रोकना, सार्वजनिक स्थानों पर संरक्षण हेतु पुरावशेष एवं प्राचीन कलाकृतियों के अनिवार्य अधिग्रहण की व्यवस्था करना और इससे सम्बद्ध अथवा इससे मिलते-जुलते अथवा सहायक कुछ अन्य मामलों की व्यवस्था करना है।

इसलिये इन पुरावशेषों के अन्तर्गत हम निम्नलिखित वस्तुओं को शामिल करते हैं :—

(एक) कोई सिक्का, पत्थर की मूर्ति, चित्रकला, शिलालेख अथवा कला या कारीगरी की अन्य वस्तुयें;

(दो) किसी भवन गुफा से अलग की गई कोई वस्तु, सामान या चीज;

(तीन) प्राचीन युग के विज्ञान, कला, कारीगरी, साहित्य, धर्म, रूढ़ियों, परम्पराओं अथवा राजनीति को परिलक्षित करने वाली कोई वस्तु, सामान या चीज;

(चार) ऐतिहासिक महत्व की कोई वस्तु, सामान या चीज;

इस अधिनियम के अनुसार जब वे किसी चीज की जांच करते हैं तो उन्हें इन वस्तुओं को ध्यान में रखना पड़ता है।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसके सन्दर्भ में मैं कुछ कहना चाहूंगा। यह सिलसिला लम्बे अर्से से चल रहा है। हमारे संग्रहालयों से, हमारे मन्दिरों से तथा अन्य ऐतिहासिक स्थानों से, हमारी जो अमूल्य प्राचीन मूर्तियां एवं कलाकृतियां हैं जो सुलभ नहीं हैं, अलभ्य हैं वह आएदिन चोरी होकर देश के बाहर जा रही हैं। ऐसी मूर्तियां एवं कलाकृतियां जो विदेशों में जाती हैं उनकी संख्या प्रतिवर्ष लगभग एक हजार होती है और उनकी कीमत विदेशी बाजारों में करीब सौ करोड़ होती है। लेकिन कीमत से भी बड़ी चीज है हमारी प्राचीन धरोहर, हमारा गौरव और हमारे बुजुर्गों की देन जिसको इस प्रकार से बेचा जा रहा है। सरकार ने कानून की बात कही है लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि न्यूयार्क और लंदन के बाजारों में जो इन कलाकृतियों के आक्शन होते हैं उसमें मुगल पीरियड अथवा गुप्त काल की मूर्तियां, कलाकृतियां ले सकते हैं। आज नेपाल, हांगकांग, सिंगापुर के बाजारों में इस देश की धरोहर खुलेआम बिक रही है।

इसके साथ-साथ एक दूसरी बहुत बड़ा प्रश्न और भी है। जो चोरी पकड़ी गई उस सन्दर्भ में माननीय सदस्य ने अधिकारियों की प्रशंसा भी की और मैं भी उनकी बुराई नहीं करना चाहता।

यदि कोई अच्छा काम करता है, उसकी प्रशंसा तो करनी चाहिए। लेकिन प्रश्न यह है कि जब चोरी होती है और केस आता है तो पार्लियामेंट में उसकी चर्चा हो जाती है। मैं आपको पिछले 9 जनवरी 1950 के बारे में कहना चाहता हूँ कि मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर का बहुमूल्य अंगरखा तथा तथा उनकी बेगम की अंगिया, मान्यवर अंगिया का मतलब है—चोली, वे दोनों ही चोरी चले गए। रूबी वाला बर्तन जिसमें बारुद रखा

जाता था, और उस पर लाल-लाल रूबी लगी हुई थी वह भी चोरी गया। और उसका पता नहीं चला। आपके लाल किले संग्रहालय की बात है, यह कोई केरल की बात नहीं है।

मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1970 में चंडीगढ़ म्यूजियम से कांगड़ा राजपूत और मुगल शैली की अलग-अलग 102 लघु चित्रों की चोरी हुई है। उसमें आप नौ बरस के बाद 46 चित्रों का पता लगा पाए और बाकी विदेशों की शोभा बन गई। इसी प्रकार 1967 में रायपुर मध्य प्रदेश में म्यूजियम में पांच कांसे की मूर्तियां चोरी हो गई और उसकी कीमत आर्केलाजिकल विभाग ने उस जमाने में 1500 रु० लगाई और पीछे बताया गया कि उसकी कीमत एक लाख 9 हजार रु० है। 1970 में सालारजंग म्यूजियम से 48 चित्र चोरी हो गए, 1968 में नेशनल म्यूजियम से सोने और चांदी की चीजों के अलावा 60 सिक्के चोरी हो गये, जो कि बहुत दुर्लभ थे। फरवरी, 1970 में बम्बई प्रिन्स आफ वैल्स संग्रहालय से 23 भगवान बुद्ध की मूर्तियां चोरी चली गईं। उन प्राचीन मूर्तियों का आज तक पता नहीं चला। सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरें व अन्य चीजें भी इसी प्रकार चोरी चली गई। मैं समझता हूँ कि ये सब मूर्तियां विदेशों की शोभा बन गई। हमारे सामने यह प्रश्न नहीं है कि उनकी कीमत कितनी है, बल्कि प्रश्न यह है कि वे प्राचीन वस्तुयें देश की धरोहर थी जो कि दुर्लभ हैं, मिल नहीं सकती हैं। जब हमारे देश की आने वाली पीढ़ी के लोग जानना चाहेंगे कि वे मूर्तियाँ भारत के किसी मंदिर या म्यूजियम में नहीं है, तो हमें कहना पड़ेगा कि अमरीका के साहूकारों के घरों की शोभा दे रही हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संग्रहालयों के जो कानून बने हुए हैं, एंटीक्यूटीज एंड आर्ट ट्रेजरार ऐक्ट, 1972, जिसके अनुसार यदि कोई वस्तु सौ बरस से अधिक है, तो उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा, इस एक्ट में बहुत सी खामियां हैं और उनकी तरफ माननीय सदस्य ने भी ध्यान आकर्षित किया है, उन खामियों को आपको दूर करना चाहिए। आपके अधिकारों द्वारा यदि कोई मूर्ति सौ बरस से अधिक पुरानी है, उसको कह दिया गया कि यह सौ बरस से कम है, तो उसको सौ बरस से कम मान लिया जाता है। अभी अखबार में आपने फरमाया है कि उनके बारे में जानकारी हासिल नहीं हो पाई कि कितनी प्राचीन मूर्तियां हैं और कानून की परिधि में आती हैं या नहीं आती हैं। नवभारत टाइम्स में आपने कहा है कि 11वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक ये मूर्तियां हो सकती हैं और उनको सर्वे अधिकारियों ने देख लिया है लेकिन अभी उनकी फाइंडिंग्स के बारे में कोई जवाब नहीं आया है। सरकार कानून तो बनाती है, लेकिन उन कानूनों में बहुत बड़ी खामियां रह जाती हैं।

श्रीमती शीला कौल : मैंने उसके बारे में जवाब दे दिया है।

श्री राजेश कुमार सिंह : मेरे कहने का मतलब यह है कि उनके बारे में जो कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए, वह क्यों नहीं की गई ? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इसके कानूनों में खामियां हैं, उनको दूर करके सख्ती से अमल में लाना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या प्राचीन मूर्तियों, कला-कृतियों की गणना कराई जाएगी ? हो सकता है कि यह काम बहुत मुश्किल हो, लेकिन पूरे देश के पैमाने पर गणना कराए बगैर, यह चोरी पकड़ी नहीं जा सकती है। जो राजे-रजवाड़ों की पुरानी चीजें हैं, उसके बारे में कानून बहुत गड़बड़ हैं, व्यक्तिगत संग्रहालय के बारे में कानून बहुत गड़बड़

है, इन खामियों को आपको दूर करना चाहिए। इस कानून को अमल में लाने के लिए सारी मूर्तियों की और कलाकृतियों की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, तभी ये चोरियां पकड़ी जा सकती हैं।

मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, जैसा कि इन्होंने अपने बयान में कहा है :—

सर्वेक्षण विभाग पूछताछ तब करेगा, जब यह बात साबित हो जायेगी। इसका क्या मतलब है, क्या पुलिस वाले इस बात की जानकारी देंगे कि ये मूर्तियां प्राचीन हैं ? इसकी जांच कौन करेगा ? पुलिस विभाग करेगा या पुरातत्व विभाग करेगा ? पुलिस वालों के बारे में लोगों की राय अच्छी नहीं है।

दूसरी बात आपने फरमाया कि जैसे ही सामान पकड़ा गया, आपने किसी की सूचना पर या संदेह में कुछ लोगों को पकड़ा। यह अच्छा काम किया, लेकिन कितने दिनों के अन्दर यह बात साफ होगी, इसके बारे में आपके कानून में कोई धारा है या नहीं ? जिनको आप ने सन्देह में पकड़ा है, उनके बारे में संदेह कितने समय में दूर होगा, शायद इसबारे में आप के कानून में कोई साफ प्रावधान नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप अपने कानून में अवश्य परिवर्तन लायें। संग्रहालयों तथा मंदिरों में जो मूर्तियां हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करें।

यह प्रश्न सारे देश के लिए महत्वपूर्ण है, देश की इस धरोहर के प्रति एक जन-जागृति पैदा करनी चाहिए। यह विषय आप के सोशल-वेलफेयर से सम्बन्ध रखता है, आप बहुत सी योजनाएँ चलाते हैं, इसके लिए भी कोई कार्यक्रम बनाइये जिसके द्वारा जनता को शिक्षित किया जा सके कि ये हमारी प्राचीन धरोहर हैं, बहुत कीमती हैं, इनके प्रति हमारी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए।

श्रीमती शीला कौल : माननीय सदस्य को यह जानकर इत्मिनान होगा कि हम भी इन सब बातों के बारे में सोच रहे हैं लेकिन हम अभी नहीं चाहते हैं कि एक दम से कोई बात कहें, क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि मूर्तियां नकली होती हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, हमारे क्राफ्टसमेन इतने काबिल हैं कि वह बहुत अच्छी कापी उतार लेते हैं—पुरानी चीजों की.....।

श्री राजेश कुमार सिंह : मैं यह जानना चाहता था कि उनका रजिस्ट्रेशन कराया गया था या नहीं ?

श्रीमती शीला कौल : आप मुझे मौका दें तो मैं सब बतला दूंगी, लेकिन इस तरह से तो गड़बड़ हो जाएगी। बतलाने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए।

यह जानने के लिए कि मूर्तियां असली हैं या फेक हैं, इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी होती है, जिसमें 32 सदस्य हैं जो सारे हिन्दुस्तान में हैं। जो इस बात को देखते हैं कि कहीं धोखा न हो जाए। हमारी एक्सपर्ट कमेटी बहुत अच्छी है, फिर भी धोखा हो जाता है।

आप ने रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछा—2,75,000 आइटम्ज रजिस्टर्ड हैं। म्यूजियम्ज की इसलिए रजिस्टर्ड नहीं हैं, क्योंकि वे पहले से ही कैटेलाग्ड हैं। कैटेलाग्ड होने की वजह से उनको इसमें इन्क्लूड नहीं किया गया है।

आप ने जिक्र किया कि म्यूजियम्ज में चोरियां हुई हैं। यह ठीक है लेकिन यह सब उस वक्त की बात है जब यह एक्ट नहीं था। आप ने मुगल सम्राट के अंगरखे का जिक्र किया कि वह चोरी चला गया था, लेकिन आपको यह जानकर खुशी होगी कि वह सब चीजें मिल गई हैं।

मेरे ख्याल से मैंने आपकी सब बातों का जवाब दे दिया है।

श्री बालकृष्ण रामचन्द्र वासनिक (बुल्ढाना) : यह प्रश्न बहुमूल्य मूर्तियों एवं प्राचीन कलाकृतियों की चोरी और पुलिस द्वारा उनकी बरामदगी से सम्बन्धित है। यह बेहतर होता यदि गृहमंत्री महोदय यहां होते और इस सम्बन्ध में सदस्यों को जानकारी देते।

यह पहला मौका नहीं है कि अमूल्य वस्तुओं की चोरी हुई हो। यह तो एक आम बात है और ऐसी सैंकड़ों मूर्तियों तथा प्राचीन कलाकृतियों की आये दिन देश से बाहर तस्करी हो रही है।

हमारा देश अपनी विरासत के लिए प्रसिद्ध है और ऐसी अनेकों मूर्तियां तथा प्राचीन कलाकृतियां देश में बिखरी पड़ी हैं।

पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 के अन्तर्गत इन वस्तुओं का पंजीकरण किया जाता है। क्योंकि देश में ये वस्तुयें बहुतायत में बिखरी पड़ी हैं, इसलिए इस कार्य की व्यापकता को देखते हुए क्या सरकार ऐसा नहीं सोचती कि उसका तंत्र आवश्यकता को देखते हुए बहुत छोटा है, और यदि हां तो, आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार का क्या करने का विचार है ?

श्रीमती शीला कौल : माननीय सदस्य ने अगर सुना होता, तो उनको मालूम होता कि हम ने काफी कार्यवाही की है और किस तरह से इसको कंट्रोल करने की कोशिश की है। एयर पोर्ट्स और सी-पोर्ट्स के ऊपर हमारा एक सेल है, सेण्ट्रल गवर्नमेंट का एक सेल इस चीज को देखने के लिए है और अगर कहीं ऐसी चीज हुई है, तो उसको रोका है। ये सब चीजें हैं। इन का रजिस्ट्रेशन होता है, इन सब बातों का मैं जिक्र कर चुकी हूँ।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्वी दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, काफी अच्छे सवाल इस विषय पर पूछे गए हैं और काफी अच्छे उत्तर मंत्री जी ने दिये हैं। मैं दो-तीन बातें क्लेरीफिकेशन के लिए जानना चाहता हूं।

एक चीज तो यह है कि इन चीजों की चोरियां कुछ प्राइवेट जगहों पर होती हैं और कुछ हमारे म्यूजियम्स से होती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे जो म्यूजियम्स हैं, जिन को हमारी गवर्नमेंट, चाहे वह सेन्टर की हो या स्टेट्स की हो या दूसरी ऐसी आथेरिटीज है, की सपोर्ट है और वह उनको मेंटेन करती है, उसका वहां इन्तजाम है, तो क्या वर्तमान इन्जाम को सुधारने के बारे में कोई विचार किया गया है ? मुझे कुछ बाहर जाने का मौका मिला है और हमारे साथ सोवियत यूनियन का मिनिस्टर साहब भी गए और इसके अलावा कुछ और कंट्रीज में भी हमने देखा है कि जो म्यूजियम है या दूसरी ऐसी चीजें हैं, उनका जो मेन्टीनेन्स है, वह बहुत अच्छा है, उनका इंतजाम बहुत अच्छा है। उनकी सुरक्षा, उसके गाइड वगैरह बहुत अच्छे

है। जैसे हमारा हैरीटेज बहुत पुराना है, हमारी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, उसी तरह से उनका जो हैरीटेज है, उनकी जो पुरानी हिस्ट्री है, वह बहुत अच्छी है और बाहर के लोग जो वहां जाते हैं, उनके पास वह जाती है और फिर बाहर देशों में पहुंचती है। कम से कम मैं और हमारे कुछ साथी तो वहां पर इस चीज को देखकर बहुत इम्प्रैस हुए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि हमारा जो हैरीटेज है, उसको मेन्टेन करने के लिए, म्यूजियम्स में बेटर सुरक्षा हो और लोगों के सामने अच्छे ढंग से उसको पेश करने के लिए, कोई रूटीन ढंग से नहीं बल्कि एक अच्छे ढंग से पेश करने के लिए सोच-विचार कर कदम उठाएगी ?

दूसरी बात मंत्री जी ने यह कही कि हमारे पास 32 एक्सर्टस हैं और वे इन चीजों को देखते हैं। मैं थोड़ा सा क्लेरीफिकेशन चाहता हूँ कि जो चीजें बाहर जाती हैं, इग्टीक्स तो बाहर जा नहीं सकतीं, उनके लिए नान-इन्टीक का सर्टीफिकेट लेना पड़ता है। क्या वे एक्सपर्टस चीज को भी देखते हैं ? हमारी इत्तिला यह है कि मैं किसी पर सस्पशिन नहीं कर रहा हूं कि छोटे अफसर बेईमान होते हैं लेकिन मामला बहुत इम्पार्टेन्ट है—नान-एन्टीक का सर्टीफिकेट लेकर ये चीज बाहर एक्सपोर्ट होती हैं और एक बहुत भारी मार्केट एक्सपोर्ट का बना हुआ है और दुनिया भर में इन चीजों को भेज कर पैसा बनाता है वगैरह, वगैरह। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब कोई किसी को पेश करती है यह कह कर कि यह नान-एन्टीक है, तो उसको सर्टीफाई क्या एक्सपर्ट लोग करते हैं, कोई एक्सपेनेल बना हुआ है या सिर्फ एक आदमी इस काम को करता है ? इसमें अगर कोई कमी है, तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

तीसरी बात यह है कि जो कूरियो के डीलर्स होते हैं, जो इसका धंधा करते हैं, कूरियो डीलर्स के थ्रू यह काम होता है। इसके अपने एजेन्टस होते हैं जो छोटी-छोटी जगहों से उठाकर ये चीजें लाते हैं और बेचते हैं। हमारे यहाँ प्राब्लम है कि हमारे मंदिर जो हैं वे दूर-दूर जगहों पर स्केटर्ड हैं और वहां से अक्सर इन चीजों की चोरी हो जाती है। बाजओकात वेलनौन जगहों पर भी चोरी होती हैं। तो यह जो काम है यह एक बड़ा मुश्किल काम है लेकिन यह सामान कूरियो डीलर्स के थ्रू बाहर जाता है और उनका नम्बर बड़ा लिमिटेड हैं। तो क्या गवर्नमेंट इस पर विचार करेगी कि ये जो कूरियों डीलर्स है इन पर कोई कंट्रोल हो, उनका रजिस्ट्रेशन हो और उनकी चैकिंग हो। इसको करने के लिए क्या सरकार कोई शोध-कार्य करेगी और इस पर कोई विचार करेगी ? मिनिस्टर साहिबा ने बताया है कि एयरपोर्ट वगैरह पर हमारी चैकिंग होती है, तो क्या इसको टाइटन करने के लिए कुछ किया जाएगा। मैं समझता हूं कि यह मामला बहुत इम्प्रोर्टेंट है और इस समय जो स्थिति है, जो एरेंजमेंट है, उसके बारे में मंत्री जी ने बहुत अच्छे जवाब दिये हैं लेकिन क्लेरीफिकेशन के लिए मैंने जो दो-तीन प्वाइन्ट्स उठाए हैं, मैं आशा करता हूँ कि मंत्री महोदय, उसका उत्तर देंगी।

श्रीमती शीला कौल : मेरा ध्यान इस तरफ दिलाया गया है कि चोरियां प्राइवेट जगहों पर भी देश में हो जाती हैं और म्युजियम वगैरह: में हो जाती हैं। जो प्राइवेट जगहों पर चोरियों से माल निकल जाता है उसके लिए तो मैं समझती हूं कि उसकी जिम्मेदारी पुलिस वालों की हो जाती है। अब किसी के यहां चोरी हो गई, कोई चीज चली गई, पुरानी या नई जेवर चली गई तो उसको देखने का काम पुलिस वालों का है। लेकिन म्युजियम से जो चीज चली जाएगी उसमें हमारे देखभाल की जरूर बात होती है। यह बड़ा भारी सवाल भी है।

मैं पिछले महीने फ्रैंकफर्ट गई थी। वहां के म्युजियम में भी मैं गई थी। मैंने वहां देखा कि वहां के जो एग्जीबिट्स थे उनमें अलार्म लगा हुआ था। अगर कोई उसको छू लेता है तो सारे म्युजियम में आवाज आ जाती है कि किसी ने किसी चीज को छुआ है या कोई चोर आ गया है। इस तरह से मैंने यह सब वहां देखा। आपको याद होगा मोनालिसा की फ्रांस में चोरी हुई थी। इस तरीके से ये मुल्क तो रईस हैं जो कि ऐसी बातों का इन्तजाम कर सकते हैं। लेकिन हम चाहें भी तो भी हमारे लिए ऐसा इन्तजाम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमें पता है कि क्या करना चाहिए। हमारी मजबूरी है हम चाहते हैं कि हमारे पास इतना हो जाए कि हम नायाब से नायाब चीजों का इन्तजाम कर सकें और हमें करना भी चाहिए।

श्री मनीराम बागड़ी खड़े हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। वह श्री भगत के प्रश्नों के उत्तर देंगी। मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता·····बागड़ी साहब, वह श्री भगत के प्रश्नों का उत्तर दे रही हैं। आपका नाम यहां नहीं है·····नहीं, नहीं। कृपया आप बैठ जायें। बागड़ी जी यह ठीक नहीं है। आप मंत्री महोदय से उनके चैम्बर में मिल सकते हैं और जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहें कर सकते हैं। कृपया नियमों का आदर कीजिये। आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं आपको नियम नहीं सिखा रहा हूँ।

व्यवधान

उपाध्यक्ष महोदय : यह बहुत नाजुक मामला है कि मैं बहुत ही वरिष्ठ एवं अनुभवी सदस्यों को नियमों के बारे में कुछ बता रहा हूँ। **(व्यवधान)**

श्रीमती शीला कौल : यह बहुत जरूरी है कि हमारा इतिहास और हमारी हेरीटेज, हमारा कल्चर जो है उसको हम एक तरह से संभाल कर रखें जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी को मालूम हो कि हम क्या करके गए हैं। इसके लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं वह हम कर रहे है।

यह भी जिक्र किया गया है कि जो हमारा एक्ट है उसमें कुछ त्रुटियां हैं और उसमें हमें कुछ संशोधन वगैरह: करने चाहिएं। इसके ऊपर भी हम ध्यान देंगे। यह एक्ट 1976 में लागू हुआ था। हम देखेंगे कि इसमें क्या-क्या कमियां रह गई हैं और जो परिवर्तन करने जरूरी होंगे वे हम आप लोगों की राय से करेंगे।

पश्चिम उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना के लिए एक आयोग गठित करने के बारे में वक्तव्य।

विधि, न्याय और कम्पनी मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : अध्यक्ष महोदय,

तारीख 15 अप्रैल, 1981 को मैंने इस सदन में यह कहा था कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों के लिए एक न्यायपीठ गठित करने की मांग से उत्पन्न सभी बातों पर और राज्य सरकार द्वारा की गई सिफारिश के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए सरकार ने एक तीन सदस्यीय आयोग स्थापित करने का विनिश्चय किया है।

2. इस अवसर पर मैं इस सदन को यह सूचित करना चाहता हूं कि यह आयोग गठित कर दिया गया है और इसके अध्यक्ष भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश श्री जसवंत सिंह होंगे। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश श्री प्रोदुतूर श्री रामलू तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा निवृत्त अधिकारी श्री करम सिंह इस आयोग के सदस्य होंगे। इस आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा और इसे छह मास के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी।

सभी सम्बन्धित व्यक्तियों से मैं अपील करता हूँ कि वे इस आयोग को अपना पूरा सहयोग प्रदान करें।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आबंला) : आपने पश्चिमी जिलों के लिए हाई कोर्ट स्थापित करने का निर्णय सिद्धांत रूप में ले लिया है या अभी इसे कमीशन पर ही छोड़ दिया है ?

श्री पी० शिवशंकर : यह सारा इशू कमीशन के सामने है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इन्हें आपका सहयोग चाहिए।

———

सभा का कार्य

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्मनारायण सिंह): महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 7 सितम्बर, 1981 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा:—

(1) आज की कार्यसूची के बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

(2) 1981-82 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान।

(3) नागालैंड राज्य (संशोधन) अध्यादेश, 1981 का अनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा तथा राज्य सभा द्वारा पारित किये गए रूप में नागालैंड राज्य (संशोधन) विधेयक, 1981 पर विचार तथा पारित करना।

(4) निम्नलिति विधेयकों पर विचार तथा पारित करना:—

(क) राज्य सभा द्वारा पारित किये गए रूप में श्रमजीवी पत्रकार तथा अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 1981

(ख) आर्थिक अपराध (परिसीमा का लागू न होना) संशोधन विधेयक 1981

(5) निम्नलिखित अध्यादेशों का अनुमोदन चाहने वाले संकल्पों पर चर्चा के साथ-साथ उनका स्थान लेने वाले निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा पारित करना:—

(क) आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 1981

(ख) आवश्यक सेवा बनाए रखना अध्यादेश, 1981

(6) राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा पारित करना:—

(क) विशेष न्यायालय (निरसन) विधेयक, 1981.

(ख) चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 1981.

(ग) विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 1980.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मधुकर। मुझे आशा है कि आप दो-तीन मिनट से अधिक समय नहीं लेंगे और संक्षेप में अपनी बात कहेंगे। अभी दस सदस्य और हैं इसमें एक घंटा लग जाएगा। फिर आपके पास बोलने के लिए समय नहीं रहेगा इसलिए मैं आपसे यह कह रहा हूं।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : बिहार के पूर्व चम्पारन जिले के कल्याणपुर अंचल के शिशवापटना ग्राम के एक हरिजन बालक जिसकी उम्र 15 साल की रही होगी, को स्थानीय पुलिस आफिस के एक जमादार ने 25 अगस्त 1981 को पकड़ कर गंडक योजना की कालोनी के एक कमरे में बन्द कर इतनी पिटाई की कि उसकी मृत्यु हो गई। उस पर कोई मुकयमा या अपराध करने का चार्ज नहीं था। इस घटना से सारे जिले में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है। काफी तनाव उत्पन्न हो गया है। मैं चाहता हूं कि हरिजनों पर बढ़ते हुये अत्याचरों के मामलों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल किया जाए और उस पर चर्चा करवाई जाए।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, श्री मधुकर। श्री बनातवाला।

श्री जी० एम० बनातवाला : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, सरकारी कार्य में किसी महत्वपूर्ण मामले पर सरकार का वक्तव्य शामिल होना चाहिए। हाल ही में राज्य के मुख्य मंत्री के नेतृत्व में केरल से एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली में प्रधान मन्त्री से मिला था। इस प्रतिनिधिमंडल ने कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर एक ज्ञापन दिया है जिसमें ऐसे मामले शामिल हैं जैसे नारियल के तेल और प्राकृतिक रबड़ और कोको के आयात की नीति, केरल में चाय उद्योग में संकट, आदि। ये ऐसे मामले हैं जिनसे केरल की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पहले, केरल विधान सभा ने इस मामले में संघ-सरकार से अनुरोध करने के लिए संकल्प पारित किया था। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह इन महत्वपूर्ण मामलों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शीघ्र एक वक्तव्य दे।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : मैं डैमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी का मेम्बर हूँ। चूंकि अखबार वाले कभी कुछ लिख देते हैं कभी कुछ इसलिए मैं यह बता रहा हूँ। साठे जी की कड़वी नजर हमारी तरफ है।

उपाध्यक्ष महोदय : रोजाना ऐसा क्यों कहते हैं ?

श्री मनीराम बागड़ी : फिर भी दूसरी पार्टी का बता देते हैं, क्या करें।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मेरा नाम रेडियो पर त्यागी आ जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : हो सकता है, ये किसी भी दल में हों लेकिन उसके नाम में समाजवाद या समावादी अवश्य होना चाहिए।

श्री मनीराम बागड़ी : डैमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी का हूँ।

हरियाणा में कीट नाशक दवाओं के घोटाले की खबर ने काफी तहलका मचा दिया है। एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि टोहना (हिसार) में 688 बोरी मिलावटी कीट नाशक और 2 हजार खाली कनस्तर पकड़े गए हैं। इस सम्बन्ध में कृषि विभाग के कई अधिकारियों को पकड़ा गया है।

इन जाली कीट नाशक दवाओं से किसानों को काफी नुकसान होगा और वे बहुत परेशान हैं। कृषि मन्त्री हरियाणा ने यह शिकायत की है कि पुलिस ने रिपोर्ट की बावजूद अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया है।

(2) पुलिस आयोग की रिपोर्ट जो कमीशन ने तैयार की, सदन पटल पर रखी नहीं गई और न ही इस पर चर्चा हुई जिससे पुलिस विभाग में असंतोष फैल रहा है। यहाँ तक कि पुलिस कर्मचारी संगठन ने सदन के सामने सत्याग्रह करके गिरफ्तारी दी।

मेरा सरकार से आग्रह है कि इस मामले की पूरी जाँच पड़ताल करें। यह मामला सदन की अगले सप्ताह की कार्यवाही में शामिल किया जाय।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : श्रीमान, देश के विभिन्न भागों में महिलाओं के विरुद्ध जघन्य अपराध हो रहे हैं। यह बहुत गम्भीर मामला है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में ऐसे अपराधों का हमें पता ही है। इसलिए, सरकार को इस मामलों को गम्भीर मानना चाहिए और इस पर सभा में चर्चा के लिए समय नियत किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रिपोर्ट पर कई वर्ष से चर्चा नहीं हुई है। इसलिए सरकार को उस रिपोर्ट पर चर्चा के लिए समय देना चाहिए क्योंकि शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : मान्यवर, 4 सितम्बर, 1981 की कार्य सूची की आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न दो मामले शामिल कराने हेतु बयान देना चाहता हूं:

(1) धींवर, मल्लाह, केवट, कहार, निषाद समाज के उत्थान हेतु एवं सामाजिक और आर्थिक विकास हेतु केन्द्रीय सरकार शीघ्र आवश्यक कदम उठाये और इनके उद्योग-धन्धों में विशेष सुविधा देने के प्रश्न पर आगामी सप्ताह विचार करे।

(2) बेरोजगारी दूर करने के उद्देश्य से सरकारी व अन्य कर्मचारियों की अवकाश की आयु सीमा 54 वर्ष की जाये और ओवर टाइम समाप्त कर बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर बनाये जायें।

प्रो० रूपचन्द पाल (हुगली) : श्रीमान्, मैं चाहता हूँ कि अगले सप्ताह निम्नलिखित दो विषयों पर सभा में चर्चा की जाए।

हमारे देश में कई उद्योगों के मालिकों तथा प्रबन्धकों की गलत नीतियों तथा विवेकहीन पद्धतियों के कारण बहुत से उद्योग रुग्ण हो गये हैं। कामगारों तथा कर्मचारियों की ओर से बार-बार भारत सरकार को अपील की जा रही है कि इन उद्योगों का तुरन्त राष्ट्रीयकरण किया जाये क्योंकि इन्हें जान बूझ कर अपने सीमित निजी स्वार्थों के लिए रुग्ण बनाया गया है। जूट उद्योग, चाय उद्योग और वस्त्र उद्योग में ऐसी नीतियां अपनाई गई हैं जिनसे इन उद्योगों के कई

यूनिट रुग्ण बन सकते हैं। लेकिन केन्द्रीय सरकार ने अभी तक राष्ट्रीयकरण की मांग पर ध्यान नहीं दिया है और न ही इन रुग्ण यूनिटों को अपने हाथ में लेने पर विचार किया है। हमारी अर्थव्यवस्था के हित में तथा साथ-साथ इन रुग्ण यूनिटों में कार्यरत लाखों कामगारों तथा कर्मचारियों के हित में ऐसे यूनिटों को तुरन्त अपने हाथ में लिया जाना चाहिए। कच्चे माल की दुर्लभता तथा विपणन की व्यवस्था न होने से भी कई यूनिट रुग्ण हो गए हैं। इनचैक टायर्स लिमिटेड, नेशनल रबर लिमिटेड, मोहिनी मिल्स लिमिटेड आदि जैसे यूनिटों के, जहां हजारों कामगार कठिनाई में हैं, राष्ट्रीयकरण करने पर उन्हें अपने हाथ में लेने के लिए बार-बार अपील की जा चुकी है।

मेरी दूसरी बात यह है कि उत्तरी-बंगाल और पूर्वी क्षेत्र के अन्य भागों में जूट उत्पादकों को कच्चे जूट का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। हालांकि किसानों के संगठन लगातार 300 रुपये प्रति क्विंटल का क्रय-मूल्य देने की मांग कर रहे हैं, केन्द्रीय सरकार ने 125 रुपये प्रति क्विंटल क्रय मूल्य नियत किया है। लेकिन भारतीय जूट निगम बाजार में नहीं आ रहा है और कई स्थानों पर कच्चे जूट का मूल्य 30 रुपये प्रति क्विंटल तक गिर गया है।

श्रीमान, मैं चाहता हूँ कि इन दोनों विषयों पर अगले सप्ताह सभा में चर्चा की जाए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : श्रीमान, पश्चिम बंगाल की विधान सभा द्वारा पारित बहुत से विधेयक विधि नहीं बन सकते क्योंकि उन पर राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है और वह या तो दी नहीं गई है या रोक ली गई है। ये विधेयक बहुत महत्वपूर्ण विषयों से सम्बन्धित हैं जैसे भूमि सुधार, औद्योगिक न्याय निर्णयन, शिक्षा आदि। यह बहुत चिन्ता की बात है कि एक समर्थ विधान मंडल द्वारा पारित विधेयक, जिसमें राज्य सरकार की नीतियों को मूर्त रूप देने की बात है और जो जनता से अनुमोदित हैं, प्रभावी नहीं बन सकते, जिसके परिणामस्वरूप विधियों को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता और जिन बुराइयों को दूर करने के लिए ये तैयार किए गए हैं वे बढ़ रही हैं तथा आवश्यक परिवर्तन भी नहीं किये जा सकते। केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों को स्वैच्छिक रूप से विफल करने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस पर उपयुक्त चर्चा हो ताकि देश का संघीय ढांचा पूर्णतः नष्ट न हो जाए।

मेरी दूसरी बात यह है कि कलकत्ता पत्तन सारे पूर्वी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। सारे देश को ही इस पत्तन के कार्यचालन के सुधार की चिन्ता होनी चाहिए। इस पत्तन के कार्यचालन में सुधार के लिए केन्द्रीय सरकार ने एक ओर तो पर्याप्त कदम नहीं उठाये हैं और दूसरी ओर हल्दिया पत्तन को कलकत्ता पत्तन से अलग करने की बात की जा रही है जिससे अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने हल्दिया पत्तन को कलकत्ता पत्तन से अलग करने के प्रस्ताव के विरुद्ध पहले ही सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया है और विधायकों का एक प्रतिनिधि-मण्डल भी प्रधानमन्त्री से मिला है। यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस महत्वपूर्ण मामले पर शीघ्रातिशीघ्र सभा में चर्चा की जाए।

श्री अशफ़ाक हुसैन (महाराजगंज) : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप की सुरक्षा के लिए एक संशोधन विधेयक संसद के समक्ष विचाराधीन है। इस विश्व-

विद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को बनाये रखने के लिए देश में एक आम भावना है तथा इसके लिए एक आन्दोलन भी चलाया जा रहा है। लगभग सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्रों में यह बात कही गई है। अतः मैं समझता हूं कि इस विषय पर इसी सत्र में अगले सप्ताह ही चर्चा की जाए।

श्री रामावतार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, कानून और व्यवस्था में सुधार के दावे के बावजूद दिल्ली तथा देश के दूसरे राज्यों में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। किसी के जानमाल की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। असामाजिक तत्वों ने सर्वत्र लूटमार एवं हत्याओं का राज्य कायम कर रखा है। अधिकांश मामलों में पुलिस भी वैसे ही लोगों की सहायक बन गई है।

पिछले कुछ वर्षों से कानून और व्यवस्था के क्षेत्र में एक नई घटना घट रही है। राजनैतिक हत्याओं का खतरनाक दौर शुरू है। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा कुछ अन्य राज्यों में राजनीतिक विरोधियों की बड़े पैमाने पर हत्याएं करवाई जा रही हैं जिनमें विधायक भी शामिल हैं। स्वयं बिहार में पिछले लगभग दो वर्षों के दौरान विरोधी दलों के लगभग डेढ़ सौ कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्याएं करवा दी गई हैं। उनमें अधिकांश भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तथा दूसरे वामपन्थी दलों के कार्यकर्ता थे।

इस महत्वपूर्ण सवाल पर इस सदन में विचार करना अत्यावश्यक है। अतः इसे अगले सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किया जाये।

दूसरे हरिजनों, आदिवासियों तथा दूसरे कमजोर वर्ग के लोगों पर सम्पूर्ण देश में जुल्म दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। उनकी हत्याओं, झोंपड़ियों एवं सम्पूर्ण ग्राम को जलाकर राख कर देने के समाचार आये दिन मिल रहे हैं। अभी 22 अगस्त को बिहार के पूर्णिया जिले के भवानीपुर थानान्तर्गत माराटोल ग्राम की हरिजन बस्ती को जमींदारों के गुन्डों ने जला दिया और उनके माल असबाब को लूटकर ले गये। हरिजनों को बुरी तरह से पीटा गया। अतः इस प्रकार के जुल्मों को रोकने सम्बन्धी बातों पर इस सदन को अवश्य विचार करना चाहिये।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, सारे देश में विद्युत की कमी के कारण खरीफ की फसलों को लगने वाली सिंचाई नहीं हो पा रही है। स्थान-स्थान पर वर्षा समय पर न होने के कारण भी यह समस्या अधिक विषम बन गई है। धान, मोटे अनाज और तिलहन तथा दालों के उत्पादन को खतरा बना हुआ है। बिजली के अभाव में अनेक उद्योगों और कारखानों का उत्पादन प्रभावित हुआ है, जिसके कारण कई उद्योगों में कर्मचारियों को काम नहीं मिल पा रहा है।

जहां राजस्थान का एटामिक पावर स्टेशन पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं कर रहा है, वहां मध्य प्रदेश के गांधी सागर हाइडल पावर स्टेशन का विद्युत उत्पादन गांधी सागर बांध में पर्याप्त पानी न होने के कारण प्रभावित हुआ है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के ताप बिजली-घरों में खराबी आ जाने के कारण भी 1530.5 मैगावाट क्षमता का आधा उत्पादन हो रहा है। अमरकंटक के दो जैनीरेटिंग सेट्स बन्द होने से तथा कोरबा में बायलर की खराबी से स्थिति और बदतर हो गई है।

ऐसी स्थिति में ऊर्जा के महत्वपूर्ण विषय को अगले सप्ताह की चर्चा में सम्मिलित किया जाए।

खाद्य तेलों की अनुपलब्धता के कारण खाद्य तेलों के भावों में काफी तेजी है। आयातित रेपसीड खाद्य तेल और पाम आयल उचित दर की दुकानों से उचित दर पर वितरित होने के बजाए खुले बाजार में काफी महंगा बेचा जा रहा है।

मध्य प्रदेश को केन्द्र सरकार ने प्रति माह 3000 टन क्रूड खाद्य तेल का आवंटन किया है। यह तेल मध्य प्रदेश की रिफाइनरीज द्वारा शुद्ध कर 94 प्रतिशत मात्रा में चार सप्ताह में सरकार द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुँचाया जाना चाहिए था। शर्त के अनुसार यदि चार सप्ताह में मध्य प्रदेश सरकार इसको वितरण के लिए नहीं उठाती है, तो उसे यह अधिकार दिया गया कि वह शुद्ध किया गया खाद्य तेल बाजार में स्वतः बेच दे। इसमें रुचि ट्रेडर्ज, इन्दौर को कुल तेल का 80 प्रतिशत 'रिफाइनिंग' आवंटित किया जाता था। खाद्य तेलों के अभाव की स्थिति में यह शर्त क्यों रखी गई ?

किन्तु अब मध्य प्रदेश को पिछला तीन माह का खाद्य तेल का कोटा नहीं मिला है और इसका कारण यह है कि मध्य प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार द्वारा दिए जा रहे शुद्ध रिफाइन्ड खाद्य तेल को लेने से इन्कार कर रहा है, जबकि केन्द्र सरकार हैदराबाद से मध्य प्रदेश को शुद्ध तेल लेने का आग्रह कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार की रुचि क्रूड तेल लेने में है, जबकि केन्द्र शुद्ध देना चाहता है।

ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश के हिस्से का 9000 टन खाद्य तेल अब तक मध्य प्रदेश को नहीं मिला है, जिसके कारण मध्य प्रदेश के आम उपभोक्ता को अकारण महंगा तेल खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। अतएव केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश को शीघ्र खाद्य तेल का प्रदाय करे।

यह विषय भी अगले सप्ताह की चर्चा में आना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप संक्षेप में अपनी बात कहिए जिससे सभा का समय नष्ट न हो। यह विपक्ष के ही हित में है। कल मैंने विपक्ष के अधिक सदस्यों को नहीं बुलाया। श्री चित्त बसु का उदाहरण सामने है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभा के समय के प्रति ध्यान रखें।

श्री भीष्म नारायण सिंह : श्रीमान, मैं माननीय सदस्यों द्वारा दिए मूल्यवान सुझावों के लिए उनका आभारी हूं। श्रीमान, मैं सभा की कार्यवाही को पढ़ूंगा और हमेशा की तरह यदि मैं उचित समझूंगा तो मैं इस मामले को कार्य मंत्रणा समिति के ध्यान में लाऊंगा।

समिति के लिए निर्वाचन

राष्ट्रीय कैडेट कोर के लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज पाटिल) महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं—"कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 की धारा 12 (1) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य

ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों के अधीन निर्वाचन की तारीख से एक वर्ष के कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति में सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 की धारा 12 (1) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों के अधीन निर्वाचन की तारीख से एक वर्ष के कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति में सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है कि हम श्री साठे के विधेयक पर विचार करें।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : जी नहीं, इसमें कम से कम आधा घण्टा लगेगा।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री (श्री बसंत साठे) : मैं सिर्फ अनुरोध कर रहा हूं। हम इस पर चर्चा समाप्त करने के बाद मध्याह्न भोजन के लिए जा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : यह कोई नियम नहीं है। आप कैसे बढ़ा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :जी हां, सभा 2 बजकर 10 मिनट पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित की जाती है।

इसके पश्चात लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 10 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

लोकसभा भोजन के पश्चात 2 बजकर 15 मिनट पुनः समवेत हुई

(श्री सोमनाथ चटर्जी) : पीठासीन हुए।

सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि विधेयक

सभापति महोदय : अब में सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि विधेयक पर विचार करने सम्बन्धी प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि कुछ सिनेमा कर्मकारों के कल्याण की अभिवृद्धि करने के लिए कार्यकलाप के वित्त पोषण का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेंगे।

खण्ड 2

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 12···

'पांच कथा फिल्मों" के स्थान पर 'दो कथा फिल्मों' को अन्तः स्थापित किया जाये। (6)

पृष्ठ 2, पंक्ति 1,

"किन्हीं पाँच कथा फिल्मों में से प्रत्येक" के स्थान पर 'दो में से किसी एक कथा फिल्म' प्रतिस्थापित किया जाए। (7)

पृष्ठ 2, पंक्ति 5,

'पाँच हजार रुपये' के स्थान पर 'बीस हजार रुपये' प्रतिस्थापित किया जाये। (8)

विधेयक के पृष्ठ 1 पर बताया गया है :

'सिनेमा कर्मकार' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है—

(1) जो कम से कम पांच कथा फिल्मों के निर्माण में या उनके सम्बन्ध में कलाकार के रूप में (जिसके अन्तर्गत अभिनेता, संगीतकार या नर्तक भी हैं) कार्य करने के लिए या कोई कौशलपूर्ण, अकौशलपूर्ण, शारीरिक, पर्यवेक्षकीय, तकनीकी, कलात्मक या अन्य प्रकार का कार्य करने के सीधे या किसी ठेकेदार के माध्यम से या अन्य रीति से नियोजित रहा है।

(2) "जिसका पारिश्रमिक किन्हीं पांच कथा फिल्मों में से प्रत्येक के निर्माण में या उसके सम्बन्ध में"

मैंने कहा मैं "किन्हीं पाँच कथा फिल्मों में से प्रत्येक" शब्दों को नहीं समझ पाया हूं। इसमें कोई तत्व नहीं है। मेरा संशोधन इस प्रकार है :

"किन्हीं पाँच कथा फ़िल्मों में से प्रत्येक" के स्थान पर

"दो में से किसी एक कथा फिल्म" प्रतिस्थापित किया जाये।

फिर मैंने कहा "पांच हजार रुपये" के स्थान पर "बीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए। चूंकि माननीय मंत्री महोदय ने इन्हें स्वीकार नहीं किया है इसलिए मैं इन पर दबाव डालना नहीं चाहता।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री (श्री बसंत साठे) : मैं माननीय सदस्य की कोई सहायता नहीं कर सकता यदि वह अंग्रेजी भाषा नहीं समझ सकते न तो यह उनकी भाषा है और न ही मेरी चाहे यह कितनी भी सरल क्यों न हो। अर्थ स्पष्ट है कि रोजगार के बारे में, जब कोई कर्मकार इस अधिनियम के लाभों के अन्तर्गत आता है, तब उसे किन्हीं 5 कथा चित्रों में से प्रत्येक के बनाने से साथ सम्बन्धित करना चाहिए, यदि उसने पांच कथा चित्रों में अभिनय अथवा कार्य किया है।

प्रत्येक का अर्थ 5 में से है, किन्हीं 5 कथाचित्रों में से प्रत्येक में जिसमें उसने कार्य किया है। प्रत्येक उस पारिश्रमिक से सम्बन्धित है जो उसे मिलेगा।

श्री मूलचन्द डागा : उन्हें दो कथा फिल्में बनानी चाहिए.....

श्री वसंत साठे : पहले आप '5' का अर्थ समझें।

सभापति महोदय : पहले मंत्री महोदय को अपना उत्तर दें लेने दें। यदि आप कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं आप इसके बारे में पूछ सकते हैं।

श्री वसंत साठे : पहली बात तो यह है कि उसने पाँच कथा फिल्मों में काम अवश्य किया हो। यदि उसने दो कथाचित्रों में कार्य किया है, तो वह पात्र नहीं होगा। उसने 5 कथाचित्रों में अवश्य काम किया हो। अभिप्राय यह है कि उसका पारिश्रमिक क्या है ? "जहां यह पारिश्रमिक 1000 रु० प्रति माह मासिक मजदूरी के रूप में होता है, और जहां पारिश्रमिक एक मुश्त राशि के रूप में हो 5,000 रु० की राशि से अधिक नहीं हुआ है। अब सम्बन्ध यह है आओ हम देखें— ऐसे रोजगार से विभिन्न कथाचित्रों के बनाने पर उसे 1000/रु०-प्रति फिल्म से अधिक पारिश्रमिक नहीं मिलेगा। मान लो, उसने 4 फिल्मों में कार्य किया और उसे कुल मिलाकर चारों फिल्मों के 3000 रु० मिले, वह इसके अन्तर्गत नहीं आएगा। आप देखेंगे कि यह विचार है कि पूर्ण चौकरी से, 'प्रत्येक फिल्म में' उसका पारिश्रमिक 1000 रु० से अधिक नहीं होना चाहिए। यह सरल सा अर्थ है। अर्थ स्पष्ट है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई भ्रान्ति है।

सभापति महोदय : श्री डागा, क्या आप अपने संशोधन पर जोर देंगे।

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपने संशोधन वापिस लेना चाहता हूं।

सभापति महोदय : क्या सभा सदस्य को खण्ड दो के संशोधन संख्या 6, 7 और 8 को वापिस लेने की अनुमति देती है।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिए गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : श्री डागा, क्या आप अपने संशोधनों का प्रस्ताव करेंगे ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं प्रस्ताव करता हूँ।

पृष्ठ 2,

पंक्ति 23 से 24 में निम्नलिखित लोप किया जाये।

'वह राशि जिसकी केन्द्रीय सरकार, संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्'।

सभापति महोदय : जी हां, मंत्री जी।

श्री वसंत साठे : विधि का अर्थ उस विधि से है जिसे आपने कल ही पास किया है, वह यहां लागू होगा।

सभापति महोदय : श्री डागा, क्या आप अपना संशोधन वापिस ले रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूं।

सभापति महोदय : क्या सभा सदस्य को खण्ड 3 के संशोधन संख्या 9 को वापिस लेने की अनुमति देती है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां,

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : खण्ड 4, श्री रामावतार शास्त्री।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

खण्ड 4

पृष्ठ 2, पंक्ति 41,

"या उधारों" का लोप कर दिया जाये (12)

पृष्ठ 2, पंक्ति 41,

"निर्धन" के पश्चात्

"रोगी और शारीरिक रूप से असमर्थ" अन्तःस्थापित किया जाए। (13)

सभापति जी, धारा 4 में मेरे दो संशोधन हैं।

धारा 4 के (ख) में कहा गया है—मेरा तात्पर्य मूल विधेयक से है—कि निर्धन सिनेमा कर्मचारियों को अनुदान या उधार के रूप में सहायता की व्यवस्था करेंगे। मेरा संशोधन यह है कि "निर्धन" के बाद "बीमार एवं शारिरिक रूप से असमर्थ" इन शब्दों को भी जोड़ा जाय। अगर इनको नहीं जोड़ेंगे तो हो सकता है कि ऐसे कलाकार मिलें जो शारीरिक रूप से बिलकुल इनवेलिड हों या सख्त बीमार हों, ऐसे लोगों को आप केवल "गरीब" कह कर इसके तहत

उनकी मदद नहीं कर सकेंगे । इसलिए यह बात स्पष्ट होनी चाहिये । गरीब की मदद तो करेंगे ही, साथ ही यदि कोई कलाकार बहुत ही गम्भीर बीमार हो या शारीरिक रूप से बिल्कुल असमर्थ हो, कोई काम करने की स्थिति में न हो, ऐसे लोगों की मदद की जा सके ।

इस धारा में दूसरी बात आपने बैंक से उधार के बारे में कही है कि उसको लोन दिया जाएगा : प्रश्न यह है कि अब वह गरीब है, असमर्थ है या बीमार है तो वह लोन का रुपया कहां से अदा करेगा । लोन की अदायगी में क्या-क्या कठिनाइयां आती हैं, आप जानते हैं । इसलिए लोन शब्द रखने की कोई आवश्यकता नहीं है । अगर किसी को रुपये की जरूरत हो तो आप उसे अनुदान दीजिये, अनुदान देना ज्यादा अच्छा है तथा उसके दिमाग पर उसकी वापसी का बोझ भी नहीं पड़ेगा, कर्ज के चुकाने की चिन्ता से मुक्त रहेगा । इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उस शब्द को हटा दीजिये तथा बीमार एवं शारीरिक रूप से असमर्थ शब्दों को जोड़ा जाय । इस तरह से आप उसकी ज्यादा मदद कर सकेंगे ।

श्री वसन्त साठे : सभापति जी, रामावतार शास्त्री जी जो कह रहे हैं, यदि उसे मान लिया जाय तो इस बिल का जो मूल उद्देश्य है, उसको ठेस लग सकती है । उदाहरणार्थ, एक आदमी बीमार है लेकिन लखपति है, एक आदमी अपंग है लेकिन लखपति है, तो क्या आप यह चाहेंगे कि इस बिल के तहत भी सहायता दी जाय ।

श्री रामावतार शास्त्री : गरीब शब्द साथ है ।

श्री वसन्त साठे : हमने 'इन्डिजेन्ट सर्कमस्टान्सेज' कहा है, उसमें कोई भी हो, बीमार, अपंग हो, सब कवर हो जाते हैं, लेकिन यदि इसके साथ 'एण्ड' जोड़ेंगे और यह कहेंगे कि दोनों होने चाहिये, इन्डिजेन्ट भी होना चाहिये, बीमार भी होना चाहिए, अपंग भी होना चाहिये, तो इसमें यह दिक्कत आयेगी कि इन्डिजेन्ट भले ही न हो, बीमार हो, लेकिन लखपति हो तो उसको भी देना पड़ेगा ।

श्री रामावतार शास्त्री : इसमें साधारण लोग भी आ सकते हैं ।

श्री वसन्त साठे : इसमें सारा कवर हो जाता है प्रश्न यह है कि हमें किसकी मदद करनी है ? जो किसी कारण से विपन्नावस्था में हो, इन्डिजेन्ट का मतलब विपन्नावस्था है, उसकी मदद करेंगे ।

जहां तक लोन की बात है यह इनेब्लिंग क्लाज है, लोन की मारफत दिया जाय । लोन की तुक क्या है ? आजकल बहुत से लोग सेल्फ-एम्प्लाएड बनना चाहते हैं या कोई छोटा उद्योग शुरू करना चाहते हैं, वे भीख नहीं मांगना चाहते हैं, ग्रांट नहीं चाहते, वह कहते हैं आप थोडा पैसा दे दीजिए ताकि उससे मैं अपना व्यापार कर सकूं और उसकी आमदन से आपका पैसा वापस कर सकूं । उसका स्वाभिमान कायम रखने के लिए यह प्रावीजन यहां रखा गया है । इसमें मेरे ख्याल से आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

सभापति महोदय : श्री शास्त्री, क्या आप अपने संशोधन वापिस ले रहे हैं ?

श्री रामावतार शास्त्री : जी नहीं, मैं इन पर जोर दूंगा।

वसन्त साठे : रामावतार शास्त्री जी तो बहुत समझदार हैं, इतनी साफ बात कहने के बाद भी नासमझी की बात क्यों कह रहे हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : नासमझी की बात नहीं कह रहा हूं।

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 12 और 13 को मतदान के लिए रखता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

श्री रामावतार शास्त्री, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ 3—

पंक्ति 23 और 24 **के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये** —

"(3) केन्द्रीय सलाहकार समिति का अध्यक्ष उसके सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जायेगा।" (14)

सभापति महोदय, धारा 5 की उप-धारा (3) को देखा जाये तो इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक सलाहकार समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी। मेरा कहना यह है कि हर बात केन्द्रीय सरकार ही क्यों करे, यह बात समझ में नहीं आती। आप मेम्बरों पर कुछ भरोसा तो कीजिए और मेरा संशोधन यह है कि अध्यक्ष का चुनाव होने दीजिए। जितने मेम्बर हों, वे मिलकर अपने में से जिसको बेहतर समझें हर तरीके से, उसको वे अध्यक्ष बना दें। आप मेम्बरों को तो नामीनेट करेंगे ही और अध्यक्ष को भी नामीनेट किया, तो फिर जनतांत्रिक प्रणाली का क्या होगा। धीरे-धीरे आप सभी को खत्म कर दीजिएगा, यह बात समझ में नहीं आती। आप अध्यक्ष को चुनिए, आप भी तो चुन कर ही यहां पर आते हैं। कोई कमेटी है और उसका अध्यक्ष आप नामीनेट कर दीजिए, आप अपने समर्थक को ही नामीनेट करेंगे और इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए यह डंडा हम आपको नहीं देना चाहते हैं।

श्री वसन्त साठे : डंडा ?

श्री रामावतार शास्त्री : यह डंडा ही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस समिति का जो

अध्यक्ष है, वह चुन कर आना चाहिए ताकि समिति निश्चिन्त हो कर काम करे। मेम्बर अपने में से ही अध्यक्ष को चुनें और मेम्बरों को तो आप नामीनेट करेंगे। जब आप ऐसा आप कर रहे हैं, तो उन मेम्बरों को अध्यक्ष चुनने का अधिकार जरूर दीजिए, वे अध्यक्ष को स्वयं चुन सकें, ऐसा मेरा संशोधन है। आप ऊपर से अध्यक्ष को लादिए मत यही मेरा संशोधन है।

श्री बसंत साठे : इसका जवाब भी मुझे देना पड़ेगा। मेरा कहना यह है कि सलाहकार समिति कोई स्टेटूटरी बोडी तो है नहीं, जिसे बहुत बड़े अधिकार प्राप्त हों। मिनिस्ट्री फंड चलाने वाली है और इसके लिए उसको सलाह देने की बात है। कल आप यह भी कहेंगे कि चीफ जस्टिस का चुनाव जजेज करें, तो यह बड़ी मुसीबत हो जायेगी। जिस तरह की प्रणाली आपके मन में है, वहां इस तरह से होता होगा, तो मुझे नहीं मालूम लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि फंड तो हमें चलाने हैं। इस मिनिस्ट्री को चलाना है और इसके लिए हम केवल सलाहकार चाहते हैं। हर जगह चुनाववाजी करा कर आपस में तू-तू, मैं-मैं और झगड़ा करने के काम में वे लग जायेंगे, तो हम को सलाह कहाँ से मिलेगी और शास्त्री जी वहाँ चले गए तो हो गया सलाहकार समिति का काम। इसलिए मैं शास्त्री जी के इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

सभापति महोदय : अब मैं श्री रामावतार शास्त्री द्वारा प्रस्तावित खण्ठ संख्या 5 पर संशोधन संख्या 14 को मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 6

श्री रामावतार शास्त्री : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3—

पंक्ति 23-और 24 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"(3) केन्द्रीय सलाहकार समिति का अध्यक्ष उसके सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जायेगा।" (16)

इस पर मुझे ज्यादा नहीं बोलना है क्योंकि पहले इस तरह के संशोधन पर बोल चुका हूं। मेरा कहना यह है कि केन्द्रीय सलाहकार समिति का अध्यक्ष भी निर्वाचित होना चाहिए।

सभापति महोदय : अब मैं श्री रामावतार शास्त्री द्वारा प्रस्तावित खण्ड 6 के संशोधन संख्या 15 को मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 7 से 10 विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ 5—

पंक्ति 7 और 8 का लोप कर दिया जाए।

पृष्ठ 5, पंक्ति 27—

"दो हज़ार" के स्थान पर "पाँच हजार" प्रतिस्थापित किये जाये।

यह संशोधन नं० 16 है इस पर तो मुझे कुछ नहीं कहना है क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं।

यह जो संशोधन 17 है यह बिल की धारा 11 की उपधारा (3) से सम्बन्धित है। उपधारा (3) में यह बात कही गई है—

"(3) उपधारा (2) के खण्ड (च) या खण्ड (छ) के अधीन कोई नियम बनाने में केन्द्रीय सरकार यह निदेश दे सकती है कि उसका भंग जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।"

उप धारा (2) के खण्ड (च), (छ) में यह कहा गया है—

"(च) किसी निर्माता द्वारा केन्द्रीय सरकार को एसे आंकड़े और जानकारी का दिया जाना जिसका धारा 10 के अधीन दिया जाना अपेक्षित हो।"

"(छ) वह स्वरूप जिसमें और वह अवधि जिसके भीतर आंकड़े और अन्य जानकारी खंड (च) के अधीन दी जानी है।"

अगर इसके मुताबिक वह नहीं दे सकते हैं तो यह जुर्माने की व्यवस्था रखी गयी है। मेरा कहना यह है कि यह दो हजार रुपये का जुर्माना कम है, इसे पाँच हजार रुपए का जुर्माना कीजिए। क्योंकि जो लोग आपके आदेश का उल्लंघन करें तो उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए तभी वे आपके आदेश को मानेंगे।

श्री वसंत साठे : शास्त्री जी, अभी-अभी यह बिल आया है, इसे चलने दीजिये। फिल्म इंडस्ट्री के लोग किस तरह से बर्ताव करते हैं, आगे क्या होता है, उसे जरा देखने दीजिए। आगे कोई दिक्कत पैदा होती है तो शास्त्री जी के सुझाव के बारे में विचार कर लेंगे।

सभापति महोदय : अब मैं श्री रामावतार शास्त्री द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या 16 और 17 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति मोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 11 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम जोड़ दिए गए।

श्री बसंत साठे : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा एक नये तेल क्षेत्र की खोज के बारे में वक्तव्य

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने बम्बई-हाई में 35 किलोमीटर पूर्व की ओर 75 मीटर की गहराई पर एक नई स्ट्रक्चर बी-57 में तेल का पता लगाया है। यह क्षेत्र बिल्कुल नया है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के भूकम्पीय पोत एम. वी. अन्वेषक द्वारा स्ट्रक्चर का भूकम्पीय सर्वेक्षण से पता लगाया गया था। इस क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस के जैक-अपरिग 'सागर सम्राट' द्वारा 18 मई 1981 को खुदाई की गई थी तथा तेल और गैस-युक्त क्षेत्र 1830-2190 मीटर की गहराई पर निकले। इस क्षेत्र के भीतर एक कुएं की उत्पादन क्षमता की 3 सितम्बर 1981 को जांच की गई थी। अमलीकरण से पहले इस कुएं में एक आधी इंच चोक में से प्रतिदिन 1030 बेरल तेल निकला था जिसमें गैस-तेल अनुपात लगभग 150 था और ए. पी. आई. घनत्व (ग्रेवीटी) लगभग 40 था। अन्य कुओं में उत्पादन क्षमता का परीक्षण किया जा रहा है।

बी-57 स्ट्रक्चर का क्षेत्र 80 वर्ग किलोमीटर है। तेल की संभागीय पट्टियां पेलोजीन कार्बोनेट के भण्डार में है। इस क्षेत्र की उत्पादन क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए कुछ और कुएं खोदना आवश्यक होगा।

भारतीय सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मछली पकड़ने सम्बन्धी विनिमय) विधेयक, 1981

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के कुछ सामुद्रिक क्षेत्रों में विदेशी जलयानों द्वारा मछली पकड़ने को विनियमित करने और उससे सम्बन्धित विषयों के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, भारतीय सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मछली पकड़ने संबंधी विनियमन) विधेयक इस सभा में इस वर्ष 8 मई को पुरःस्थापित किया गया था। आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने आज इस विधेयक पर विचार करने का समय निकाला है। वास्तव में, यह उपाय काफी पहले ही कर लिया जाना चाहिए था। हमारा समुद्र-तट लगभग 6000 किलोमीटर लम्बा है और सामुद्रिक क्षेत्र बहुत विस्तृत है जो कि हमारी कुल सीमा का दो-तिहाई है। समुद्र से मछली पकड़ने की क्षमता बहुत अधिक है। परन्तु हम अभी तक इसकी क्षमता का पूरी तरह उपयोग नहीं कर सके हैं।

महोदय ऐसे समाचार मिले हैं कि विदेशी पोत विगत में हमारी समुद्री सीमा में बड़े पैमाने पर अवैध ढंग से मछलियां पकड़ते रहे हैं। हमारे तट रक्षक इन पोतों को रोकने का प्रयास करते रहे, परन्तु क्योंकि उन्हें कारगर और कड़ा दण्ड देने के लिये कोई कानून नहीं था अतः हमें इस आतंक को रोकने में कठिनाई महसूस हुई है। सौभाग्य से यह मामला रक्षा मंत्रालय के माध्यम से प्रधान मन्त्री के ध्यान में आया और यह आवश्यक समझा गया कि हमारे राष्ट्रीय संसाधनों के लिए इस खतरे को दूर करने हेतु संसद को तत्काल एक विधान बनाना चाहिए। हम अपने सामुद्रिक क्षेत्र में मछली पकड़ने के कार्य को लाइसेंस से और विदेशी पोतों को परमिट जारी करने के माध्यम से विनियमित करना चाहते हैं, हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना चाहते हैं, हम अपने मछुआरों के अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं और इसलिए हम अब अपने तट रक्षक अधिकारियों के और भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले अन्य अधिकारियों को इन पोतों को जब्त करने, उनकी तलाशी लेने तथा अवैध ढंग से मछली पकड़ने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने और उन्हें न केवल दण्ड देने बल्कि उनके द्वारा पकड़ी गई मछलियों और उनके पोतों को भी जब्त करने की शक्तियां देने का उपबन्ध कर रहे हैं।

मुझे आशा है कि सभा इस बात से सर्वसम्मति से सहमत होगी कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है जिसे तत्काल पारित किए जाने की आवश्यकता है तथा मेरे विपक्षी मित्रगणों को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी ताकि यह दिखा दिया जाए कि सम्पूर्ण राष्ट्र अपने समुद्र में अपने अधिकारों की प्रभावी ढंग से रक्षा करने के लिए उत्सुक तथा कटिबद्ध है। धन्यवाद, महोदय।

सभापति महोदय :

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के कुछ सामुद्रिक क्षेत्रों में विदेशी जलयानों द्वारा मछली पकड़ने को विनियमित करने और उससे सबंधित विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) : सभापति महोदय, प्रारम्भ में, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

महोदय, विधेयक का समर्थन करते हुए मैं, आपका ध्यान उद्देश्यों और कारणों के कथन की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसमें यह कहा गया है :

"हमारे अनन्य आर्थिक क्षेत्र में विदेशी महत्व जलयानों का अनधिकार मछली पकड़ने के कार्य-कलापों में वृद्धि हुई है। भारतीय पार्टियों द्वारा चार्टर किए गए विदेशी मत्स्य जलयानों के ऐसे कार्य-कलापों में शामिल होने की घटनाएं भी हुई हैं। ऐसे कार्य-कलापों को रोकने के लिये और हमारे मल्लाहों को अनाधिकार मछली पकड़ने वाले जलयानों द्वारा होने वाली कठिनाई से संरक्षण के लिये यह आवश्यक है कि विदेशी मत्स्य जलयानों द्वारा मछली पकड़ने के कार्य-कलापों को विनियमित किया जाये...।

महोदय, मैं यहाँ पर "हमारे मल्लाहों को अनधिकार मछली पकड़ने वाले जलयानों द्वारा होने वाली कठिनाई से संरक्षण के लिए" वास्तविक भाषा पर पर बल देता हूँ। जहां तक मुझे जानकारी है, 1975 में समाचार पत्रों में यह खबर छपी थी कि जापान, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया के विदेशी पोत न केवल अनन्य आर्थिक क्षेत्र, महाद्वीपीय क्षेत्र में अपितु हमारे समुद्री क्षेत्र में मछलियां पकड़ते हुए पाए गए थे। तब से हमारे मछुआरे लगातार यह मांग करते आ रहे है कि संसद में एक उपयुक्त कानून पेश किया जाना चाहिए और भारत की समुद्री सीमा में विदेशी मत्स्य पोतों को मछली पकड़ने से रोकने के लिये समुचित कानून बनाया जाना चाहिए। इस संदर्भ में मान्य मंत्री महोदय ने इस बात का उल्लेख किया है कि यह विधेयक बहुत पहले पेश कर दिया जाना चाहिये था। मैं उनकी इस बात की सराहनाकर ता हूँ। फिर भी, मैं कहूँगा कि यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है और उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूँ।

अपने मछुआरों के हितों के संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हुए मैंने इस बात का उल्लेख किया है कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि हमारा समुद्रीतट केवल 6000 मील लम्बा है जहां तक भारत सरकार के अनन्य आर्थिक क्षेत्र का सम्बन्ध है, रिपोर्ट के अनुसार यह क्षेत्र लगभग 51000 किलोमीटर लम्बा है। यही नहीं, लगभग 1280 द्वीप-समूह हैं और समुद्रतट के निकट लगभग 70 लाख लोग रहते हैं जिनकी आजीविका मछली पकड़ना है। विश्व के मछली उत्पादक देशों से तुलना करने पर हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ मत्स्य उत्पादन बहुत कम है। यह विश्व के वार्षिक मत्स्य उत्पादन का लगभग 2.57 प्रतिशत है। भारत में मछलियों की प्रति व्यक्ति खपत 4.13 किलोग्राम है जबकि अमेरिका और ब्रिटेन में यह क्रमश: 14.9 किलोग्राम और 20.9 किलोग्राम है।

भारत में मछली पकड़ना एक बहुत बड़ा आर्थिक कार्य-कलाप है। मछली प्रोटीन का सस्ता साधन है। यदि मछली पकड़ने का कार्य हमारे देश में अच्छे तरीके से किया जाए तो इससे न केवल पोषक भोजन मिलेगा अपितु विदेशी मुद्रा भी अर्जित होगी। 1980 में इससे

लगभग 250 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई। किन्तु 1981 में इसमें काफी कमी आ गई। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि यह कमी क्यों आई ? मेरे विचार से मछुआरों की ओरसमुचित ध्यान नहीं दिया गया है। मछली पकड़ने की समस्या की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिये, मैं माननीय मंत्री महोदय को कुछ सुझाव देना चाहूँगा जिन्हें नोट कर लें।

विधेयक पारित करने से ही सब कुछ नहीं हो जायेगा। अधिनियम के क्रियान्वयन पर ध्यान दिया जाना चाहिये। इसके लिये समुचित व्यवस्था होनी चाहिये। विधेयक की वित्तीय देयता में इस बात का उल्लेख किया गया है कि "ऐसा अनुमान है कि इससे प्रत्येक वर्ष 2.50 लाख रुपये का आवर्ती व्यय और 50000 रुपये का अनावर्ती व्यय होगा।"

समस्या की विशालता की तुलना में यह राशि अपर्याप्त है। तट-रक्षक बल अपर्याप्त है। इस पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिये, अन्यथा विदेशी मत्स्य जलयान हमारी समुद्री सीमा में मछली पकड़ेंगें। हमारी समुद्री सीदा में मछली पकड़ने के लिये न केवल विदेशी आते हैं अपितु भारतीय नागरिक विदेशी मत्स्य जलयान को चार्टर कर लेते हैं। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह इस संबंध में कड़े कदम उठाए ताकि तट पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। विदेशी मत्स्य जलयानों और विदेशियों को हमारी सीमा में किसी भी समय मछली पकड़ने की अनुमति न दी जाए।

विधेयक के खण्ड 4 के अन्तर्गत यह उपबंध किया गया है कि विदेशी मत्स्य जलयानों का उपयोग करने के लिये विदेशियों को लाइसेंस दिये जायेंगे और विदेशी मत्स्य जलयानों का उपयोग करने के लिए भारतीय नागरिकों को परिमिट जारी किए जाएगें। इसके अतिरिक्त, विधेयक के खण्ड 4 (5) (घ) में यह उपबन्ध किया गया है कि शर्तें बाद में निर्धारित की जाएगीं। मेरा यह कहना है कि लाइसेंस और परमिट जारी करने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। इन लाइसेंसों और परिमिटों को कौन जारी करेगा ? केवल सरकारी अधिकारियों को ऐसा करने की शक्ति दी गई है। मेरे विचार से मंत्री महोदय को सभा को वे शर्तें बता देनी चाहिये थीं जिनके अन्तर्गत विदेशी मत्स्य जलयानों का उपयोग करने के लिए विदेशियों और भारतीय नागरिकों को लाइसेंस तथा परमिट जारी किए जायेंगे।

हमारी समुद्री सीमा में ट्रालरों और यंत्रीकृत नौकरों द्वारा अधांधुंध मछली पकड़ने का कार्य किया जा रहा है। यदि सरकार मछली पकड़ने वाले मछुआरों के लिये परम्परागत तरीके अपनाने वालों के हितों की रक्षा करना चाहती है तो मेरा सुझाव है कि भारतीय समुद्र के कम से कम 21 किलोमीटर के क्षेत्र के अन्तर्गत ट्रालरों और यंत्रीकृत नौकाओं को मछली पकड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

योजना आयोग ने राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार को निदेश दिया है कि मछली पकड़ने के परम्परागत तरीके अपनाने वाले मछुआरों के हितों की रक्षा की जाये। मेरा सुझाव है कि श्रिम्प, लोबस्टर, सार्डिन, मैकरल, बंबई डक, टूना आदि प्रमुख किस्म की मछलियों का विकास करने के लिए एक व्यापक तथा एकीकृत कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए।

ऐसी परियोजनाएं तैयार की जानी चाहिए जो विद्यमान बुनियादी सुविधाओं के आधार पर मछली पकड़ने से लेकर उनके विपणन तक के सभी कार्यकलापों पर निगरानी रखें। विभिन्न राज्यों में केन्द्र खोले जाने चाहिए ताकि मछली पकड़ने का कार्य समुचित ढंग से किया जा सके। तकनीकी, विपणन, ट्रालरों के डिजाइन, बुनियादी सुविधाओं के विकास और अन्तरराष्ट्रीय बाजारों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए ऋण देने संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक मात्स्यिकी बैंक गठित किया जाना चाहिये।

एक राष्ट्रीय मात्स्यिकी बोर्ड गठित किया जाना चाहिये। इसकी सिफारिश अखिल भारतीय समुद्री मत्स्य विपणन अध्ययन ने की है। पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले में दीघा के नजदीक मत्स्य-ग्रहण बन्दरगाह बनाने का प्रस्ताव किया गया था। जहां तक मुझे जानकारी है, प्रारम्भिक सर्वेक्षण कर लिया गया है और सर्वेक्षण की रिपोर्ट अनुकूल है। मैं, माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि दीघा में मत्स्य-ग्रहण बन्दरगाह को बनाने की दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ? केन्द्रीय मात्स्यिकी निगम को फिर से सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है। वहां एक कुशल और ईमानदार प्रशासक नियुक्त किया जाना चाहिए। 1977 के बाद 120 नैमित्तिक श्रमिकों को सेवाओं से हटा दिया गया था उन्हें फिर से सेवा में लिया जाना चाहिए। साथ ही भ्रष्ट अधिकारियों को दण्ड दिया जाना चाहिए।

राव वीरेन्द्र सिंह : यह सामुद्रिक/क्षेत्र के लिये है।

श्री सुधीर गिरि : मैं इसे अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको कोई समय नहीं मिलेगा।

सुधीर गिर : मुझे समय नहीं मिलेगा लेकिन मैं इस समय का उपयोग इन बातों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाने की ओर करना चाहता हूं। गोआ में श्री राने के सत्ता में आने के पश्चात ट्रालरों और पर्ससीनर के मालिकों ने 12 लाख रुपये के मूल्य के 7 रैम्पन जाल जला दिए थे। अभी तक प्रभावित गरीब मछुआरों को मुआवजा नहीं दिया गया है मछली पकड़ने के मालिकों की बढ़ती हुई संख्या के कारण काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए उन पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। ट्रालर और पर्ससीनरों के मालिकों को राज सहायता दी जा रही है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि राज सहायता न केवल ट्रालर अथवा पर्ससीनर मालिकों दी जाये अपितु मछली पकड़ने के परम्परागत तरीके अपनाने वाले मछुआरों को भी दी जाए। गरीब मछुआरों के हितों की रक्षा करने के लिए बीमा योजना लागू की जानी चाहिए। तटीय क्षेत्र में अच्छे लगने वाले लघु शीत भंडार संयंत्र भी स्थापित किए जाने चाहिए। यदि सरकार मछली पकड़ने के परम्परागत तरीके अपनाने वाले मछुआरों के हितों की रक्षा करना चाहती है तो उनके के लिये नई जेटियां बनाई जानी चाहिए। उन्हें पीने के पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, मछली पकड़ने के स्थानों के लिए सड़कें बनाई जानी चाहिए, रहने के लिए भूमि दी जानी चाहिए, व्यावसायिक संस्थानों की व्यवस्था की जानी चाहिए। गोआ कोआपरेटिव फिशरीज फेडरेशन के कार्य-चालन के सम्बन्ध में कुछ स्पष्ट अनियमितताएं पाई गई

हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले की जांच करे और जांच के निष्कर्षों को सभा के समक्ष रखे।

इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री जगन्नाथ राव (बरहामपुर) : महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं विधेयक के उपबन्धों से पूरी तरह सहमत हूं। इस विधेयक में लाइसेंस के बिना विदेशी मत्स्य जलयानों को मछली पकड़ने से रोकने और परमिट प्राप्त किए बिना विदेशी मत्स्य नौकाओं को प्रयोग में लाने के लिए भारतीय नागरिकों को रोकने की व्यवस्था है। यह एक अच्छी बात है। यह विधेयक 1976 के अधिनियम 80 पर आधारित है जिसमें भारत की समुद्री सीमा और अन्य मामलों की परिभाषा दी गई थी और यह अधिनियम 1974 में करावस में हुई समुद्री कानूनों सम्बन्धी सम्मेलन में लिए गए निर्णयों पर आधारित था। इस विधेयक का समर्थन करते हुए मुझे यह कहना है कि तटरक्षकों को पूरे उपकरण तथा सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि वे भारत के सामुद्रिक क्षेत्रों पर निगरानी रख सकें। यह एक बात है जिसके बारे में, मैं आश्वस्त होना चाहता हूं।

दूसरी बात यह है कि मछली पकड़ने के लिए भारतीय नागरिकों अथवा विदेशी मत्स्य जलयानों द्वारा कितनी रायल्टी दी जा रही है ? रायल्टी कितनी है ? संभवतः नियमों में इसकी व्यवस्था होगी।

देशी मत्स्य मछुआरों के बारे में क्या किया गया है ? मैं समुद्र तट के क्षेत्र का रहने वाला हूं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र बरहामपुर है। मछुआरे सुबह केटेमारान में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं और शाम को लौटते हैं। अगर उन्हें मछलियां मिलती हैं तो वह उन्हें बाजार में बेचते हैं और भोजन के लिए चावल आदि खरीदते हैं। किन्तु हो यह रहा है कि पड़ोसी राज्यों के ट्रालर भी इस क्षेत्र में आते हैं और अनाधिकार मछलियां पकड़ते हैं। इसलिये, आप को समुद्री सीमा में ट्रालरों को प्रवेश करने से रोकने के लिए तथा स्थापित गरीब मछुआरों के हितों की रक्षा करने के लिए विधेयक में उपबन्ध करना चाहिए। वे देशी केटेमारानों में जाते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। इस विधेयक में, इसके बारे में एक उपबन्ध किया जाना चाहिए। यदि ऐसा उपबन्ध नहीं किया गया तो मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इसे नोट करें और यह देखें कि मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए विधेयक में उपबंध किया जाए।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

27 वां प्रतिवेदन

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 27वें प्रतिवेदन से, जो 2 सितम्बर, 1981 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 27वें प्रतिवेदन से, जो 2 सितम्बर, 1981 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पुरःस्थापित

असंगठित श्रम कल्याण निधि विधेयक

श्री बाला साहिब विखे पाटिल (कोपरगांव) : श्रीमन मैं प्रस्तात करता हूं असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिये एक निधि की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :-

"कि असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिये एक निधि की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयकों को पुरःस्थापित करने दी अनुमति की जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : श्रीमन् मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

प्रति व्यक्ति फीस प्रतिषेध विधेयक

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : श्रीमन् मैं प्रस्ताव करता हूँ कि शैक्षिक तथा तकनीकी महाविद्यालयों या संस्थाओं द्वारा प्रमाणित प्रति व्यक्ति फीस पर प्रतिबंध लगाने का तथा तत्सम्बंधी विषयों के उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :-

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : श्रीमन्, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत का प्रश्न उठता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने मुझे इस संबंध में लिखित रूप में नहीं दिया है कि आप इस विधेयक के पुरःस्थापित होने का विरोध करना चाहते हैं।

श्री एन० जी० रंगा : मैं इस विधेयक के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत के विरोध में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको लिखित रूप में देना चाहिए था या आप उनके साथ इस पर चर्चा कर लें। आप दोनों एक ही पार्टी के हैं।

प्रश्न यह है :-

"कि शैक्षाणिक तथा तकनीकी महाविद्यालयों या संस्थाओं द्वारा प्रमाणित विषयों का

उपबन्ध लगाने का तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : श्रीमन्, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(नये अनुच्छेद 45-क का अन्तःस्थापन)

श्री बाला साहिब विखे पाटिल: श्रीमन् मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :-

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : श्रीमन्, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

सेवाओं में पदों का और शैक्षिक संस्थाओं में स्थानों का (आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के लोगों के लिये) आरक्षण विधेयक

श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) : श्रीमन् मैं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के लोगों के लिये केन्द्रीय सरकार और सरकारी उपक्रमों की सेवाओं में पदों का और सभी प्रकार की शैक्षिक संस्थाओं में स्थानों के आरक्षण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :-

"कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के लोगों के लिए केन्द्रीय सरकार और सरकारी उपक्रमों की सेवाओं में पदों का और सभी प्रकार की शैक्षिक संस्थाओं में स्थानों के आरक्षण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : श्रीमन्, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

मृत्यु दण्ड उत्सादन विधेयक

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मृत्यु दण्ड का उत्सादन करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :-

'कि मृत्यु दण्ड का उत्सादन करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन्, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ ।

सीमा आयोग विधेयक

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राज्य तथा राज्यों के बीच और संघ राज्य क्षेत्रों तथा राज्यों के बीच अन्तर्राज्यीय विवादों को हल करने के लिये एक स्थायी सीमा आयोग के गठन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि राज्यों तथा राज्यों के बीच और संघ राज्य क्षेत्रों तथा राज्यों के बीच अन्तर्राज्यीय विवादों को हल करने के लिये एक स्थायी सीमा आयोग के गठन उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन् मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ ।

वैयक्तिक स्वतंत्रता (प्रत्यावर्तन) विधेयक

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन् मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय तारयंत्र अधिनियम, 1885 और भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए । मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूँ ताकि डाक को बीच में रोका न जा सके ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय तारयंत्र अधिनियम 1885 और भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

प्रो० मधु दंडवते : श्रीमन् मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ ।

कीमत नियंत्रण विधेयक

प्रो०मधु दंडवते : श्रीमन् मैं प्रस्ताव करता हूँ कि आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण रखने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :-

"कि सभी आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण रखने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

प्रो० मधु दंडवते : श्रीमन्, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती प्रमिला दंडवते ।

प्रो० मधु दंडवते : श्रीमन् मैं...

उपाध्यक्ष महोदय : वह यहाँ नहीं हैं । मैं नहीं कर सकता । प्रो० मधुदंडवते अन्यथा, मैं आपको अनुमति देता ।

प्रो० मधु दंडवते : कार्यसूची में जो कुछ दिया गया है उसके आधार पर भी इसमें 50 प्रतिशत नाम केवल मेरा ही है ।

श्री एडुआर्डो फलेरो (मारमागाओ) : श्रीमन्, वह अपने परिवार के प्रधान व्यक्ति हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पाटिल ।

संविधान (संशोधन) विधेयक (सप्तम अनुसूची का संशोधन)

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :-

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : श्रीमन्, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

भारत में धार्मिक आधार पर कार्यरत सभी विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रतिषेध विधेयक

श्री बी० वी० देसाई (रायचूर) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत में धार्मिक आधार पर कार्य करने से सभी विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रतिषेध करने वाले विधेयक को पुर:-स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, आप इसका विरोध करना चाहते हैं ?

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : श्रीमन्, मैं इस घिनौने विधेयक को पुर:स्थापित करने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, श्रीमन्...

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, यह अच्छा होगा कि आप इस विधेयक को घिनौने विधेयक की बजाय आपत्तिजनक विधेयक कहें । मेरा विचार है कि आप अपनी सभी अच्छाइयों को ध्यान रखते हुए मेरी बात से सहमत होंगे ।

श्री जी० एम० बनातवाला : श्रीमन्, यह ठीक है, यह आपत्तिजनक विधेयक...

उपाध्यक्ष महोदय : मैं केवल आपकी सहायता करना चाहता हूं ।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं आपको ध्यान इस विधेयक के खण्ड 3 की ओर दिलाता हूं। मैं उद्धत कर रहा हूं :

"सभी धर्मों के उपदेश देने तथा एक धर्म छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाने में गरीबों की सहायता करने पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।"

मैंने पूरे खण्ड को पढ़कर सुनाया है। यह ज्यों का त्यों है। उद्देश्यों के विवरण में बताया गया है कि विदेशी मिशनों इत्यादि पर वास्तव में प्रतिबन्ध लगाये जाने की आवश्यकता है तथापि विधेयक का खण्ड 2 विवरण में दिये गये उद्देश्यों से कहीं आगे बढ़ गया है। सभी धर्मों के उपदेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिये कहा गया है मैं आप का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि आप यह बात भली भांति जानते हैं कि इससे संविधान के अनुच्छेद 25 में दिये गये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है।

अनुच्छेद 25 में यह स्पष्टतः व्यवस्था है कि सभी व्यक्तियों को समान रूप से अन्तःकरण की स्वतंत्रता है और धर्म की स्वतंत्रता से दीक्षा लेने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है। यहां शब्द 'प्रचार' के बजाए खण्ड में शब्द 'प्रवचन' का प्रयोग किया गया है। लेकिन उससे किसी प्रकार स्थिति में कोई सुधार नहीं होता।

मैं आपको बता दूं कि यह भारत के संविधान पर बसु की टिप्पणी है—पांचवा संस्करण, पृष्ठ 150, जहां यह बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि :

"राज्य···

अर्थात् हम

···कर लगाकर धार्मिक मत का प्रचार करने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते;

आदि। इस अधिकार से पूर्णतया वंचित नही रखा जा सकता। यहां, प्रवचन देने और दीक्षा लेने के अधिकार से पूर्णतः वंचित किया जा रहा है। अतः मेरा इस सभा से निवेदन है कि यह विधेयक इस सभा की विधायी सक्षमता से बाहर है। यह संविधान का उल्लंघन करता है। कई अन्य बातें भी हैं जिनके बारे में मैं बोल सकता हूं लेकिन इस प्रस्तावना के चरण में मैं उन सभी बातों की विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। यह एक पहलू हुआ।

महोदय, यह खण्ड कहता है कि किसी निर्धन व्यक्ति को एक धर्म से दूसरा धर्म अपनाने में सहायता देने, पर भी तत्काल प्रतिबन्ध होगा। मुद्दा क्या है, मुझे समझ नहीं आता। धर्म परिवर्तन पर प्रतिबन्ध है अथवा धर्म परिवर्तन में सहायता करने पर प्रतिबन्ध है—यह बात स्पष्ट नहीं है।

साथ ही, जब धनवान को धर्म परिवर्तन में सहायता करने की अनुमति है तो निर्धन को धर्म परिवर्तन में सहायता करने पर प्रतिबन्ध क्यों? महोदय, उनके बारे में मुझे और टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। मैं इतना और कहना चाहूंगा कि धर्म उपदेश और प्रचार भी अन्य व्यक्तियों को उस धर्म में सम्मिलित होने के लिए निवेदन करना ही है।

श्री बसु ने भी अपने उक्त संस्करण में इसी बात का स्पष्टतः प्रतिपादन किया है और उसी पृष्ठ पर वह बताते हैं कि :

"धार्मिक प्रचार, निवेदन की स्वतन्त्रता को विनियमित किया जाए, आदि....."

लेकिन, वह यह भी कहते हैं कि यह प्रतिबन्ध मनमाने ढंग से कठोर नहीं बनाया जा सकता अथवा इस अधिकार से बिल्कुल वंचित नहीं किया जा सकता। साथ ही, निर्धन पर प्रतिबन्ध लगाने और धनवान को छोड़ देने से भी अनुच्छेद 14 और 15 के उपबन्धों, जिसमें यह प्रावधान है कि कानून केसामने सभी समान हैं और भेदभाव बरतना निषिद्ध है, का उल्लंघन होगा। प्रत्येक मामले में, निर्धन द्वारा धर्म परिवर्तन किया जाता है तो इसका यह अभिप्राय नहीं कि उसकी निर्धनता का अनुचित लाभ उठाया गया है यदि ऐसी बात हो तो हमारे पास अन्य कानून हैं जिसके अधीन इससे निपटा जा सकता है। ऐसी स्थिति को रोकने के लिए उन कानूनों का उपयोग किया जा सकता है।

लेकिन, यह विधेयक जिस रूप में मंत्री महोदय, ने प्रस्तुत किया है, इस सभा की विधायी सक्षमता से बाहर है। कहना न होगा, कि यह धर्म निरपेक्ष लोकतन्त्र पर प्रत्यक्ष चोट है, जहां तक कि यह धर्म की मूल स्वतंत्रता, अर्थात अन्तःकरण की स्वतंत्रता और किसी धर्म की स्वतंत्रता से दीक्षा लेने और उसका आचरण करने से वंचित करता है।

यह यदि घृणित नहीं तो अत्यधिक आपत्तिजनक अवश्य है क्योंकि आप इस शब्द को पसंद नहीं करते, क्योंकि यह निर्धनों तथा अन्य व्यक्तियों में अन्तर रखती है जो अपनी अन्तःकरण की स्वतंत्रता का मुक्त भाव से आचरण करना चाहते हों। आप निर्धन को हमेशा प्रतिबंधों में रखना चाहते हैं, अप चाहते हैं कि वे अपनी अन्त:करण की स्वतंत्रता बरतने की स्थिति में न हों।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने का दृढ़ता से विरोध करता हूं। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इस विधेयक को वापस ले लेंगे। अन्यथा, मुझे विश्वास है कि यह सभा इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति नहीं देगी।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो कि यहां प्रस्तुत किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के उपबन्धों को आकृष्ट करता है, जिसमें धर्म की स्वतंत्रता के मूलाधिकार और धर्म की दीक्षा लेने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 25 और 26 में यथा अन्तर्विष्ट मौलिक अधिकार के उल्लंघन के प्रयास के अतिरिक्त, यह विधेयक संविधान के उस मूल अभिप्राय के भी विरुद्ध है, जिसमें यहां धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना की है। अतः यह धर्म निरपेक्षता की प्रवृत्ति के विरुद्ध है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि यह विधेयक संवैधानिक सीमाओं से बाहर होने के अतिरिक्त जिससे विधेयक प्रभावित है और मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी ने इस बात को नजर अन्दाज नहीं किया है...मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन बातों को मंत्री महोदय के ध्यान में लाए जाने के बाद वह इस बिधेयक के लिए आग्रह नहीं करेंगे।

महोदय, पिछली लोकसभा में हमारे पास इसी तरह का विधान आया था, नामतः धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक। वह कुख्यात विधान के रूप में जाना जाने लगा। हम उसे दोहराना नहीं चाहते। विधेयक में यह कहा गया है :

"सभी धर्मों का प्रचार करने तथा निर्धन व्यक्ति को एक धर्म को बदल कर दूसरा धर्म अपनाने में सहायता करने पर प्रतिबन्ध होगा।"

इसकी धारणा यह मालूम होती है कि केवल निर्धन ही अपना धर्म परिवर्तन करते हैं और वे अपना धर्म भौतिक प्रोत्साहनों के लिए बदलते हैं। मैं यह बताना चाहूँगा कि यदि निर्धन से अपना तात्पर्य कमजोर वर्गों से है, तो स्थिति यह है कि जब तक वे बहुमत में रहेंगे, अर्थात हिन्दू धर्म अथवा सिख धर्म में तब तक उन्हें आरक्षणों आदि के रूप में अनेक लाभ मिलते रहेंगे, लेकिन जैसे ही वे इसाई धर्म अथवा मुस्लिम धर्म अपना लेते हैं तो सभी लाभों से वंचित हो जाएंगे। अतः कोई लाभ नहीं होता बल्कि हानि ही होती है।

महोदय, मैं कहता उचित नहीं लगता, लेकिन यदि बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन आंदोलन हो हमें विधेयक लाने के बजाय यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि धर्म परिवर्तन क्यों होते हैं। यह लाभों के कारण नहीं होता बल्कि समाज की प्रतिकूल परिस्थितियों से छुटकारा पाने के लिए होता है। वे छुटकारा पा लेते हैं अथवा नहीं, यह दूसरी बात है। एक अन्य अनुचित बात हो जाती है। यदि कोई हिन्दू धर्म का कमजोर वर्ग का व्यक्ति मुस्लिम धर्म अपना लेता है तो वह न केवल सभी लाभ खो बैठता है बल्कि अपने मूल धर्म में फिर वापस आकर सभी लाभों का पात्र भी बन जाता है। अतः प्रोत्साहन तो इस दूसरी तरह के धर्म परिवर्तन में है। लाभ अपना कार्य इस प्रकार करते हैं। महोदय, हर धर्म की दीक्षा लेने, आचरण करने, प्रचार करने और किसी भी धर्म की दीक्षा न लेने, प्रचार न करने की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। इसलिए मैं इस विधेयक को वापस लेने का अनुरोध करता हूं।

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : महोदय इस विषय पर अपने विचार प्रकट करने के लिए दिए गए अवसर के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह बहुत ही नाजुक मामला है। संवैधानिक पहलू के अतिरिक्त हमें सामाजिक-आर्थिक और नैतिक पहलुओं को भी समझना है। पूर्व वक्ताओं ने बताया है और मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि इस पर पुनर्विचार करे प्रत्येक के हित में इसे वापस ले लें क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जिसका संस्कृति सभ्यता के साथ-साथ उन सभी पहलुओं से गहरा संबन्ध है जिनका भारत एक प्रतीक है। जैसा कि श्री फलीरो ने बताया है, किसी भी धर्म की दीक्षा लेने अथवा न लेने का अधिकार है। किसी भी धर्म में विश्वास रखने अथवा न रखने का अधिकार है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री से ईमानदारी तथा निष्ठापूर्वक अनुरोध है कि वह इस विधेयक को वापस ले ले।

श्री ओस्कार फर्नान्डिस (उदीपी) . महोदय, मेरा माननीय सदस्य से यही अनुरोध है कि वह इस विधेयक को वापस ले लें। मुझे यकीन है, वह ऐसा ही करेंगे।

श्री बी० बी० देसाई (रायचूर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अभी-अभी इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहना है जिससे सदस्यों की भावनाओं को ठेस पहुँचे। श्री बनातवाला ने कहा कि यह घृणित कार्य है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। मैंने इसे बदल दिया है। उन्होंने 'आपत्तिजनक' कहा है।

श्री बी० बी० देसाई : महोदय, उसने विधेयक से पढ़कर सुनाया है।

"सभी धर्मों का प्रचार करना और.....में सहायता करना।"

वास्तव में, यहां गलती है। मूल प्रति ने मैंने कहा था :

"सभी धर्मों का प्रचार करना और निर्धनों की धर्म परिवर्तन में सहायता के वेश में"

अब शब्द "के वेश में" नहीं है। मैं धर्म निरपेक्ष व्यक्ति हूं। मैं कभी प्रचार अथवा किसी भी बात विरोध नहीं करता लेकिन जब पैसा बीच में आ जाता है तो उसी पर आपत्ति की जा रही है। यदि माननीय सदस्य महसूस करते हैं कि यह ऐसा विधेयक नहीं है जिसको यहां कोई महत्व दिया जाना है, तो मैं निश्चित रूप से इसे वापस ले लूंगा। लेकिन, मेरे माननीय सदस्य श्री फैलीरो ने अनुच्छेद 25 का उल्लेख किया है। अनुच्छेद 25 में भी इस प्रकार कहा गया है :

"(2) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी वर्तमान विधि के प्रवर्तन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी अथवा राज्य को किसी ऐसी विधि के बनाने से नहीं रोकेगी।

(क) किसी आर्थिक, वित्तीय राजनैतिक अथवा अन्य धर्म निरपेक्ष कार्यकलाप को जो धार्मिक आचरण से सम्बद्ध हो, विनियमित अथवा प्रतिबंधित करता हो।"

खैर, मैं इस विधेयक के वास्तविक अर्थ के बारे में जाना नहीं चाहता। माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों और उनकी इच्छाओं का आदर करते हुए मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करने संबन्धी अनुमति प्रस्ताव को वापस लेना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य ने अपना प्रस्ताव जिसमें उन्होंने धार्मिक आधार पर भारत में कार्यरत सभी विदेशी मिशनरियों को कार्य करने से इंकार करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी है,

वापिस लेने की अनुमति सभा से प्राप्त कर ली है ?

अनेक सदस्यगण : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : अनुमति दी जाती है।

प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

चिकित्सा और इन्जीनियरी महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए प्रावेशिक शुल्क लिए जाने का प्रतिषेध और नई संस्थाओं का खोला जाना विधेयक

श्री बी० बी० देसाई (रायचूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि चिकित्सा और इंजीनियरी महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों से प्रावेशिक शुल्क लिए जाने के प्रतिषेध का और सभी पात्र अभ्यर्थियों को स्थान देने के लिए नई संस्थाएं खोलने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्य महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चिकित्सा और इंजीनियरी महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों से प्रावेशिक शुल्क लिये जाने के प्रतिषेध का और सभी पात्र अभ्यर्थियों को स्थान देने के लिए नई संस्थाएं खोलने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री बी० वी० देसाई : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

प्रत्येक परिवार के एक वयस्क सदस्य के लिए नियोजन की व्यवस्था विधेयक

श्री बी० वी० देसाई : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्रत्येक परिवार के एक वयस्क सदस्य के लिए नियोजन की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि प्रत्येक परिवार के एक वयस्क सदस्य के लिए नियोजन की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री बी० वी० देसाई : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

श्री बी० वी देसाई : मैं अपने अगले विधेयक यानि, संविधान (संशोधन) विधेयक (नए अनुच्छेद 245क का अन्त:स्थापन और अनुच्छेद 370 का लोप) को पुर:स्थापित करने की अनुमति नहीं चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। मद संख्या 141 विधेयक नहीं आ रहा है। वे विधेयक को पुर:स्थापित करने के लिए सदन की अनुमति नहीं चाहते हैं। हम मद संख्या 15 को लेते है श्री राजेश पाइलट।

लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आस्तियों और दायित्वों की घोषणा विधेयक

श्री राजेश पाइलट (भरतपुर) मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आस्तियों और दायित्वों की घोषणा तथा तत्संबन्धी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आस्तियों और दायित्वों की घोषणा का तथा तत्संबन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री राजेश पाइलट : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

संविधान संशोधन (अनुच्छेद 101, 102 आदि का संशोधन विधेयक)

श्री राजेश पाइलट : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री राजेश पाइलट : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

वैयक्तिक स्वतंत्रता (संरक्षण) विधेयक

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय तार यंत्र अधिनियम, 1885 और भारतीय डाकतार अधिनियम, 1898 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय तार तंत्र अधिनियम, 1885 और भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

बेरोजगारी सहायता (आयु सीमा से छूट तथा अन्य सुख सुविधाएं) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा 21 अगस्त 1981 को पेश किए गए निम्नलिखित प्रताव पर आगे विचार करेगा, "कि रजिस्ट्रीकृत बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी सहायता, आयु सीमा से छूट नौकरियों के लिए आवेदन-फीस से छूट तथा विभिन्न अन्य सुख-सुविधाओं का उपलब्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्रीमती गीता मुखर्जी।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : 21 तारीख को विधेयक पर विचार किए जाने के लिए अनुमति का प्रस्ताव करते समय मैंने पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों को कुछेक छोटे-मोटे लाभों का हवाला दिया था जिसकी मेरे विधेयक में व्यवस्था की गई है। मैं तर्कों को दोहराऊंगी नहीं। किन्तु सदन के माननीय सदस्यों की याद को ताजा करने के लिए मैं यह कहूंगी कि पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों को मिलने वाले छोटे-मोटे लाभों में से एक यह है कि वे बेरोजगार के लिए बिना किसी फीस के आवेदन कर सकें। मैं उम्मीद करती हूं कि सम्पूर्ण सदन तथा श्रम और रोजगार की देखरेख करने वाले माननीय सदस्य मेरे इस तर्क से सहमत होंगे।

एक और छोटा सा उपाय जो इस विधेयक में दिया गया है वह यह है कि यदि किसी व्यक्ति का नाम रोजगार दफ़्तर में एक बार दर्ज हो जाए तो उसका नाम वहां पर तबतक दर्ज रहना चाहिए जब तक कि उसे नौकरी न मिल जाये, जिससे कि उसे पुनः नाम के नवीनीकरण करने की आवश्यकता न हो। यह बहुत आवश्यक बात है क्योंकि हमारे देश में रोजगार कार्यालय बहुत थोड़े हैं और बहुत दूर-दूर स्थित हैं। गांव में रहने वाले लोगों को निरन्तर नाम के नवीनीकरण में बहुत कठिनाई उठानी पड़ती है। मुझे ऐसे बहुत से मामलों की जानकारी है, जिसमें कि यदि कोई व्यक्ति एक साल या दो साल तक अपने नाम का नवीनीकरण नहीं करवा

पाता तो उसकी रोजगार पाने की प्राथमिकता समाप्त हो जाती है। इसलिए मैंने इस विधेयक में इस उपबंध को जोड़ा है, जिससे कि उसका नाम रजिस्टर में जारी रहना चाहिए।

यदि उसे रोजगार मिल जाता है तो यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह इस बात की सूचना दे और यदि वह इसकी सूचना नहीं देता तो इसमें एक दंड की धारा भी जोड़ी जाये और उसमें यह स्पष्ट किया जाये कि इसका प्रयोजन उसे समय-समय पर नाम का नवीनीकरण कराने की वर्तमान प्रथा से छूट देना है।

एक और लाभ भी है जिसका मैंने प्रस्ताव किया है और जिसे मैंने पहले नहीं उठाया था, हालांकि इस विधेयक में मैंने उसका उल्लेख किया है। वह यह है कि सरकार को ऐसे शहरों और केन्द्रों में जहां की आबादी एक लाख या उससे अधिक हो, धर्मशालायें और अतिथिगृह बनाने चाहिये जिससे बेरोजगार लोग बिना कोई भुगतान किये वहां 3 रोज तक ठहर सके। ऐसा मैंने इसलिए आवश्यक समझा है क्योंकि युवकों को बार-बार इन्टरव्यू में जाने से परेशानी उठानी पड़ती है। इससे उन्हें कुछ राहत मिलेगी और मेरे ख्याल से सरकार और सदन द्वारा इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए।

महोदय, अब मैं सदन को यह याद दिलाना चाहती हूं कि मैंने अपने विधेयक में आयु-सीमा से छूट के बारे में कहा है। मैं उन कारणों को यहां पर फिर से देना नहीं चाहती। मुझे यकीन है कि यही सबसे उपयुक्त समय है कि केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में आयु-सीमा में ढील दी जाये और यह तथ्य भी है कि अनेकों नौकरियों में इस बात की ढील दी भी जा चुकी है। मैं इस सम्बन्ध में केवल यह बताना चाहूँगी की 21 अगस्त को इस विधेयक को प्रस्तुत करने के पश्चात और अब तक मेरे पास ऐसे युवकों के अनेक पत्र आये जिन्हें मैं बिल्कुल नहीं जानती और जिनमें यह कहा गया है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और साथ-साथ यह अनुरोध किया गया है कि मैं इस बात पर जोर दूं। मैं संबंधित मंत्री और साथ ही साथ सदस्यों के ध्यान में भी इसे ला देना चाहती हूं।

महोदय, अब मैं बेरोजगारी भत्ते के प्रश्न पर आती हूं। यह विषय माननीय सदस्य श्री देसाई द्वारा इससे पहले के विधेयक में भी किसी रूप में स्वीकार किया जा चुका है। हालांकि जहां तक बेरोजगारी सुविधाओं का सम्बन्ध है मेरा विधेयक बिल्कुल वैसा तो नहीं है। मैं तो सिद्धांत के उन प्रश्नों को उठाना चाहती हूँ जो उस समय के दौरान उठाये गये थे। इन पर चर्चा करने से पहले मैं एक बात और भी कहना चाहूंगी कि श्री देसाई के प्रश्नों का उत्तर देते समय माननीय मन्त्री श्रीमती राम दुलारी सिंहा ने उस दिन यह बताया था कि यदि 200 रुपये की दर से सभी बेरोजगारों को भत्ता दिया जाये तो लगभग 6212 करोड़ रुपये की प्रति वर्ष जरूरत होगी।

महोदय, अब मैं यह बताना चाहूंगी कि मेरे अपने विधेयक के अनुसार कितने रुपये की आवश्यकता होगी। सबसे पहले मैंने 200 रुपये के बजाय कम राशि की मांग की है और दूसरे मैंने इसे हर एक के लिए मांगा भी नहीं है। मैंने तो केवल उन्हीं लोगों के लिए यह प्रस्ताव किया है जिनके परिवार की वार्षिक आय 5 हजार रुपए अथवा उससे कम है। लेकिन मेरे विधेयक के अनुसार बेरोजगारी भत्ते के लिए जितना धन आवश्यक है, वह सालाना 200 से 300 करोड़ रुपए के बीच होगा। मैं यह अनुमान अपने आंकड़ों के आधार पर लगाकर बता

रही हूं । परन्तु महोदय, प्रश्न यह है कि उस दिन उत्तर देते हुए श्रीमती रामदुलारी सिन्हा ने कहा था कि हमारे देश में बेरोजगार सहायता न तो वांछनीय है और न आवश्यक है । महोदय, मैं यह बताना चाहूंगी कि 8 राज्यों में किसी एक रूप में अथवा दूसरे रूप में इस प्रश्न को उठाया गया है और कुछ न कुछ लाभ भी दिये जा रहे हैं । इसलिए इनकी वांछनीयता राज्य सरकारों द्वारा पहले ही मानी जा रही है । उनमें कुछ राज्य सरकारें तो वर्तमान सत्ताधारी दल द्वारा ही चलाई जा रही हैं, लेकिन इतना अन्तर अवश्य है कि अधिकांशतः इन अन्य राज्यों में कुछ शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति ही बेरोजगारी-सहायता की परिधि में लाये जा रहे हैं । उदाहरण के लिए, मुझे मालूम है कि हरियाणा में शिक्षित बेरोजगार 75 रुपये पाते हैं, पांडीचेरी में स्नातक को 100 रुपये मिलते हैं, मध्य प्रदेश में मैट्रिक पास बेरोजगारों को 30 रुपये और स्नातकों को 50 रुपये मिलते हैं .

प्रो० एन. जी. रंगा (गुंटूर) : अशिक्षित लोगों और कम रोजगार पाने वाले लोगों के बारे में क्या विचार है ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : बिल्कुल ठीक । जहां तक बेरोजगारी भत्ता देने का सम्बन्ध है केरल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में शिक्षितों और अशिक्षितों में कोई भेदभाव नहीं बरता गया है । केरल और पश्चिम बंगाल प्रत्येक पंजीकृत बेरोजगार व्यक्ति को 3 साल तक रुपये की दर से दे रहे हैं । मैंने सभी लोगों के लिए सहायता का प्रस्ताव नहीं किया है । यदि सभी को दी जा सकती है, तो इससे बढ़कर और कोई बात नहीं है ।

परन्तु मेरा प्रस्ताव तो यह है कि सहायता कम से कम उन लोगों को दी ही जाये जिनके परिवारों की वार्षिक आय 5 हजार रुपये तक है । इसलिए इसकी वांछनीयता किसी के द्वारा भी अस्वीकार नहीं की जा सकती । परन्तु चूंकि अशिक्षित और शिक्षित बेरोजगारों के बीच भेदभाव का सामान्य सिद्धांत स्वीकार्य नहीं है इसलिए अशिक्षित लोगों के साथ भेदभाव बरता जा रहा है । इसलिए मैंने इस तथ्य को पहचाना है कि ऐसा भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिये ।

जहां तक इसकी सामान्य वांछनीयता का सम्बन्ध है मैं यह कहना चहती हूं कि यह वांछनीयता कसौटी का निर्णय करने के दृष्टिकोण पर निर्भर करती है । मैं इसे इसलिए वांछनीय समझती हूं कि बेरोजगार युवा वर्ग महसूस करे कि हमारा समाज वास्तव में उनके लिए चिन्तित है । मेरी राय में, वांछनीयता इसी दृष्टि से है कि यह सारे देश के भविष्य के लिए निवेश करना है । इसीलिये मैं समझती हूं कि वही वांछनीयता की प्रथम कसौटी है ।

मैंने कहा कि यह भविष्य के लिए निवेश करना है । पहले मैंने यह बात लाक्षणिक ढंग से कही थी । लेकिन वास्तव में यह सही है । उदाहरणार्थ यदि 100 रुपये की दर से बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, तो यह निश्चित है कि सरकार द्वारा नियत किसी समय के लिए किये गए किसी काम के बदले ही दिया जाएगा । यदि हम इन सभी लोगों को बेरोजगारी भत्ता देते हैं तो और फिर उनका समय सामाजिक धन अर्जन करने में लगता है तो इसमें बहुत सामाजिक धन सर्जित किया जा सकता है ।

मैंने पेड़ लगाने के बारे में बहुत कुछ सुना है । पता नहीं इस संबंध में हो क्या रहा है, लेकिन बेरोजगार कार्यालयों में जून 1981 तक 1,63,54,000 बेरोजगारों के नाम दर्ज हैं । यह

संख्या बढ़ेगी। इनमें से कम से कम एक करोड़ लोगों को यह लाभ मिल सकता है और इन्हें इस काम पर लगाया जा सकता है। यदि एक करोड़ लड़के-लड़कियों को सामाजिक-वनविद्या के क्षेत्र में पेड़ लगाने के काम पर लगाया जाए तो कल्पना कीजिए कितने करोड़ पेड़ लग जाएंगे और उनसे कितनी आय होगी। यह तो केवल एक उदाहरण है। मेरे विचार से हम और कई प्रकार की योजनाएं बना सकते हैं। यदि एक करोड़ लड़के-लड़कियां इस प्रकार काम पर लगा दिये जाएं तो यह बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए उचित कदम होगा। सैकड़ों किलोमीटर लम्बी सड़कें बनाई जा सकती है, सैकड़ों स्कूल-भवन बनाये जा सकते हैं, ये सभी काम हो सकते हैं। बशर्ते कि बेरोजगार युवकों को यह आभास कराया जाए कि समाज को उनकी चिन्ता है और समाज को उनसे कुछ आशा है। यदि आप कहते हैं कि यह वांछनीय नहीं है तो आप उन्हें नौकरी दीजिए। मैं इस विषय में नहीं जाना चाहती कि वे किस प्रकार अपराधी बने। आदि-आदि क्योंकि इन सब बातों पर पहले ही चर्चा हो चुकी है। हमारे समाज को इस युवा-शक्ति को संगठित करना चाहिए। यदि आप उन्हें रोजगार नहीं दे सकते तो कम से कम उन्हें यह तो महसूस करा सकते हैं कि आप उनका ध्यान न केवल ऊपरी मन से, न केवल वोट लेने के समय करते हैं बल्कि उस समय भी करते हैं जब समाज उनके कार्यों को संगठित करना चाहता है। मेरे विचार से यह वांछनीय है।

अब व्यवहार्यता की बात लीजिए। हमारे समाज में, हमारे देश में व्यवहार्यता की कसौटी भी अलग-अलग हैं। यह ही व्यवहार्य है कि टाटा और बिरला करोड़ों रुपये का लाभ कमाएं; यह भी व्यवहार्य है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां लाभ कमा कर ले जाएं। यह भी व्यवहार्य है कि सरकारी क्षेत्र के अधिकारियों को उच्च वेतन तथा अन्य लाभ दिए जाएं; यह भी व्यवहार्य है कि अंतुले की ट्रस्ट जैसी ट्रस्टों जिनके पास करोड़ों रुपया हो। मंत्रियों तथा चुने हुए प्रतिनिधियों अर्थात संसद सदस्यों और विधायकों के वेतन तथा भत्तों पर करोड़ों रुपये खर्च होते हैं। काले धन के रूप में भी करोड़ों रुपये बना लेना व्यवहार्य है। मेरे कहने का तात्पर्य यह कि व्यवहार्यता का मानदण्ड अपनी-अपनी समझ के अनुसार अलग-अलग है। मैं समझती हूं कि सामाजिक दृष्टि से यह पूर्णतः व्यवहार्य है कि इस राशि को बेरोजगारी भत्ता देने पर खर्च किया जाय। यदि आवश्यक हो, तो आप उन बहुराष्ट्रियों पर कर लगायें; एकाधिकारी घरानों पर कर लगायें; अत्यधिक लाभ कमाने वाले व्यापारियों पर कर लगाइये और ऊंचा वेतन पाने वाले अधिकारियों पर कर लगाइये।

आप उन्हें अपने लाभों या सांसदों या विधायकों को प्राप्त लाभों में से कुछ सहायता दें सकते हैं। यदि आप सहमत हों तो मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं। अतः व्यवहार्यता का प्रश्न है—पता नहीं आप महसूस करते हैं या नहीं कि यह काम किया जाना है। मेरी राय में यह वांछनीय और व्यवहार्य है; और यदि आप ऐसा नहीं करते तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी।

मैं विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करती हूं और मुझे विश्वास है कि सभी सदस्य, चाहे वे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के, सामाजिक न्याय के तर्क से सहमत होंगे। मुझे यह भी विश्वास है कि यह बात सभी के दिलों में रहेगी। मुझे आशा है कि यह सभा इस विधेयक को पारित करने के लिए सहमत होगी।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पर दिसम्बर, 1981 तक राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाये।"

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : यह उपयुक्त अवसर है और देश में ऐसे विधान की आवश्यकता है, विशेषकर ऐसे उपबंधों की जो इस विधेयक में दिये गए हैं। वर्तमान विधेयक के अनुसार किसी युवक को रोजगार देने के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने रोजगार के लिए नियत वर्तमान आयु सीमा पार कर ली है उन्हें नौकरी योग्य बनाने के लिए एक प्रावधान होना चाहिए क्योंकि इस विधेयक में आयु सीमा का प्रावधान नहीं है। इसका अर्थ है कि 50 वर्ष की आयु में भी कोई व्यक्ति रोजगार के लिये पात्र हो सकता है। मेरे विचार में विधेयक प्रस्तुतकर्ता का अभिप्राय यह नहीं था। फिर भी आयु सीमा पर कुछ न कुछ तो प्रतिबन्ध होना ही चाहिए। आप सोचते होंगे कि इस समय सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष है। यह 55 वर्ष भी हो सकती है। मैं नहीं समझ पाता कि किसी व्यक्ति को 55 या 58 वर्ष की आयु के बाद कोई नौकरी मिल सकती है। आप सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार का सर्वेक्षण करके इसके बारे में निर्णय करें। मेरा ख्याल है कि इस विधेयक में कहीं न कहीं कोई खामी है और इसे दूर करना ही पड़ेगा।

एक और सुझाव जो श्रीमती गीता मुखर्जी ने दिया है वह यह है कि कोई आवेदन शुल्क नहीं होना चाहिए। परन्तु इसके साथ मेरा यह भी सुझाव है कि कोई परीक्षा शुल्क भी नहीं होना चाहिए। देश के युवक और उम्मीदवार अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं और बेरोजगार व्यक्ति परीक्षा शुल्क नहीं अदा कर सकता। इसलिए उन्हें परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट देनी चाहिए। यह भी व्यवस्था की जानी चाहिये कि उम्मीदवारों पर किया जाने वाला सारा खर्च जब वे नौकरी में आ जायें तो उनके वेतन से काटा जाना चाहिए। इसलिए विधेयक में यह भी व्यवस्था की जानी चाहिए कि न केवल आवेदन शुल्क में ही, बल्कि परीक्षा शुल्क में भी छूट दी जानी चाहिए तथा उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क देने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।

दूसरे एक और संशोधन भी है, जो बहुत आवश्यक है। आमतौर पर जो उम्मीदवार प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं उस समय वे अपनी आयु-सीमा में होते हैं लेकिन क्योंकि परीक्षा का परिणाम बहुत बिलम्ब से निकलता है और कभी-कभी तो इसमें महीनों क्या बरसों लग जाते हैं। परिणाम आने तक अनेक उम्मीदवार आयु-सीमा लांघ जाते हैं और उनके लिए बहुत कठिनाई हो जाती है। इसलिए मंत्रालय में कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम खास अवधि के भीतर ही घोषित कर दिये जायें अथवा यदि कोई उम्मीदवार आयु-सीमा लांघ जाये तो उसे इस सुविधा का लाभ मिलना चाहिए अथवा कोई ऐसा उपबन्ध किया जाना चाहिए कि यदि कोई आयु-सीमा लांघ भी जाये तो भी उसे परीक्षा के लिए छूट दी जानी चाहिए।

सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर रोजगार कार्यालय उपलब्ध कराये जाने चाहिए परन्तु उनमें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि रोजगार कार्यालय केवल जिला मुख्यालय में न होकर तहसीलों

में मुख्यालयों अथवा ब्लाक या अन्य स्थलों पर भी होने चाहिए। कुछ अन्य ऐसे अधिकारियों की भी व्यवस्था होनी चाहिए जिन्हें बेरोजगार लोगों को पंजीकृत करने का अधिकार हो। इस समय खंड विकास अधिकारी या अन्य अधिकारी व्यक्तियों से सम्पर्क करने के लिए जिला स्तर पर नहीं पहुँचते। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि इस विधेयक में एक ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि किसी बेरोजगार व्यक्ति को जब तक कि उसे रोजगार नहीं मिल जाता रोजगार कार्यालय द्वारा उसकी उम्मीदारी कायम रखी जाये। यदि वह सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के पास पंजीकृत हो तो उसे इस अधिनियम के उपबन्धों का लाभ भी मिलना चाहिए। इसलिए यह आवश्यक है कि एक ऐसी व्यवस्था की जाये ताकि गांव के लोग अथवा कस्बों के लोग इस सुविधा का फायदा उठा सकें।

एक अन्य सुझाव जो इस विधेयक के प्रस्ताव द्वारा दिया गया है वह यह है कि रोजगार कार्यालय में पंजीकृत उन सभी व्यक्तियों को कम से कम 100 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि "100 रुपये प्रति माह से कम नहीं।" यह खामी है। निस्सन्देह यह 100 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। परन्तु यह उससे अधिक भी नहीं होना चाहिए जो कुछ वर्गों के अनुसार निर्धारित की गई अधिकतम क्षमता है। इसलिए विभिन्न लोगों के लिए अलग-अलग श्रेणी होनी चाहिए। ताकि उससे आप यह न कह सकें कि किसी खास व्यक्ति को 100 रुपये प्रति माह मिलना चाहिए। इसमें स्नातकोत्तर, एम. बी. बी. एस. डिग्री वाले डाक्टर और अन्य योग्यता प्राप्त व्यक्ति भी हो सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि बेरोजगारी भत्ता देने के लिए कुछ वर्ग बनाये जाने चाहिए।

इस विधेयक में यह प्रस्ताव है कि बेरोजगारी भत्ता पाने वाले की पारिवारिक आय 5 हजार रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी। आपको उस सामान्य मजदूरी का भी ख्याल रखना पड़ेगा जो इस देश का व्यक्ति कमाता है। और वह मजदूरी बेरोजगारी भत्ते की अदायगी का मानदण्ड होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि 5 हजार रुपये बहुत अधिक हैं। यह 3 हजार रुपये प्रति वर्ष होनी चाहिए। अन्यथा यदि यह 5 हजार रुपये होती है तो बहुत से व्यक्ति इस लाभ से वंचित रह जायेंगे। इस समय देश में मजदूरी का सामान्य स्तर बहुत ही कम है और इसलिए आपको यह व्यवस्था करनी होगी कि बेरोजगारी भत्ता पाने वाले व्यक्ति की पारिवारिक आय 3 हजार रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें।

इसमें एक यह भी व्यवस्था है कि जब उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए अथवा प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने के लिए जिला रोजगार कार्यालय अथवा जिला मुख्यालय में आता है तो उसे ठहरने आदि की सुविधा भी दी जानी चाहिए। आपने इसका उल्लेख नहीं किया है कि किस प्रकार की सुविधा उसे मिलनी चाहिए। क्या उसे केवल खाने पीने की सुविधा अथवा ठहरने की सुविधा मिलनी चाहिए और अथवा उसे भोजन आदि की भी सुविधा दी जानी चाहिए। यदि आपका आशय यह है कि उसे केवल ठहरने की सुविधा मिलनी चाहिए तो यह बिल्कुल ठीक है लेकिन यदि आपका आशय यह है कि उसे भोजन आदि भी दिया जाना चाहिए तो मेरा ख्याल है कि शायद ही सरकार इसे पूरा कर सके।

इन सुझावों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ और मुझे आशा है कि जो सुझाव मैंने दिये हैं उनके बारे में इस विधेयक के प्रस्ताव को अवश्य सोचेंगे।

*श्री मतिलाल हसदा (झाड़ग्राम) : उपाध्यक्ष महोदय, इस देश की बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिये श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा प्रस्तावित विधेयक का मैं खुले दिल से समर्थन करता हूं। महोदय, आज हमारे देश की बेरोजगारी की समस्या ने बहुत भीषण रूप धारण कर लिया है। भारत सरकार इस समस्या से निपटने के लिए सही आर्थिक और वित्तीय सुझाव अपनाने में असफल रही है और इसके परिणामस्वरूप हम देखते हैं कि अनकों पंचवर्षीय योजनाओं के बावजूद हमारे देश में बेरोजगारों की संख्या घटने के बजाय हर पंचवर्षीय योजना के आखिर में बढ़ती ही रही है। मैं इस सदन को इस विषय पर कुछ आँकड़े देना चाहूंगा।

योजना के अन्त में	बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या
प्रथम पंचवर्षीय योजना	53 लाख
द्वितीय पंचवर्षीय योजना	71 लाख
तृतीय पंचवर्षीय योजना	96 लाख
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना	1 करोड़ 71 लाख
पंचम पंचवर्षीय योजना	2 करोड़ 21 लाख

छठी पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करते समय सरकार ने यह अनुमान लगाया था कि इस दिशा में प्रति वर्ष लगभग 50 लाख व्यक्ति बेरोजगारों की श्रेणी में आते रहेंगे। सांख्यिकीय सूचनाओं के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि इस समय इस देश में लगभग 2 करोड़ 50 लाख व्यक्ति बेरोजगार हैं।

इतने सारे लोग हर वर्ष बेरोजगार क्यों हो जाते हैं ? हम इस समस्या का हल क्यों नहीं कर पा रहे हैं ? इसके अनेकों कारण हैं और जो भी थोड़ा बहुत समय मुझे मिला है मैं इन तमाम सांख्यिकीय ब्यौरों का हवाला इसमें नहीं दे पाऊंगा, परन्तु यह बहुत साफ है कि धनवान व्यापारी हमेशा अपनी दृष्टि लाभ पर ही गड़ाते हैं और वे मानव कठिनाइयों का अथवा उनकी तकलीफों का कोई ख्याल नहीं करते। और यह स्वाभाविक ही है कि अपने अत्यधिक लाभ कमाने के उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वे श्रमिकों के बजाये मशीनों का खूब इस्तेमाल करते हैं इतना ही नहीं वे उत्पादक और व्यापारी अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने पक्ष में बाजार का भी नियन्त्रण कर लेते हैं। इस बात का प्रमाण भगवती समिति की रिपोर्ट में भी है। एक प्रमुख अर्थशास्त्री ने कहा है कि "हमारे देश में बचत और कराधान की दो अलग-अलग सत्तायें काम कर रही हैं।" हम बेरोजगारी की समस्या को तब तक नहीं सुलझा पायेंगे जब तक कि हम अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को लोगों की अच्छाईयों के लिए नहीं इस्तेमाल करते। परन्तु दुर्भाग्यवश हम सिर्फ अपने देश के कुछ थोड़े से धनवान व्यक्तियों के हितों के लिए अपनी नीति बना रहे हैं। निस्सन्देह सत्ता पक्ष में भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो उन व्यक्तियों से अपनी सहानुभूति रखते हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं, परन्तु मेरा ऐसा अनुमान है कि या तो वे सहानुभूति के मगरमच्छी आँसू बहाते हैं अथवा वे बिना जाने बूझे उन नीतियों का समर्थन करते

*बंगला में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

हैं जो धनवान व्यक्तियों के हितों को प्रोत्साहन देने के लिए बनायी जाती हैं। कुछ भी हो, मेरी यह दृढ़ राय है कि यदि हम इस समस्या को सुलझाने के लिए वास्तविक रूप से इच्छुक हैं तो कुछ हाथों में इस समय इकटठी हुई सम्पत्ति को खत्म करना होगा और उस सामाजिक सम्पत्ति को सभी में वितरित करना होगा। इस दिशा में पहला कदम हमारे देश में भूमि सुधार के रूप में लागू होना चाहिए।

एक सम्पूर्ण भूमि सुधार कानून से न केवल भूमिहीनों को अधिक जमीन मिलेगी बल्कि इससे उत्पादन में भी वृद्धि होगी और साथ ही साथ इससे लोगों की क्रय शक्ति में भी बढ़ोत्तरी होगी।

इससे ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। और बेरोजगारी की समस्या को व्यापक पैमाने पर हल करने में भी मदद मिलेगी।

परन्तु, दुर्भाग्यवश, मुझे विश्वास है कि सरकार सही दिशा में यह सही कदम नहीं उठायेगी। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजीपतियों तथा जमीदारों पर ही निर्भर रहेंगी। अतः मेरा अनुरोध है कि एक केन्द्रीय निधि स्थापित की जानी चाहिए जिसमें राज्य सरकारें, केन्द्र सरकार, राष्ट्रीयकृत बैंक, सरकारी उपक्रम इत्यादि नियमित रुप से अपना-अपना अंशदान जानकारियां इस निधि से बेरोजगारों को रोजगार देने में सहायता मिलेगी। इसके साथ-साथ सरकार को बेरोजगारों को नौकरियाँ देने का सामाजिक दायित्व अपने ऊपर लेना होगा। भारतीय संविधान में संशोधन करके "काम के अधिकार" को मौलिक अधिकार बनाया जाना चाहिए।

हमारे देश के बेरोजगार लोगों को विभिन्न श्रेणियों में बाँटा जा सकता है। कुछ व्यक्ति साल भर बेरोजगार रहते हैं, कुछ छः महीने कुछ ऐसे भी हैं जो सदैव ही आंशिक रुप से बेरोजगार रहते हैं। इन बेरोजगार व्यक्तियों को आगे दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है। शिक्षित बेरोजगार और अशिक्षित बेरोजगार। परन्तु और विस्तार में जाने की बजाय यह नितांत आवश्यक है कि जब तक हम इस समस्या का समाधान कर सकें, तब तक बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना सरकार का सामाजिक दायित्व है। यदि लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, तो इसमें उन लोगों का कोई दोष नहीं है।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व, पश्चिमी बंगाल और केरल सरकारों की सराहना करुंगा कि उन्होंने अपने-अपने राज्यों की बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए अपने समिति साधनों द्वारा अच्छाकार्य किया है। ये दोनों राज्य बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी मात्रा दे रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि अन्य राज्य सरकारों को भी इस समबन्ध में पश्चिमी बंगाल और केरल भी सरकारों का अनुकरण करना चाहिये। मैं आशा करूंगा कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को पर्याप्त धन-राशि देगी ताकि देश भर में सभी योजनायें लागू की जा सकें।

मैं एक बार फिर श्रीमती मुखर्जी द्वारा पेश किये गये विधेयक का पूरा-पूरा समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्रीमती विद्या चेन्नुपति (विजयवाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध

करने के लिए खड़ी हुई हूँ। विरोध इस लिए कर रही हूं कि समाज में ऐसे बहुत व्यक्ति हैं जो कमाना नहीं चाहते हैं तो अनएम्प्लाएड बन जाते हैं हमारे देश में बहुत ज्यादा भूमि है, यदि वे चाहे तो इस भूमि पर एग्रीकल्चर का काम कर सकते हैं, इसके अलावा अन्य बहुत से काम हैं जिनको कर सकते हैं मैं सबसे पहले यह जानना चाहती हूं कि अनएम्प्लाएड कौन है ? पढ़े-लिखे लोग भी अनएम्प्लाएड हैं, पढ़ने लिखने के बाद वे क्या करते हैं ? इन लोगों को हम व्हाइट-कालर्ड यूथ कहते हैं जो पढ़ने-लिखने के बाद काम नहीं करना चाहते, ऐसे लोगों को अनएम्प्लाएड रिलीफ देने से क्या लाभ होगा ? यदि हम इस तरह से रिलीफ देकर अनएम्प्लाएड बनाये रखेंगे तो इससे समाज को भी नुकसान है और देश को भी नुकसान है।

जहां तक अनएम्प्लाएड के रजिस्ट्रेशन का सम्बन्ध है मेरे आन्ध्र प्रदेश में तीन साल में एक बार रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। यहाँ इस तरह की सुविधा दी जानी चाहिये कि जिसके रजिस्ट्रेशन को तीन साल हो जाय, वह 15 पैसे का एक पोस्ट कार्ड लिख कर एम्प्लायमेंट एक्सचेंज को भेज दें और उसके आधार पर उस रजिस्ट्रेशन का रिनुअल हो जाय। अगर हम इन लोगों को पैसा देना चाहेंगे तो हमें सोचना चाहिए क्या हमारा समाज इकानामिकली इतना मजबूत है कि हम इन सब को पैसा दे सकें। यह सम्भव नहीं है। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं—हमें उनसे काम करवाना चाहिए। यह काम आप भी दे सकते हैं और दूसरे लोग भी दे सकते हैं। मैंने यू० एस० ए० और दूसरी कन्ट्रीज में पढ़ा है कि लोगों को पीस-वर्क मिलता है। जैसे कोई इण्डस्ट्री है वह अपने यहाँ 1 घन्टे, 2 घन्टे या 3 घन्टे के लिए काम दे सकती है और उसके हिसाब से उनको पैसा दिया जाता है। इसी तरह की व्यवस्था हम अपने यहां भी कर सकते हैं, इसमें ज्यादा लोगों को काम मिलेगा तथा जो जितना काम कर सकता है उसके हिसाब से उसको पैसा मिलेगा।

इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है—सरकार की बहुत सी स्कीमें हैं, जैसे फैमिली प्लानिंग की स्कीम है, हमारे जो अनएम्प्लाएड यूथ हैं उनको इस काम पर लगाया जा सकता है। उनको कुछ पैसा देकर हम अपने फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। वह आपरेशन के कैसेज लाये, उसके लिए उनको पैसा दिया जाय, इससे हमारा फैमिली प्लानिंग काम बहुत तेजीसे आगे बढ़ सकता है।

यदि हम अपने रूरल डवेलपमेन्ट के प्रोग्राम को देखें तो ह हम देखते हैं कि आज कल जो पढ़-लिख कर बाहर आता है वह खेतों पर काम करना नहीं चाहता बाप खेती में काम करता है, लेकिन बेटा अऊर बी० ए० पास हो गया है तो वह बाप के साथ खेती में काम नहीं करता। इस तरह की भावनाओं को बदलने के लिए डिगनिटी आफ लेबर की भावना को इन्ट्रोड्यूज करना चाहिये। ऐसे लोगों को अनएम्प्लायमेन्ट रिलीफ देना ठीक नहीं होगा। हम उनको अपने रूरल डवेलपमेन्ट के प्रोग्राम में लगायें। इस सम्बन्ध में हमारे राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार की अनेक स्कीमें चल रही हैं, इसमें काम करने से उनको कुछ पैसा मिलेगा तथा हमारी स्कीमों का इम्प्लीमेंन्टेशन भी होगा। बहुत से लोग सोशलाजी पढ़ते हैं, लेकिन काम करके उसका लाभ नहीं उठाना चाहते। ऐसे लोग वालंट्री आर्गनिजेशन्ज में काम कर सकते हैं, उनको कुछ पैसा देकर काम कराया जाय, इससे उनको काम मिलेगा साथ ही अनएम्प्लायमेन्ट समाप्त होगी।

गीता मुखर्जी जी ने कहा है कि उनको 100 रुपया महीना दिया जाए, आज कल 100 रुपये से क्या होता है ।

कुछ न कुछ काम करने के लिए एन्केज करना चाहिए इम्पलायमेंट रिलीफ के लिए इन-क्रज नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं ऐसा समझती हूं कि अनएम्पलायमेंट रिलीफ देने से समाज पर बोझ पड़ जाएगा और इसका नतीजा ठीक नहीं होगा । यह आप के लिए एक प्राब्लम बन जाएगा, सारी पालीटीकल पार्टीज के लिए एक प्राब्लम बन जाएगा । इसलिए जो व्हाइट-कालर लोग होते हैं, उनको इसके लिए इन्केज नहीं करना चाहिए बल्कि डिस्केज करना चाहिए । उनको तो काम करने के लिए इन्केज करना चाहिए ।

मैं यह भी कहना चाहती हूं एक तरफ तो पढ़े-लिखे लोगों को अनएम्पालायमेंट रिलीफ देना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो अनपढ़ है, उनको पढ़ने के लिए अवकाश नहीं मिलता है । उनके बारे में आपने क्या सोचा है । आप यह कह देंगे कि उनको भी यह दे दीजिए लेकिन पढ़े-लिखे जो लोग है, उनको समाज में सेवा करने के लिए इन्केज करना चाहिए ।

मैं एक सुझाव मिनिस्टर साहब को यह देना चाहती हूं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कि रजिस्ट्रेशन की कुछ सुविधाएं दी जाएं । हमारे यहां आंध्र प्रदेश में एक बार रजिस्टर करते हैं और तीन साल तक वह वेलिड रहता है । 3 साल के बाद फिर रजिस्ट्रेशन करने के लिए वहां जाना पड़ता है । जब उनको एम्पलायमेंट मिल जाता है, तो उनका नाम निकाल दिया जाता है जिनको एम्पलायमेंट नहीं मिलता है, उनको एक कार्ड से अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू करने की सुविधा आप दे सकते हैं ।

एक सुझाव मैं अपनी महिला-बहनों के बारे में देना चाहती हूं । वे 20 साल की उम्र में शादी करती हैं, तो इससे कुछ लोगों को काम करने की आवश्यकता पड़ती है । इसलिए मेरा सुझाव यह है कि महिलाओं के लिए सर्विस करने की उम्र 35 साल तक बढ़ा देनी चाहिए । जब महिलाओं पर बर्डन बढ़ जाता है, तो उस समय वे काम कर सकती हैं । इसलिए मैं ऐसा समझती हूं कि महिलाओं को एम्पलायमेंट देने की उम्र 35 वर्ष तक कर देनी चाहिए । इससे उनकी स्थिति ठीक हो सकती है । मैं अपने भाईयों से यह कहना चाहती हूं कि अगर वे काम करती हैं तो इसमें उनकी मदद भी होती है । मर्दों को इतने साल काम का एगम्पशन देने की जरूरत नहीं है और जहां तक मुझे याद पड़ता है, उनकी उम्र नौकरी के लिए 25 साल है और शेड्यूल्ड कास्टस और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए वह 30 या 35 साल तक है । मेरा यह सुझाव है कि सब मर्दों के लिए सर्विस की उम्र 30 साल तक कर सकते हैं और महिलाओं के लिए 35 साल होनी चाहिए । कुछ लोगों को पढ़ने में कुछ ज्यादा समय लगता है, इसलिए मर्दों के लिए सर्विस करने की उम्र 30 साल होनी चाहिए ।

एक बात और कहना चाहतीं हूं कि जहां तक रजिस्ट्रेशन का सवाल है, एम्पलामेंट एक्स-चेन्जेज में बहुत से लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते है । स्वीपर्स भी रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं । आप जो कहते हैं कि एम्पलामेंट एक्सचेन्जेज में जब रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसके दो साल बाद एम्पलामेंट रिलीफ देना चाहिए, मैं समझती हूं कि यह बात ठीक नहीं है । हम यह देखते हैं कि जो लोग प्राइवेट काम करते हैं, वे भी एम्पलामेंट एक्सचेन्जेज में अपना नाम लिखा

लेते हैं। स्वीपर्स भी जो प्राइवेटली काम करते रहते हैं, वे भी गवर्नमेंट जोब पाने के लिए एम्पलायमेंट एक्सचेन्जेज में नाम रजिस्टर करा लेते हैं। आज हमारे समाज में एक ऐसी आदत बन गई है कि हर आदमी यह सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए। इसलिए हर एक आदमी जो एम्पलायमेंट एक्सचेन्जेज में नाम रजिस्टर, कराता है, हालांकि काम प्राइवेटली करता रहता है, उसको एम्पलायमेंट नहीं मिला है, उसके पास काम नहीं है, वह ठीक बात नहीं है और अनएम्पलायमेंट रिलीफ देने के बारे में आपको इन बातों के बारे में सोचना पड़ेगा। जो एजूकेटेड हैं, जो समाज में काम नहीं करना चाहते, उनको पैसा देकर काम न करने की आदत बढ़ाना ठीक नहीं है। उनमें तो काम करने की आदत डालनी चाहिए।

अपने भाइयों से भी मेरी यह प्रार्थना है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन दोनों महिला सदस्यों को एक दूसरे का विरोध करने दीजिये। आप क्यों हस्तक्षेप करते हैं ? श्री शास्त्री, आप कृपया हस्तक्षेप न करें। यह श्रीमती गीता मुखर्जी और श्रीमती विद्या के बीच बात है। आप क्यों हस्तक्षेप करते हैं ?

श्रीमती विद्या चेन्नुपति : पहले मेरी बात सुन लीजिए। समाज में हम इसलिए काम करते हैं कि बिना काम किए खाने की आदत न पड़ जाए। हमें काम करके खाने की आदत जारी रखनी है नहीं तो समाज में एक प्राब्लम बन जाएगी। इसलिए मैं आप से कहती हूं कि हमें काम करके खाने की आदत को बढ़ाना चाहिए। इसलिए मैं इस बिल को अपोज करती हूँ।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : मोतरिम डिप्टी स्पीकर साहब, आज हाउस तीन औरतों के दरमियान फंस गया है। एक साहिबा ने इस बिल को पेश किया है, एक साहिबा उसको अपोज कर रही है और एक साहिबा एक जज की हैसियत से बैठी हैं। हालत नाजुक है।

मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे इस मुल्क में जहां पिछले साल गरीबी की रेखा के नीचे 45 परसेंट लोग थे वहां अब वे 56 परसेंट हो गये हैं। हमारी रूलिंग पार्टी के अन्दर आज ऐसे भी मेम्बर है जिनको या तो इस गुरबत का अहसास नहीं है और अगर है तो इसका वे इकरार नहीं करते।

मैं अपनी बहिन से अपील करूंगा, जो यह कह रही थीं कि एम्पलायमेंट मिल सकता है अगर हम कोशिश करें। वे यह इस तरह कह रही थीं कि जैसे कि यहां बेकारी की प्राब्लम नहीं है, या अगर सब कोशिश करें तो सब को मुलाज़मत या एम्पलायमेंट मिल सकती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वे कितने लोगों को एम्प्लाएमेंट दिला सकती हैं सौ को, पांच सौ को या हजार को ? अगर वे यह वायदा करें कि वे उनको एम्प्लाएमेंट दिला सकती हैं तो मैं उनके सामने ऐसे लोग खड़े कर सकता हूं।

डिप्टी स्पीकर साहब बात यह है कि मुल्क में अनएम्प्लाएमेंट बढ़ रहा है। जब से श्री बी० बी० देसाई साहब का बिल आया था तब से यह बात बराबर मैं कह रहा हूँ कि यह आम राय है कि मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है। लेकिन जो बिल हमारे सामने आ रहे हैं, हमें अफसोस है कि उनमें उन्हीं लोगों को जहन में रख कर बात की जा रही है जो शहरों के रहने वाले लोग है, पढ़े लिखे हैं। जो लोग देहातों में रहते हैं, बेरोजगार हैं और पढ़े लिखे नहीं हैं उनको जहन में रखकर कोई प्रोविजन नहीं किया जा रहा है।

जब श्री बी० वी० देसाई साहब के बिल पर बहस हो रही थी तो उस रोज भी मैंने जिक्र किया था कि एम्प्लाएमेंट एक्सचेंज में रिजर्वेशन करने कौन लोग जाते हैं। वही लोग जाते है जो कि पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे लोगों में भी, मैंने देखा है और महसूस किया है, वही लोग एम्प्लाएमेंट एक्सचेंजों की मारफत मुलाजमत पा सकते हैं जिनके अन्दर खर्चा करने की ताकत है। जिन लोगों के अन्दर खर्चा करने की ताकत नहीं है उनको मुलाजमत आठ-आठ दस- दस साल तक नहीं मिल पाती है। खर्चा करने के बाद (व्यवधान), जैसा कि आपने कहा कि रिश्वत देकर के मुलाजमत न होने के बावजूद उन्हें नौकरी मिल जाती हैं। इसलिए हमें इस पूरी फिजा को ठीक करना होगा।

हमें एम्प्लाएमेंट एक्सचेंजों के बजाय ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि जैसे कि गाँव के अन्दर पटवारी होता है, वह देहात के अन्दर रहता है, उसके पास ऐसा रजिस्टर होना चाहिए जिसमें कि गांव के अन्दर जो बेरोजगार लोग हैं, पढ़े लिखे भी नहीं हैं, वे लोग जानते भी नहीं हैं कि कहां जा करके रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, न उनको यह मालूम होता है कि कैसे और कहाँ जा करके मुलाजमत मिल सकती है, उनको कोई गाइडेंस भी नहीं मिलती है, ऐसे लोग उस रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करा सकें। अगर पटवारी के जरिए से गाँवों के अन्दर लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा तो आपको सही-सही मालूम होगा कि मुल्क के अन्दर इतने लोग अनएम्प्लाएड हैं और फिर सही मायनों में हम उनके लिए कुछ इन्तजाम कर सकेंगे, मदद कर सकेंगे। जो लोग जानते नहीं कि कैसे नौकरी मिल सकती है, सही मायनों में अपनी मदद करने में मजबूर हैं, उनको असल में नौकरी देने का सवाल बहुत अहम है। जनता, लोक दल के समय में फूड फार वर्क प्रोग्राम चलाया गया था। जिसमें कि एक बेरोजगार को देहात में हफ्ते में कम से कम 25 घंटे काम मिल जाता था। अगर आप इस प्रोग्राम को जारी रखते तो आज भी देहात में उन्हें काम मिल जाता।

100 रु० पर काम करने वाले आपको मिल जायेंगे और आपका डेवलपमेंट वर्क प्रोग्राम भी चलता रहेगा।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : गेहूँ सरपंच के घर चला जायेगा।

श्री रशीद मसूद : हमने तो नहीं जाने दिया। वह भी आपकी मेहरबानी है।

अब तो सरपंच भी उन्हीं गरीबों में से है। अब तो गेहूं बड़े-बड़े लोगों के घर जा रहा है। गेहूं आप खरीदना नहीं चाहते, क्योंकि आप खास लोगों को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं। किसानों को मार रहे हैं। 130 रु० पर गेहूं देने के लिए और बाहर से 196.40 पैसे क्विंटल पर गेहूं खरीद रहे हैं। असल में आपकी विल नहीं है। अगर आपके अन्दर करने के लिए पुख्ता इरादा हो तो हर चीज के लिए रास्ता निकलेगा। आप कहते हैं कि फीजेबिलिटी नहीं है। 95 करोड़ रु० एक ट्रस्ट के लिए इकट्ठा कर सकते हैं, वह भी एक स्टेट में 10 करोड़ रुपया तो उसका सूद ही आयेगा। हर स्टेट के ट्रस्ट खुलवाये और दीजिये 100 रु० 100 रु० हर बेरोजगार को। लेकिन आप देना नहीं चाहते। आपकी नीयत साफ नहीं है। आप चाहते हैं कि आप कुछ करें भी नहीं और आपकी तारीफ भी की जाय, और हर बात को सपोर्ट किया जाए। मैंने साठे जी के बिल को सपोर्ट किया था, और आज आपकी बात आती है तो इस बिल की मुखालिफत की

की जा रही है। तो मैं इसलिए उनको अपोज कर रहा हूं, बिल को नहीं, कि यह बात बिल्कुल बेबुनियाद की जा रही है। एक आदमी ने 23 साल की उम्र में अपना नाम रजिस्टर कराया और 35 साल की उम्र तक उसको मुलाजमत नहीं मिल रही है तो इसमें उस आदमी की क्या खता है ? उसकी ऐज में ऐग्जेंप्शन मिलना चाहिए क्योंकि सरकार उसको रोजगार देने में नाकामयाब है। अगर रूलिंग पार्टी कोई अच्छा काम करती है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। हमारे यहां दोहरी पौलिसी नहीं है। आपका रेडियो कहता है कि फलां ने यह कहा और मिनिस्टर यहां आकर कह देता है कि हमने नहीं कहा। परसों के बहस के दरमियान जब मैंने कहा कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ आप आइये, जिम्मेदारी के साथ आइये ····· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मसूद आप उनके चक्कर में मत पड़िये। आप अपनी बात मुझे सम्बोन्धित करके कहिए। उस ओर मत देखिए।

श्री रशीद मसूद : मैं कह रहा था कि यह जिम्मेदारी किसकी है ? अगर एक आदमी ने 23 साल के अन्दर रजिस्ट्रेशन करा दिया और उसकी 35 साल तक कोई ऐम्प्लामेंट आह नहीं दे सके तो बजाय इसके कि उसको कोई फायदा पहूँचाते, आपने कह दिया कि तुम्हारी उम्र नौकरी के लिए निकल गई।

यह बात आपने सही कही है कि रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे लिया जाता है। 2, 2 और 3, 3 साल तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है और एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के दफ्तर में से कहीं नाम भेजने के लिए पैसा लिया जाता है। लिहाजा पोजीशम यह है कि इस पर गौर करें और देखें।

दूसरी बात जो बहुत जरूरी है, मैंने पहले कहा कि अगर इण्टरव्यू हो जाये तो जो गरीब लोग हैं वह इण्टरव्यू में नहीं जा पाते। 2, 4 बार जाने पर उनको लगता है कि सलैक्ट तो होना नहीं है, सिफारिश उनके पास होती नहीं है, बगैर रिश्वत दिए काम होगा नहीं, रिश्वत के लिए उनके पास पैसा नहीं होता है, वह सोचते हैं कि जाने का कोई फायदा नहीं है : इसलिए यह जरूरी है कि इस बिल में यह प्रावीजन होना चाहिए कि जो लोग इण्टरव्यू के लिए जायेंगे. उनको टी० ए० दिया जाएगा। सबसे जरूरी यह चीज है। जब उनके पास पैसा ही नहीं है तो वह जायेंगे कैसे ? उनको इण्टरव्यू में जाने के लिए पैसा मिलना चाहिये और इसके लिए टी० ए० दिये जाने का इस बिल में प्रावीजन होना चाहिए।

मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस पर हमदर्दी के साथ गौर करेगी, प्रिंसिपल में इस बात को नहीं माना गया, कहा गया कि यह नामुमकिन है, प्रैक्टिकली इम्पासिबिल है, मैं इस बार उम्मीद करता हूं कि सरकार इस बिल को देखने की कोशिश करेगी, हकायत को हकायत की नजर से देखने और समझने की कोशिश करेगी कि हम किस तरह के गलत हालात में इस समय हैं और हमें क्या करना है ?

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, बहिन गीता जी ने जो बिल इस सदन के समक्ष रखा है, उनके बिल की भावना का मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं, क्योंकि मैं बिल से महसूस करता हूँ कि वास्तव में जो बेरोजगारी की समस्या है, इस पर तवज्जह देने की आज जरूरत है।

जैसा बहिन जी ने कहा है कि जब तक हमारा बुनियादि स्ट्रक्चर है हमारे समाज का, हमारी व्यवस्था का ढांचा है, इस ढाँचे के रहते इस समस्या के निदान की बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन ढांचा बदलना अलग चीज है, उसकी बात करना अलग चीज है।

अगर हम उनकी अपनी ही स्टेट को देखें जहां कई वर्षों से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रह चुकी है, चाहें केरल हो, वेस्ट बंगाल हो, वहां भी बेरोजगारी की समस्या हल नहीं हुई और जो थोड़े बहुत एलाउन्सेज वह देते भी रहे हैं, उसका आधार भी शंका से परे नहीं है। लोगों का विचार है, मैं नहीं जानता, कि वहां जो रजिस्ट्रेशन देते हैं, जो वहां आधार है रजिस्ट्रेशन देने का वह राजनीतिक है।

अपने कैडर को फीड करने के लिए अगर आप कुछ एलाउन्सेज देती हैं बेरोजगार मानकर तो इसको भी कोई नीति नहीं समझा जा सकता। लेकिन इतना मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा मंत्री जी के माध्यम से कि इस समस्या की ओर हमने यदि तत्काल ध्यान न दिया और इसको रोकने की इस समय चेष्टा नहीं की तो यह फिर हाथ से निकल जायेगी। जिस तेजी से मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया है कि 1980 में 80 लाख के करीब इस देश के शिक्षित बेरोजगार थे, मैं समझता हूं कि इस साल डेढ़ साल में वह संख्या घटी नहीं होगी, इसमें इजाफा ही हुआ होगा।

जो शिक्षित बेरोजगार हैं, गांव के लोग हैं जो अपना नाम भी रजिस्ट्रर नहीं करवा सकते हैं, जो शहरों में एम्पलायमेंट एक्सचेंजों में नहीं आ सकते हैं, मैं समझता हूं कि यह संख्या भी बहुत विशाल है। हमारे प्लानिंग कमीशन ने भी इस बात को स्वीकार किया है और कहा कि हम 3, साढ़े 3 करोड़ लोगों को रोजगार देने की कोशिश करेंगे, उनको गरीबी की रेखा से ऊपर लायेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि हर योजना के बाद जब दूसरी बार योजना का मूल्यांकन करते हैं तो हम पाते हैं कि उस योजना में हमने जो वायदे किये हैं, अगली योजना में भी उनको दोहराना पड़ता है और संख्या तो सिर्फ बढ़ाते ही हैं।

प्रापर्ली इस बात पर मानिटरिंग होनी चाहिए कि वास्तव में बेरोजगारों की समस्या को हल करने के लिये हमने जो स्टेप उठाये हैं, जो योजनाएं हम कार्यान्वित करना चाहते हैं, उनको कार्यान्वित कर सके हैं या नहीं।

प्रधान मंत्री जी की कृपा से श्रम मंत्रालय द्वारा यह निश्चय किया गया कि विकलांग वर्ष में विकलांगों को रोजगार दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में एक समन्वय समिति, कोआर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि उनके विभाग और समन्वय समिति के निर्देश के बावजूद अब तक कितने लोगों को रोजगार दिया गया है। यदि और मंत्री भी सदन में होते, तो मैं उनसे भी पूछता कि उनके मंत्रालयों में कितने लोगों का रोजगार दिया गया है। मैं ऐसे उदाहरण जानता हूँ कि मंत्री से लिखवाया कि यह विकलांग है, इसे नौकरी दे दी जाए, लेकिन मंत्रालय के लोग उसे रोजगार देने के लिए तैयार नहीं हैं। मंत्री महोदया स्वयं सोच सकती हैं कि प्रान्तों और जिला मुख्यालयों में उनकी नीतियों का क्या होता है।

इस बिल का स्कोप बहुत लिमिटेड है। माननीय सदस्य ने कुछ ऐसे बिंदुओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहा है, जिसको हम भी महसूस करते हैं। उन्होंने कहा है कि उम्र की

कोई पावन्दी नहीं होनी चाहिए। मैं भी महसूस करता हूं कि गांवों के बच्चे, गरीबों के बच्चे, बहुत देर से स्कूल जाते हैं और बहुत सी दिक्कतों के कारण उनकी प्राइमरी एजूकेशन ठीक से नहीं हो पाती है। अगर उम्र का प्रश्न न रखा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।

बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन आबलिगेटरी होना चाहिए। स्टेट अपनी तरफ से मर्दुम-शुमारी, जन-गणना, करवाए कि कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने बेरोजगार अशिक्षित हैं, और उनके नाम स्वतः रजिस्टर्ड होने चाहिए। एम्पलायमेंट एक्सचेंजों की संख्या इतनी कम है कि वहां जो लोग जाते हैं, उनके नाम भी ठीक तरह से अंकित नहीं हो पाते हैं। दिल्ली के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि यहां की एम्पलायमेंट एक्सचेंज में जाने वाले आधे लोगों के नाम भी रजिस्टर नहीं हो पाते हैं।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : इस तरह जनरल बात कहने से क्या लाभ है ? पार्टिकुलर बात बताइये।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : जो लड़के उत्तर प्रदेश के एजूकेशन बोर्ड से हाई स्कूल या इन्टरमीडिएट की परीक्षा पास करते हैं, उनके सर्टिफिकेट तीन चार साल बाद बन कर आते हैं। जब कोई लड़का एम्पलाइमेंट एक्सचेंज में मार्क्स शीट ले कर पहुंचता है, तो उसे कहा जाता है कि हाई स्कूल या इन्टरमीडिएट का सर्टिफिकेट दिखलाइए। वह लड़का इतनी दूर से यहां आया है कि देश की राजधानी है, शायद कोई नौकरी मिल जाएगी, लेकिन एम्पलायमेंट एक्सचेंज में महज एक टैक्निकेलटी के आधार पर उसका नाम रजिस्टर करने से इन्कार कर दिया जाता है। मैं मंत्री महोदया से अनुरोध करूंगा कि अपने मंत्रालय को निर्देश दें कि मार्क्स शीट के आधार पर, जो कि एक गवर्नमेंट डाकुमेंट है, नाम रजिस्टर कर लिया जाए।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : यह लिख कर भेज दीजिए।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : इसके अतिरिक्त एम्पलायमेंट एक्सचेंजों की संख्या बढ़ानी चाहिए। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उन्हें इन बिन्दुओं पर विचार करना चाहिए।

बहन गीता जी से मैं निवेदन करूंगा कि उनका बिल पूर्ण नहीं है। वह महिला हैं, और महिला का बिल दयालु होता है। लेकिन वह कम्युनिस्ट भी हैं, इसलिए उनके बिल की ज्यादा मंशा प्रापेगेंडा है। उन्होंने अपनी बात कह ली है। अब वह बिल पर जोर न दें और मंत्री महोदया को मौका दें कि उनका मंत्रालय एक काम्प्रिहेंसिव बिल बेरोजगारी की समस्या के निदान के सम्बन्ध में लाए, जिनमें उन बिन्दुओं का भी समावेश किया जाए, जिनकी ओर माननीय सदस्या ने ध्यान आकृष्ट किया है।

माननीय सदस्या की भावना का मैं समर्थन करता हूँ, मगर चुंकि उनका बिल पूर्ण नहीं हैं, इसलिए मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करूंगा कि वह अपने बिल को वापस ले लें।

श्री के० अर्जुनन (धर्मपुरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्रीमती गीता मुखर्जी

द्वारा प्रस्तुत बेरोजगारी सहायता (आयु सीमा से छूट एवं अन्य सुख सुविधायें), विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं इस विधेयक के उद्देश्य का स्वागत करता हूं, क्योंकि यदि हम बेरोजगारी समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो देश में कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो जायेगी। बेरोजगार स्नातक भूखों मर रहे हैं वे गरीबी की रेखा से नीचे की स्थिति में हैं। वे स्वयं को नक्सलवादी कहते हैं और तमिलनाडु में कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा कर रहे हैं। महोदय, तमिलनाडु में ये नक्सलवादी घटनायें हाल ही में शुरू हुई हैं, क्योंकि वहां बेरोजगारी की समस्या बहुत ही विकट है। श्रीमती मुखर्जी ने कहा है कि बेरोजगारी की समस्या केवल केरल, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में ही है।

महोदय, यहां मैं कहना चाहूंगा कि तमिलनाडु के भूतपूर्व मुख्य मंत्री स्वर्गीय श्री सी०एन० अन्नादुरयी ने वर्ष 1967 में एक योजना शुरू की थी। उन्होंने 'सिरानी' नाम से एक स्वयं सेवी दल बनाया था और तमिलनाडु के सभी शिक्षित युवकों को रोजगार के अवसर प्रदान किये थे। अन्नादुरयी के पश्चात डा० करूणानिधि तमिलनाडु के मुख्य मंत्री बने। उन्होंने इस योजना में परिवर्तन किया और इसे युवक सेवा योजना की संज्ञा दी। उन्होंने इस योजना के अन्तर्गत सभी बेरोजगार स्नातकों को नौकरी प्रदान की तथा युवा स्नातकों को काम दिया। परिणामतः तमिलनाडु में शान्ति थी। अब ये सभी योजनायें समाप्त कर दी गयी हैं। हाल ही में हुये विधान सभा चुनावों में, वर्तमान सरकार ने प्रत्येक बेरोजगार स्नातक को 50 रुपये देने का आश्वासन दिया था। परन्तु यह आश्वासन पूरा नहीं किया गया।

महोदय, बेरोजगारी की इस समस्या से तमिलनाडु में कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो गयी है। नक्सलवादी गतिविधियों से बहुत ही गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गयी है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पुलिस और नक्सलवादियों के बीच मुठभेड़ें हुई है और इन मुठभेडों में कई जानें गई। नक्सलवादी कानून का पालन करने वाले नागरिकों को तंग करते हैं। मैं उन्हें तथाकथित नक्सलवादी इसलिये कह रहा हूँ, क्योंकि तमिलनाडु के ये नक्सलवादी नक्सलवादियों के वास्तविक सिद्धांत पर नहीं चल रहे हैं मेरे विचार से, कुछ असामाजिक तत्व इन तथाकथित नक्सलवादियों के साथ मिल जाते हैं और गांवों में अपनी दुश्मनी निकालते हैं तथा कानून का पालन करने वाले नागरिकों को तंग करते हैं। ये तथाकथित नक्सलवादी लोगों की मेहनत की कमायी लूट लेते हैं और डकैती डालते हैं तथा हत्यायें करते हैं। इनकी गतिविधियों से कानून का पालन करने वाले नागरिक कष्ट भोग रहे हैं आपने मेरे निर्वाचन क्षेत्र धर्मपुरी और इससे साथ लगे निर्वाचन क्षेत्र नार्थ आरकट में बार-बार ऐसी घटनायें होने के समाचार सुने होंगे। इसका कारण केवल बेरोजगारी की समस्या ही है। जब तक इस समस्या का सही समाधान नहीं किया जाता, इस देश में शांति स्थापित नहीं हो सकती।

जून 1981 तक रोजगार कार्यालयों में 1.89 करोड़ स्नातकों के नाम दर्ज हैं। ऐसे स्नातकों की संख्या कोई 2 लाख होगी जिन्होंने अपने नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज नहीं कराये हैं। अवर-स्नातकों की संख्या इस संख्या से दुगनी होगी। आयु सीमा 24 वर्ष निश्चित की गई है। कोई भी सरकार स्नातकों को 24 वर्ष की आयु में नौकरी नहीं देने जा रही। इसलिये आयु सीमा बढ़ायी जानी चाहिये।

इस समय यह पद्धति है कि जिस व्यक्ति ने रोजगार कार्यालय में अपना नाम दर्ज करा

रखा है, उसे वर्ष में एक बार अपने पंजीकरण का नवीकरण करना होता है। श्रीमती मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक के अनुसार, वह चाहती है, कि जिस व्यक्ति ने एक बार रोजगार कार्यालय में अपना पंजीकरण करा लिया है उसे दोबारा पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि उसे नौकरी न मिल जाये। प्रार्थी जो पहले ही दुखी है और यह अनावश्यक मार और उसमें धन का दुरुपयोग है।

मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि इंटरव्यू हर किसी प्रार्थी के अनुपस्थित रहने पर उसके पंजीकरण को समाप्त समझा जाना चाहिये, क्योंकि हो सकता है उसे किसी अन्य स्थान पर कोई नौकरी मिल गई हो। परन्तु यदि वह इंटरव्यू पर उपस्थित न हो तो उस पंजीकरण समाप्त समझा जाना चाहिये। मैं एक सुझाव दूंगा कि तकनीकी स्नातकों, विज्ञान स्नातकों और कला स्नातकों का पंजीकरण अलग-अलग किया जाना चाहिये, ताकि उन्हें रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नौकरी मिल सके। केन्द्र सरकार द्वारा देश में प्रौढ़ शिक्षा योजना चलाई जा रही है। परन्तु तमिलनाडु में इस योजना को सही रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। प्रौढ़ शिक्षा योजना में इन कला स्नातकों का उपयोग किया जा सकता है और उन्हें नौकरी दी जा सकती है।

मैं एक और सुझाव दूंगा। सरकार, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के प्रत्येक कर्मचारी से प्रतिवर्ष एक रुपये की छोटी सी राशि एकत्र कर सकती है। यह राशि कुल मिला कर करोड़ों हो जायेगी। इस राशि का उपयोग बेरोजगार स्नातकों के लिये किया जा सकता है। इस राशि का उपयोग इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों के लिए किया जा सकता है।

महोदय, सरकारी उपक्रम एवं गैर सरकारी क्षेत्र के उपक्रम नौकरी की तलाश करने वाले व्यक्तियों को शिक्षु-प्रशिक्षण दे रहे हैं। शिक्षु प्रशिक्षण योजना द्वारा सरकार के धन के सदुपयोग हो रहा हैं। परन्तु वे ऐसे व्यक्तियों को नौकरी प्रदान कर रहे हैं जिनकी इन लोगों को इच्छा है। मेरा सुझाव है कि यह शिक्षु प्रशिक्षण रोजगार कार्यालयों के माध्यम से दिया जाना चाहिये। इस प्रशिक्षण को इन क्षेत्रों की स्वेच्छा पर नहीं छोड़ना चाहिये।

मेरा सुझाव है कि स्नातकों के लिए सहकारी समितियां गठित की जानी चाहिये। तकनीकी कार्मिका सहकारी समिति और इसी प्रकार से इंजीनियरी स्नातक समिति गठित की जा सकती है।

सरकारी टेंडर इन्हीं समितियों को दिये जाने चाहिये। क्योंकि इन समितियों में शामिल व्यक्तियों के पास तकनीकी ज्ञान है तथा वे सौंपे गए कार्य को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। सरकार को चाहिये कि वह इन समितियों की कुल पूंजी के 50 प्रतिशत मूल्य तक राशि का ऋण दे और 50 प्रतिशत राशि सदस्यों द्वारा एकत्र की जा सकती है।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ। बेरोजगारी समस्या को हल किया जाना चाहिये तथा बेरोजगार स्नातकों को नौकरी दी जानी चाहिये। अन्यथा देश में कानून और व्यवस्था की की समस्या का समाधान नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री व्यास, बेरोजगारी की समस्या समूचे देश में है न कि केवल राजस्थान में ही।

श्री गिरधारी लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती गीता मुखर्जी ने जो बेरोजगारी सहायता (आयु सीमा से छूट तथा अन्य सुख सुविधायें) विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया है. उसकी भावना तो बहुत अच्छी है लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस रूप में उन्होंने इसको यहां पर रखा है उसी रूप में अगर इसको मान लिया जाए तो जो सारा काम-काज है वह ठप्प हो जायेगा।

निश्चित तौर पर मैं यह जरूर कह सकता हूँ कि राइट-टू-वर्क फण्डामेंटल राइट होना चाहिए और हर एक आदमी को काम मिले इस प्रकार की व्यवस्था किस तरीके से हो सकती है, उसके संबंध में मेरे कुछ सुझाव हैं।

पहला सुझाव यह है कि आप ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दीजिये। ठेकेदारी प्रथा की वजह से लाखों आदमियों को एम्पलायमेंट नहीं मिलता है और ठेकेदार गरीब लोगों का शोषण करते हैं और बिचौलियोंके रूप काम करते हैं, जिसकी वहज से लाखों आदमियों को काम नहीं मिलता है। सरकार के जो भी विभाग हों, चाहे रेलवे हो, पी०डब्ल्यू०डी० हो, इरिगेशन हो, इंडस्ट्रीज हो, माइनिंग हो, इस प्रकार के जितने भी विभाग हैं ठेकेदारी प्रथा में काम लिया जाता है, उस प्रथा को खत्म करके डिपार्टमेंटल वर्क कराया जाए। जिले-वाइज जितने भी अन-एम्पलायड लोग हैं, उन सबकी लिस्ट तैयार करके, जो लोग जिस विभाग में काम करने के काबिल है उसको उस जगह पर नियुक्त किया जाएगा तो निश्चित तौर से यह समस्या हल हो सकती है।

हम क्षेत्रों के विकास की बात करते हैं। अभी मसूद साहब ने अपने भाषण में फूड-फार-वर्क का जिक्र किया, मैंने उसी समय कहा था कि फूड-फार-वर्क जनता पार्टी के जमाने में चलाया गया प्रोग्राम है। उस वर्क में कितना भ्रष्टाचार हुआ है, कितनी गड़बड़ी हुई है, उसका आप अन्दाजा नहीं लगा सकते हैं। जितने सरपंच लोगों को इस प्रोग्राम के तहत रखा गया उन्होंने सारी व्यवस्था को खराब कर दिया। पहले एक अच्छी व्यवस्था थी, अच्छे तरीके से रजा चलता था, हमारे ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा तरक्की कर रहे थे, फूड-फार-वर्क कार्यक्रम के आते ही उन्होंने हमारे समाज के भंडारों को खाली कर दिया। सरपंच जिनको यू० पी० में प्रधान कहते हैं, उन्होंने डि-सेन्ट्रलाइजेशन की पालिसी को समाप्त कर दिया और सारा गेहूँ उन लोगों के घरों पर चला गया। जिस कार्यक्रम के तहत जो काम होना चाहिये था, वह काम नहीं हुआ और सारा गेहूं बर्बाद हो गया, जिस गेहूँ को हमने प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिए इकट्ठा किया था। मेरा एक सुझाव यह भी है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार ने अन-एम्पलायड लोगों को काम देने के लिए गारंटी स्कीम चलाई है, उसी प्रकार से गारन्टी स्कीम तमाम सरकारों द्वारा चलाई जानी चाहिए। डिस्ट्रीक्ट वाइज लिस्ट बना कर, चाहे किसी भी क्षेत्र में काम हो, जैसे पी० डब्ल्यू० डी० इरिगेशन आदि विभागों में, उन अन-एम्पलाएड लोगों को काम पर लगाया जा सकता है, तो निश्चित तरीके से हमें इस समस्या को हल करने में ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा।

(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए)

इसके साथ में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि खादी और ग्रामोद्योग में करीब 60 लाख लोग काम करते हैं। वहां पर काम कर रहे बुनकरों को सिर्फ 1.50 या 2.50 रुपए मिलता है।

उन बड़ी संस्थाओं में जो बड़े-बड़े सफेद हाथी बैठे हुए हैं, वे सारा पैसा हजम कर लेते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि ऐसे ग्रामीण उद्योगों पर प्रतिबंध लगाइए ताकि ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले जो बुनकर हैं, उनको पूरा पैसा मिल सके।

कम से कम मिनिमम वेज तो देना ही चाहिए। सरकार का जो खादी और ग्रामोद्योग कमीशन है उसमें मिनिमम वेज लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ऐसी संस्थाएं हैं जो क्षेत्रीय विकास के लिए काम करती हैं, लोगों को छोटे-मोटे रोजगार देने के लिए काम करती हैं, इसलिए उनको मिनिमम वेज कानून से वंचित कर रखा है। इस कारण से लाखों लोग जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनका शोषण हो रहा है, उनको पूरा पैसा नहीं मिल रहा है। इस संबंध में कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे उनको भी मिनिमम वेज मिल सके।

हमारे जो इन्जीनियर्स हैं, डाक्टर्स हैं, ऊंचे दर्जे के पढ़े-लिखे लोग हैं। वे क्यों बेकार हैं? आज जब हम अपनी बड़ी-बड़ी योजनायें चला रहे हैं तो उनमें उनको काम क्यों नहीं दिया जाता। गांवों के अन्दर आप फैमली प्लानिंग और हैल्थ प्रोग्राम की योजनायें चला रहे हैं, डाक्टरों को इन योजनाओं से क्यों वंचित रखते हैं, उसको इसमें क्यों खपाया नहीं जाता? इस प्रकार की व्यवस्था होनी चहिये जिससे इन बेकार डाक्टरों को हमारी ग्रामीण योजनाओं में लगाया जा सके, जिससे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को चिकित्सा सुविधा मिलेगी साथ ही इनको काम मिलेगा।

जहां तक इन्जीनियर्स का सवाल है—हमारी सरकार विदेशों में बहुत बड़े-बड़े ठेके ले रही है। कहीं हम हवाई अड्डा बना रहे हैं, कहीं कारखाने बना रहे हैं जिनसे हमको करोड़ों रुपयों की आमदनी हो रही है। मेरा सुझाव है कि हमारे जितने इन्जीनियर्स बेकार हैं, उनकी एक संस्था बना कर, उस संस्था के जरिये इनको इन विभिन्न योजनाओं में खपायें। इस तरह के कार्यक्रम बनाये जिनसे हमारे इन्जीनियर्स और डाक्टर्स काम में लग सकें। विदेशों में चल रही इन योजनाओं में इनको लगाने से इनके जरिए देश को पैसा मिलेगा, इन लोगों को काम मिलेगा, वे लोग अपनी रोजी-रोटी कमा सकेंगे तथा इसके साथ ही हमारा देश मजबूत और शक्तिशाली बनेगा।

मेरा एक निवेदन यह है कि जितने अलग-अलग कैटेगरीज के लोग हैं, जो गांवों में रहते हैं, उनके लिए आप ग्रामीण रोजगार योजना बनाइए और उसको बड़े पैमाने पर बनाइये जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जितने काम होते हैं, जैसे तालाब बनाना, सड़कें बनाना, स्कूल के भवन बनाना, औषधालय बनाना या जो भी अन्य काम हैं उसमें इन लोगों को काम दिया जाय। आप इस बात को जानते हैं कि हमारे काश्तकार साल में 6 महीने काम करते हैं और 6 महीने बेकार बैठे रहते हैं। खेती-बाड़ी का काम 6 महीने होता है, उसके बाद वे घर में बैठे रहते हैं, एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज नहीं जा सकते, खेती का काम छोड़ कर बाहर नहीं जा सकते, ऐसे लोगों को जो हाफ-एम्प्लाएड हैं ग्रामीण रोजगार योजना बना कर काम दीजिये। इससे गांव भी तरक्की करेगा, उनको काम मिलेगा और उनका विकास होगा।

माननीय सदस्य ने इस बिल के सेक्शन 4 में लिखा है—एम्प्लायमेंट एक्सचैन्ज में नाम दर्ज कराने के बाद अगर काम मिल जाता है तो उसको एप्लीकेशन देनी चाहिए कि मुझे काम मिल गया है। अगर एप्लीकेशन नहीं देता है तो 6 महीने की सजा और हजार रुपये जुर्माने की

व्यवस्था है। मैं ऐसा महसूस करता हूं—अगर कोई आदमी भूल से एप्लीकेशन न दे और उसे 6 महीने की सजा मिल जाय तो उसकी एम्पलायमेंट तो जायेगी ही, साथ ही यह सजा उसके लिए बहुत बड़ी ज्यादती होगी। इस लिए मेरा निवेदन है कि कोई मामूली पैनल्टी रखनी चाहिए। अगर उस आदमी ने टाइम पर इन्फार्म नहीं किया है तो उस हालत में उसे थोड़ा-बहुत दण्ड भुगतना पड़े इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए।

एम्प्लायमेंट एक्सचेंज की आज क्या हालत है ? अभी एक माननीय सदस्य शिकायत कर रहे थे कि न ही जिला लेवल पर और न ही प्रदेश लेवल पर इन की व्यवस्था ठीक है। इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, हमें इनके लिए इस प्रकार के लोगों को रेक्रूट करना चाहिए जो लोगों के साथ हमदर्दी करें, उनकी मदद करें, न कि वहां पर काले-धंधे के लिए बैठे रहें, आज क्या हो रहा है ऐसे गरीब लोग जो शेडयूल्ड कास्टस के हैं, शेडयूल्ड ट्राइब्स के हैं, माइनारिटीज के हैं, उनको कोई मदद नहीं मिलती है, मैं चाहता हूं कि इन लोगों को काम-काज देने में नौकरी देने में प्राथमिकता दी जानी चाहिये। आज जो पैसे वाले लोग हैं, जो अपना सोर्स वहां बैठा सकते हैं, उनको एम्प्लायमेंट मिल जाती है, लेकिन जो गरीब हैं, निःसहाय हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है उनकी एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज में कोई सुनवाई नहीं होती है।

इस प्रकार की व्यवस्था निश्चित तरीके से की जानी चाहिये। माननीय सदस्या ने इस बिल के क्लाज 5 (ए) में यह कहा है :

यदि रोजगार कार्यालय पंजीकरण के 2 वर्ष बाद के भीतर किसी बेरोजगार व्यक्ति के लिए नौकरी नहीं जुटा पाता तो वह व्यक्ति बेरोजगारी सहायता का हकदार हो जायेगा।

इसकी जगह पर यह होना चाहिए कि जिसने रजिस्ट्रेशन करा लिया हो, उसको दो साल के बाद अनएम्पलायड नहीं रहना चाहिए बल्कि उसको नौकरी मिलनी चाहिए। इस प्रकार का प्रावधान होना चाहिए न कि यह कि अनएम्प्लायमेंट रिलीफ दिया जाए। इस प्रकार की व्यवस्था से कोई फायदा नहीं होता है और एम्प्लायमेंट मिलने का जो मकसद है, वह पूरा नहीं होता है इसलिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिस आदमी का दो साल तक एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन रहा हो उसको निश्चित तरीके से जोब मिले, एम्प्लायमेंट मिले, तब जाकर व्यवस्था ठीक हो पाएगी।

इसके साथ-साथ इस बिल में ऐज के संबंध में कहा गया है और क्लाज 6 में यह बताया गया है कि जिस आदमी का 8-8 और 10-10 साल से एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में नाम लिखा हो और उसको एम्प्लायमेंट न मिला हो, तो ऐज-लिमिट की बात उसके मामले में नहीं आनी चाहिए। यह एक अच्छी चीज इस बिल में है और इसको करना चाहिए।

एक मेरा यह निवेदन है कि रोजगार देने के संबंध में एक ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे जितना अनएम्प्लायमेंट आज है, वह कम हो, हालांकि अनएम्प्लायमेंट को टोटेली हम तब समाप्त कर सकते हैं जब उस प्रकार की व्यवस्था आप करें जैसा मैंने पहले निवेदन किया था कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करके सारा कामकाज सरकार के जरिये हो। अगर ऐसा आप ने किया तो काफी हद तक आप अनएम्प्लायमेंट की समस्या को हल कर सकते हैं मगर

उस का कदम सरकार उठाएगी या नहीं उठाएगी, इस बारे में तो मंत्री महोदया ही बता सकती हैं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि रोजगार गारंटी की स्कीम प्रत्येक स्टेट को चलानी चाहिए और इस संबंध में मैं मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि आप इसके बारे में कुछ न कुछ ऐसे कदम उठाएं, जिससे जितनी बेरोजगारी आज फैल रही है और जिसकी वजह से लोगों की तकलीफें रफा नहीं हो रही हैं, वे कम हों। आज तो ऐसी स्थिति है कि करोड़ों लोग बेकारी की हालत में हैं, जिससे न सरकार को लाभ है, न देश को लाभ है और न उनके परिवार वालों को कोई लाभ है। इसलिए उनको कुछ न कुछ काम दिया जाए। जहां तक भत्ता देने की बात है, इस बात से मैं एग्री नहीं करता हूं। मैं चाहता हूं कि लोगों को कामकाज मिले और ऐसी कोई व्यवस्था हो कि अपनी रोजी रोटी कमा सकें।

ये मेरे कुछ सुझाव हैं और मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदया इन पर ध्यान देंगी और यह जो बिल पेश किया गया है, इसका मैं विरोध करता हूं।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत थोड़े शब्दों में इस बिल के बारे में अपने विचार रखूंगा। इससे पहले कि मैं अपनी बात कहूं, मैं श्रीमती गीता मुखर्जी, जिन्होंने यह बिल पेश किया है, को धन्यवाद देता हूँ।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : जोर से बोलिए ताकि मैं सुन और समझ सकूं।

सभापति महोदय : आप जोर से तो बोले लेकिन सारगर्भित आप का भाषण हो और कम समय में हो।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : मैं दो मिनट में ही अपनी बात खत्म कर दूंगा। बेरोजगारी को दूर करने की बात नहीं बल्कि बेरोजगारों को भत्ता देने की बात, उनको राहत देने की बात इस बिल में कही गई है।

जिन लोगों को एक खास उम्र के बाद रोजगार नहीं दिया जाता हालांकि हम उनको रोजगार नहीं दे पाते, तो यह उम्र की जो बंदिश है, उसको कुछ हटाने की जो बात बिल में कही गई है, वह एक अच्छी बात है। जो लोग ओवर-ऐज हो जाते हैं, उनको नौकरी में नहीं लिया जाता और इससे हजारों-हजारों नवयुवकों को काम नहीं मिल पाता है वे जिन्दगी में निराश हो जाते हैं। आयु सीमा को समाप्त करने की जो बात इस बिल में है, उसका मैं विशेष रूप से समर्थन करता हूं।

मुझे 2-3 बातें खासतौर पर कहनी हैं। एक तो यह है कि इस देश में बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए बड़े-बड़े कम्पीटीशन होते हैं और बहुत बड़ा खर्चा होता है। बेरोजगारी एक राष्ट्रीय समस्या है।

आप ऐसी परीक्षा की व्यवस्था कीजिए जिसमें सारी परीक्षाओं का जो कि कम्पीटिटिव होती हैं का समावेश हो जाए और वह राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा हो। आप ग्रेड भी ऐसे बनाइए जिनमें कि सारे लोगों को ले लिया जाए। वरना परीक्षा में क्या होता है, यह देश में

किसी से छिपा नहीं है। भाई-भतीजावाद, पैसावाद, पक्षपात चलता है। जो लोग मेरिट के आधार पर काम नहीं पाते हैं, वे लोग काम बिना परेशान होते हैं, दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं। लिस्टें बनती हैं, पेनल बनते है, किस तरह से लोगों को लिया जाता है और फिर किस तरह से पेनलों को रद्द किया जाता है। इन सब में कितना पैसा व्यय होता है। यह सारा पैसा बेरोजगार लोगों के लिए खर्च हो तो कितना काम हो सकता है।

बेरोजगारी एक राष्ट्रीय स्तर की समस्या है। बेरोजगारी दूर करने की दिशा में जो यह कदम है, जो यह बिल है कि आयु सीमा से काट दी जाए, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। जितनी भी परीक्षाएं होती है, कम्पीटिटिव परीक्षाएं होती हैं, उनमें जो खर्चे आदि होते हैं वे सब कम होने चाहिये। ऐसे बेरोजगार लोगों के पास मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के पास होने चाहिएं क्योंकि बेरोजगार लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, फिर कहां से वे खर्च करेंगे।

एक चीज की ओर मैं विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहूंगा। ये जो कम्पीटीशन एग्जामिनेशन होते हैं इनमें दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह हजार लोग बैठते हैं और शहरों में परीक्षा देने के लिए जाते हैं। शहर में उनको होटल में, धर्मशाला में ठहरने को जगह नहीं मिलती है। कोई-कोई तो सड़कों पर रहते हैं। इस तरह से बहुत बड़ा व्यय होता है। आपको कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो कम्पीटीशन की परीक्षा देने जाते हैं उन लोगों के ठहरने की व्यवस्था अच्छी हो सके। मैं समझता हूँ कि इससे काफी राहत मिलेगी।

एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। पूरे देश में जो लोग सर्विस में लगे हुए हैं, वे लोग अगर पूरे देश के बेरोजगार लोगों के लिए एक जिम्मेदारी संभाल लें तो भी बेरोजगार लोगों की बड़ी मदद हो सकती है। यह पूरे राष्ट्र का उत्तरदायित्व है और इस समस्या के प्रति हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। राष्ट्र में बेरोजगारों को राहत देने के लिए अगर कोई टेक्स लगाया जाए, हर रोजगार पाये हुए व्यक्ति पर अगर वह लगाया जाए और उस वक्त तक लगाया जाए जब तक कि तमाम लोगों को रोजगार न मिल जाए तो भी इस समस्या का बहुत कुछ समाधान हो सकता है। मैं समझता हूँ कि इस तरह का टैक्स देश में चालू कर दिया जाना चाहिए। इससे भी बेरोजगार लोगों को राहत मिलेगी। वरना वह वक्त जा रहा है जब कि बेरोजगारों की फौज अगर इस तरह बढ़ती रही तो स्थिति और भी खराब हो जाएगी। आज कोई अपना खून मैडिकल कालेज में बेचता है, कोई खुदकशी करता है, कोई रेल में डकैती और चोरी करता है। इस तरह से देश में एक अराजकता फैल रही है। नक्सलवाद पनप रहा है। अगर हमने बेरोजगारी की समस्या को दूर नहीं किया तो आने वाले वर्षों में देश का क्या भविष्य होगा, किसी को पता नहीं।

इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करते हुए पुन: इस बात की मांग करूंगा कि ये सारी सुविधाएं बेरोजगार लोगों को मिलनी चाहिएं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : सभापति महोदय, महोदय, हम सब इस विधेयक में निहित सामान्य नियमों के पक्ष में हैं।

इसलिए महोदय न केवल साम्यवादी-मार्क्सवादी अथवा साम्यवादी प्रधान राज्य हैं अपितु कांग्रेस प्रभुत्व वाली सरकारें भी हैं, जिन्होंने इस दिशा में कुछ पहल की है। इसमें कोई शक नहीं

है कि समस्त भारत में बेरोजगार और अल्परोजगार प्राप्त—शिक्षित और अशिक्षित, ग्रामीण और शहरी—लोगों को किसी प्रकार का संरक्षण दिए जाने की मांग रही है। ऐसा इसलिए हैं क्योंकि सरकार ने इन लोगों की इस मांग को समझा हैं। इस प्रकार के लोगों की सहायता करने के लिए सरकार ने काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया। बाद में यह कार्यक्रम (सरकार द्वारा स्वयं ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय को सौंप दिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही एक कार्यक्रम की शुरूआत की हैं जिनके अनुसार अगर किसी कारण से पूरे परिवार में, किसी भी व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से रोजगार नहीं मिल पाता तो कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। लेकिन फिर क्या इसके लिए केन्द्र से विधान बनाएं अथवा क्या हम राज्य सरकार को प्रोत्साहित करें ? मैं, यह अनुभव करता हूँ। कि हमारे जैसे देश में—जो कि एक बड़ा उपमहाद्वीप है, जिसमें बहुत से राज्य हैं तथा कुछ राज्यों की जन संख्या 7 से 8 करोड़ है—यह बेहतर होगा कि अगर राज्य सरकारों को उनके मानव बल, प्रशासनिक क्षमता और वित्त आदि के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में कुछ आगे बढ़ने और अपने परीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए जिससे केन्द्र को यह पता चल सके कि बेरोजगारों को कुछ राहत दिलाने तथा देश के करोड़ों बेरोजगार लोगों को अनुरक्षण प्रदान करने में किस प्रकार यह परीक्षण किया जा रहा है एवं क्या प्रगति हासिल की गई यूरोप के देशों में, जो छोटे हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए रोजगार की व्यवस्था करना और प्रत्येक के लिये रोजगार की गारंटी देना बहुत आसान है। उन्होंने यह केवल अभी नहीं लिया है अपितु इस शताब्दी के पहले दशक में ही वह इसे कर चुके थे। उनके रोजगार कार्यालयों के कार्यकरण तथा बेरोजगार बीमा योजनाओं की जानकारी होने के कारण ही है मैंने इस दशाब्दियों में इस देश में ये दोनों सुविधा प्रदान करने के बारे में तर्क देना आरम्भ किया है।

लेकिन, दुर्भाग्य से हमारी जनसंख्या वृद्धि का कोई अन्त नहीं जान पड़ता। सीमित परिवार रखने के लिए लोग उतने उत्सुक नहीं दिखाई पड़ते जितना कि उन्हें होना चाहिए। इसका परिणाम यह हैं कि हमारी जनसंख्या इतनी तेज गति से बढ़ रही है कि आने वाले कुछ वर्षों, कम से कम दस वर्षों में हमारे लिए यह संभव नहीं हो सकेगा कि देश के सभी वयस्क युवकों और युवतियों के लिए रोजगार तथा साथ ही सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी बीमा की व्यवस्था की जा सके।

इस दिशा में हमें निश्चित ही कुछ प्रयास करना चाहिये। इस प्रयास में हमें परीक्षण को भी स्थान देना चाहिए। इसलिए मैं निजी रूप से चाहे मैं इस विधेयक के सामान्य नियमों का समर्थन करता हूं, यह चाहूँगा कि माननीय सदस्य इस बात की उपयुक्तता पर विचार करे कि केन्द्र पर विधेयक के पास किए जाने के लिए जोर नहीं डाल कर राज्यों में हमारे मित्रों को इसके लिए राजी किया जाये कि वे इस बारे में परीक्षण करें तथा यथासंभव लोगों को अधिकतम रोजगार उपलब्ध कराएं।

कुछेक ऐसे सामान्य नियम हैं जैसे कि पंचायतों द्वारा स्थापित सभी नगरों में धर्मशालाएं हों—जोकि बहुत ही अच्छे है। न केवल उनको कार्यालयों के लिए पंचायत घर हों, अपितु बेरोजगार लोगों के लिए भी हों। प्राचीन काल में हम उन्हें बैरागी कहते थे क्योंकि उनके पास न तो कोई रोजगार था और न ही उनका कोई परिवार था। अगर उनके परिवार भी होते थे तो

उनके पास कोई रोजगार नहीं होता था। इसलिए धर्मशालाएं बनाई गई थीं तथा उन्हें देश के सभी भागों में बनाए जाने की प्रथा थी।

इसी प्रकार का यह विचार है कि इन बेरोजगार लोगों को अपना पंजीकरण कराना चाहिए। यह बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपको मालूम ही है हमारे देश में बेरोजगार कार्यालय किस प्रकार अपना काम कर रहे है। वे भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं। वे एक दूसरे व्यक्ति में भेदभाव करते है तथा वहाँ काम कर रहे अधिकारियों को वह इस प्रकार से संतुष्ट करते हैं। हम इस सम्बन्ध में पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सकते कि इस बड़े देश में सभी गाँवों और नगरों में, किस प्रकार ये रोजगार कार्यालय काम करेंगे।

मेरी माननीय मित्र श्रीमती गीता मुखर्जी का नगरों में रोजगार कार्यालयों की व्यवस्था करने का विचार था। हमें इनकी गाँवों में भी अवश्य व्यवस्था करनी चाहिए। चाहे यह विधेयक पास हो अथवा नहीं। हमें राज्य सरकारों को उनके रोजगार उपलब्ध कराने के कर्त्तव्य पर जोर न देते हुए इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे इन रोजगार कार्यालयों की व्यवस्था करें।

सबसे पहले हमें यह जानना है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो बेरोजगार हैं और जिन्हें रोजगार चाहिए। अब तक हमारे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस बारे में अभी कोई अनुमान नहीं लगाया गया। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में यह संख्या करोड़ तक हो सकती है। अतः सबसे पहले हमें इन राज्यों में सभी गांवों में रोजगार कार्यालय खोलने चाहिये। हमें पंचायतों पर इस प्रकार के संस्थान विकसित किए जाने की जिम्मेदारी डालनी चाहिए।

दूसरे महात्मा गाँधी ने काम करने योग्य सभी व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने की बात कितने पहले सोची थी और यही कारण था कि वे आजादी मिलने तक इसके लिए इन्तजार नहीं करना चाहते थे। उन्होंने खादी कार्यक्रम आरम्भ किया। हमारे देश में कुछ हमारे मित्र जिनके वंशज यहाँ बैठे हैं, ने उस समय इसे पुराने जमाने का कार्यक्रम कह कर इसका मजाक उड़ाया था।

सौभाग्य से हम में से बहुत लोगों द्वारा अखिल भारतीय खादी और ग्राम उद्योग आयोग खोलने के लिए पण्डित नेहरू को राजी कर लिया गया। इन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हम प्रति वर्ष कई करोड़ रु० लगा रहे हैं और इससे हमारे अनेकों ग्राम और खादी केन्द्रों में करोड़ों लोगों को अब भी रोजगार मिल रहा है। अब हमें इस संगठन को और प्रोत्सहन देने की आवश्यकता है। हमें अन्य स्वैच्छिक संगठनों का विकास भी अवश्य करना चाहिये। जिससे इन लोगों को रोजगार मिलने में सहायता की जा सके। हम राज्य सरकारों से अनुरोध करेंगे कि वे इन्हें हर संभव प्रोत्साहन राज सहायता आदि प्रदान करें। हम अब इस रूप में इस विधेयक पर आगे चर्चा कर सकते हैं क्योंकि हमारे लिए यह संभव नहीं होगा कि हम राज्य सरकारों से इस विधेयक को लागू करने का अनुरोध करें।

हमें ग्राम स्तर से काम आरम्भ करना होगा। हमारे यहां ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का व्यापक तंत्र है। हमें उन पर सबसे पहले प्रत्येक केन्द्र पर रोजगार कार्या-

लय स्थापित करने की जिम्मेदारी डालनी होंगी। दूसरे यथा संभव इन स्थानों पर धर्मशालाएं स्थापित की जायें, जिससे इन बेरोजगार लोगों को कुछ दिनों के लिए आश्रय प्राप्त हो सकें; केवल 3 दिन के लिए ही नहीं एक महीने में 3 दिन के लिए या 6 दिन के लिए; और ऐसे ही चलते रहना चाहिये। हमें इस दिशा में काम करना आरम्भ करना चाहिये। निश्चय ही हम यह जानना चाहेंगे कि यह किस प्रकार बंगाल, केरल में काम कर रही हैं इसकी वित्तीय सम्बन्धी कठिनाइयां क्या हैं तथा इससे कितना बोझ पड़ेगा; किस प्रकार सरकार निधियां उपलब्ध करा सकी एवं किस प्रकार श्रमिक संतोष अथवा असंतोष अनुभव करते हैं। इस प्रकार हम महाराष्ट्र द्वारा किए गये परीक्षण का अध्ययन करें तथा इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम भारत सरकार को यह परामर्श देने का प्रयास करें वह इस प्रकार का अनिवार्य विधान न बनाकर एक समर्थ विधेयक पुरःस्थापित करें, एक समर्थ विधान बनाएं जिससे कि राज्य सरकार अपने विधायकों के माध्यम से उसमें परिवर्तन कर सकें, उनके अनुभव पर आधारित विधान बना सकें, तथा इस प्रकार की योजना तैयार करे। जिसे वे जहां तक उनकी क्षमता, अपने राजनीतिक अथवा सामाजिक दर्शन का सम्बन्ध है, अपने स्रोतों के अनुसार उसे क्रियान्वित कर सकें।

मैं श्रीमती गीता मुखर्जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वह इस सभा के समक्ष यह विधेयक लाईं तथा हम इस पर अपने विचार प्रकट कर सके। मैं एक बार फिर अपने संविधान निर्माताओं और अपने कांग्रेस नेताओं के विश्वास और इच्छा को दोहराता हूँ कि उन्होंने देश के बढ़ते हुए संसाधनों को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक व्यवहार्य तरीके से जल्दी से जल्दी रोजगार उपलब्ध कराने तथा देश में बेरोजगार और अल्प रोजगार प्राप्त लोगों को यथा संभव संरक्षण देने के बारे में इच्छा प्रकट की, धन्यवाद।

सभापति महोदय : मैं सभा का मत जानना चाहूंगा। इस विधेयक के लिए दो घंटे निर्धारित किए गये थे। वह समय पर अब समाप्त होने वाला है। इस पर विचार विमर्श 5 बजकर 10 मिनट तक पूरा हो जाना चाहिए। सभा की इस बारे में क्या राय है ? क्या मैं मंत्री महोदय को बोलने के लिए कहूं।

एक माननीय सदस्य : कुछ और समय दिया जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि बहुत से नाम हैं और बारी-बारी से सबको बोलने को कहा जाये तो किसी अन्य विषय पर चर्चा नहीं की जा सकेगी।

मंत्री महोदया : बोल सकती हैं।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : मुझे प्रसन्नता है कि मेरी परम मित्र श्रीमती गीता मुखर्जी ने इस देश में बेरोजगारी की समस्या पर ध्यान दिलाने के लिए बेरोजगार राहत (आयु सीमा से छूट और अन्य सुविधाएं) विधेयक प्रस्तुत किया है।

श्री रामसिंह यादव श्री हरीश रावत, श्री के० अर्जुनन, श्रीमती विद्या, श्री रशीद मसूद, श्री व्यास और प्रोफेसर रंगा आदि काफी सदस्यों ने इस पर चर्चा की तथा अपने अनेक सुझाव दिए मेरे पास सीमित समय हैं अतः मैं उन सभी सुझावों का जवाब नहीं दे सकती। उनके सुझाव नोट कर लिए गये हैं तथा जो कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे जाएंगे उन पर सरकार द्वारा उचित रूप में विचार किया जाएगा श्रीमती विद्या ने परिवार नियोजन को प्रोत्साहन देने

तथा स्व-नियोजन सम्बन्धी योजनाओं का सुझाव दिया है। उस पर मेरी सरकार समुचित विचार करेगी।

श्री रशीद मसूद ने सरकार की नीयत पर छींटा-कशी की है। इस वक्त वह सदन में नहीं है। उनसे इतना ही कहना चाहती हूं।

"नमक छिड़को, नमक छिड़को, मजा इसमें ही आता है,
कसम लेलो, नहीं आदत कभी घावों को भी मरहम लगाने की।"

श्री हरीश रावत और श्री व्यास ने रोजगार कार्यालयों की कमी की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। इस पर ध्यान दिया जायेगा तथा कमी को पूरा किया जायेगा। श्री व्यास ने यह सुझाव दिया है कि ठेका श्रम को खत्म किया जाना चाहिए। मैं सभा के माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगी कि ठेका श्रम विनियमन तथा मूल्यांकन संशोधन विधेयक पर मेरे मंत्रालय में उचित ध्यान दिया जा रहा है। खादी तथा ग्रामीण उद्योगों के श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी देने के सुझाव को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी। मैं इस बात को देखूंगी तथा इसके साथ-साथ मैं यह भी देखूंगी कि यदि न्यूनतम मजदूरी निर्धारित नहीं हुई हैं तो वे निर्धारित की जायेगी और जहां न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गयी हैं और संशोधित नहीं किया गया उन्हें संशोधित किया जायेगा तथा उनके क्रियान्वित न किये जाने पर उन्हें तत्काल क्रियान्वित किया जायेगा।

मैं श्रीमती गीता मुखर्जी तथा अन्य माननीय सदस्यों की अत्यन्त आभारी हूं, जिन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव दिये हैं तथा जिनके सम्बन्ध में मैं पहले ही बता चुकी हूँ। श्रीमती गीता ने विचारार्थ विधेयक प्रस्तुत करते हुए कहा है कि उसने विधेयक का सीमित उद्देश्य पंजीकृत बेरोजगारों को कुछ लाभ तथा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। अब हमें विधेयक में अन्तर्विष्ट प्रस्तावों की व्यवहार्यता पर विचार कराना चाहिए।

विधेयक में यह प्रस्ताव रखा गया है कि प्रत्येक रोजगार पाने के इच्छुक प्रत्येक बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीकृत कराने का अधिकार होगा; उसे अपने पंजीकरण का तब तक नवीनीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी जब तक उसे रोजगार प्राप्त नहीं हो जाता। रोजगार प्राप्त करने के पन्द्रह दिन के भीतर उसे रोजगार कार्यालय से अपना नाम उनके रजिस्टर से हटाने का निवेदन करना चाहिए और ऐसा न करने पर उस पर जुर्माना होगा और या उसे कैद की सजा होगी।

विधेयक में यह भी प्रस्ताव रखा गया है कि रोजगार कार्यालय द्वारा पंजीकृत बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध न कराने के कारण अधिक आयु होने पर उसे आयु की सीमा से छूट दी जानी चाहिए। विधेयक में यह प्रस्ताव भी रखा गया है कि उच्च आयु सीमा को उस आयु तक बढ़ाया जाए जो किसी पद से सेवा निवृत्त के लिए निर्धारित की गयी उम्र से 5 वर्ष कम है। उदाहरण के लिए केन्द्रीय सरकार के पदों पर नियुक्ति के लिए उच्च आयु सीमा इस विधेयक के उपबंधों के अनुसार 53 वर्ष होगी जबकि सामान्य सेवा-निवृत्ति आयु अब 58 वर्ष है।

विधेयक में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों को किसी पद के लिये आवेदन करते समय

आवेदन-पत्र फीस का भुगतान करने भी छूट दी गयी है। अन्त में इस विधेयक में उन बेरोजगार व्यक्तियों को 100 रुपये प्रति माह के हिसाब से दो वर्ष अथवा इससे अधिक समय तक बेरोजगारी भत्ता देने की भी व्यवस्था की गई है जिनके नाम रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं और जिनके परिवारों की वार्षिक आमदनी 5000 रुपये से कम है।

आज स्थिति यह है कि रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण कराना स्वैच्छिक है और कोई भी रोजगार पाने का इच्छुक व्यक्ति सामान्यतया अपने रहने के क्षेत्र में ही स्थित रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीकृत करा सकता है। यहां तक कि रोजगार प्राप्त व्यक्ति भी अच्छा रोजगार प्राप्त करने के लिए रोजगार कार्यालयों में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। अतः यद्यपि ऐसा कोई विशिष्ट कानून अथवा विधान नहीं है जिसमें रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज कराने के लिए औपचारिक अधिकार की व्यवस्था की गई है, लेकिन भारतीय नागरिकों द्वारा इस अधिकार को व्यवहार में लाया जा रहा है। चूंकि ऐसा भी कोई कानून अथवा विधान नहीं है जो किसी व्यक्ति को रोजगार कार्यालयोंमें नाम दर्ज कराने से रोकता हो। दूसरे शब्दों में विधेयक के उप खण्ड 4 (1) में प्रस्तावित अधिकार पहले से उपलब्ध है।

विद्यमान प्रक्रिया में प्रतिवर्ष पंजीकरण के नवीनीकरण कराने की व्यवस्था है। इस प्रक्रिया में यह भी व्यवस्था है कि रोजगार ढूढने वाले अपने रोजगार प्राप्त करने के तथ्यों से रोजगार कार्यालयों को अवगत कराते हैं। विधेयक के उप खंड 4 (3) तथा 4 (4) में अन्तर्विष्ट प्रस्तावों में रोजगार ढूंढने वालों को कानूनी तौर पर बाध्य किया गया है कि वे अपने रोजगार प्राप्त करने के तथ्य से रोजगार कार्यालयों को अवगत करायें। श्रीमान इस कानूनी उपबंध में बड़ी जटिलताएं हैं। चूंकि संगठित तथा असंगठित क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्र भी इस विधेयक की सीमा के अन्तर्गत पूर्णतया बनेंगे, इसलिए बड़े प्रवर्तन के बड़े से बड़े तंत्र द्वारा भी उप खण्ड 4 (3) तथा 4 (4) को लागू करना सम्भव नहीं तथा यह सुनिश्चित करना भी सम्भव नहीं होगा कि विधेयक के खण्ड 5 से 8 में जिन लाभों की व्यवस्था की गई है वे गरीब तथा बेरोजगारों में जरूरतमंदों के लिये हैं।

संगठित क्षेत्र के रोजगारों के सम्बन्ध में भी इस तब तक लागू करना कठिन होगा जब तक कि इस प्रकार के सभी कार्य-अवसर रोजगार कार्यालयों द्वारा पूरे नहीं किये जाते अथवा इसे सभी नियोक्ताओं तथा अधिकारियों के लिए बाध्यकर नहीं बनाया जाता जो रोजगार कार्यालयों को इस प्रकार के रोजगार के ब्यौरों की रिपोर्ट देने के लिए स्वतः रोजगार का संवर्धन करते हैं। विधेयक में इन बाध्यताओं के लिए इस प्रकार के किसी उपबंध को शामिल नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावित विधेयक के इन उपबंधों से संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (छ) के अन्तर्गत गारंटी किये गये अधिकारों का भी उल्लंघन हो सकता है।

श्रीमान, क्या अब मैं पदों पर नियुक्ति के लिए उच्च आयु सीमा में छूट देने सम्बन्धी विधेयक के प्रस्तावों को ले सकती हूँ ? केन्द्रीय सरकार के ग्रुप 'ग' तथ 'द' पदों—निम्न स्तर के पदों के लिए सामान्य उच्च आयु सीमा 25 वर्ष और सिविल सेवा परीक्षाओं के लिये 28 वर्ष है। विशिष्ट पदों के लिए उच्चतम आयु सीमा निर्धारित की गई है जिनके लिए शिक्षा या आरक्षण तथा अनुभव प्राप्त करने के लिए लम्बी अवधि की आवश्यकता होती है। तथापि सामान्य

पदों के लिए उच्च आयु सीमा 25 वर्ष है। इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, विस्थापित व्यक्तियों, विकलांगों, भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं तथा विभागीय कर्मचारियों जैसी विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों को छूट दी गई है। इन श्रेणियों के अतिरिक्त उच्च आयु सीमा में अन्य श्रेणियों के लिए छूट देना सम्भव नहीं हो सकता। अतः यह प्रस्ताव विभिन्न कारणों से व्यवहार्य नहीं है। दक्षता की दृष्टि से सीधी भर्ती के रूप में प्रारम्भिक ग्रेड के लिए एक विशेष आयु से ऊपर के व्यक्तियों को लेने की सलाह भी नहीं दी जा सकती है। सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए एक आयु-सीमा निर्धारित करने का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को अनुभव प्राप्त करने तथा काम को समझने योग्य बनाना है ताकि सरकार समय की एक उचित अवधि में उस व्यक्ति द्वारा प्राप्त अनुभव तथा ज्ञान का उपयोग कर सके।

विभिन्न ग्रेडों के लिए विद्यमान उच्च आयु सीमा अध्ययन में लगाये गये समय तथा रोजगार के लिए प्रतीक्षा की अवधि पर पहले ही विचार कर लिया गया है।

सभी योग्य उम्मीदवारों का नाम रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत नहीं होता है क्योंकि ये कार्यालय केवल कस्बों तथा शहरों में स्थित होते है। केवल उन उम्मीदवारों को ही छूट देना जिनका नाम रोजगार कार्यालयों में ही पंजीकृत हो और अन्य उम्मीदवारों को इस छूट से वंचित रखना, जिन्हें आसानी से पंजीकृत करने की सुविधाएं नहीं है, अपनाने में भेदभावपूर्ण होगा।

कुछ ज्यादा उम्र के व्यक्ति के नौकरी में आने पर उसे पूरी पेंशन नहीं मिलेगी जिससे अन्त में वह असन्तुष्ट रहेगा।

विधेयक में आवेदन-पत्र फीस के भुगतान में दी गई छूट के प्रस्ताव के सम्बन्ध में क्या मैं यह कह सकती हूं कि इस प्रकार की फीसें सरकार में बहुत कम रखी जाती हैं और ये फीसें प्रायः भर्ती, परीक्षाओं आदि के खर्चों को पूरा करने के लिए ही होती है। इस प्रकार की फीसें धोखेबाज आवेदकों को निरुत्साहित करने के लिए भी लगायी जाती है। इन सब बातों के अतिरिक्त केवल उन बेरोजगार व्यक्तियों को ही आवेदन-पत्र फीस में छूट देना, जिनके नाम रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं, भेदभाव करना होगा क्योंकि सभी बेरोजगार व्यक्तियों के नाम रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत नहीं हो सकते।

महोदय, फिर मैं इस बात का उल्लेख करना चाहती हूँ कि सरकार केवल उन पदों के लिए आवेदन पत्र फीस के समाप्त करने के सामान्य प्रश्न पर विचार कर रही है जिनके लिए वास्तविक रूप में बेरोजगार व्यक्ति सामान्यतः आवेदन पत्र देते हैं। इस प्रकार विधेयक के खंड 7 के मूल उद्देश्य पर सरकार अलग से विचार कर रही है।

अन्त में, मैं विधेयक में बेरोजगारी भत्ता देने सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में कहना चाहती हूँ। इस प्रश्न पर सरकार की नीति लोक सभा तथा राज्य सभा में अनेक अवसरों पर स्पष्ट की जा चुकी है। महोदय, आपको याद होगा कि इसके पहले जब श्री वी० वी० देसाई द्वारा प्रस्तावित विधेयक पर यहां विचार किया गया था, तब मैंने इस प्रश्न पर सरकार की नीति की विस्तार से व्याख्या की थी। मैं उन बातों को दोहराकर सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहती। मेरा केवल यही कहना है कि इस तथ्य के बावजूद कि इस विधेयक में केवल उन्हीं व्यक्तियों को रोजगार भत्ता देने का प्रावधान है जिन्होंने दो साल से अधिक की अवधि के लिये

रोजगार कार्यालयों में अपने नाम दर्ज कराने हों, तथा जिनके परिवार की वार्षिक आमदनी 5000 रुपये तक हो, तथापि बेरोजगारी भत्ता देने के लिए प्रतिवर्ष 800 करोड़ रु० की आवश्यकता होगी। सरकार का विचार है कि इतनी बड़ी राशि को बेरोजगारी भत्ता देने की बजाय उत्पादन तथा स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने वाली योजनाओं पर खर्च किया जाये।

मैं यह भी कहना चाहूँगी कि छठी पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी तथा निर्धनता का समाधान करने के प्रश्न की ओर ध्यान किया गया गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निर्धनता बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार की समस्या का सन्तोषजनक हल केवल तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के भीतर ही किया जा सकता है। छठी योजना में अर्थव्यवस्था की 5.2 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि परिकल्पित की गई है। योजना में भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि विकास की इस दर को भी विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता कम करने के और प्रत्यक्ष प्रयासों से बनाये रखना होगा, और इसलिए इस योजना में गरीबों को प्रत्यक्ष उत्पादक लाभों के कार्यक्रम भी बनाये गये हैं, जिसमें सम्पत्तियों का अन्तरिम आदानों, ऋण, प्रशिक्षण और सेवाओं की व्यवस्था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से श्रमिक रोजगार के अवसर जुटाने और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, योजना में स्व-नियोजन का नया प्रस्ताव तथा श्रमशक्ति आयोजन के लिये विकेन्द्रीकृत योजना लागू करना तथा जिले की श्रम शक्ति आयोजन तथा रोजगार उपलब्ध करने वाली परिषदों के माध्यम से रोजगार के अवसर जुटाने की व्यवस्था है। इन प्रयासों से छठीं योजना-अवधि के दौरान मजूरी पाने वाले, वेतन पाने वाले तथा स्व-नियोजन के क्षेत्रों में रोजगार के बहुत अवसर उपलब्ध होंगे, जिससे बेरोजगारी तथा अल्प-रोजगार में कमी आयेगी।

इसलिये मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगी कि वे अपना विधेयक वापस ले लें।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, मैं अपने विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करती हूँ।

सभापति महोदय : विशेष रूप से माननीय मंत्री जी का।

श्रीमती गीता मुखर्जी : निश्चय ही मैं इनकी भी आभारी हूं। मैं उनका भी धन्यवाद करती हूं जिन्होंने अपनी सीमाओं के बावजूद विधेयक का समर्थन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ जो विधेयक का इस रूप में समर्थन नहीं कर सके हैं परन्तु जिन्होंने कुछ सुझाव दिये हैं, ओरिजनल नहीं हैं। उदाहरण के रूप में, प्रो० रंगा ने सुझाव दिया था कि सरकार को समर्थकारों विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये। मैं चर्चा में भाग लेने वाले उन सदस्यों का भी धन्यवाद करती हूँ जो मेरे विचारों से सहमत नहीं हो सके। लेकिन मुझे खेद है कि इन लोगों के तर्कों और विचार धारा से मैं सहमत नहीं हूँ।

समस्या यह नहीं है कि लोग काम करना नहीं चाहते। समस्या तो यह है कि लोगों को काम मिल नहीं रहा है और सरकार उन्हें काम देने की स्थिति में नहीं है। मेरे विधेयक का विषय क्षेत्र बहुत सीमित है। जैसा कि मैंने प्रारम्भ में ही कहा था कि मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि यह सरकार कभी भी बेरोजगारी की समस्या को हल नहीं कर सकती यदि यह वर्तमान

पूंजीवादी समाज को बनाये रखेगी। मेरे विधेयक का उद्देश्य एवं विषय क्षेत्र बहुत सीमित है। यदि लोगों को काम दिया जायेगा, तो वे करेंगे। परन्तु दुर्भाग्यवश इन्हें काम नहीं मिलता। मैंने अपने विधेयक में इस बात का विशेषरूप से उल्लेख किया है कि कोई बेरोजगार व्यक्ति, जिसने अपना नाम दर्ज कराया हुआ है, रोजगार मिलने पर सरकार को समय पर सूचना नहीं देता है तो उसे दंडित किया जायेगा।

समय की कमी के कारण मैं अपने साथियों द्वारा उठाये गये मुद्दों पर अलग-अलग चर्चा नहीं कर सकूंगी। परन्तु मैं श्रम तथा रोजगार मंत्री द्वारा उठाये गये कुछ मुद्दों की चर्चा करुंगी। उन्होंने मुझसे विधेयक को वापस लेने की अपील की है। मैं खुशी से अपने विधेयक को वापस ले सकती थी यदि मैं इस बात से आश्वस्त हो जाती कि मंत्री जी ने इस विधेयक के उपबन्धों पर सहानुभूति अथवा गम्भीरता से विचार किया है।

प्रो० एन० जी० रंगा : मैंने यह सुझाव दिया था कि सरकार को समर्थकारी विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : मैं सभी सुझावों पर गम्भीरता पूर्वक विचार करुंगी।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मुझे ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि इन्होंने अपने भाषण में गम्भीरता पूर्वक यह आश्वासन दिया है कि इसपर विचार किया जायेगा। बेशक इन्होंने विधेयक को स्वीकार करने के लिये कुछ कारणों का उल्लेख किया है। यदि उन्होंने किसी प्रकार का आश्वासन दिया होता, जैसाकि प्रो० रंगा ने सुझाव दिया था कि सरकार को समर्थकारी विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये, तो मैं विधेयक को वापस लेने के बारे में विचार कर सकती थी। परन्तु इन्होंने ऐसी बात नहीं की है।

केवल इतना ही नहीं, मुझे इस बात का बहुत दुःख है कि मेरे द्वारा कही गई एक महत्व-पूर्ण बात को इन्होंने अनावश्यक तर्क देकर नजर अन्दाज कर दिया है। मैंने इसी बात को खण्ड 4 में कहा है कि जिन लोगों ने अपने नाम रोजगार दफ्तर में दर्ज करवा रखे हैं यदि वे अपने नामों का नवीकरण नहीं कराते तो वे अवसर से वंचित हो जायेंगे। प्रश्न तो यह है कि क्या हमारे यहां पर्याप्त रोजगार दफ्तर हैं ? यदि नहीं है तो इससे भेदभाव होगा रोजगार दफ्तरों का विस्तार किया जाना चाहिये। और अधिक रोजगार दफ्तर खोलने से सरकार को किसने मना किया है।

यह कहना सही नहीं है कि केवल शहरों के आदमी अपने नाम रोजगार दफ्तरों में दर्ज कराते हैं। मैं ग्रामीण निर्वाचन-क्षेत्र से चुनकर आई हूं तथा मैंने 25 वर्षों से भी अधिक समय तक गांवों में काम किया है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से यह कह सकती हूं कि गांव के लोग भी रोजगार दफ्तरों में अपने नाम दर्ज कराते हैं।

अत: मैं जानती हूँ कि गांवों में रहने वाले लोग भी बहुत बड़ी संख्या में अपने नाम दर्ज कराने लगे हैं। इतना सब होते हुए भी यह बात नहीं है कि सब लोग अपने नाम दर्ज करा रहे हैं, परन्तु जिन लोगों ने अपने नाम दर्ज कराये हैं, कम से कम उन्हें तो कुछ भत्ता मिलना चाहिये। यह कहना कि इससे अन्य लोगों के साथ भेदभाव होगा, इस प्रश्न का उत्तर नहीं है।

मंत्री महोदय ने इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया है कि नवीकरण की पद्धति को समाप्त कर दिया जाये। वे यह भी कह सकती थीं कि मैं ऐसा प्रयास करुंगी कि नवीकरण आवश्यक न हो, परन्तु अन्य बातों को स्वीकार नहीं किया जा सकता।, परन्तु इन्होंने यह बात नहीं कही । नवीकरण पद्धति के सम्बन्ध में भी उन्हे बुनियादी आपत्ति है।

खण्ड 5—बेरोजगारी सहायता—के बारे में मुझे मंत्री जी की भेदभाव के आधार पर आपत्ति समझ में नहीं आई। लेकिन मेरा विचार है कि इसे स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में मैं अपने विचार पहले ही प्रकट कर चुकी हूं और इसलिये इसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिये था।

अन्त में, मैं यह कहूंगी मुझे यह कहते हुए बहुत खेद हैकि आयु-सीमा से छूट के बारे में उन्होंने गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया है तथा उनके द्वारा दिये गए आंकड़े सही नहीं है। मैं इनके बारे में कहना नहीं चाहती परन्तु मैं केवल यही टिप्पणी करुंगी। इससे पहले श्री देसाई की सरकार के समय 200 रु० प्रति व्यक्ति के प्रस्ताव के अनुसार यह राशि 612 करोड़ रुपये थी परन्तु मुझे यह समझ नहीं आता कि मेरे द्वारा कम लोगों के लिए इससे आधी राशि का प्रस्ताव दिये जाने के बावजूद यह बढ़कर 800 करोड़ रु० तक कैसे हो जायेगी। इसलिए मेरा विचार है मुझसे मित्रता के बावजूद भी उन्होंने मेरे विधेयक पर पर्याप्त गौर नहीं किया है। अतः मैं अपने विधेयक को वापस नहीं ले सकती।

सभापति महोदय : अब मैं श्री मूल चन्द डागा द्वारा प्रस्तुत संशोधन को मतदान के लिए सभा में रखता हूँ।

संशोधन सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : श्रीमती मुखर्जी, क्या आप विधेयक वापस लेना चाहती हैं ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : नहीं श्रीमान्। मैं चाहती हूँ कि इस पर मतदान किया जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रजिस्ट्रीकृत बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी सहायता आयु सीमा से छूट, नौकरियों के लिए आवेदन-फीस से छूट तथा विभिन्न अन्य सुख सुविधाओं का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में पदों का आरक्षण (पिछड़ी जातियों के लिये) आरक्षण विधेयक

सभापति महोदय : अब हम मद संख्या 20—श्री आर० पी० यादव के विधेयक—पर विचार करेंगे।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा) : सभापति जी, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में पिछडी जातियों के लिए आरक्षण का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।

सभापति जी, इस मुल्क में 52 प्रतिशत बैकवर्ड क्लासेज के लोग बसते हैं और यदि उनके साथ हरिजनों, गिरिजनों तथा अल्प-संख्यकों को मिला दिया जाय तो उनकी संख्या 95 प्रतिशत हो जाती है, जो सामाजिक, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए, दबे हुए, कुचले हुए हैं। जब तक इन्हें आगे नहीं बढ़ाया जायगा···

सभापति महोदय : आप अगले दिन अपनी बात जारी रख सकते हैं; अब हम आधे घंटे की चर्चा आरम्भ करेंगे।

आधे घण्टे की चर्चा

विद्युत सम्बन्धी राजाध्यक्ष समिति की सिफारिशों के बारे में राज्यों के विचार

श्री बी० बी० देसाई (रायचूर) : सभापति महोदय, मैं विद्युत सम्बन्धी राजाध्यक्ष समिति की सिफारिशों के बारे में दिनांक 18-8-1981 के अतारांकित प्रश्न के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा करना चाहता हूँ। प्रश्न बहुत साधारण था। मैंने मंत्री महोदय से कुछ जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। संभवतया यह सोचते हुये कि यह एक अतारांक्ति प्रश्न है और प्रश्न के बारे में उनके पास अपेक्षित जानकारी न होने के कारण मंत्री महोदय मुझे जानकारी नहीं दे पाये।

वास्तव में विद्युत सम्बन्धी राजाध्यक्ष समिति का प्रतिवेदन बहुत बड़ा है। उन्होंने बड़ा परिश्रम किया है। यहां मैं एक और महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि समिति द्वारा सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हुये एक वर्ष का समय बीत गया है यह प्रतिवेदन सरकार को 4 सितम्बर, 1980 को प्रस्तुत किया गया था। सौभाग्यवश, आज ही जब मैं इस विषय में बोल रहा हूं, एक वर्ष पूरा हुआ है, इस लम्बी अवधि में हमारी गतिशील सरकार विभिन्न राज्यों से उनके समर्थनकारी विचार प्राप्त नहीं कर सकी है। विद्युत विषय समवर्ती सूची में आता है। राज्यों से विचार विमर्श किया जाना चाहिये और उनके विचार मांगे जाने चाहिये। यह एक ऐसा विषय है जो समस्त देश के लिये बहुत महत्वपूर्ण है।

समिति बहुत समय पहले नियुक्त की गई थी। उन्होंने जहां तक हमारे देश का सम्बन्ध, विद्युत सम्बंधी सभी प्रकार के विवरणों का अध्ययन करके व्यापक सिफारिश देने के लिए काफी मेहनत की है। इस प्रकार मंत्री महोदय के उत्तर के अनुसार भी उन्होंने विभिन्न राज्यों को विद्युत मंत्रियों तथा परामर्शदात्री अथवा सलाहकार समितियों के प्रतिनिधियों की बैठकें बुलाने के लिए प्रयास किये। परन्तु एक वर्ष बीत जाने पर भी अभी तक वे किसी परिणाम पर नहीं पहुंच पाये हैं।

सिफारिशें इतनी व्यापक हैं कि सरकार को किसी प्रकार से भी कार्यवाही करने में सकुचाने की आवश्यकता नहीं है। वे अभी से आरम्भ कर सकते हैं और समिति ने जो रिपोर्ट दी है उन्होंने उसमें शताब्दि के अन्त तक की अवधि को ध्यान में रखा है। उन्होंने ऊर्जा को वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक दो भागों में विभाजित किया है। उन्होंने सभी प्रकार के विवरण दिये हैं यह प्रणाली किस प्रकार विकसित हुई हैं। इस सम्बन्ध में वाणिज्यिक तथा गैर वाणिज्यिक ऊर्जा तथा हमारे देश में खपत प्रणाली में किस प्रकार परिवर्तन आया है के बारे में कुछ वाक्य पढ़कर सुनाता हूँ।

"यदि विगत 25 वर्षों की ओर ध्यान दें तो ऊर्जा मिश्र के मामले में कुछ महत्वपूर्ण प्रवृतियां नोट की जा सकती हैं। वाणिज्यिक ऊर्जा की खपत, जिसमें बिजली कोयला और तेल आते हैं, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा की तुलना में जिसमें लकड़ी, जानवरों का गोबर आदि आता है, बहुत बढ़ी है। गैर वाणिज्यिक ऊर्जा की खपत जो वर्ष 1953-54 में 68 प्रतिशत थी। वर्ष 1975-76 में घटकर 44 प्रतिशत रह गई। इसके साथ ही वाणिज्यिक ऊर्जा क्षेत्र में बिजली की खपत कोयला तथा पेट्रोलियम की तुलना में जो अर्थव्यवस्था के सीधे ऊर्जा स्रोत हैं बहुत बढ़ गई है और कुल ऊर्जा की खपत में बिजली का योगदान वर्ष 1953-54 के 13 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1978-79 में 29 प्रतिशत हो गया।"

यह वाणिज्यिक ऊर्जा अथवा सीधी ऊर्जा विद्युत शक्ति पुनर्पयोगी तथा गैर पुनर्पयोगी क्षेत्रों से प्राप्त की जा सकती हैं। परन्तु एक बात स्पष्ट है कि जब तक हम लंबे समय के लिए योजना नहीं बनाते हम समस्या का समाधान नहीं कर पायेंगे। इसलिए उन्होंने संदर्शी आयोजन का सुझाव दिया है। उन्होंने शताब्दी की समाप्ति तक के लिए कुछ आँकड़े तैयार किये हैं। हमें अपने देश में बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन की व्यवस्था करनी होगी। सरकार द्वारा इस वर्ष के दौरान कुछ कदम उठाये जाने चाहिए थे। 20 वर्ष का अर्थ है कि वर्ष 1981 समाप्त होने जा रहा है। ऐसा जान पड़ता है कि सरकार बिजली उत्पादन के मामले पर गम्भीरता से विचार नहीं कर रही है। शताब्दि के अन्त तक देश में बिजली की आवश्यकता के आंकड़े भी दिये गये हैं और ये आँकड़े अत्यन्त विषम हैं। इसलिए जब तक हम विशेष प्रयास नहीं करेंगे, हम समस्या का समाधान नहीं कर सकते।

इस उद्देश्य से शताब्दी के अन्त तक देश की आवश्यकता के बारे में कुछ वाक्य पढ़ना चाहूंगा क्योंकि ऊर्जा, सिंचाई तथा इन चीजों को लम्बे समय के आधार पर देखना होगा और यह आयोजन कम से कम 10-20 वर्षों के लिए होनी चाहिए। इस समिति ने इस मामले में बड़ा व्यापक कार्य किया है। मैं पढ़ता हूं।

"अनुमान लगाया गया है कि शताब्दी के अन्त तक देश में लगभग 400 टी. डब्लू. एम की आवश्यकता होगी और वर्ष 1978-79 के हेतु 84 टी० डब्लू० एम० की खपत की तुलना में बिजली के रूप में संभवतया 470 टी० डब्लू० एम० ऊर्जा की आवश्यकता होगी जो लगभग 5 गुनी अधिक है। इसके लिए अगले 20 वर्षों में लगभग 110,000 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता वृद्धि की आवश्यकता होगी जो वर्तमान क्षमता से प्रति वर्ष 5000 मेगावाट अधिक है।

प्रत्येक वर्ष 5000 मेगावाट की वृद्धि करना कोई सरल कार्य नहीं है, जब तक कि सरकार

इस पर गम्भीरता से ध्यान न दे। जिस ढंग से सरकार विद्युत समस्या का हल करने के लिए प्रयास करती है उससे थोड़ी निराशा ही होती है।

ऊर्जा उत्पादन के सम्बन्ध में हमारे देश में ऊर्जा स्रोतों का समान वितरण नहीं है। समिति ने इस सम्बन्ध में भी सुझाव दिये हैं और मूलतः हमें क्षेत्रवार संसाधनों की उपलब्धता पर ध्यान देना है ताकि हम ऊर्जा उत्पादन के लिए जहां कच्ची सामग्री और संसाधन उपलब्ध हों, कोई प्रणाली अपना सकें।

इसके लिए मैं ऊर्जा उत्पादन के भौतिक संसाधनों के क्षेत्रीय वितरण का उल्लेख करूंगा। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखा है, और प्रत्येक क्षेत्र में कोई न कोई ऊर्जा स्रोत उपलब्ध हैं जिसका उपयोग करके लाभ उठाया जा सकता है। एक क्षेत्र विशेष में एक विशेष प्रकार का ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है। मैं प्रतिवेदन से पढ़ता हूं:—

"पूर्वी क्षेत्र में देश के कोयले के कुल भंडार का 73 प्रतिशत कोयला उपलब्ध है....."

कोयला तापीय बिजली घरों के लिए ऊर्जा स्रोत हैं। अतः जहां 73 प्रतिशत कोयला उपलब्ध हैं वहाँ सुपर तापीय बिजली घर होने चाहिये। इसके आगे मैं पढ़ता हूं।

".....जबकि पश्चिमी क्षेत्र में 19.5 प्रतिशत, दक्षिण में 7.5 प्रतिशत और उत्तर में शून्य हैं। इसी प्रकार लगभग 37 प्रतिशत जल विद्युत क्षमता, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के एक विशेषज्ञ दल द्वारा 1978 में किये जाने पुनर्मूल्यांकन के अनुसार उत्तरी क्षेत्र में उपलब्ध है और 27 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र में जबकि पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में क्रमशः 9.6,9.5 और 7.2 प्रतिशत क्षमता उपलब्ध है।"

पन बिजली और ताप बिजली मुख्य स्रोत हैं और जहां ये दोनों स्रोत विद्यमान नहीं है, वहां परमाणु बिजली घरों की व्यवस्था कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से दक्षिण में एक परमाणु विद्युत संयंत्र लगाये जाने की आवश्यकता है।

उस दिन जब श्री पुजारी के प्रश्न पर चर्चा चल रही थी, तब मंत्री महोदय ने बताया था कि दक्षिण के लिए एक प्रस्ताव है। जहाँ पनबिजली और ताप बिजली दोनों में से कोई भी स्रोत उपलब्ध नहीं है वहाँ परमाणु बिजली उत्पादन आरम्भ किया जा सकता है, यद्यपि यह थोड़ा महंगा अवश्य है।

इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि दीर्घावधि उपाय के रूप में समिति ने सुझाव दिया है कि जब केन्द्रीय सरकार तेजी से और अधिक कार्य करने के लिए प्रयास नहीं करती और विद्युत उत्पादन और इस पर नियंत्रण रखने के लिए स्वयं प्रयास नहीं करती तब तक इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। जब हम क्षेत्रवार संसाधनों की ओर ध्यान देते हैं तो बहुत विषमता पाते हैं और यदि राज्यवार स्थिति को लें तो यह और भी खराब हैं। अतः बिजली का उत्पादन नियंत्रण और वितरण राज्यवार नहीं लिया जा सकता और हम समस्या का समाधान नहीं कर सकते। मूल बात यह है कि इसे क्षेत्रवार लिया जाये। बिजली उत्पादन नियंत्रण और वितरण को क्षेत्रवार लिया जाना चाहिए। इसके लिए एक राष्ट्रीय ग्रिड बनाया जाना चाहिए।

इस दृष्टि से उन्होंने यह सुझाव दिया है कि कम से कम शताब्दी के अंत तक देश में 45 प्रतिशत बिजली उत्पादन केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए ताकि कुछ राज्यों को वितरण के मामले में केन्द्रीय सरकार प्रभावी भूमिका निभा सके और जब बिजली की कमी हो केन्द्रीय सरकार उसकी पूर्ति के लिए कदम उठा सके।

मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। परन्तु मैं मंत्री महोदय से एक प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार इस विषय में क्या प्रभावी कदम उठाना चाहती हैं।

बाढ़ तथा सूखा की स्थिति के विषय में मुझे एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की याद आती है। मैंने तब सुझाव दिया था कि देश में इन दोनों ही आपदाओं से निपटने के लिए दीर्घावधि उपाय पर ध्यान देना चाहिए जैसा की दस्तूर एण्ड कम्पनी जैसी कुछ कंपनियों ने भी सुझाव दिया था। श्री के० एल० राव ने जो मंत्री थे, गंगा कावेरी को मिलाने का सुझाव दिया था। इस प्रकार दस्तूर ने कठहार नहर का सुझाव दिया था। मेरा सुझाव है कि इन चीजों के बारे में दीर्घावधि योजना बनाई जानी चाहिये और इन्हें हमें आज ही से आरंभ करने का प्रयास करना चाहिए। परन्तु दुर्भाग्यवश, इसे गम्भीर रूप से नहीं लिया गया और माननीय कृषिमंत्री ने मुझे एक अन्य प्रश्न में उलझा दिया है।

सभापति महोदय : मेरे विचार से आपका मुख्य मुद्दा है कि बहुत सी राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार के पत्रों तथा स्मरणपत्रों के उत्तर न दिये जाने की स्थिति में संघ सरकार को क्या कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री बी० वी देसाई : मैं अभी उसी बात पर आ रहा हूँ। कावेरी प्रश्न हल करना है। इस प्रकार राज्यों को समझ जाना चाहिए कि केन्द्रीय सरकार द्वारा यह कार्य किया जाना उनके अपने हित में होगा क्योंकि उनके पास संसाधन उपलब्ध नहीं है। राज्यों में वित्तीय कठिनाइयाँ है। परन्तु यदि उन्हें यह बात समझा दी जाये कि यह उनके अपने हित में है तो अधिकांश राज्य सरकारें इसका समर्थन करेंगी और मंत्री महोदय को दीर्घावधि दृष्टिकोण से यह कार्य आरंभ करना कठिन नहीं होगा। अतः मैं यह बात जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं। उनको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस मुद्दे पर दीर्घावधि और अल्पावधि मुद्दों पर राज्य सरकार सहमत हो जायें। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि प्रेस-समाचार के अनुसार प्रधानमंत्री ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया है। इस बारे में मंत्री महोदय से जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय तैयार होकर आए हैं।

श्री बी० बी० देसाई : हाँ मुझे यही कहना चाहिए कि वह तैयार होकर ही आए हैं। धन्यवाद !

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान सरकार देश में विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास कर रही है। एक अन्य दिन जब मैं एक ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर दे रहा था, उस समय मैंने कुछ आंकड़े दिये थे, जिन्हें मैं दोहराना चाहूंगा कि पिछले एक

वर्ष के दौरान विद्युत उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। विद्युत उत्पादन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। अब उदाहरण के लिए मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि अक्तूबर, 1980 से मार्च, 1981 की अवधि के दौरान वर्ष 1979-80 की उसी अवधि की तुलना में 13 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसी प्रकार अप्रैल-जुलाई, 1981 में, अप्रैल-जुलाई, 1980 की तुलना में 17 प्रतिशत वृद्धि हुई है और इसमें 21 प्रतिशत वृद्धि तापीय विद्युत उत्पादन के कारण हुई है जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और यह इसलिए संभव हो सका है, क्योंकि वर्तमान सरकार विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कार्यवाही कर रही है। हम अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय खोज रहे हैं। अल्पकालिक उपाय ये हैं कि हम वर्तमान बिजली घरों में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। हम राज्यों के स्वामित्व वाले प्रत्येक बिजली घर में अपने इन्जीनियरों को भेज रहे हैं और वे उनकी समस्याओं की जांच करते करते हैं, उनके समाधान ढूंढते हैं और हमें रिपोर्ट देते हैं अक्तूबर, 1980 से देश में 30 से अधिक बिजली घरों का निरीक्षण किया जा चुका है और उनके बारे में हमें रिपोर्ट दी जा चुकी हैं। हमने समाधानों का सुझाव भी दिया है। यह एक कारण है जिसकी वजह से पिछले एक वर्ष के दौरान विद्युत उत्पादन में वृद्धि हुई।

दीर्घकालिक उपायों के रूप में हम छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लगभग 20,000 मैगावाट अर्थात् 19666 मैगावट की विद्युत क्षमता और स्थापित कर रहे हैं। इससे हमें आशा है कि देश की मांग पूरी हो सकेगी। यह दीर्घकालिक उपाय है। इसी प्रकार हम सातवीं योजना के लिए योजना तैयार कर रहे हैं और कार्यक्रमों को मंजूरी दे रहे हैं। हमारा अनुमान यह है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि इस शताब्दी के समाप्त होने तक हमारे देश में एक लाख मैगावाट से भी अधिक विद्युत का उत्पादन होने लगेगा। जो वर्तमान उत्पादन क्षमता से तीन गुना होगा इसके हिसाब से योजना तैयार कर रहे हैं और हमें आशा है कि हम देश की मांग को पूरा करने में समर्थ हो सकेंगे।

माननीय सदस्य ने राजाध्यक्ष समिति की सिफारिशों का विशेष रूप से उल्लेख किया है। मैं यह उल्लेख करना चाहूँगा कि हमने प्रश्न के अपने उत्तर में पहले जो कुछ भी जानकारी दी थी, उसमें उत्तर देने से बचने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। कुछ सिफारिशें राज्यों से सम्बन्धित हैं और कुछ सिफारिशें केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित हैं। जहां तक केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित सिफारिशों का सम्बन्ध है, हम उनके बारे में कार्यवाही कर रहे हैं। वस्तुतः मुख्य मुद्दों के बारे में कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है। मैं उदाहरण के लिए यह उल्लेख करना चाहूंगा कि विद्युत उत्पादन में केन्द्र की अतिरिक्त भूमिका की नीति सम्बन्धी सिफारिश को राजाध्यक्ष समिति ने दी है। ध्यान में रखते हुए हमने कोयला खानों के मुहानों पर ही सुपर तापीय बिजली घरों का निर्माण आरम्भ कर किया है। इस समय हम चार बिजली घरों का निर्माण कर रहे हैं, जिनमें से उत्तरी क्षेत्र में सिंगरौली; पूर्वी क्षेत्र में फरक्का; मध्य क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्रों में ओवरा; दक्षिणी क्षेत्र में रामागुंडम और तमिलनाडु में नेवेली में बिजली घर होंगे। हम इनकी क्षमता को दुगना कर रहे हैं। ये सुपर तापीय बिजली घर अपने-अपने क्षेत्रों में विद्युत का पारेषण करेंगे। मूल कारण यह थी कि प्रत्येक राज्य आत्मनिर्भर हो जाएगा। परन्तु हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कोयले की ढुलाई करना कठिन है। यही वजह है कि हमने कोयला खानों के मुहाने पर ही सुपर तापीय बिजली घरों का निर्माण करने की इस नीति को अपनाया

है। वे अपने क्षेत्रों में विद्युत का पारेषण करेंगे। यही प्रयोजन है। हम देश के विभिन्न भागों में केन्द्रीय क्षेत्र में पन बिजली घरों का निर्माण कर रहे हैं। इन बिजली घरों से कमी वाले राज्यों को विद्युत का पारेषण किया जाएगा। इसलिए प्रयोजन यह कि केन्द्रीय सरकार विद्युत उत्पादन में अधिक भूमिका निभाएगी जिससे राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा मिल सकेगा। इस तरीके से हम देश की बिजली की मांग को पूरा करना चाहते हैं। समय बीतने के साथ-साथ विद्युत उपादन के क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार की भूमिका बढ़ती जाएगी। यह एक व्यापक प्रयास है। मुझे आशा है कि कुछ समय के बाद यह विशिष्ट पहलू अर्थात् विद्युत उत्पादन में केन्द्रीय सरकार की भूमिका एक महत्वपूर्ण अंश होगा। यह भूमिका यदि 45% नहीं होगी तो लगभग उतनी तो होगी ही और उसके निकट तक हम विद्युत उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। हमारा यह अनुमान है। उदाहरण लिए छठी पंचवर्षीय योजना में, जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, हम लगभग 20,000 मैगावाट क्षमता की वृद्धि करने जा रहे हैं; हमें आशा है कि सातवीं योजना में लगभग 28,000 मैगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ सकेगी और उसके बाद की योजना 30,000 मैगावाट क्षमता बढ़ाई जायेगी। इस प्रकार हमें आशा है कि इस शताब्दी के समाप्त होने तक हम एक लाख मैगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे।

जहां तक परमाणु बिजली घरों का सम्बन्ध है, मैंने पहले एक उत्तर दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि दक्षिणी क्षेत्र में कल्पक्कम में हम एक परमाणु बिजली घर का निर्माण कर रहे हैं और हमें आशा है कि इस योजना के समाप्त होने से पहले ही उससे बिजली प्राप्त होने लगेगी। इसी प्रकार मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि हम एक नेशनल ग्रेड बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे अतिरिक्त मात्रा में बिजली का उत्पादन करने वाले राज्यों को विद्युत का पारेषण किया जा सके। यह हमारा उद्देश्य है। लेकिन हमें राज्य सरकारों से कुछ सहयोग मिलना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि विभिन्न क्षेत्रों हमने जो सम्मेलन किए, उन विभिन्न सम्मेलनों में हमने राजाध्यक्ष समिति के प्रतिवेदन के बारे में विशेष रूप से उल्लेख किया है और वस्तुतः विभिन्न क्षेत्रीय समितियों में, विभिन्न मुद्दों में से यह एक मुद्दा था, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी और राज्यों ने इस बारे में अपने विचार प्रस्तुत नहीं किए हैं कि वे इस बारे में क्या करना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, विद्युत समवर्ती सूची में है और जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया, कुछ सिफारिशें केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित हैं और कुछ सिफारिशें राज्य सरकारों से सम्बन्धित हैं।

जहां तक उन सिफारिशों का सम्बन्ध हैं, जो केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित हैं, मैं उनका सारांश रूप से उल्लेख करना चाहूंगा। एक प्रमुख सिफारिश प्राइवेट उपयोग के लिए प्राइवेट विद्युत उत्पादन के बारे में है। नीति क्या है ? नीति वही है जिसका हम अब तक पालन करते रहे हैं। हम चुनींदा आधार पर ही रक्षित एकक देंगे। दूसरी सिफारिश संगठन और प्रबंध तथा केन्द्रीय सरकार की भूमिका और क्षेत्रीय बिजली घरों आदि के बारे में है। अब हम इस पर विचार कर रहे हैं और इसका विकास कर रहे हैं। इसके लिए काफी वित्तीय संसाधन चाहिए। इस समय हम इस विचारधारा को अपना रहे हैं। इसके बाद परमाणु बिजली घरों के बारे में सिफारिश है, जो मूलतः परमाणु ऊर्जा से सम्बन्धित है। हमने उनसे अपनी टिप्पणियां भेजने के लिए कहा है।

इसके बाद राज्य बिजली बोर्डों का पुनर्गठन करने में सिफारिशें हैं, जो राज्यों से संबंधित हैं और हमने उनसे अपनी टिप्पणियां भेजने को कहा है। इसके बाद ग्रामीण सहकारी समितियों और उनके कार्यकरण आदि के बारे में सिफारिशें हैं। मैंने केवल यह कहा था कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, जो ऊर्जा मंत्रालय के अधीन है, इसे प्रोत्साहन दे रहा है और हम पहले ही 22 योजनाओं को स्वीकृति दे चुके हैं। 22 योजनाओं में से 16 योजनाएं पहले ही चालू हो चुकी हैं।

इसके बाद प्रश्न में, क्षेत्रीय बिजली बोर्डों और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में कर्मचारियों को रखने, पदों को भरने, चयन पद्धतियां और अध्यक्ष—उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, उनका किस प्रकार चयन किया जाना चाहिए और विद्युत इन्जीनियरों की अखिल भारतीय सेवा, इन्जीनियरों के लिए सामान्य भर्ती, परीक्षा आदि की बातें कही गई हैं। इन विषयों के बारे में राज्यों को भी सहयोग करना है और हमने उन्हें प्रतिवेदन भेजा है और उनसे अपनी टिप्पणियां देने के लिए कहा है। कुछ राज्यों ने अधिक समय देने का अनुरोध किया है और हमारी जानकारी के अनुसार किसी भी राज्य ने इन विभिन्न पहलुओं के बारे में अपने पूरे दृष्टिकोण को प्रस्तुत नहीं किया है।

सभापति महोदय : मन्त्री महोदय, आप ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन का प्रयास क्यों नहीं करते ?

श्री विक्रम महाजन : मैं उनकी चर्चा करने जा रहा हूं। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं हमने विभिन्न क्षेत्रों में अर्थात पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र में सम्मेलन आयोजित किये हैं और राजाध्यक्ष समिति के प्रतिवेदन सम्बन्धी इन बैठकों में राज्यों ने यह इच्छा व्यक्त की कि उन्हें उनका अध्ययन करने के लिए अधिक समय दिया जाये और हमने उन्हें समय दिया है। मन्त्री महोदय ने एक अन्य दिन यह बताया कि वह राज्य के विद्युत मन्त्रियों का एक अन्य सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं, जिससे राज्यों के अन्तिम विचार जाने जा सकें और हम निर्णय कर सकें।

श्री बी० बी० देसाई : क्या एक भी राज्य ने अपने विचार व्यक्त नहीं किए हैं ?

श्री विक्रम महाजन : प्रमुख सिफारिशों के बारे में निर्णय किया जा सके। लेकिन कुछ छोटी-मोटी बातों के बारे में वे इच्छुक हैं प्रमुख सिफारिशें राज्य बोर्डों के पुनर्गठन, सामान्य ग्रिड के प्रश्न के बारे में उच्च वोल्टेज की पारेषण लाइनों, विद्युत तंत्र के अधिक लाभप्रद उपयोग के लिए केन्द्रीय सरकार को 'सब-स्टेशनों' के दिये जाने, किसी क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार की भूमिका और केन्द्रीय सरकार द्वारा किये जाने वाले पूंजीनिवेश और उनके लिए अपेक्षित वित्तीय सहायता और इसे किस प्रकार किया जा सकता है, रक्षित विद्युत उत्पादन और क्या यह रक्षित उत्पादन केवल कुछ बिजली घरों में ही किया जाए अथवा सभी बिजली घरों में आदि विषयों के बारे में हैं। इन सभी मुद्दों के बारे में राज्य सरकारों को अपने विचार भेजने हैं। इसके अलावा किस प्रकार से अन्तर्राज्यीय जल विवादों का समाधान किया जाए, समय सीमा, वित्तीय प्रबन्ध आदि के बारे में भी सिफारिशें हैं। इस प्रयोजन के लिए हमने राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्षों बैठक आयोजित की है और वित्त मन्त्री उसकी अध्यक्षता करेंगे और राज्यों को अभी भी अपने विचारों

से हमें अवगत करायें। क्षेत्रीय बिजली बोर्डों के संचालन के प्रश्न के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ राज्यों में बिजली बोर्डों का गठन नहीं किया गया है और बिजली घरों का संचालन विभागीय तौर पर किया जाता है हमने उन्हें सुझाव दिया है कि वे बिजलीघरों का संचालन विभागीय तौर पर नहीं करें। उन राज्यों में भी स्वतन्त्र बोर्ड होने चाहिए।

इसके अलावा हमने सदस्यों की संख्या और बिजली बोर्डों के लिए उनका चयन किस प्रकार किया जाता है, इस बारे में भी उनके विचार मांगे हैं। विद्युत उत्पादन को विद्युत वितरण से पृथक करने का मामला भी उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। लगभग 30-35 सिफारिशें ऐसी हैं जो स्थायी स्वरूप की हैं और जिनके बारे में हमने उनसे अपने विचार देने के लिए कहा है। उन्होंने कुछ और अधिक समय देने के लिए कहा है। कुछ राज्यों ने मौखिक रूप से कहा है कि वे सहमत नहीं हो सकते। इस समय स्थिति वही है जिसका मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं। उनसे परामर्श किया जायेगा। अभी हाल का सम्मेलन पिछले संसद सत्र के दौरान किया गया था। और इस सत्र के दौरान भी इस विषय के बारे में शीघ्र ही बैठक किए जाने की संभावना है। राजाध्यक्ष समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के बारे में एक व्यापक नीति अपना सकते हैं। जहां तक केन्द्रीय क्षेत्र का सम्बन्ध है, हम कार्यवाही कर रहे हैं। कुछ सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा रहा है और कुछ अन्य सिफारिशों की जांच की जा रही है। केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित सिफारिशों का जहां तक संबंध है, हम उनके बारे में बहुत शीघ्र अन्तिम निर्णय लेंगे।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, मन्त्री महोदय ने बड़ा खुलासा जवाब दिया है,.....

सभापति महोदय : क्या आपको पूर्ण संतोष है ?

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : उन्होंने काफी संतोषजक जवाब दिया है। परन्तु प्रश्न यह है कि यदि स्टेट्स अपने कर्तव्यों को पूरा न करें, तो सेंटर इस बारे में क्या कार्यवाही करे। सेंटर के पास ऐसी कौन सी शक्ति है, जिससे वह स्टेट्स से काम कराए ? एक वर्ष का अर्सा हो गया है, लेकिन राजाध्यक्ष कमेटी की रिपोर्ट के बारे में राज्य सरकारों की राय अभी तक नहीं आई है। जब यह विषय कानकरेन्ट लिस्ट में है तो केन्द्र सरकार को इस बारे न कोई टाइम लिमिट निर्धारित करनी पड़ेगी। हमने छठी फाइव-इयर प्लान को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करना है। मेरा सुझाव है कि केन्द्र सरकार छः महीने का टाइम दे दे, जिसके अन्दर सब राज्य सरकारों को जवाब देने के लिए कहा जाए, भले ही इसके लिये रिजनल पावर मिनिस्टर्ज कांफ्रेंस की बैठक द्वारा की जाये। किसी प्रकार राज्यों से जवाब लेना चाहिए।

मैं जानना चाहता हूं कि पावर मिनिस्टर्ज की कांफ्रेंस में किन-किन स्टेट्स ने नेशन ग्रिड के खिलाफ राय दी है। जो इन्टर-स्टेट पावर डिस्पूट्स है, उनके कारण बहुत से स्टेट्स को, विशेषकर राजस्थान को, नुकसान उठाना पड़ रहा है। केन्द्र सरकार के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वह उन इन्टर-स्टेट डिस्पूट्स को हल कर सके। क्या सरकार इस संबंध में कोई लेजिस्लेशन लाएगी और यदि आवश्यक हो, तो क्या वह कांस्टट्यूशन आरविट्रेशन के लिए ट्रिब्यूनल्ज को दे दिये जाते हैं जिसमें पन्द्रह बीस साल लग जाते हैं। मन्त्री महोदय स्पष्ट करें कि इस सम्बन्ध में सेन्टर की पालिसी क्या है।

राजाध्यक्ष कमेटी की रीकमेंडेशन्ज इस प्रकार हैं:—

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों की योजना बनाते समय और क्रियान्वित करते समय यह विशेष सावधानी बरती जानी चाहिऐ कि छोटे किसानों को पूरा फायदा मिले।

ऐसी योजनाएं जैसे कि छोटे किसानों और भूमिहीन श्रमिकों को लाइट का प्वाईंट निःशुल्क देने जैसी व्यवस्था, जैसा कि कर्नाटक में किया जाता है, अन्य राज्यों में भी लागू की जानी चाहिये।

ये रिकमेंडेशन्ज फार्मर्ज़ के लिए लाभदायक हैं। स्माल फार्मर्ज को अभी तक कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है। बिजली का जितना भी लाभ लिया है, वह लेंडलार्ड्ज, बड़े काश्तकारों और पूंजीपति काश्तकारों ने लिया है। स्माल फार्मर्ज के पक्ष में जो रिकमेंडेशन्ज हैं, उन्हें कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों की भी ड्यूटी है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या केंन्द्र सरकार उन्हें प्रोत्साहित करके अथवा उन्हें बाध्य कर के इन रिकमेंडेशन्ज को लागू करेगी।

इस सम्बन्ध में भी जानना चाहता हूं।

एक बात विशेष तौर से मैं कहना चाहता हूं कि कालिंग अटेंशन पर जब डिस्कशन हुआ था उस समय मन्त्री महोदय ने जो बयान दिया था उसमें यह स्पष्ट कहा गया था कि राजस्थान विद्युत की दृष्टि से सरप्लहन है। मन्त्री महोदय का यह नोशन बिलकुल गलत है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान में विद्युत की स्थिति सबसे भयंकर है। आज तीन साल से वहां अकाल पड़ रहा है···

सभापति महोदय : आप एक ही प्रश्न करें।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : एक यही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ कर मैं समाप्त कर दूंगा। इसके सिवाय और कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा।

राजस्थान में बिजली की स्थिति खराब है और विशेष तौर से हाइड्रो की, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर आदि में पानी का अभाव नहीं हुआ है और दूसरे, जो अणु बिजली घर हैं वे बराबर बन्द होते रहते हैं, भाखड़ा से हमें हमें पूरा शेयर नहीं मिल रहा है तो इन सब दृष्टिकोणों से बिजली की जो खराब स्थिति वहां है उसके कारण किसानों को एक घण्टे से ज्यादा बिजली नहीं मिलती, औद्योगिक प्रोडक्शन बिलकुल नष्ट हो रहा है, इन दो वर्षों के अन्दर स्थिति इस प्रकार की हो गई है कि अधिकांश उद्योग नष्ट हो चुके हैं, करोड़ों रुपये की हानि हुई है, ऐसी स्थिति में आप यह कैसे बतलाते हैं कि राजस्थान बिजली के मामले में सरप्लस है ? मैं आप से यह जानना चाहता हूं कि सिक्सथ फाइव ईयर प्लान में किस तरह से राजस्थान की विद्युत स्थिति को आप सुदृढ़ करेंगे ? इस सम्बन्ध में विशेष तौर से आप हमें बतलाने की कृपा करें।

श्री सत्य नारायण जटिया : सभापति जी,

सभापति महोदय : नहीं आपका नाम नहीं है, आप नहीं बोल सकते हैं।

श्री सत्य नारायण जटिया : बोलने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं। मैं इस पर निवेदन कर रहा हूं···

सभापति महोदय : मुझे मालूम है आपने नाम दिया था लेकिन आपका नहीं आया है।

श्री सत्य नारायण जटिया : इसके बावजूद भी मैं नहीं बोलूंगा। ...(व्यवधान)...मेरा नाम वैलट में नहीं आया ··(व्यवधान)···सुनिये तो, मेरा तो यह कहना है, एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं, आप भले ही इसको परम्परा के रूप में न लें···

सभापति महोदय : नहीं, यह सम्भव नहीं है। यह रूल्स के खिलाफ है।

श्री सत्य नारायण जटिया : रूल्स इसलिए नहीं बनते हैं कि किसी को रोका जाय।

सभापति महोदय : क्षमा कीजिएगा, यह रूल्स के विरुद्ध है।

श्री सत्य नारायण जटिया : इसमें आप के लिए कुछ इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि हम बोल सकें।

सभापति महोदय : उसके लिए तो रूल्स कमेटी में हैं उनको कहिए।

श्री सत्य नारायण जटिया : आप भी एक सीनियर मेम्बर हैं, आपका ध्यान मैं इस तरफ दिलाना चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप स्पीकर को लिखिये···

···(व्यवधान)···

श्री सत्य नारायण जटिया : माननीय सदस्य ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मैं हाउस का टाइम वेस्ट कर रहा हूं। ऐसा उनको अधिकार नहीं है। ···(व्यवधान)···वह सभापति जी कह सकते हैं।

सभापति महोदय : मैंने कहा है कि आप अध्यक्ष को लिखिए।

श्री जर्नादन पुजारी : महोदय, जापान में औद्योगिक क्रान्ति एक बहुत साधारण नारे—"हर जापानी घर में बिजली की बत्ती हो"—से शुरू हुई थी। लेकिन, मैं नहीं समझता कि भारत में हम हर घर की तो बात ही छोड़ो। हर गांव में बिजली पहुँचाने के लक्ष्य को कभी प्राप्त कर सकेंगे।

महोदय, आप भली भान्ति जानते हैं कि देश में बिजली की अत्यधिक कमी है और देश में प्राय: अचानक बिजली चले जाने का संकट इतना बढ़ गया है कि यह हमारी अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचा रहा है तथा उसमें औद्योगिक विकास, औद्योगिक प्रगति तथा कृषि की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। यदि मुझे निवेदन करने की और अनुमति हो, वर्ष 1980-81 में 20 पन बिजली परियोजनाएं अन्तर-राज्य विवादों के कारण रूक गई हैं। क्या सरकार इन अन्तर-राज्य विवादों को सुलझाने की सोच रही है ? दूसरे, जो परियोजनाएं इस वर्ष जून तक चालू की जानी थीं उसमें से 33 प्रतिशत पूरी नहीं की जा सकी हैं वे अपने नियत समय से काफी पीछे चल रहीं हैं। इन तथ्यों से पता चलता है कि हम बिजली पैदा करने के कार्य में पीछे हैं। कुल मिलाकर, बिजली सम्बन्धी स्थिति संतोषजनक नहीं है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या देश में बिजली संबन्धी स्थिति संतोषजनक है अथवा नहीं ? आप कब तक हमारी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे ? कितनी अवधि के भीतर ? महोदय, आप जानते हैं कि राष्ट्रीय

ऊर्जा नीति सम्बन्धी कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट 1979 को प्रस्तुत की थी। राजाध्यक्ष समिति ने अपनी रिपोर्ट 4 सितम्बर, 1980 को प्रस्तुत की थी। तब भी मंत्री जी राष्ट्रीय ऊर्जा नीति संबन्धी श्वेत-पत्र संसद को प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। मैं यह चाहता हूं कि क्या यह तथ्य है अथवा नहीं कि प्राक्कलन समिति ने यह सिफारिश की थी कि मंत्रालय को राष्ट्रीय ऊर्जा नीति संबंधी श्वेत पत्र तैयार करना चाहिए ? मुझे एक और बात कहने की अनुमति दी जाये। उन्होंने राजाध्यक्ष समिति की सिफारिशों के बारे में सरसरी टिप्पणी की है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है कि बिजली परियोजनाओं संबंधी योजना 15-20 वर्ष की संदर्शी योजना के आधार पर बनाई जानी चाहिये क्योंकि ये बिजली परियोजनाएं पूरा होने में बहुत लम्बा समय लेती हैं। पांच वर्षीय अवधि की संबंधी योजनाएं तैयार करने की वर्तमान प्रणाली बिजली सैक्टर के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए क्या मैं यह जान सकता हूं कि इन बिजली परियोजनाओं के लिए अपनाए जाने वाले योजना स्वरूप के बारे में मंत्री जी शीघ्र निर्णय लेने वाले है ? क्या मंत्री जी, बिजली उत्पादन में केन्द्रीय सरकार के हिस्से के बारे में बताएंगे और यह बताएंगे कि बिजली उत्पादन के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि सरकार ने 'बिजली' विषय को समवर्ती सूची से बदल कर केन्द्रीय सूची में शामिल करने के प्रश्न की जाँच की है, क्योंकि इस सम्बन्ध में कुछ सरसरी तौर पर बताया था। क्या इस पहलु के संबंध में सरकार कोई संवैधानिक संशोधन ला रही है ?

रक्षित बिजली संयंत्रों के सम्बन्ध में मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इन रक्षित बिजली संयंत्रों को प्राइवेट सैक्टर में स्थापित करने के प्रस्ताव से सहमत है ? यदि सरकारी संस्थाओं से कोई वित्तीय सहायता मांगे बिना प्राइवेट पार्टियां ऐसे प्रस्ताव रखें तो क्या सरकार उन्हें अपने रक्षित बिजली संयत्र स्थापित करने की अनुमति देगी ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि किसी सरकारी संस्थान से वित्तीय सहायता न मांगने की शर्त पर सरकार इन बिजली संयंत्रों को सहकारी सेक्टर में स्थापित करने की अनुमति देने का विचार रखती है ?

सभापति महोदय : नियमानुसार केवल एक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है। इसमें अनेक खण्ड है। आप केवल अपना प्रश्न पूछिए। आपने तो भारी भरकम सुझाव दे दिए है। उन्हें उन पर विचार करने दीजिए।

श्री जनार्दन पुजारी : वह कतिपय सिफारिशों के बारे में केवल सरसरी टिप्पणी ही करते रहे हैं। हम अपने विशिष्ट प्रश्नों के विशिष्ट उत्तर चाहते हैं।

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : यदि मैं इन सभी बातों का उत्तर दूं तो मुझे दो घंटे से भी अधिक समय लगेगा। मुझे समय सीमा के भीतर रहकर ही उत्तर देना होता है।

सभापति महोदय : ये अनेक खण्ड हैं। लेकिन आपको प्रश्न पूछना चाहिए।

श्री विक्रम महाजन : यदि वह चाहते हैं तो मैं पूरा पढ़ सकता हूं। लेकिन इसमें समय लगेगा।

श्री जनार्दन पुजारी : केवल एक प्रश्न अपने राज्य के बारे में पूछूंगा। कर्नाटक राज्य

बिजली की अत्यधिक कमी का सामना कर रहा है तथा पिछली बार परमाणु संयंत्र के बारे में मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिला था इस आशय की एक सिफारिश भी थी कि इन परमाणु संयंत्रों को आबादी वाले क्षेत्रों से बहुत दूर होना चाहिए, और कोयला क्षेत्रों तथा पन परियोजनाओं से भी दूर होने चाहिए। महोदय, मंगलौर में हमारे पास इसके लिए जगह है। मैं जानता हूं कि यह उनके मंत्रालय से संबंधित नहीं है, लेकिन जैसे कि राजाध्यक्ष समिति ने भी इन बातों की सिफारिश की है, में केवल आपके ध्यान में ला रहा हूं कि मंगलौर में हमारे पास स्थान है। 1956 अथवा 1959 में नियुक्त की गई समिति ने दो अन्य जगहों का चयन किया था। इन जगहों के अतिरिक्त क्या मंत्री महोदय मंगलौर की जगह पर भी विचार करेंगे? साथ ही यहां हमारे पास ठोस आधार भूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। अतः वह इस पर भी विचार करें।

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : महोदय, मैं कोई भाषण देना नहीं चाहता। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं जो कि माननीय मंत्री महोदय के उत्तरों के फलस्वरूप उठे हैं।

मेरा प्रथम प्रश्न है कि क्या यह सच है कि राजाध्यक्ष समिति ने यह सुझाव दिया था कि 19 राज्य बिजली बोर्डों में से केवल सात लाभ पर चल रहे हैं और बाकी घाटे में जा रहे हैं और वर्ष 1978 तक हानि 15,798 लाख रुपये की हुई है, तथा जो बिजली बोर्ड लाभ कमा रहे हैं; वे राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब हैं; तथा बाकी बोर्डों पर कर्जा बढ़ता जा रहा। हमने सुझाव दिया था कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण अथवा केन्द्रीय सरकार को उन राज्यों की एक बैठक बुलानी चाहिए ताकि हानि से बचने के उपाय ढूंढे जा सकें। साथ ही वेंकटरामन समिति ने 15 वर्ष सुझाव दिया था कि लाभ निवेश का 9.5 प्रतिशत तक होना चाहिए। अतः जो राज्य बिजली बोर्ड लाभ कमा रहे हैं वे भी उस स्तर तक नहीं पहुँचे हैं। इसलिए, मेरा प्रश्न यह है कि इस संबंध में जो सुझाव दिए है उन्हें कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार अथवा ऊर्जा मंत्रालय ने क्या उपाय किए हैं।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि क्या यह सच है कि कुछ राज्यों के संबंध में राजाध्यक्ष समिति ने सुझाव दिया था कि राजस्थान और हरियाणा जैसे कतिपय ऐसे राज्य हैं जिनमें पन-बिजली के उत्पादन की क्षमता नहीं है, अर्थात जो पन बिजली परियोजनाएं बिजली पैदा कर रही है उन पर इन राज्यों का नियंत्रण नहीं अब राजस्थान को ही लें। गंगा-सागर राजस्थान के नियंत्रणाधीन नहीं है; भाखड़ा राजस्थान के नियंत्रणाधीन नहीं है : हमें उन अन्य राज्यों की दया पर निर्भर रहना पड़ता है जिनमें बिजली पैदा करने की परियोजनाएं हैं। भाखड़ा हमें 'कोटा' देने से मना कर सकता है और वे ऐसा कर भी रहे हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट के अध्याय एक, पृष्ठ 5 पर सिफारिश की है।

"उदाहरणार्थ, हरियाणा और राजस्थान ऐसे राज्य हैं जिनकी वस्तुतः कोई पन-बिजली क्षमता नहीं है जिसका तात्पर्य यह है कि जबकि नियमित बिजली खपत तापीय बिजली संयंत्रों से पूरी की जा सकती है लेकिन असामान्य जरूरत के समय समस्याएं पैदा हो जाती हैं।

अतः महोदय मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि वर्ष 1980 के दौरान राजस्थान सरकार को पन बिजली न मिलने के कारण कृषि के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्रों में भी

भारी हानि हुई है क्योंकि मानसून नहीं आई और वर्षा हुई तथा इस प्रकार चम्बल में पानी नहीं है।

दूसरे, राजस्थान में ऊर्जा पैदा करने का अन्य स्रोत कोटा का परमाणु बिजली संयंत्र है। लेकिन इसके सम्बन्ध में समिति ने कहा है ·····"इसके बाद वाली परियोजना द्वारा पैदा की गई बिजली प्रत्याशा से बहुत कम है" यहां "बाद वाली" से अभिप्राय 'कोटा' से है। बिजली संयंत्रों पर विचार करते हुए, समिति ने अध्याय चार, पृष्ठ 44 पर बताया है;

"तारापुर और राजस्थान (कोटा) परमाणु बिजली संयंत्रों में संचालन और अनुरक्षण का स्तर प्राय: संतोषजक है, यद्यपि कोटा में ऊर्जा उत्पादन प्रत्याशाओं से कम है।

रावत भाटा को 19 बार व्यवधान उपस्थित किया गया था। आपने आज ही समाचार पत्र में पढ़ा होगा कि प्रथम तथा द्वितीय इकाइयां, दोनों ही पिछले सात दिन से बिजली पैदा नहीं कर रही हैं।

मेरे माननीय मित्र श्री वृद्धि चन्द्र जैन ने ठीक ही कहा था कि आज भी जब हरियाणा और राजस्थान में मानसून समय से नहीं आती अथवा समय से पहले समाप्त हो जाती है तो किसानों को दिन में दो घंटे के लिए भी अपने पम्प सेट चलाने के लिए बिजली नहीं मिलती। इस प्रकार, राजस्थान में बिजली उपलब्ध नहीं है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय अन्य उपचारात्मक उपाय करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि राजस्थान में लोगों को औद्योगिक तथा अन्य प्रयोजनों के लिए बिजली उपलब्ध कराई जाए ?

सभापति महोदय : कोई सीमा होनी चाहिए। आपने कितने ही प्रश्न पूछ लिए हैं। मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिए। प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन समय की पावन्दी भी है। हमने पहले ही इस पर एक घंटा और 20 मिनट चर्चा कर ली है।

श्री रामसिंह यादव : राजाध्यक्ष समिति ने सुझाव दिया है कि ग्रामीण विद्युतीकरण की अवधारणा में परिवर्तन किया जाना चाहिए। इस समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधन यह है कि अभी तक बिजली पम्पिंग स्टेशनों के लिए बिजली दी जाती थी, परन्तु जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों का सम्बन्ध है बिजली कुटीर उद्योगों और घरेलू प्रयोजनों के लिए भी उपलब्ध की जानी चाहिये। जहां तक ग्रामीण विद्युतीकरण का सम्बन्ध है क्या ऊर्जा मंत्री ने इस अवधारणा में किसी प्रकार का परिवर्तन लागू किया है।

श्री विक्रम महाजन : अनेकों बातें कहीं गयीं है और मैं उनको पूरा करने की कोशिश करूंगा। कुछ सुझाव भी दिये गये हैं।

जहां तक अन्य राज्य विवादों का सम्बन्ध है हमने विद्युत मंत्रियों के प्रत्येक क्षेत्रीय सम्मेलन में यह पेशकश रखी है कि "ये विवाद लम्बे समय से चले आ रहे हैं। जब तक आपके ये विवाद चलते रहें तब तक आप हमें विद्युत घर (पावर स्टेशन) बनाने की अनुमति दें और जब आप अपने ये विवाद सुलझा लें तो आप उन्हें वापस खरीद सकते हैं। इसी दौरान हम इन स्टेशनों का निर्माण कर लेंगे और इससे राष्ट्र को लाभ होगा।" यह पेशकश थी जो हमने सभी सम्मेलनों में राज्य सरकारों से की थी लेकिन अभी तक किसी राज्य ने इस पर अनुकूल रुख नहीं

अपनाया है। सिंचाई मंत्रालय भी इसके लिए प्रयास कर रहा है। मुझे विश्वास है कि हम दोनों किसी स्तर पर कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। प्रस्ताव यह है कि केन्द्रीय क्षेत्र में पावर स्टेशन के निर्माण की हमें अनुमति दी जाए और जब वे अपने विवाद तय कर लें तो प्रत्येक राज्य अपने-अपने हिस्से हम से खरीद ले। और जो भी बिजली पैदा की जायेगी वह उन्हें तदर्थ आधार पर दी जायेगी। और उसके बाद वे इस समस्या का स्वयं हल कर सकते हैं कि किसको कितनी ज्यादा मिली है और किसको कम। यह बिल्कुल सीधा प्रस्ताव है परन्तु दुर्भाग्यवश किसी भी राज्य ने इसमें रुचि नहीं ली है।

प्रो० एन० जी० रंगा : आप उनसे बातचीत करिये।

श्री विक्रम महाजन : मैंने कई मुख्य मन्त्रियों से व्यक्तिगतरूप से बातचीत की है। मैंने अनेक पत्र भी लिखे हैं।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय उन्होंने यह तय कर लिया है कि वे आपकी बातचीत नहीं मानेंगे।

श्री विक्रम महाजन : मैंने बता दिया है कि हम राष्ट्रीय ग्रिड के प्रश्न के बारे में काम कर रहे हैं। क्योंकि हमें बहुत सी मशीनें खरीदनी हैं ताकि हम केन्द्रीय विद्युत घरों से उन कमी वाले राज्यों में अतिरिक्त बिजली पहुँचा सकें जिन्हें वास्तव में बिजली की जरूरत है। हम बिजली के कुछ भाग को आरक्षित भी कर रहे हैं, जिसे हम उस राज्य को दे सकते हैं जो किसी खास मौके पर अत्यधिक आवश्यकता होने पर बिजली की मांग करता है। इस पहलू का भी ध्यान रखा गया है कि प्रत्येक सुपर थर्मल पावर स्टेशन से जो किसी विशेष क्षेत्र में है प्रत्येक राज्य को बिजली का आवंटन किया गया है ताकि हम उन्हें एक पूरक के रूप में उनकी सहायता कर सकें। इस प्रकार यह देखने के भी प्रयास किये जा रहे हैं कि समाज के कमजोर वर्गों के ग्रामों में जलाने की बिजली आदि के रूप में उनका उचित हिस्सा भी दिया जाये। हम हरिजनों के गाँव में जलाने आदि की बिजली पहुचाने के लिए प्रत्येक राज्य को विशेष अनुदान भी देते हैं। वास्तव में हमारा मंत्रालय इस बात की जांच कर रहा है कि क्या हम कुछ पिछड़े हुए क्षेत्रों को अपने आप बिजली पहुँचा सकते हैं क्योंकि राज्य सरकारें इस स्तर तक काम नहीं कर पा रही हैं। यह वह प्रश्न है जिसकी जांच करने की हम कोशिश कर रहे हैं।

तीसरे, जहाँ तक राजस्थान का सम्बन्ध है मैंने पहले भी यह बता दिया था कि राजस्थान की समस्या केवल उस समय उठती है जबकि कोई भी परमाणु बिजलीघर उत्पादन बन्द कर देता है। केवल उसी समय वास्तविक समस्या खड़ी हो जाती है। जब तक परमाणु बिजलीघर बिजली पैदा कर रहे है तब तक समस्या बहुत ही कम होती है। परन्तु हम राजस्थान को भाखड़ा से उसके हिस्से से भी अधिक बिजली लेने की अनुमति दे रहे हैं। वास्तव में हमने सोमवार को यह देखने के लिए फिर एक बैठक बुलाई है कि क्या हम, यदि सम्भव हुआ तो, उनकी फसलों के लिए सिंचाई हेतु और भी अधिक बिजली दे सकते हैं या नहीं ? सोमवार को इस बात की जांच की जायेगी। हमने सभी राज्यों की—राजस्थान, हरियाणा, और पंजाब की, इसका अनुमान लगाने के लिए बैठक बुलाई है कि क्या राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को आयात सहायता दी जा सकती है ?

जहां तक ग्रामों के विद्युतीकरण का सम्बन्ध है कुछ राज्यों ने जैसे पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु और केरल ने 100 प्रतिशत तक विद्युतीकरण कर लिया है, कुछ काफी अच्छी प्रतिशतता प्राप्त कर रहे हैं और कुछ पीछे रह गये हैं। परन्तु हमें आशा है कि 10, 15 सालों तक देश के प्रत्येक गांव का विद्युतीकरण हो जायेगा। यही हमारी योजनायें हैं।

जहाँ तक त्रुटियों का सम्बन्ध है कुछ क्षेत्रों में पिछले एक साल में अधिकाधिक त्रुटियाँ हुई हैं। प्रमुख त्रुटियां पूर्वी क्षेत्र में हुई हैं। मेरी सूचना के अनुसार, 1980-81 के दौरान उत्तरी क्षेत्र में कोई त्रुटि नहीं हुई थी अर्थात पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में। जहां तक दक्षिण क्षेत्र का सम्बन्ध है वहाँ केवल एक गैस टर्बाइन में त्रुटि हुई है। परन्तु मूल रूप से पूर्वी क्षेत्र में त्रुटि हुई है जिसमें वे उद्योग भी शामिल हैं जहां हमने मौसम नियंत्रण प्रणाली लागू की है। इसलिए देश के प्रमुख भागों में बहुत ही कम त्रुटियाँ हुई हैं और एक या दो क्षेत्रों में बहुत ही कम त्रुटि हुई है उदाहरणार्थ पश्चिमी क्षेत्र में और दक्षिणी क्षेत्र में।

श्री रामसिंह यादव : आम नुकसान को किस प्रकार कम किया जा सकता है।

श्री विक्रम महाजन : मैं एक प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। मैंने सभी प्रश्न नोट कर लिये हैं। जहाँ तक ऊर्जा नीति का सम्बन्ध है हमारी यह नीति है जिसे हमने तैयार किया है और जिस पर विदेशी मुद्रा बचाने के उद्देश्य से तेल की खपत पर कम से कम जोर दिया गया है। यही हमारी बुनियादी नीति है। मैं इसे पढ़कर सुनाता हूँ।

ऊर्जा के स्वदेशी परम्परागत स्रोतों का निरन्तर विकास जिसका आशय पनबिजली और परमाणु बिजली नये और पुनः उपयोगी स्रोतों के विकास से है; जिसके लिये अब एक अलग से नया विभाग है, तेल की खपत को यथासम्भव नियंत्रित करना; ऊर्जा के उपयोग की क्षमता में वृद्धि करके इसके संरक्षण को प्रोत्साहन देना भी इसमें शामिल है।

हम उन पर पाबंदी नहीं लगाते और न ही उन्हें यह कहते हैं कि वे किसी अन्य स्रोत से वित्तीय सहायता नहीं प्राप्त कर सकते। हम उन्हें इस्पात अल्युमिनियम जैसे उद्योगों में रक्षित बिजली संयंत्र लगाने के लिये प्रोत्साहन देते हैं। यहाँ तक कि उन उद्योगों के भी, जो आम जनता के उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जैसे सीमेंट आदि हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। और वास्तव में हर उस उद्योग को, जो हमारे पास रक्षित विद्युत संयंत्र के लिए पहुँचता है, प्रोत्साहित किया जाता है। हम उन्हें नहीं टोकते जहां तक मुझे जानकारी है, नई सरकार के सत्ता में आने से अब तक, यदि उन्होंने रक्षित विद्युत उत्पादन के लिये हमसे अनुरोध किया है तो हमने शायद ही किसी को मना किया हो।

जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है कि हमें एक दीर्घावधिक योजना बनानी चाहिए। मैंने भी यह बाद में विस्तार से बता दी है हमें आशा है कि इस शताब्दी के अन्त तक हम लगभग एक लाख मैगावाट बिजली का उत्पादन कर लेंगे। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार का एक संगठन है और आगे की कार्यवाही करने के लिए यह एक व्यापक 50 वर्षीय विकास योजना तैयार कर रहा है। हमें दीर्घावधिक नई ऊर्जा नीति के ये ही बुनियादी तत्व हैं। मैंने कभी यह दावा नहीं किया कि बिजली के सम्बन्ध में हमने पूर्णता प्राप्त कर ली है। विद्युत उत्पादन को बढ़ाने का एक कार्यक्रम मैंने पहले भी बताया था। उसी प्रकार हम इस समस्या को सुलझाने का दोहरा प्रयास कर रहे हैं। एक तो बढ़ती हुई माँग को पूरा करना और दूसरा इस

अन्तर को कम करना । हमें हर साल इस अन्तर को कम करना है ताकि हम कमी को दूर कर सकें । उदाहरणार्थ 1979-80 में यह कमी 16.1 प्रतिशत थी । 1980-81 में इस प्रतिशत को घटाकर 12.6 पर ले आया गया है । 1981-82 में हमें आशा है कि यह और घटकर 9 या 10 प्रतिशत रह जायेगी इस प्रकार हर वर्ष हमें इस अन्तर के कम होने की आशा है । और हमारा अनुमान है कि छठी योजना के अन्त तक, हम माँग और पूर्ति में सामंजस्य कर लेंगे । यही हमारा लक्ष्य है । और मुझे आशा है कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे ।

जहां तक रक्षित विद्युत उत्पादन का संबंध है हम नीति के तौर पर उन उद्योगों के रक्षित बिजली संयत्रों को प्रोत्साहन देते हैं जिसमें भारी मात्रा में बिजली की खपत होती है । योजनायें ही बनानी चाहियें विद्युत उत्पादन चार या पाँच शर्तों में नहीं किया जा सकता । हमें दीर्घावधिक योजनायें बनानी चाहियें । थर्मल विद्युत पाँच-छ वर्ष लेती है और पन बिजली सात से दस वर्ष तक का समय लेती है हमें संयत्र चालू करने की अवधि को कम से कम करना है और साथ ही साथ देश की दीर्घकालीन आवश्यकताओं को भी पूरा करना है ।

अब जहाँ तक कर्नाटक का सम्बन्ध है, मैं यह बताना चाहता हूँ कि अब तक अर्थात पिछले पाँच से दस दिन की हमारी रिपोर्ट यह है कि कर्नाटक राज्य आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहा है जहाँ तक परमाणु ऊर्जा का सम्बन्ध है यह प्रश्न परमाणु ऊर्जा मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए ।

यह सच है कि कितने ही राज्य बिजली बोर्डों में हानि हो रही है और जहाँ तक मुझे मालूम है और जो माननीय सदस्य कह रहे हैं यह ठीक ही है और इसलिये मैंने यह बताया है कि पिछले दिनों एक बैठक बुलाई गई थी मेरा ख्याल है कि शायद एक-दो महीने-पहले जब इन सभी चेयर मैनों को बुलाया गया था और हमने उन्हें कुछ सुझाव दिये थे । वित्त मंत्री ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी । हमने उनके टैरिफ़ के विषय में अपनी अपनी टिप्पणियाँ देने के लिये कहा है कि आय इतनी कम क्यों है और इन सभी पहलुओं के बारे में हमने उनकी राय मांगी है, और जब वे अपनी राय दे चुकेंगे, जैसा कि मैंने बताया है, हम संसद सत्र की समाप्ति के शीघ्र बाद ही एक और बैठक बुलायेंगे । यह उन राज्यों की सहायता के लिये है जिनके पास कोई ऊर्जा स्रोत नहीं हैं और इसलिये हमने एक केन्द्रीय संगठन बनवाया है, उदाहरणार्थ पन बिजली परमाणु बिजली नई केन्द्रीय परियोजनायें शीघ्र ही शुरू होने वाली हैं । प्रत्येक राज्य को इसका लाभ दिया जा रहा है और राजस्थान को विशेष रुप से सहायता दे रहे हैं ताकि वहाँ के सदस्यों का समाधान हो सके और वास्तव में आपात कालीन के रुप में हमने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के प्रतिनिधियों की एक बैठक यह मालूम करने के लिये सोमवार को बुलाई है कि इस अवधि में, अर्थात आगे के पन्द्रह दिन या एक माह में, जबकि वास्तव में फसल होती है, हम उन्हें ज्यादा से ज्यादा जल और बिजली दे सकते हैं । इस तरीके से हम राज्यों की सहायता करना चाहते हैं । मुझे आशा है कि अधिक से अधिक केन्द्रीय परियोजनायें शुरू की जा रही हैं और हम इस वर्ष खराबियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं हमें आशा है कि जहाँ तक सम्भव होगा हम इसमें अवश्य सफ़ल होंगे ।

मैं उपयोगी सुझाव देने के लिये माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं । मैं इन सुझावों पर विचार करूंगा ।

सभापति महोदय :- सभा अब कल 11 बजे म० पू० तक के लिये स्थगित होती है ।

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार, 7 सितम्बर 1981/16 भाद्र, 1903 (शक) के लिये स्थगित हुई ।